1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 4] षष्टम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 35वां दिवस [संख्या] 9

मंगलवार

दिनांक 7 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। प्रश्न संख्या 233.

राज्य में बन्दूकों के लाइसेन्स

233. श्री **रामजीलाल महामना** (बैर), श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत) व श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में बन्दूकों के कितने लाइसेन्स सन् 1977-78 में जारी किए गए हैं? एम. एल. गन राइफल व बारह बोर की अलग अलग सूची व लाइसेन्स-धारियों की सूची नाम व जाति सहित देन की कृपा करें।

(2) उक्त सूची में कितने हरिजन हैं जिन्हें उक्त शस्त्रों के लाइसेन्स 1977-78

में दिए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है इसके लिये मैं माफी चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि इसको स्थगित किया जायें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

श्री ईश्वर चन्द्र: माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली में अगर लाठी चार्ज हो जाये, उदयपुर में अगर लाठी चार्ज हो जाये, तो गृह मंत्री के पास सूचना एकदम आ जाती है लेकिन हरिजनों के पास कितनी बन्दूकें हैं इसका जवाव देने के लिये वह तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: काफी प्रश्न और हैं उनको होने दीजिये।

प्रश्न संख्या 234

श्री खेतसिंह !
(अनुपस्थित) : कृपया आगे देवें !
श्री मन्जूर अली।

राज्य के सैकण्डरी स्कूल्स एवं उनमें उर्दू का विषय

235. श्री **मन्जूर अली** (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने

(श्री मंजूर अली)
की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने सैकण्डरी स्कूल हैं ?

(2) कितने सैकण्डरी स्कूलों में उर्दू का विषय नवीं व दसवीं कक्षा में आप्शनल विषय के रूप में है ?

(3) कितने स्कूलों में 78 के सैशन में उर्दू के मास्टर नहीं रहे ?

(4) उर्दू पढ़ाने वाले मास्टर कितने हैं, जो उन स्कूलों में तैनात हैं जहां उर्दू का विषय नहीं है ?

(5) राज्य में 1978-79 में सैकण्डरी स्कूल कुल कितने हो गये हैं ?

(6) इनमें से इस सत्र में कितने स्कूलों में उर्दू का विषय रखा गया है ?

(7) क्या हर उर्दू विषय वाले स्कूल में मास्टर का इन्तजाम कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा): (1)कुल 1573 सैकण्डरी स्कूल हैं।

(2) राज्य में नौ (9) सैकण्डरी स्कूलों में उर्दू विषय ऐच्छिक रूप में है।

(3) सत्र 1977-78 में नागौर में केवल दो विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था नहीं रही है।

(4) ऐसी कोई संस्था नहीं है कि उर्दू पढ़ाने वाला अध्यापक उस स्कूल में लगा हुआ है जहां उर्दू विषय नहीं है।

(5) राज्य में कुल 1573 सैकण्डरी स्कूल 1978-79 तक हैं।

(6) इस सत्र में उर्दू वैकल्पिक विषय के रूप में किसी भी माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित कोटे के अनुसार मांग नहीं होने के कारण नहीं खोला गया।

(7) जी हां।

श्री मन्जूर अली: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में उर्दू जुबान बोलने वालों का प्रतिशत और अल्पसंख्यक बंदों की आबादी क्या है ? 1573 स्कूलों में से केवल 9 स्कूल हैं जहां उर्दू सब्जेक्ट है, आखिर इसका क्या कारण है ? पहली बात।

दूसरी बात, 1977-78 में 9 स्कूल भी नहीं रह कर 6 रह गये, इसका क्या कारण है ?

तीसरी बात, आपने यह कहा खंड (6) के उत्तर में कि स्टूडेन्ट्स नहीं होने के कारण उर्दू विषय नहीं खोला गया, यह बिलकुल डिसेप्टिव है और गलत है। मैं इसको चैलेंज करता हूं। यह गलत है कि किसी स्कूल में 10 स्टूडेन्ट्स भी नहीं हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा: नौ स्कूलों में जो उर्दू का सब्जेक्ट है, वह ऐच्छिक है। राजस्थान में केवल कक्षा 9 और 10 में उर्दू ऐच्छिक विषय की तरह पढ़ायी जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में उर्दू तृतीय भाषा के रूप में भी 25 उच्च माध्यमिक स्कूलों में और 19 माध्यमिक स्कूलों में पढ़ायी जाती है। इस सत्र में 4 और माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री **ओंकार लाल चौहान** (अटरू) : गत वर्ष कितने स्कूल थे? इस वर्ष उनमें कुछ इजाफा हुआ या नहीं ? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ?

श्री **ईश्वर चन्द्र** : क्या यह सही है कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में भी उर्दू की पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है ? क्या यह भी सही है कि सरकार जानबूझ कर राजस्थान में उर्दू को खतम करना चाहती है ?

श्री **मन्जूर अली** : मेरा एक सप्लीमेन्ट्री और भी है । क्या यह सही है कि 9 स्कूलों में भी मास्टरों का इन्तजाम नहीं है, जिससे मजबूर होकर स्टूडेंट्स उर्दू नहीं पढ़ सकते ? उर्दू को खतम करने की यह साजिश है ।

श्री **ओंकार लाल चौहान** : अध्यक्ष महोदय, अगर एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाये तो ठीक रहे ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, उत्तर देने के लिये तैयार ही नहीं हैं ।

श्री **भंवर लाल शर्मा** : मैं तो तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

उर्दू को समाप्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है । बल्कि हमने तो यह व्यवस्था की है कि यदि 10 विद्यार्थी भी उर्दू पढ़ने वाले होंगे, तो उनके लिये व्यवस्था की जायेगी । इससे ही साबित है कि सरकार उर्दू के बारे में समुचित व्यवस्था करना चाहती है । दस की संख्या में उर्दू पढ़ने वाले उपलब्ध हों और वहां पर पढ़ाने की व्यवस्था नहीं हो, तो आप मुझे बतायें ।

श्री **भंवर लाल ऐरन** (नसीराबाद) : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू बोलने वालों की संख्या के अनुपात से 9 सैकण्डरी स्कूल पर्याप्त हैं ?

श्री **ईश्वर चन्द्र** : क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि उर्दू पढ़ने वाले अगर 10 लड़के भी हों तो उनके लिये व्यवस्था की जाये ?

श्री **भंवरलाल शर्मा** : ऐसा आदेश है ।

श्री **ईश्वर चन्द्र** : मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी उर्दू पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है । जगह जगह मुस्लिम सम्प्रदाय अपने प्राइवेट स्कूल खोलने लगा है जिससे साम्प्रदायिकता बढ़ती है । उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था कर दीजिये ताकि साम्प्रदायिकता न पनपे । मंत्री महोदय, इस पर समग्र चिन्तन करके उत्तर दें ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री ईश्वर चन्द्रजी के प्रश्न का उत्तर दें, माननीय मंत्रीजी ।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्कूल खोलने के जो आदेश निकालते हैं उसमें यह सम्मिलित है कि ऐच्छिक विषय और अनिवार्य विषय के अतिरिक्त कला वर्ग अथवा वाणिज्य वर्ग, टंकण आदि विषयों की मांग को देखते हुए खोले जायं । जहां जहां भी मांग होती है वहां उनकी संख्या दस भी है तो वह विषय खोल दिया जायगा । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, यदि ऐसे स्थान हों कि जहां दस विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हों तो हम आज भी खोलने के लिए तैयार हैं ।

श्री **मोहम्मद जहूर** (कामां) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू के अध्यापक जो लगाये जाते हैं वह विलम्ब

(5)

(श्री मोहम्मद जहूर)
से लगाये जाते हैं इस कारण दस विद्यार्थी तैयार नहीं हो पाते ? उन अध्यापकों को इसलिए विलम्ब से लगाया जाता है ताकि उनको छुट्टी की तनख्वाह नहीं देनी पड़े। दूसरा कारण यह है कि हमारे राजस्थान में उर्दू के ट्रेण्ड अध्यापक नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय, ऐसी अवस्था में दूसरे राज्यों से ट्रेण्ड अध्यापक लाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी राजस्थान में अनुदान प्राप्त संस्थायें हैं, मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि उनमें से कितनों में उर्दू पढ़ाई जा रही है ? मैं मंत्री महोदय को यह भी बता दूं कि राजस्थान में एक भी अनुदान प्राप्त संस्था नहीं है जिसने उर्दू विषय को स्वीकार किया हो। नवलगढ़ में, मैं बताना चाहता हूं, तीन हायर सैकन्डरी स्कूल हैं और उर्दू के 30 विद्यार्थी नवीं और दसवीं कक्षा में हैं उसके बावजूद उर्दू का विषय नहीं खोला गया है। वह संस्था एप्लाई नहीं करती है। क्या आप नियमों में ऐसा प्रावधान करेंगे कि उन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उर्दू भाषा पढ़ायी जा सके ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य का विषय है कि 1,573 हायर सैकन्डरी स्कूलों में से केवल 9 में उर्दू पढ़ाई जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि दस विद्यार्थी जहां होंगे वहां हम उर्दू विषय खोल सकते हैं। एसे हायर सैकन्डरी स्कूल भी हैं अगर मंत्री महोदय स्वयं देखें तो दस छात्र ही नहीं बल्कि पचास, पचास छात्र एक ही स्कूल में मिलेंगे किन्तु वहां ऐच्छिक विषय उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है। जिन लोगों ने साक्षात्कार उर्दू का दिया है उनको भी आपने अभी तक सर्विस में नहीं लगाया है।

श्री मंजूर अली : जनता पार्टी का राज्य आने से पहले कुल कितने सैकन्डरी स्कूलों में उर्दू थी ? यह फिगर ही बता दें ? इसी से मालूम हो जायेगा।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उर्दू पढ़ने की इच्छा तो घटी नहीं लोगों की, लेकिन इन्होंने विद्यार्थियों को घटाया है। जैसे सिंधी और उर्दू भाषा का ट्रेनिंग सेन्टर अजमेर में चल रहा है उसमें पहले एडमिशन के लिए दसवीं क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। उसको बढ़ा कर अब हायर सैकन्डरी कर दिया है। इस कारण से लोग एडमिशन से वंचित रह गये। आज भी अजमेर में स्थान रिक्त पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है, मंत्री महोदय ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हायर सैकन्डरी स्कीम ही खतम हो गयी इसलिए हायर सैकन्डरी खोलने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने यह अर्ज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना प्रश्न रिपीट करें।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने अर्ज किया कि उर्दू और सिंधी जुबान की जो ट्रेनिंग के लिये लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर सन्टर खोला है उसमें पहले मैट्रिक तक के बच्चों को

(श्री **अब्दुल अजीज**)
एडमिशन दिया जाता था। अब हायर सैकन्डरी कर दिया। इस कारण अब रिक्त स्थान पड़े हैं।

श्री **सुरेश कुमार** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह बहस हो रही है, सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। इस पर आधा घंटे की चर्चा के मौके पर बहस की जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि केवल सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत आप दें।

श्री **कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि अजमेर में एक ट्रेनिंग सेन्टर है उसमें सिंधी और उर्दू की सीटें निर्धारित हैं। पहले सैकन्डरी वालों को भर्ती किया जाता था। अब उसको हटा कर हायर सैकन्डरी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी गयी है उसकी वजह से सीटें खाली हैं। यह बात वह पूछना चाहते हैं।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : आपके पास एजूकेशन पोर्टफोलियो आ गया क्या ?

श्री **मजूर अली** : यह इतना अहम मसला है कि इसके ऊपर आधा घंटे की चर्चा रखें।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य सुरेश कुमार का सुझाव है उसको मैं स्वीकार करता हूं। यह महत्वपूर्ण है। इसको आधा घंटे की चर्चा के लिए ले लिया जायेगा।

श्री बंसीलाल सारस्वत !

श्री **खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है।

कुछ माननीय सदस्य : आप आये ही नहीं थे।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : मैं आ गया था।

श्री **अध्यक्ष** : You are late. You will have to pay the penalty for it. सारे हाउस की कार्यवाही आपकी अनुपस्थिति के कारण स्थगित नहीं हो सकती। मैं आपको अवसर नहीं दे सकता।

श्री **खेतसिंह राठौड** : मेरी बात तो सुन लें। मैं लेट नहीं हुआ। लेट इसलिए यहां के लिए हो गया कि मैं ज्यों ही आया आप आगे नाम बोल गए। लिफ्ट में काफी चढ़ गये। मेरे से पहले कई लोग चढ़ गये !

श्री **रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : यह बिलकुल झूठ बोल रहे हैं। जिम्मेदार होकर इतना झूठ बोलते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय खेतसिंह, स्थान ग्रहण करें। श्री बंसीलाल, इसके बाद आपका टर्न आ सकता है। आप तैयार रहिये !

श्री बंसीलाल सारस्वत !

राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने के पानी की योजना

236. श्री **बंसीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से कार्य करने की कोई योजना बनाई व बोर्ड की स्थापना की है ?

(2) क्या उसमें आवश्यकता और जल की उपलब्धता के आधार पर कोई सरकारी

(श्री बंसीलाल सारस्वत)
नीति तय कर इस समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कारगर कदम उठाये गये हैं ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) राज्य के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से योजना बनाई जा रही है एवं निगम के गठन पर विचार हो रहा है।

(2) पेयजल संकट की तीव्रता एवं तकनीकी उपयुक्तता को आधार बना कर कार्य किया जा रहा है।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : आपकी यह योजना कब तक बन जायेगी ? कब तक आप पानी दे देंगे ? आपकी उम्र में दे देंगे या पांच साल के बाद देंगे आप ?

श्री **बंसीलाल सारस्वत** : अभावग्रस्त क्षेत्र में सर्वेक्षण की योजना तैयार की जा रही है ?

श्री **महबूब अली** : जी हां।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : कब तक बोर्ड का गठन पूरा हो जायेगा ?

श्री **महबूब अली** : बहुत शीघ्र पूरा हो जायेगा।

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : राज्य सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में कुछ क्षेत्र को सारा रुपया दे दिया है और कुछ क्षेत्र को बिलकुल भी धनराशि नहीं दी है। इसमें भेदभाव बरता गया है। एक तहसील को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया और एक तहसील को सिर्फ 4 लाख रुपया ही दिया गया है जबकि दोनों तहसीलों के गांवों की समस्या एक-सी है। इसका क्या मापदण्ड आप अपनाते हैं ?

श्री **महबूब अली** : ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : बीकानेर जिले की नोखा तहसील को 4 लाख रुपया दिया गया है, और बीकानेर जिले की ही दूसरी तहसील को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : एक छोटा-सा सवाल माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जहां खारा पानी है, वहां शुद्ध पानी कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता।

श्री **बंसीलाल सारस्वत** : मेरा मूल प्रश्न है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये। वर्ल्ड बैंक से जो राशि मिलने वाली है उसमें से जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें कितनी राशि और अन्य क्षेत्र के लिये कितनी राशि देने की योजना है ?

श्री **महबूब अली** : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में निवेदन करूं कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है विलेजेज को आइडेन्टीफाई किया जायेगा। रेगिस्तानी क्षेत्र के 1150 गांवों को आइडेन्टीफाई किया गया है। इसकी योजना विस्तार से बनाई जा रही है। जब तक कोई फाइनल स्वरूप बन कर स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक मैं फाइनल बात कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : 1,150 गांव कौन से हैं ? आइडेन्टीफाई करने का आधार क्या है ?

श्री बालदयाल जोशी (दीगोद) : क्या मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र का ध्यान रखेंगे जहां पानी नहीं है, पानी की समस्या है ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में 78 गांव हैं. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिलों में, तहसीलों में जो राशि दी है वह किस आधार पर दी है ? क्या राजनैतिक विशेष इन्फ्लूएन्स के कारण दी है ? किसी क्षेत्र की उपेक्षा कर सारे जिले की राशि एक तहसील को दी है। नोखा तहसील इसका उदाहरण है। चार लाख रुपये दिये हैं। बाकी बीकानेर की एक अन्य तहसील में 1 करोड़ 10 लाख रुपये दिये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : राजनैतिक भेदभाव का सवाल पैदा नहीं होता ! आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कम है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कम क्या है, आज तक आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में इतना रुपया खर्च नहीं हुआ जितना आज हो रहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसमें कोई दो राय नही है। हमारी जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की तहसील है उसमें चार लाख रुपये खर्च किये गये हैं. . . .

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी जानकारी के लिये बता दूं वहां के लिये धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विश्व बैंक को कौनसी योजना भेजी है ? 1,150 गांव बताये गये हैं वह जिलेवार बता दीजिये। कितनी कितनी संख्या कौनसे जिले में है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने जवाब में यह फिगर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय करें। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है इसके लिये नोटिस चाहिये. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी !

श्री परसराम मदेरणा : यह बिल्कुल प्रासंगिक है। वर्ल्ड बैंक के सामने सरकार ने जो योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया है, उसके लिये, 1,150 गांवों का चयन करने का आधार क्या है ? आपने यह कहा है कि 1,150 गांवों का चयन किया है। टोटल कितना अमाउन्ट बनता है जिसकी आपने वर्ल्ड बैंक से मांग की है ? क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा भी है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से. . . .

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा. . .

(व्यवधान)

श्री अल्दाराम हटीला (पिण्डवाड़ा) : मेरे क्षेत्र के लिये चार लाख रुपये की राशि रखी गई है। जिस जगह पर खारा पानी है उन गांवों को छोड़ दिया गया है। 1 करोड़

(श्री अलवाराम हटीला)

10 लाख रुपया दूसरे क्षेत्र में लगा दिया गया है। मेरे क्षेत्र में आज तक पैसा खर्च नहीं किया गया है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर खारा पानी है उस ओर ध्यान देंगे ?

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) : डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आदिवासी क्षेत्र में शुद्ध पानी की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ? और ग्रामीण ग्रुप जलप्रदाय योजना द्वारा शुद्ध पानी देकर नारू बीमारी की रोकथाम करने का क्या इरादा है ? जिला डूंगरपुर के पेय जलप्रदाय योजना के प्रस्ताव भेजे गये है, सरकार कब लागू करना चाहती है ?

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : श्री परसरामजी मदेरणा ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर आ जाये।

श्री महबूब अली : वर्ल्ड बैंक के सिलसिले में जो योजना बनाई जा रही है उसमें राजस्थान के कुल 3,021 गांवों को लिया गया है। उनमें रेगिस्तानी क्षेत्र के 1,150 गांव हैं। उन गांवों के लिये अभी जो टेन्टेटिव योजना बनाई गई है वह 110 करोड़ रुपये की योजना है, लेकिन अभी वह फाइनल नहीं है। जब तक वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत करके विचार विमर्श करके, एक-एक स्कीम की टेक्निकल जांच कर के उस पर विचार नहीं किया जाता है तब तक मैं आपको इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेक-अप देने की स्थिति में नहीं हूं। कितने गांव लिये जा रहे हैं यह अगर आप सूचना चाहेंगे तो बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह कृपया सदन की मेज पर रखवा दें। उस पर चर्चा हो जाये।

श्री महबूब अली : जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक सदन के अन्दर रखना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष : He has said that it is not yet ripe for consideration.

श्री रामनारायण चौधरी : I am not asking for consideration. मंत्री महोदय जानबूझ कर सूचना को छिपा रहे हैं। 1,150 गांव रेगिस्तानी जिलों से लिये जा रहे हैं। आप कृपा करके, क्यों नहीं बताते हैं, आपने कहां से सूचना ले ली है ?

श्री महबूब अली : फिलहाल जिलेवार ब्रेक-अप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : He is not having it.

श्री मूलचन्द डागा : पश्चिमी राजस्थान को इगनोर कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : किस आधार पर छांटे हैं ?

श्री महबूब अली : आधार बता रहा हूं। जो क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है वह मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस सवाल का जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 1,150 गांवों का सलेक्शन कर लिया गया है। नाम मंत्री महोदय के पास है, जानबूझ कर सदन से सूचना छिपा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक से पानी की समस्या को हल करने के लिये रुपया लेने का फाइनल निर्णय कर लिया है ? वर्ल्ड बैंक से रुपया निगम को मिलेगा तो क्या राज्य सरकार ने निगम बनाने का भी फाइनल निर्णय कर लिया है ? वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने का फाइनल निर्णय यदि कर लिया है तो किन शर्तों पर यह रुपया मिलेगा ? वर्ल्ड बैंक से रुपया मांग लिया और शर्तें मंजूर हो गईं तो विलेज आइडन्टीफाई करने का क्या क्राइ-टेरिया है ?

श्री भरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब स्वयं वित्त मंत्री रह चुके हैं। इनके जमाने में वर्ल्ड बैंक से कई बार समझौता हुआ है। वर्ल्ड बैंक से इमदाद लेने की एक प्रक्रिया होती है चाहे वह राज्य सरकार हो या अन्य कोई संस्था हो। उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाती है। अभी वर्ल्ड बैंक से टीम आई है, पहले भी आई थी। वह अपना सर्वेक्षण कर रही है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगी, हम भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को देंगे। उसके बाद यह निर्णय लिया जायेगा कि प्रोजेक्ट को धनराशि राज्य सरकार को भारत सरकार के माध्यम से देने को तैयार है। अभी सारा काम जांच का चल रहा है। न तो अभी वर्ल्ड बैंक पैसा देगा और न प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पानी की समस्या का समाधान हो जाय। अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है। हम अपनी तरफ से सुझाव रखते हैं, वे भी अपनी तरफ से सुझाव रखते हैं। हम उन क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं जिनमें हम जटिल समस्या समझ रहे हैं। वे कहते हैं उन क्षेत्रों में पैसा लगाने से कम लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिये अभी हम पूरी स्थिति को बताने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब यह हुआ कि राज्य मंत्री ने जो एलान किया वह....

श्री अध्यक्ष : No discussion, माननीय सदस्य ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने प्रश्न पूछ लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो बात कही वह बहुत गंभीर बात है। मुझे एक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये।

आपने गांवों को आइडेन्टीफाई करने की बात कही, आपके कथन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर पेश करेगा। मान्यवर, गवर्नमेंट का अधिकार है, हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो सुप्रीमेसी है क्या उसको वर्ल्ड बैंक के सामने सरेन्डर

[redacted]

(श्री रामनारायण चौधरी)
करके जो उसकी रिपोर्ट होगी वही फाइनल होगी क्योंकि पैसा देने वाले वे ही हैं ? इसका मतलब है, आप झुक गये क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट देगा वही फाइनल होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे विरोधी दल के माननीय नेता की बुद्धि पर तरस आता है। क्या आपने और आपकी इन्दिरा ने भी घुटने टेक दिये थे। . ..

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमने ऐसा मुख्य मंत्री देखा नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक के सामने झुक जांय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घुटने टेकने का सवाल कहां पैदा होता है . . . .

(व्यवधान)

घुटने टकने का सवाल कहां पैदा होता है। आपने भी वर्ल्ड बैंक से समझौता किया था, क्या यह मान कर चले कि भारत सरकार ने घुटने टेके थे ? मैं कहता हूं यह कहना केवल राज्य सरकार का ही अपमान नहीं है सारे देश का अपमान है। आज दुनिया भर से सहायता लेते हैं तो सहायता घुटने टेक कर नहीं ली जाती है। बराबर के आधार पर सहायता ली जाती है। हम उनको उनका सारा पैसा ब्याज सहित चुकायेंगे। उनके टेक्निकल एक्सपर्ट आते हैं और हमारे भी टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं कितना खर्च होगा, उस सारे खर्चे का भुगतान गवर्नमेन्ट कैसे करेगी, पब्लिक से रियलाइजेशन किस प्रकार होगा, यह सारी रिपोर्ट होती है। घुटने टेकने की बात कहना मैं समझता हूं विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं है . . . . :

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके मार्फत। रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां वर्ल्ड बैंक की सहायता से पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिस प्रकार राज्य मंत्री महोदय ने ....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्नों की सीमा भी होती है। दूसरे प्रश्न रह जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : देवता ठहर जा। नहीं मालूम हो तो पूछेंगे ही।

मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जब रेगिस्तानी क्षेत्र के 1150 गांव बताये हैं तो क्या यह मान कर चलें कि क्या खारे पानी की समस्या को ही सुलझा देंगे और कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी ? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। जब हम वर्ल्ड बैंक से सहायता लेने जा रहे हैं तो जिन गांवों में खारा पानी है उनमें वर्ल्ड बैंक के आधार पर या राज्य सरकार के आधार पर मीठे पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो वर्ल्ड बैंक की सहायता मिलेगी उसके साथ राज्य सरकार भी छठी पंचवर्षीय योजना में धनराशि रख रही है। केवल वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही पानी की समस्या का समाधान कर पायेंगे, यह नहीं है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोब्लमेटिक विलेज हैं उनकी संख्या बता सकते हैं,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कुछ विलेजेज ऐसे हैं जहां पानी तो है लेकिन उस पानी को पीने से लोग बीमार हो जाते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। कुछ विलेजेज में पानी खारा है और पीने के लायक नहीं है तो सैकिन्ड प्रायोरिटी उनको दें। फिर कई ऐसे भी गांव है जिनके नजदीक में पानी नहीं है उनको तीसरी केटेगरी में लेना चाहिंगे। आप चाहते हैं जहां खारा पानी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाय, सो नहीं है। पिछले 30 वर्षों के शासन में राजस्थान के 25 हजार गावों को पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका तो क्या अब आप समझते हैं कि एक वर्ष में ही सारी समस्या का समाधान हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं नहीं बैठूंगा। It verges on the disrespect to the Chair.

श्री रामनारायण चौधरी : No disrespect to you. All respect for you. But I have got to have my say.

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): विरोधी दल के नेता को बाहर निकालो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से एक सवाल पूछता हूं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, विरोधी दल के नेता से नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब तुम राजस्थान कैनाल पर ले जाकर साफा बंधाते थे तब किसकी इज्जत कर रहे थे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह। माननीय श्री श्योपतसिंह। माननीय श्री श्योपतसिंह।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : One minute, Sir. I must have my say, Sir.

यह मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। जो मेरे खयाल हैं वह आपकी मार्फत सदन में कहूंगा . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : यह धर्म और सिद्धान्त इन्हीं के लिए है . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री मदनसिंह दांता : ये उठेंगे तो हम भी उठेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें . . .

(व्यवधान)

माननीय श्री खेतसिंह जी !

श्री रामनारायण चौधरी : Sir, I must be permitted to have my say.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सदन की गरिमा भी कोई चीज है....

श्री कौशलकिशोर जैन : विरोधी दल के नेता को बाहर निकाला जावे। विरोधी दल के नेता को सदन से बाहर निकाला जावे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता . विरोधी दल के नेता को बाहर निकाला जावे. . .

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा . अध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल के नेता होकर आसन की अवहेलना कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकाला जावे. ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित की जाकर प्रश्नोत्तर काल समाप्त किया जाता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक म.पू. 11.44 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पुरानी बस्ती जयपुर स्थित तूंत की बगीची पर अवैध कब्जे का मामला

234. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर परिषद्, जयपुर के जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों, जिनकी लापरवाही एवं भ्रष्ट आचरण के कारण तूंत की बगीची पुरानी बस्ती, जयपुर के पास हुए अनधिकृत कब्जे के संबंध में न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर स्थगन आदेश जारी किया, वे कौन कौन हैं व उनके विरुद्ध अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा भविष्य में क्या क्या कार्यवाही करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(2) यह अनधिकृत कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का कोई दोष नहीं है।

(2) सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही जारी है। न्यायालय से निरस्तीकरण के आदेश प्राप्त होते ही अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं

187. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत वर्ष राज्य की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए कितनी धनराशि की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी तथा उस धनराशि में से कितनी व्यय हुई ?

(2) गत वर्ष में कितनी ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कराया गया, उनकी अनुमानित लागत क्या थी और वास्तव में कितनी धनराशि नई जलप्रदाय योजनाओं पर खर्च की गई ?

Page No 13

(13)

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) राज्य की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या और कितनी लागत की और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत वर्ष राज्य की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिये विभिन्न मदों के अन्तर्गत 1051.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी । इस राशि में से 1011.98 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई।

(2) गत वर्ष 79 नवीन जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया । उनकी अनुमानित लागत लगभग 896.00 लाख रुपये है । नई जलप्रदाय योजनाओं पर लगभग 202.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(3) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के 3021 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। प्रारम्भिक प्रारूप के अनुसार योजना की लागत लगभग 110.00 करोड़ रुपये है।

ग्रामीण पेयजल का मास्टर प्लान

188. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह् वताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल समस्या को हल करने के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो उस मास्टर प्लान की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य की पेयजल समस्या के हल के लिये साधन जुटाने की राज्य सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गयी है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के अलग-अलग मास्टर प्लान तैयार किये गये हैं। ग्रामीण पेयजल समस्या को हल करने के लिए पूरे राज्य का एक मास्टर प्लान नहीं है ।

(2) राज्य की पेयजल समस्या के हल के लिये राज्य सरकार विश्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के प्रयत्न कर रही है ।

विधायकों की तथ्यान्वेषण समितियां

189. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली): क्या मुख्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने कौन कौनसी, कब कब व किस किस कानून के अन्तर्गत विधायकों की तथ्यान्वेषण कमेटियां बनाई हैं और उनके सभापति कौन कौन हैं ? इन कमेटियों के बनाने के राज्य सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

(2) इन कमेटियों के सदस्यों व अध्यक्ष को क्या क्या सुविधायें किस किस रूप में दी गई है और वे किस रूप में अपना काम कर रही हैं और उन पर आज तक कितना खर्च प्रत्येक कमेटी पर सदस्यों के टी. ए., डी. ए. के रूप में किया जा चुका है ?

Page No 14

(14)

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) प्रशासनिक आदेश दिनांक 27-6-78 के द्वारा 3 तथ्यान्वेषण समितियां बनाई गई जिनके सभापति क्रमशः सर्व श्री सुरेश कुमार शर्मा, मूलचन्द सामरिया तथा बिरध मल सिंघवी हैं। क्योंकि ये तथ्यान्वेषण समितियां हैं इसलिए किसी कानून के अन्तर्गत गठित न करके प्रशासनिक आदेश द्वारा गठित की गई है। इनका उद्देश्य राजस्थान विधान सभा में 1962 से 1977 तक विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लगाये गये भ्रष्टाचार आदि के विभिन्न आरोपों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इन समितियों का कार्यकाल छः माह रखा गया है और आशा है ये इस अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी जिससे उद्देश्यों की पूर्ति स्वतः ही हो जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो समितियों का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।

(2) कमेटी के अध्यक्षों को विभागाध्यक्ष का स्तर देते हुए उनके निवास स्थान पर टेलीफोन सुविधा, दी गई है। अध्यक्ष व सदस्यों को, विधान सभा सदस्य को मिलने वाला यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय है। समिति द्वारा जयपुर से बाहर कार्य सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध होगी। समिति ने सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन आरम्भ कर दिया है तथा आवश्कतानुसार विभागों से रिकार्ड प्राप्त किया जा रहा है? अभी तक समिति पर सदस्यों के यात्रा व दैनिक भत्ते के रूप में कोई खर्चा नहीं किया गया है।

जिला आयोजना समिति, उदयपुर द्वारा प्रस्तावित ग्रामों में पेयजल योजना

191. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला आयोजना समिति, उदयपुर ने जिन ग्रामों में पेयजल योजना को प्राथमिकता देने हेतु नाम प्रस्तावित किये थे, राज्य सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) जिला उदयपुर में ग्राम समीचा, सेवन्त्री, मजेरा, आगरिया, जिलवाड़ा जिनकी आबादी 2 हजार तथा पच्चीस सौ से ऊपर है, जल योजना पर राज्य सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही है?

उत्तर

(1) जिला आयोजना समिति, उदयपुर द्वारा प्रस्तावित ग्रामों में से निम्न ग्रामों की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। ग्राम झालों की मदार, कुकडा, मोही, लाघावली, सेरीया, वलीचा, पलाना कलां, खुर्द में एम्प एवं टैंक योजना ग्राम मानपुरा, डगर, नयागांव, भुंदर, कल्याणपुर, कनवई, सीडीवाडा, कीत्यारी, गोराणा, मादडी, सानड, मनवास, जसवन्तगढ़, तरपाल, सेमड, भाणापुरा, घोडासर, लाम्बोरडी, जीलवाड़ा भटेवर में हैण्ड पम्प योजना। शेष ग्रामों पर वर्ष 79-80 में नई योजनायें चयन करते समय विचार किया जावेगा।

(2) ग्राम सेवन्त्री की जलप्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है। ग्राम मजेरा में हैण्ड पम्प लगाया जा चुका है। ग्राम जिलवाड़ा की हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की जा चुकी है। ग्राम समीचा एवं आगरिया जिला आयोजना समिति 78-79 द्वारा प्रस्तावित है। वर्ष 78-79 के प्रस्तावों में शेष बचे हुये ग्रामों पर वर्ष 79-80 में नई योजनायें स्वीकृत करते समय विचा कियार जावेगा।

Page No 15

(15)

सरकारी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस दिल्ली

192. श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या विधान सभा के सदस्यों के लिए सरकारी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस, दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उन्हें क्या पेमेन्ट प्रति दिन का करना पड़ता है ?

उत्तर

सरकारी रेस्ट हाउस से क्या अभिप्राय है स्पष्ट नहीं है। सर्किट हाउस, दिल्ली (राजस्थान हाउस) में विधान सभा सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था है। जहां तक भुगतान का प्रश्न है सरकारी कार्य पर आने वाले सदस्यों को रियायती दर 3/- रु. प्रति दिन पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध है।

यदि सदस्य निजी यात्रा पर आये हैं तो अन्य व्यक्तियों की भांति सदस्यों को भी नियमानुसार निम्नलिखित दर से भुगतान करना पड़ता है:–

(क) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली:

एक व्यक्ति एक कमरे में 25।-रु. प्रतिदिन
दो व्यक्ति एक कमरे में 30।-रु. प्रतिदिन।

(ख) बीकानेर हाउस, नई दिल्ली :

एक व्यक्ति एक कमरे में 12।-रु. प्रतिदिन
दो व्यक्ति एक कमरे में 18।-रु. प्रतिदिन।

तहसील सांचौर के नेयड़ क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

194. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर तहसील के लूनी नदी बहाव वाले नेयड़ क्षेत्र के गांवों में पीने का पानी खारा होने से गांवों के लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं ? अगर हां, तो ऐसे कितने गांव हैं, जहां पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त खारे पानी वाले गांवों में जलप्रदाय विभाग द्वारा मीठे पीने के पानी की सप्लाई की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां-कहां योजना बनाई गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों में पीने के मीठे पानी की सप्लाई योजना बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या योजना कब तक बना दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक टांकों द्वारा उक्त गांवों की पीने के पानी की समस्या का समाधान करना उचित समझेगी अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार ऐसे गांवों में व्यक्तिगत पीने के पानी के टांकों का निर्माण करवाने का भी विचार रखती है ? अगर हां, तो वह क्या योजना है एवं कब तक लागू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांचौर तहसील के लूनी नदी बहाव वाले नेयड़ क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में पीने का पानी खारा है। सूची

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)
सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस क्षेत्र के 63 ग्रामों में से 10 ग्रामों की पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है एवं 9 ग्रामों की 25.00 लाख रुपये की लागत की योजना इस वर्ष स्वीकृति हेतु चयन की गई है। योजना में लिये गये ग्रामों की सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस वर्ष इस क्षेत्र के 9 ग्रामों में 25.00 लाख रुपये की लागत की योजना स्वीकृति हेतु चयन की गई है। चूंकि योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों, तकनीकी उपयुक्तता, धन की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की जाती है। अतः जिला आयोजना समिति की सिफारिशों के आधार पर उपलब्ध राशि के अनुसार इस क्षेत्र की योजनाओं को लिया जावेगा।

(4) सार्वजनिक टांकों द्वारा पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिये परीक्षण के तौर पर जोधपुर एवं चूरू जिले में कुछ योजनायें स्वीकृति हेतु चयन की गई हैं। अगर इस प्रकार की योजनायें सफल हुईं तो संदर्भित क्षेत्र में भी इस प्रकार की योजना हाथ में ली जावेगी।

(5) इस प्रकार की कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

जोधपुर जिले में अन्त्योदय योजना के तहत चयनित व्यक्ति

195. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में अन्त्योदय योजना के तहत राजस्व अभियान के दौरान कितने व्यक्तियों का चयन किया गया व चयनित व्यक्तियों में से कितने लाभान्वित हुये ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजना के तहत चयनित व्यक्तियों में से आधे से अधिक व्यक्तियों के नाम इस योजना से हटा दिये गये व उनकी जगह वृद्ध व अपंग व्यक्तियों के नाम जोड़ दिये गये ? यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को कोई और योजना से लाभान्वित किया जायेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या नीति व योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत चयनित व्यक्तियों को सहकारी बैंक के अलावा व्यवसायिक बैंक सहायता करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने ऋण वसूली की कोई गारन्टी नहीं दी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन व्यवसायिक बैंकों से चयनित व्यक्तियों को मदद दिलाने हेतु कोई और योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजना के तहत लाभान्वित व्यक्तियों को जो सहायता दिलाई गई है वो इतनी कम है कि इससे गरीब आदमी अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर सकेगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में गत वर्ष अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 3613 परिवारों का

(मुख्य मंत्री)

चयन किया गया था। इन चयनित परिवारों में से सभी को लाभान्वित कर दिया गया है। 1626 परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, 306 को भू-आवंटन, 29 परिवारों को रोजगार, 379 परिवारों को ऋण वितरण व 723 परिवारों को ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा 550 परिवारों को अन्य साधनों से जैसे खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा चरखा वितरण आदि से लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार कुल 3613 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। चयनित परिवारों की सूची चूंकि बहुत लम्बी है अतः इस अल्प अवधि में उसका संकलन करना सम्भव नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह सही नहीं है कि व्यवसायिक बैंक ऋण स्वीकृत या वितरित करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गारंटी देने का प्रश्न विचाराधीन है। व्यवसायिक बैंकों ने इसे जिले में दिनांक 30-8-78 तक 90 परिवारों को 1.80 लाख रु. का ऋण विभिन्न प्रयोजनों हेतु वितरित किया है। इसके अतिरिक्त 157 परिवारों को 3.56 लाख रु. का ऋण स्वीकृत किया है।

(4) यह सही नहीं है। जो ऋण वितरित किया जाता है वह सामान्यतया एक परिवार के भरण-पोषण हेतु पर्याप्त है और ऋण एक आर्थिक इकाई तक का सामान्यतया स्वीकृत / वितरित किया जाता है अतः भरण-पोषण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उप जिला शिक्षाधिकारी (महिला), पाली का स्थानान्तरण

196. श्री हनवन्त सिंह राणावत (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्थानान्तरण की कोई नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या उप-जिला शिक्षाधिकारी (महिला), पाली श्रीमती कमला माथुर का स्थानान्तरण निर्धारित नीति के अन्तर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थानान्तरण पुनः निरस्त क्यों किया गया ?

(2) श्रीमती माथुर गत कितने वर्षों से इसी पद पर इसी स्थान पर सेवा में है तथा अगले कितने वर्षों तक इन्हें इसी पद पर इसी स्थान पर रखने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती कमला माथुर, उप-जिला शिक्षा अधिकारी, पाली को इसी पद पर दिनांक 4-10-77 से एक साल के लिये रखे जाने के राज्यादेश थे। इसके उपरान्त निदेशक ने दिनांक 28-6-78 को इनका स्थानान्तरण एक साल समाप्त हो जाने से पहिले ही प्रधानाध्यापिका, बालिका माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर (पाली) के पद पर कर दिया। इस कारण राज्यादेश के विरुद्ध यह स्थानान्तरण हो जाने पर इनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया।

(2) श्रीमती कमला माथुर, उप-जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), पाली के पद पर दिनांक 6-12-73 से कार्यरत हैं। अब अगले सत्र में नीति को मद्देनजर रखते हुए इनके स्थानान्तरण के बारे में कार्यवाही की जावेगी।

भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में जीरे पर लिया जाने वाला टैक्स

197. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में बिकने आने वाले जीरे पर पहले एक रुपया प्रति बोरी टैक्स वसूल किया जाता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब उसकी दर बढ़ाकर एक रुपया प्रति सैंकड़ा की दर, जीरे पर कर दी गई है, जिससे कि मौजूदा जीरे के भाव के हिसाब से किसान को एक रुपया प्रति बोरी की बजाय 30 रुपया प्रति बोरी देना पड़ रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस टैक्स दर को यथावत कराने की कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति एवं जानकारी के पालिका ने इस दर से चुंगी वसूली प्रारम्भ की थी।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा प्रारंभ से ही 1 प्रतिशत की दर स्वीकार की गई थी। इस दर से प्रति बोरी 30।- रुपया चुंगी नहीं होती है।

(3) दर प्रारंभ से ही यही है तथा इस संबंध में उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

शिक्षकों के स्थानान्तरण

198. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षकों के स्थानान्तरण की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या नीति के अनुसार शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ है ? यदि हां, तो श्री भंवरलाल दवे, अध्यापक, विक्रमपुर (बीकानेर) का स्थानान्तरण क्या उनके गृह जिला फलौदी (जोधपुर) में हुआ जब कि वह बीस वर्ष से बीकानेर जिले में स्थित है और मांग कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) स्थानान्तरण नीति संलग्न है।

(2) जी हां। श्री भंवर लाल दवे, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विक्रमपुर (बीकानेर) का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर के आदेश सं. जि./शि./अ./जोध./संख्या/अ/78, 4092-96 दिनांक 7-10-78 के द्वारा कर उनका पदस्थापन उप-जिला शिक्षा अधिकारी, फलौदी के सुपुर्द किया गया है।

(नीति के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नगरपालिका, अलवर की सीमेंट

199. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् 1970 में नगरपालिका, अलवर ने श्री हरिमोहन ओवरसियर के नाम दस हजार सीमेंट के कट्टों की हवालगी दिखाई है ? क्या इन सीमेंट के कट्टों का पूरा हिसाब नगर परिषद के रिकार्ड में कहीं दिखाया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

19

(स्वायत शासन मंत्री)

उत्तर

सन् 1970 में नगर परिषद्, अलवर द्वारा श्री हरिमोहन अधिदर्शक के नाम दस हजार सीमेंट के कट्टों की कोई हवालगी नहीं दिखाई गई है। ऐसी स्थिति में इसका हिसाब नगर परिषद् के रिकार्ड में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु श्री हरिमोहन, अधिदर्शक को सीमेन्ट के लिए निम्न प्रकार से हवालगी दी गई है।

दिनांक	रुपये	वास्ते
23-6-73	650-00	50 कट्टा सीमेंट
3-9-73	650-00	50 कट्टा सीमेंट
1-12-73	1350-00	100 कट्टा सीमेंट
20-6-74	1260-00	100 कट्टा सीमेंट
योग ..	3910-00	300 कट्टा सीमेन्ट

उपरोक्त हवालगी व अन्य हवालगी (कुल 8904-54 रु.) का हिसाब समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण माह दिसम्बर, 77 से 200।- रुपये प्रति माह की कटौती की जा रही है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी है।

निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रसारित आदेश

201. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के वर्तमान संस्कृत शिक्षा निदेशक श्री रामनारायण चतुर्वेदी ने अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के लिए गत 6 माहों में कितने और क्या-क्या आदेश, निर्देश/परिपत्र आदि जारी किये हैं और क्या उनके सभी बिन्दु किन्हीं नियमों के अन्तर्गत रहे हैं? यदि हां, तो उनके सभी बिन्दुओं का नियमों का उल्लेख करते हुए विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

वर्तमान संस्कृत शिक्षा निदेशक ने गत 6 माह अर्थात् मार्च, 1978 से अगस्त, 78 तक केवल 3 आदेश / निर्देश / परिपत्र आदि जारी किये हैं।

1. आदेश सं. 18523-603, दिनांक 9-5-78 संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंध में :—यह आदेश राजस्थान शिक्षा संहिता के अध्याय 13(II) तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सन्दर्शिका 77 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। आदेशों की प्रति संलग्न है।

2. आदेश सं. 2 व 3 क्रम सं. 21923 दिनांक 26-6-78 तथा 23045, दिनांक 7-7-78 विभागीय प्रतिनिधि के मनोनयन के संबंध में यह आदेश राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 3 खण्ड, 5 परिशिष्ट 1 व (5) के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। आदेशों की प्रति संलग्न है।

(आदेश विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

निदेशक, संस्कृत शिक्षा की प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति

202. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के वर्तमान संस्कृत निदेशक श्री रामनारायण चतुर्वेदी की नियुक्ति प्राध्यापक पद पर कब से कब तक रही तथा उस अवधि में वेतन और भत्तों के रूप में राजकोष से कितनी राशि उनके द्वारा ली गई एवं वेद प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए आचार्य-स्तर के वेद के कितने छात्र उनके द्वारा

(श्री ईश्वर चन्द्र)

परीक्षा में बैठाये गये और उनमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ? यदि पर्याप्त छात्र वेद विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए तो श्री चतुर्वेदी को राजकीय कोष से चुकाये गये वेतन व भत्तों की राशि की क्या उपादेयता रही ?

उत्तर

वर्तमान संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक, श्री रामनारायण चतुर्वेदी की नियुक्ति प्राध्यापक पद पर दिनांक 18-7-60 से 17-11-67 तक रही । उक्त अवधि में कुल राशि रु0 33347.68 उनके द्वारा ली गई । वेद प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए आचार्य स्तर के सत्र 1959-60 से 1967-68 तक की अवधि में वेद आचार्य परीक्षा में दो छात्र बैठे और दोनों ही उत्तीर्ण हुए । इसके अलावा शास्त्री व उपाध्याय कक्षाओं को व्याकरण एवं हिन्दी विषय भी पढ़ाते रहे हैं ।

बांसवाड़ा जिले के स्कूलों में नियुक्त अध्यापक

203. श्री नाथूराम (बागीदौरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष 78-79 में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की संख्या तय करने हेतु (रेशनेलाईजेशन) समायोजन नाम से कुछ सिद्धांत (नोर्म्स) तय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि समायोजन (रेशनेलाईजेशन) के अनुसार बांसवाड़ा जिले के विभिन्न प्रा. वि., उ. प्रा. वि., उच्च मा. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा निम्न विवरण में देने की कृपा करें:—

क्र. सं., नाम विद्यालय, कक्षा 1 से 5 तक छात्र संख्या, कक्षा 6 से 8 तक सेक्शन की संख्या ।

मा. वि., उ. मा. वि. में कक्षा 6 से 11 तक सेक्शन व ऐच्छिक विषयों की संख्या का विवरण, मानदण्ड निर्धारित अध्यापकों की संख्या ग्रेडवार III, II वरिष्ठ अध्यापक ।

उत्तर

(1) जी हां । आदेशों की प्रतियां संलग्न है ।

(2) जी हां । ब्यौरा संलग्न है ।

(आदेश व ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

(बांसवाड़ा जिले में अध्यापकों के पद के समायोजन की सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राज्य में खोले गये स्कूलों का आधार

204. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वर्ष राज्य में कितने हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोले गये ? इन स्कूलों को खोलने के क्या आधार थे ?

उत्तर

इस वर्ष एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल

(शिक्षा मंत्री)
नहीं खोला गया है। 257 सैकण्डरी तथा 320 अपर प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। विद्यालय खोलने हेतु 1971 की जनगणना के अनुसार 3000 की आबादी पर सैकण्डरी एवं 2000 की आबादी पर अपर प्राइमरी स्कूल खोलने का मापदण्ड निर्धारित किया गया था। रेगिस्तानी एवं जन-जाति क्षेत्र के लिये आबादी क्रमशः 2750 एवं 1750 रखी गई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकता, जन प्रतिनिधियों की मांग तथा मंत्री महोदयों द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रख कर भी विद्यालय खोले गये हैं।

जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुन्झुनूं

205. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्तमान जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुन्झुनूं को कोई आरोप-पत्र दिया गया है? क्या उन पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप हैं? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की कार्यवाहियों की जांच करना क्या सरकार वांछनीय नहीं समझती?

(2) क्या जिले के अधीनस्थ कर्मचारियों ने अधिकारी की मनमानी व कर्मचारियों को सताने के प्रमाण राज्य सरकार को पेश कर रखे हैं?

(3) क्या यह भी सत्य है कि यह अधिकारी जहां कहीं भी रहे हैं इनका शिकायतों के आधार पर ही स्थानान्तरण हुआ है?

(4) क्या उक्त अधिकारी ने अप्रेल, 78 में झुन्झुनूं जिले के कतिपय औषधालयों का निरीक्षण किया था? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इनको अभी आरोप-पत्र नहीं दिया गया है, किन्तु राज्य सरकार के पास आरोप-पत्र विचाराधीन है। आरोप इन अधिकारी पर झुन्झुनूं के कार्यकाल से सम्बन्धित है।

(2) जी नहीं।

(3) स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है।

(4) जी हां। निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक को भेजा जाना चाहिए। निदेशक को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में निदेशक के स्तर पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा सेवाओं के लिये निर्धारित बजट

206. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र (मेडीकल एवं परिवार नियोजन) एडपोस्ट एवं डिस्पेन्सरी कितनी-कितनी आबादी को कवर करती है?

(2) इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने कर्मचारी किस पद व किस ग्रेड में कार्यरत हैं?

(3) उपरोक्त वर्णित चिकित्सा केन्द्रों का कितना-कितना बजट किस-किस मद में होता है?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट क्षेत्रीय जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।

(5) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन केन्द्रों के बजट को रिवाइज्ड करने का

(श्री करतारसिंह)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा न्यूनतम तीन संस्था (दो डिस्पेन्सरी तथा एक एडपोस्ट) कवर करती है । प्रत्येक पंचायत समिति की जनसंख्या अलग-अलग है जो 50 हजार से 25 हजार की आबादी को कवर करती है तथा एक उपकेन्द्र 10 हजार की आबादी को कवर करता है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी एडपोस्ट, उपकेन्द्रों पर बजट अलग-अलग मद में आंवटित नहीं किया जाता है केवल भेषज एवं औषधि तथा भोजन के मद में ही अलग-अलग राशि निम्न प्रकार आंवटित की जाती है :—

प्रा. स्वा. केन्द्र	भेषज एवं औषधि	भोजन,	क्लोथिंग व बैडिंग
प्रा. स्वा. केन्द्र	12000.00 (आयोजना भिन्न मद) 6000.00 (योजना मद) 18000.00	5.00 प्रति रोगी प्रतिदिन	190.00 प्रति रोगी शैय्या
डिस्पेन्सरी	8000.00	..	..
एडपोस्ट	5000.00	..	..
उपकेन्द्र	2000.00 (योजना मद)	..	..

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सोप स्टोन फैक्ट्री, दौसा

207. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा में जे. एम. डो. एस. द्वारा सोप स्टोन फैक्ट्री स्थापित कर चलाई जा रही है ?

(2) क्या इस फैक्ट्री के मजदूरों का शोषण कर मालिक द्वारा इन्हें परेशान किया जाता रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि दौसा की सोप स्टोन फैक्ट्री इसलिए बन्द की गई कि यहां के मजदूरों ने अपनी बकाया तनख्वाह व मंहगाई भत्ते की मांग की थी ? यदि हां, तो इस मामले में विभाग ने क्या कदम उठाये ?

(4) क्या यह सही है कि धारा 25 एफ. एफ. ए. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग बन्द करने से पहले उसके मालिक द्वारा विस्तृत कारण राज्य सरकार को बताने आवश्यक हैं लेकिन इस मामले में मालिक ने विस्तृत कारण नहीं बताये और न हिसाब किताब बताया ? यदि हां, तो इस कानून के उल्लंघन पर राज्य सरकार ने मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रुचि दिखाने पर भी श्रम आयुक्त श्री ब्रिजेन्द्र सिंह द्वारा श्रमिकों के वाजिब अधिकार व मांग के प्रति उदासीनता बरती गई ? यदि नहीं, तो कैसे और यदि हां, तो राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या यह सही है कि जे. एम. डी. एस. को सोप स्टोन फैक्ट्री के मालिकों द्वारा की गई अवैधानिक तालाबन्दी को कार्यवाही के बाबत सहायक श्रम आयुक्त को फेलियर रिपोर्ट पेश की गई ? यदि हां, तो कब और श्रम आयुक्त ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

Page No 23

(23)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगीकरण के लिए कटिबद्ध है ? यदि हां, तो मालिकों द्वारा सोप स्टोन फैक्ट्री, दौसा की अवैधानिक तरीके से तालाबन्दी करने की क्यों छूट दी जा रही है ?

(8) क्या मालिकों के शोषणपूर्ण रवैये व मजदूरों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण उद्योग को धारा 10 औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत टेक ओवर करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(9) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बार-बार अपने स्तर पर वार्ता रखने पर भी मालिक लोग उपस्थित नहीं हुए ? इस पर भी राज्य सरकार ने धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की ? ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दौसा सोप स्टोन फैक्ट्री, जयपुर मिनरल डेवलपमेन्ट सिंडीकेट द्वारा चलाई जाती थी परन्तु यह तारीख 9 सितम्बर, 1978 से बन्द कर दी गई है।

(2) दौसा सोप स्टोन फैक्ट्री के श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान न होने की शिकायत रहा करती थी तथा इस प्रकार की शिकायत माह फरवरी, 1978 में सोप स्टोन मजदूर संघ, दौसा से प्राप्त होने पर दोनों पक्षों के मध्य ता० 10-3-78 को समझौता सम्पन्न कराया गया।

(3) यह सही नहीं है कि दौसा सोप स्टोन फैक्ट्री को बन्द मजदूरों की बकाया वेतन व मंहगाई भत्ते की मांगे पर की गई थी। व्यवस्थापक ने फैक्ट्री को बन्द करने का कारण लगातार आर्थिक कठिनाइयों के कारण फैक्ट्री को भविष्य में चलाना सम्भव नहीं होना बताया है। श्रमिकों ने बकाया तनख्वाह व मंहगाई भत्ते की मांग 19-6-78 को अवश्य प्रस्तुत की थी। जिसका समझौता न करने के कारण 105 श्रमिकों ने वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दावे प्रस्तुत किये जो कि अभी प्राधिकारी के समक्ष चल रहे हैं। अभी हाल ही में व्यवस्थापक द्वारा अदालत में सूचित किया गया है कि वे बकाया वेतन आदि का भुगतान करने को तैयार हैं। उपरोक्त 105 श्रमिकों में से 26 श्रमिकों द्वारा भुगतान ले लिया गया है।

(4) फैक्ट्री को बन्द करने से पूर्व दो माह का नोटिस राज्य सरकार को दिया गया था उसमें बंद करने का कारण बताया गया था जिसके अनुसार निरन्तर आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे चलाने में असमर्थता व्यक्त की गई। हिसाब बताने का इस नियम में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कानून का उल्लंघन न होने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) विभाग द्वारा विवाद को निपटाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये गये थे। संयुक्त श्रम आयुक्त एवं श्रम मंत्री के स्तर पर समय-समय पर फैक्ट्री को बंद करने के नोटिस प्राप्त होने पर भी वार्ता जारी रही किन्तु दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। श्रम आयुक्त के द्वारा यह वार्ता ही नहीं कराई गई इसलिये श्रमिकों की मांग के प्रति श्रम आयुक्त की उदासीनता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं। कारखाना बंद करने के नोटिस पर समझौता वार्ता असफल प्रतिवेदन राज्य सरकार को कार्यालय पत्र क्रमांक 8519, ता. 29-8-78 को प्रेषित कर दिया गया था तथा राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक प. 1(1)(317) श्र.नि.

(श्रम मंत्री)

78, तारीख 23 सितम्बर, 1978 को विवाद न्यायालय को प्रस्तुत भी कर दिया है।

(7) फैक्ट्री नियमानुसार नोटिस देकर बन्द की गई। व्यवस्थापक द्वारा तालाबन्दी नहीं की गई है।

(8) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा फैक्ट्री को टेक ओवर करने का प्रावधान नहीं है।

(9) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जब भी वार्ता रखी गई थी उसमें एक दो दफा को छोड़कर नियोजक प्रतिनिधि उपस्थित होते रहे थे।

नर्मदा—माही नदी योजना

208. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नर्मदा नदी एवं माही नदी योजना का पानी सिंचाई हेतु मिलेगा? अगर हां, तो उक्त योजनाओं से राज्य को कितना एवं कब तक पानी मिलने लगेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि जैतपुरा एवं बड़गांव, बारह मास बहने वाली नदियों का पानी जो गुजरात राज्य में जाता है एवं हमारे राज्य में पानी का पूरा उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार जैतपुरा व बड़गांव नदियों का पानी टेप कर गुजरात सरहद से रोक कर, रानीवाड़ा व सांचौर पंचायत समितियों में पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए उपयोग में लाना उचित समझेगी? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक किस योजना द्वारा उक्त नदियों का पूरा पानी अपने राज्य में ही, पूरा उपयोग करने में कामयाब हो सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान को नर्मदा नदी से 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी प्राप्त होगा। पानी का वस्तुतः मिलना नर्मदा ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं गुजरात में नवागांव बांध एवं 300 मील नहर निर्माण के उपरान्त भी संभव हो सकेगा जिसके बनने में गुजरात सरकार के अनुसार लगभग 12 वर्ष लगेंगे। माही नदी पर निर्माणाधीन माही बजाज सागर से 16 टी.एम.सी. पानी बांसवाड़ा जिले की 30,690 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सिंचाई हेतु मिलेगा। वर्ष 1979-80 में जलाशय में आंशिक जल संग्रह होने की संभावना है जिससे अनुमानतः 5900 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2) यह सही है कि सिर्फ जैतपुरा नदी का पानी गुजरात राज्य में व्यर्थ जाता रहा है, परन्तु बड़गांव नदी का पानी बड़गांव नहर द्वारा सिंचाई के उपयोग में आता रहा है। जैतपुरा नदी के पानी को उपयोग में लाने के लिए जैतपुरा डाईवर्शन स्कीम का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(3) उपरोक्तानुसार।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, उदयपुर वृत्त में आपात स्थिति में हटाये गये व्यक्ति

209. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, उदयपुर वृत्त में आपात स्थिति में कितने लोगों को कार्य से हटाया गया?

Page No 25

(25)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) आपात् स्थिति में हटाय गये कामगरों में से कितने वापस लिये गये ?

(3) जिन कामगरों को वापस नहीं लिया गया, उसका क्या कारण है ?

(4) क्या मण्डल अब भी उन्हें वापस लेने की मंशा रखता है ?

उत्तर

(1) किसी को भी नहीं हटाया गया।

(2) चूंकि किसी को भी नहीं हटाया गया इसलिये वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) कारण का प्रश्न नहीं उठता।

(4) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कोलीवाड़ा, तहसील बाली का विद्युतीकरण

210. श्री **हनवंत सिंह राणावत** (बाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम कोलीवाड़ा, तहसील बाली को विद्युतीकृत ग्राम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव में आज तक एक भी घर को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है वह लोकेलिटी से एक कि. मी. की दूरी पर लगा था ? जिसे वहां से गांव के पास लगाने हेतु स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी पर विद्युत मंडल की निष्क्रियता के कारण कार्य नहीं करवाया गया और स्वीकृति रद्द हो गई ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बाली के ग्राम कोलीवाड़ा (कोड नं. 15/7/97) का विद्युतीकरण दिनांक 29-1-67 को किया गया है।

(2) इस ग्राम में कृषि के 9 कुओं को बिजली के कनेक्शन दे दिये गये हैं और घरेलू कनेक्शन कोई नहीं दिये हैं। चूंकि ट्रांसफार्मर जिससे कृषि के कनेक्शन दिये गये हैं, ग्राम के बस्ती वाले इलाके से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर लगा है। चालू वित्त वर्ष में नया ट्रान्सफार्मर स्वीकृत करके घरेलू कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। ट्रान्सफार्मर उक्त ग्राम के बस्ती वाले भाग से एक किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर ग्राम की रेवेन्यू बाउन्ड्री पर लगा है। जी हां, दूसरा ट्रान्सफार्मर ग्राम के समीप लगाने की योजना 1971 में स्वीकृत कर दी गई थी परन्तु घरेलू कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त न होने से क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

ग्राम इटावालाखा, तहसील परबतसर में कुओं पर बिजली के कनेक्शन

211. **श्री हनवंत सिंह राणावत** (बाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम इटावालाखा, तहसील परबतसर, जिला नागौर विद्युतीकृत क्षेत्र में है ? यदि नहीं, तो ग्राम इटावालाखा के खसरा नम्बर 344/2 के जो मौके पर कुआ है का विद्युतीकरण किस आधार पर किया गया है ? उपरोक्त कनेक्शन के लिये ट्रान्सफार्मर से कुए तक कितने खम्बे लगे हैं ? क्या इसकी रकम मण्डल को जमा करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[redacted]

(श्री हनुवंतसिंह राणावत)

(2) क्या उपरोक्त कनेक्शन संबंध में सहायक अभियन्ता, परवतसर के पास कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या नियमानुसार ग्राम इटावा-लाखा को विद्युतीकृत किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम इटावालाखा अभी विद्युतीकृत ग्राम घोषित नहीं किया गया है । इस ग्राम के खसरा नं. 344 में श्री रोधाराम पुत्र चौयाराम जाट ने खसरा नं. 22 ग्राम हरनावा का प्रमाण-पत्र देकर अपने कुए को विद्युतीकृत कराया है । इस कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर से कुए तक 13 खम्बे लगे हैं । खम्बों की कीमत 14 उपभोक्ताओं की सामान्य ग्रुप स्कीम होने के कारण जमा कराना आवश्यक नहीं थी ।

(2) जी हां । जांच की गई जिससे यह पता चला कि उपभोक्ता ने पटवारी का गलत प्रमाण-पत्र लेकर अविद्युतीकृत ग्राम में कनेक्शन ले लिया है ।

(3) जी हां । इस ग्राम के विद्युतीकरण की योजना बनाई जा रही है ।

तहसील बिलाड़ा में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये कार्य

212. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, तहसील सोजत, रायपुर, जिला पाली में सन् 1965 के बाद से आज तक अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कितने बन्धे, एनीकट बनाये गये ? सूची वर्षवार कितनी रकम तथा विभिन्न प्रकार के कितने-कितने कार्य करवाये गये ? सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इनमें प्रत्येक विभिन्न वर्ष में कितने कार्य सम्पूर्ण हुए तथा कितने अधूरे रहे ? अधूरे कार्य में कितना कार्य बाकी रहा है ?

(2) जो कार्य अकाल राहत में अधूरे रहे उनको पूरा करवाने के लिए किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब स्वीकृत हुई तथा किन-किन ठेकेदारों द्वारा कब-कब कार्य सम्पन्न करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) आज तक अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जिला जोधपुर की बिलाड़ा तहसील में 33 बांध व 2 एनीकट और पाली जिले की तहसील सोजत में 43 बांध व 5 एनीकट तथा रायपुर तहसील में 30 बांध व 14 एनीकट बनाए गए । सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

पुलिस स्टेशन, चितावा का थानेदार

213. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री गुगनराम थानेदार, बिलाड़ा पहले इसी थाने में हैड कान्स्टेबल था ? ये कितनी अवधि कब से कब तक इस थाने में हैड कांस्टेबल रहे ?

(2) इनका थानेदार के पद पर प्रमोशन कब किया गया एवं प्रमोशन होने के बाद थानेदार पद पर इनका स्थानान्तरण चितावा थाने में कब किया गया ? ये चितावा थाने में थानेदार के पद पर कितने समय से हैं ?

(3) क्या शिकायतों के आधार पर इनका स्थानान्तरण जोधपुर कर दिया गया

[redacted]

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

व चार महीने बाद किन-किन विशेष कारणों से इन्हें पुनः इसी थाने में लगाया गया ?

(4) इस थाने में श्री गुगनराम की नियुक्ति के बाद कितनी चोरियों के मुकदमे दर्ज हुए व कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ ?

(5) इनकी नियुक्ति के बाद आबकारी विभाग में इनके क्षेत्र में कितने मुकदमे बरामद किये ?

(6) थाने में कितनी ऐसी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं की गई जो मुंसिफ कोर्ट, नावां में दर्ज हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह दिनांक 9-5-67 से 3-5-68 तक इस थाने पर हैड कान्सटेबल के पद पर तैनात रहे।

(2) थानेदार के पद पर इनकी पदोन्नति दिनांक 23-2-76 को हुई। पदोन्नति के बाद प्रथम बार दिनांक 29-10-76 को इनका स्थानान्तरण थानेदार के पद पर थाना चितावा पर किया गया। अब यह चितावा थाने पर थानेदार दिनांक 7-3-78 से हैं।

(3) जी नहीं। इन्हें पुनः इसी थाने पर प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है।

(4) नियुक्ति दिनांक 7-3-78 के बाद इस थाने में 10 अपराध चोरी के दर्ज हुए इनमें दो अपराध सही नहीं पाये गये, दो अपराधों में माल-मुलजिमान का पता नहीं लगा व एक का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। शेष पांच मामले अनुसंधानाधीन हैं। अभी तक एक चोरी का कुछ माल बरामद हो पाया है।

(5) इस अवधि में राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम के अन्तर्गत 5 अपराध दर्ज हुए।

(6) थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यदि मुंसिफ कोर्ट द्वारा कोई रिपोर्ट भेजी जाती है तो वह भी दर्ज की जाती है। न्यायालय एम. जे. एम., नावां द्वारा धारा 156 (3) जा. फौ. के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पांच रिपोर्ट थाने पर प्रेषित की गई थी। जिन पर मुकदमात् दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

(विधान सभा की बैठक पुनः मध्यान्ह 12.00 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री मदन सिंहजी दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम किशनगढ़-रेनवाल में श्री हनुमान प्रसाद वैद्य के पुत्र श्री रामदयाल की हत्या के विषय में,

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 15 व 16 अक्टूबर को सांचोर नगर में विद्यार्थियों के दो दलों में झगड़ा होने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) सर्व श्री वृद्धिचन्द जैन, गंगाराम चौधरी व श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 अक्टूबर को ग्राम वायतू में एक पुलिस हैड कान्स्टेबल द्वारा की गई कथित शरारत में निरपराध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा तंग करने के विषय में,

(4) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोटपूतली में पशुओं में महामारी फैल रही है, इस विषय में,

(5) श्री रामकृष्णदास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर स्थित शिवबाड़ी पंचायत द्वारा कान्ता कथूरिया कॉलोनी की स्थापना के विषय में,

(6) सर्व श्री खेतसिंह, राठौड़, परसराम मदेरणा व रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में विशेषकर जोधपुर और नागौर जिलों में अकाल की स्थिति के विषय में,

(7) सर्व श्री अब्दुल अजीज व जेठमल बरबड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम गंलर, जिला नागौर निवासी श्रीमती शायरा के पति द्वारा कुएं में गिर कर की गई आत्म हत्या के विषय में,

(8) श्री जगतारसिंह कंग व श्री दुलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की तमाम मंडियों में फसल की कीमत किसानों को कम मिलने के विषय में,

(9) सर्व श्री नूरा व परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विषय में,

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव व्यवस्था में नहीं लिया है। अन्त्योदय के परिवारों के लोगों को इमदाद नहीं मिल रही है, इस विषय में मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। इस संबंध में आपको बहस करने की इजाजत देने में विवश हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसके लिए भी आप इजाजत नहीं दे रहे हैं और न राज्य सरकार के पास भेज रहे हैं। जो इन्डिविजुअल केसेज...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बात कर लें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि इसका न सदन में कोई निर्देश किया जाय और न इसकी इत्तिला दी जाय ? यह हजारों लोगों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

विरोधी दल के माननीय नेता का निलम्बन

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292 (1) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके अन्दर यह लिखा हुआ है–

"यदि अध्यक्ष, आवश्यक समझें तो उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष-पीठ के अधिकार की उपेक्षा करे या जो हठ-पूर्वक और जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डाल कर सदन के नियमों का दुरुपयोग करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व माननीय विरोधी दल के नेता श्री रामनारायण चौधरी ने आसन के आदेशों की हठपूर्वक और जानबूझकर अवहेलना की है जिससे सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की बैठक तक विरोधी दल के माननीय नेता को इस सदन से सस्पैण्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान रूल 292 के सब-रूल (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है....

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : यह आप कौन से समय का उपयोग कर रहे हैं?

श्री गुल मोहम्मद : यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह से नाम लिया जाय तो वह तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) को सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये।

श्री मदन सिंह दांता : यह आप अध्यक्षजी पर छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को तुरन्त छोड़ दें। यह सदन की गरिमा के विपरीत है। ऐसा आप न करें कि बात बतंगड़ बन कर आगे बढ़े। इस को आप यहीं पर समाप्त करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवर लाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्रीमान् ने आज के लिए वायदा किया था कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप मुझे समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था?

श्री भंवर लाल ऐरन : नसीराबाद में 2 नवम्बर को....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हो जाय, उसके बाद दो मिनट मैं आपको दूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बड़ी विषम समस्या है....

श्री अध्यक्ष : आपको भी माननीय सदस्य, मैं समय दूंगा। शासन पक्ष को भी समय दूंगा। उदारता का व्यवहार मुझे मजबूरन करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता मैं अनुभव कर रहा हूं लेकिन आप स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दीजिये।

उम्मेद मिल्स के प्रतिवेदन की प्रतियों का माननीय सदस्यों को वितरण

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके सचिवालय से जो सामग्री एम. एल. एज. को सर्क्यूलेट की गई है उसमें एक औंकारनाथ उम्मेद मिल्स, पाली का प्रतिवेदन भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके सचिवालय द्वारा, किसी विशेष प्रकार की सामग्री चाहे वह सीटू की हो, इण्टक की हो या एटक की हो, इस तरह से सर्क्यूलेट की जा सकती है ? इस तरह से सर्क्यूलेट किया जाना क्या आप उचित मानते हैं ? यदि उचित मानते हैं, तो यह एक गलत परम्परा पड़ेगी.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आपने आपत्ति उठाई है उस सम्बन्ध में मैं गम्भीरता-पूर्वक विचार करूंगा। यदि आरोप तथ्य सहित पाया गया तो इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था भी करूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आरोप तो तथ्य सहित है, क्योंकि हमको मिला है। मेमोरेण्डम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसको देख कर कल निर्णय दूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जो सामग्री सचिवालय से हमारे पास आती है वह राज्य की नीति के सम्बन्ध में होती है या और किसी कार्य से, विधायी कार्य से सम्बन्धित हो सकती है लेकिन किसी दल या किसी आदमी का कोई पर्चा हो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यह मर्यादा का उल्लंघन है। जिसने भी इसको भेजा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है.........

श्री अध्यक्ष : Has this thing been circulated along with Assembly papers ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन यह है कि आज तक सदन की यह परम्परा रही है कि जो भी सामग्री सर्क्यूलेट की जाती है वह आफिशियल और असेम्बली से सम्बन्धित होती है। आज पहला मौका है कि यह पैम्पलेट मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हुआ है और गलत हुआ है, एक बात। दूसरा क्यों हुआ, किसने किया है इसकी जांच करें और सदन के सामने रखें। इस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह भी सदन को मालूम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : I admit it is highly objectionable. I will make enquiries.

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह दल सत्ताधारी दल का नाम लेता है और बाहर कहता है कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। ऐसा चालाक, भ्रष्ट और बिगड़ेल है कि अन्दर कुछ कहता है और बाहर कुछ कहता है। बाहर कहता है कि सरकार से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा खतरनाक संगठन है।

श्री अध्यक्ष : मैं कल सदन को अवगत कराऊंगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ग्राम रेनवाल में हमारे बड़े वयोवृद्ध वैद्य, जिनके लड़के को एक हरिजन लड़के ने छुरा मार दिया, के संबंध में है। उसकी स्टोरी यह है कि दस रुपये मांगे गये थे। पर तथ्य यह था कि वहां के थानेदार झाडुलाल से मिल कर यह सारा काण्ड हुआ। उसके छुरा मारा है। वह घर गया तो उसकी मां को कहा कि ऐसा काण्ड करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट के अन्दर ही जो दूरी पर थाना है उसको इत्तिला भी हनुमान प्रसादजी ने दे दी। दांता के मोटर ड्राइवर ने बताया कि लड़का यह है किन्तु उसको छोड़ दिया। उसके घर गया और बताया गया फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये घटनायें रात-दिन हो रही हैं इसका कारण यह है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने मुझे भी कहा था कि हम थोड़े दिल और दिमाग मजबूत कर रहे हैं, इसलिए थानेदार को सस्पैण्ड नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में वोट देने के बाद प्रजा तो बिल्कुल खाली हो जाती है, विधायक वोट लेकर यहां आ जाते हैं। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। हम यहां इसलिए आते हैं ? हमारे सारे वोट में से कुछ तो भैरोंसिहजी को मिल जाते हैं, कुछ रामनारायणजी ले जाते हैं और कुछ खारिज चले जाते हैं। जनता तो खाली हो गई और जो प्रोटेक्शन दे रखा है थानेदार को वह इतना वाइड है कि लॉ एण्ड ऑर्डर में अंग्रेजों के जमाने से धारा 197 में थानेदार कुछ भी करे, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, 197 धारा यहां पर नहीं होती तो हाई कोर्ट में थानेदार पर मर्डर का केस चला सकते थे या फिर होम मिनिस्टर साहब पर चला सकते थे। इसलिए 197 का प्रोटेक्शन हटाया जाना चाहिए। अगर प्रजातन्त्र लाना है, प्रजा को आगे बढ़ाना है तो प्रजा के पास ताकत रहनी चाहिए। मैं यहां तक कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि आज अगर मुख्य मंत्री थानेदार से यह कहें कि यह काम नहीं करना है तो थानेदार की इच्छा हो तो वह उसका पालन करेगा। आज यह स्थिति है। आज ताकत थानेदार और पटवारी के हाथ में है। प्रधान मंत्री में भी पटवारी को कहने की ताकत नहीं है। सिचाई विभाग में भी ताकत उसके पास है जो पानी देता है। कई बार भारत के प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी भी लिखी और होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, उनको सुझाव भी दिये। वे कहते हैं कि हमको तो पता नहीं। पता नहीं तो फिर देखना क्या है ? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केदारजी के पास जब यह महकमा था तो इतने मर्डर नहीं हुए जितने आपके टाइम में हुए इसलिए आप या तो इस्तीफा दे दो नहीं तो इसको रोकने की कोशिश करो। रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो जनता के हाथ में कोई ताकत नहीं रहेगी। आप भले ही गांव-गांव में थाने खोल दो, कुछ नहीं होने वाला है। आज थानेदार के पास क्या नहीं है, सब उसके पास है, बन्दूक लिये घर बैठा है बीबी को लिये बैठा है। उसके तबादले की बात करते हैं तो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तबादले नहीं किये जायें इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। हम कहते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं करते। हम कहते हैं कि तबादला करो तो कहते हैं कि तबादला कोई सजा नहीं है। कैसे सजा नहीं है ? उसके पैसे से उसका तबादला करो, बीबी-बच्चों से दूर होगा तो पता लगेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मदन सिंह दांता)

हमने आपको सुझाव भी दिये हैं। धारा 197 को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दीजिये नहीं तो हाई कोर्ट में केस होगा। न्याय की दो जगह है, एक एग्जीक्यूटिव और एक न्यायपालिका अगर न्याय नहीं होगा, तो जनता आन्दोलन करेगी क्योंकि यह धारा 197 की आड़ में होता है। मैं समझता हूं मदेरणा साहब ने भी इसको समझा था कि यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता तो लोकपाल की क्या जरूरत है? इसलिए मैं यह चाहूंगा कि कम से कम रेनवाल के थानेदार को सस्पैण्ड नहीं करो तो उसको वहां से हटा कर इन्क्वायरी करनी चाहिए। लड़का जो रहता था वह गुण्डों में से गुण्डा था। जो वैद्यजी हैं जिनके घर में आया था वह ऐसे वैद्यजी हैं जो हरिजनों के घरों में जा कर इलाज करते हैं। यह पालिटिकल मर्डर हुआ है, अब वैद्यजी से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मेरा लडका तो गया। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसकी जानकारी मुझे भी है। वैद्यजी मेरे गांव के पड़ोसी हैं। जिस दिन घटना हुई, उस दिन से ही मैंने लगातार जानकारी चाही है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। दांता साहब ने जो बातें कही हैं कि थानेदार को इस प्रकार की सूचना मिल गई थी, दांता के ड्राइवर ने बताया था। दांता साहब मुझसे मिलते रहते हैं। अच्छा होता वह मुझे जानकारी देते तो इस संबंध में जिस एक्शन की वह मुझसे आशा करते हैं.........

श्री मदन सिंह दांता: अब दे रहा हूं। आप मिलते ही कहां हैं। कभी दिल्ली में हैं तो कभी कहीं बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक मुझसे जिक्र नहीं किया। बाकी विधान सभा में कहना.....

श्री मदन सिंह दांता: मैं दांता गया ही नहीं था।

एक माननीय सदस्य: सत्य क्या है?

श्री मदन सिंह दांता: सत्य यह है कि वैद्यजी का लड़का मर गया, और यहां बहस होती रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप से ज्यादा मुझे उसका दुःख है। वैद्यजी से मेरा आपसे ज्यादा संबंध है। जिस समय मुझे सूचना मिली उस समय से लगातार मैं इस मामले के पीछे पड़ा हूं कि वह आदमी गिरफ्तार हो। आप तो कह गए कि पोलिटिकल मर्डर था। मेरी समझ में नहीं आता कि पोलिटिकल मर्डर किस प्रकार होता है। जिस लड़के को मारा है उस लड़के का छोटा भाई उनके यहां मुलाजिम था। कई दिनों से सिनेमा में काम कर रहा था। पहला भाई गया पैसा मांगने के लिए, पैसा दिया नहीं। 10-15 मिनट के बाद वह वापस आया, छुरा भोंका, अस्पताल में इलाज हुआ, मृत्यु हो गई। यदि थानेदार ने गलती की है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं और मुलजिम को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू): जो एफ. आई. आर. लोज हुई है वह किस समय की है? थानेदार की डायरी के अनुसार यदि थानेदार रेनवाल थाने पर मौजूद था तो एफ. आई. आर. दर्ज होने के कितने

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
समय बाद वहां पहुंचे ? रुपये वाली बात गलत है, कोई न कोई राजनैतिक षड़यंत्र है। वैद्यजी का एक मात्र लड़का दत्तक पुत्र था। मर्डर की सूचना थाने को थी। काफी समय निकलने के बाद पुलिस मौके पर पंहुची। मुख्य मंत्री जो एफ. आई. आर. देखें, टाइम को देखें। जिस समय पुलिस मौके पर पंहुची उससे जाहिर होता है कि थानेदार ने गलती की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय मैं रेनवाल थाने के और रेनवाल के लोगों से बातचीत कर रहा था उसके पहले माननीय श्री रामेश्वरदयाल मेरे पास बैठे थे। मैंने उनसे सारे तथ्यों की जानकारी की थी। उस समय मुझे कोई तथ्य नहीं बताया। उनके सामने मैंने आफिस से टेलीफोन किया, उनके सामने लोगों से कहा, आप जाइए उसको पकड़िये। सरपंच से मैंने बात की थी, उनसे डिटेल्स पूछे। उनसे मैंने कहा, कल परसों निश्चित रूप से मैं गांव में आऊंगा। आप जो कुछ जानकारी सदन में दे रहे हैं, दे दें, आपका अधिकार है। इस सदन में कहने से पहले हमें जानकारी मिल जाती तो निश्चित रूप से हम एक्शन लेते। एक्शन न लेते तो आपको शिकायत होनी चाहिये थी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : एस. पी., जो आई. पी. एस. अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं। मैं पूछता हूं एफ. आई. आर. चाक आउट होने के कितने समय बाद वह घटनास्थल पर गए ?

श्री मदन सिंह दांता : अगर उनकी जिम्मेदारी होती तो मुख्य मंत्री को कहने की जरूरत क्या पड़ती ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने गृह मंत्री का ध्यान इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए दुबारा आकर्षित किया है। इसी विधान सभा सत्र में मैंने सांचौर में लड़कों के झगड़े को लेकर सारे तथ्य गृह मंत्री को दिए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं डी. आई. जी., जोधपुर को भेज कर इस मामले की पूरी जांच कराऊंगा, और जो भी दोषी होगा उसको दण्ड दूंगा। गृह मंत्री ने खड़े होकर पूरा संतोषजनक जवाब दिया था, परन्तु मुझे अफसोस है कि उनका आश्वासन यहीं का यहीं रह गया। न तो डी. आई. जी., सांचौर गए, न इन्क्वायरी की। उसका नतीजा यह हुआ कि उस घटना के करीब 20 दिन के बाद फिर दुबारा लड़के योजनाबद्ध तरीके से 15-10 व 16-10 को आए और कचहरी के बाहर दंगा किया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सारे वकील देखते रहे और एक श्री बनेसिंह वकील उस लड़के को पकड़ कर नहीं बचाता तो उसको जान से मार देते। यह वाकया कचहरी के सामने हुआ। उसके बाद स्कूल में दुबारा झगड़ा हुआ और वहां लड़के पहुंचे, किसान छात्रावास के अन्दर दरवाजे तोड़ कर घुसे। एक रसोइया रसोई बना रहा था, उसकी इतनी पिटाई की कि उसके 15 टांके आए। दूसरी तरफ एक लड़का स्कूल से वापस जा रहा था। सामने से एक ट्रक आ रहा था उसको बगैर लाइसेंस के एक लड़का चला रहा था। उसने उस लड़के को ट्रक की टक्कर मार दी। वह दीवार से जा सटा और चलाने वाले लड़के ने ट्रक को दीवार से टकरा कर उस लड़के की वहीं इस तरह हत्या कर दी कि दीवार खून से रंग गई। पुलिस ने मौका देखा। रोंग साइड से ट्रक आया और दसवीं में पढ़ने वाले लड़के की मौके पर ही हत्या हो गई। 4 घंटे तक लाश

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पड़ी रही। वह 18 साल का इकलौता लड़का था। ट्रक के नीचे दब कर वह मर गया। इतनी अव्यवस्था सांचौर में फैली हुई है। मैंने सदन में आपका ध्यान आकर्षित किया कि आप स्पेशल पुलिस के दस्ते लगाइए, मैं फोर सी कर रहा था। जब नारायण सिंह, एस. पी. थे उस समय झगड़ा हुआ, पुलिस ने सतर्कता बरती और झगड़ा रोक दिया। इस वक्त नरपतसिंह, हैड कान्स्टेबल है उसकी जवाबदारी है, उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। लड़कों में फ्री स्टाइल फाइटिंग होती रही, एस. पी. ने एक बार भी जाकर नहीं देखा कि वहां झगड़ा हुआ, क्यों नहीं सूचना दी? यह उसी हैड कान्स्टेबल की वजह से झगड़ा हुआ। वह अब भी थाने का इन्चार्ज है। सारे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है। लड़कों में बार-बार झगड़ा हो रहा है। स्कूल में केवल दो शिक्षक हैं वे भी छुट्टी लेकर चले गए। लड़के फ्री फाइटिंग कर रहे हैं। जहां हजारों लड़के हैं वहां एक भी शिक्षक नहीं है। अभी तो पुलिस ने सतर्कता बरती है और एक्शन भी लिया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जुडिशियल जांच करायें और तथ्यों की जांच करें। पहले भी आपने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर झगड़ा हो गया इसके लिए जवाबदार कौन है? गृह मंत्री पूरी जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगायें और निष्पक्ष जांच करावें। किसी सी. आई. डी. अधिकारी को भेज कर जांच करायें ताकि मालूम पड़े कि बार-बार यह क्यों होता है? मैं पूछना चाहूंगा पहले वाली घटना की क्यों नहीं इन्क्वायरी हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है और दुबारा क्यों झगड़ा हुआ? उसके लिए आप बराबर कार्यवाही करें। यहां जवाब देना उचित समझते हैं तो यहां जवाब दे दें। आप तथ्यात्मक रिपोर्ट आफिसर्स को भेज कर मालूम करायें, पूरी रिपोर्ट मंगा-कर जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए। पुलिस कर्मचारी की नेग्लीजेन्स है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.....

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोईजी ने कहा था उसके दूसरे दिन ही मैंने टेलीफोन पर एस. पी. से बातचीत की। बाद में खबर मिली थी कि लड़कों का राजीनामा हो गया है, कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद फिर उनका टेलीफोन आया था डी. आई. जी. का कि मैंने एस. पी. से बात कर ली है और अब झगड़े की कोई सम्भावना नहीं है। उसके बाद दुबारा झगड़ा हो गया हो तो मुझे पता नहीं........

श्री रघुनाथ विश्नोई : हुआ है।

श्री सम्पतराम : मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई है। आपने कहा था कि मेघवाल का लड़का था। छात्रावास दूसरा था। यहां मेघवाल और हरिजन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो दूसरे लड़कों का है। लड़ाई हुई है दूसरे लड़कों की और यह कहा गया कि हरिजनों के लड़कों की पिटाई कर दी, यह गलत था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गलत नहीं था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हरिजन की इमदाद में जाने वालों की पिटाई की गयी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं कहता हूं कि या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
तो आपके एस. पी. सही हैं या फिर मैं सही हूं। एक भी तथ्य सही नहीं है। जो भी कह रहे हैं, वह गलत है। आप दूसरे को भेज दीजिए और मालूम करा लीजिए कि पहला झगड़ा किस बात पर हुआ, दूसरा झगड़ा किस बात पर हुआ, तीसरा झगड़ा किस बात पर हुआ और चौथा झगड़ा किस बात पर हुआ। आप इसको आर्डनरी समझते हैं। बाजार बन्द रहता है। एक लड़का कुचल कर मारा जाता है और फ्री फाइटिंग होती है। वहां पर मास्टर लोग मार-पीट करते हैं। आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। वहां पर फिर झगड़ा हो गया। आपको लॉ एण्ड ऑर्डर कायम करना है तो आप मेरी बात को मानिये। नरपतसिंह, हैड कान्स्टेबल की रिपोर्ट पर एस. पी. चलता है। आप जांच करा लीजिए कि किसकी गलती है। अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। Why it is so ? आप मेरी बात को गलत मानते हैं और एस. पी. को सही मानते हैं। एस. पी. इसको बहुत लाइटली लेता है। आपको सीरियसली लेना चाहिए। आप पुलिस फोर्स लगा देते झगड़ा होते ही। आप अब फोर्स लगाते हैं, पहले क्यों नहीं लगाते ? अब एस. पी. की आंखें खुली हैं क्या ? यह पुलिस की नेग्लोजेन्स थी। आप इसकी जांच करायें......

श्री सम्पतराम : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह ठीक है कि झगड़ा हुआ, लेकिन सदन में जो उस दिन बात रखी गयी थी उस समय मूलतः झगड़े की इस बात पर प्रकाश डाला गया था.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बिल्कुल सही है। इसकी जांच करा लीजिए।

श्री नूरा : केदारजी के समय पुलिस बहुत इफेक्टिव थी। आपके हाथ में आते ही वह निष्क्रिय हो गयी।

श्री सम्पतराम : नूराजी, जरा मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए।

(व्यवधान)

बड़े अफसोस की बात है आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं यह कहना चाहता हूं.....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप इनके चेलेन्ज को स्वीकार करें और हाउस के सदस्यों की एक कमेटी बैठा कर जांच करायें कि यह सही है या वह सही है। Either he should resign or you resign.

श्री नूरा : इसका मतलब यह है कि आप एक अधिकारी का पक्ष लेते हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य, मुझे भी एक मिनट दीजिए।

मैं यह कहता हूं कि दो दलों में झगड़ा हुआ। उस दिन यह सवाल आया था कि लड़कों को पीटा गया। यह सही है कि लड़के पीटे गये लेकिन झगड़ा हरिजनों में और उनमें नहीं था.....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : इससे फर्क क्या पड़ा ? मुझे बहुत ही अफसोस है, गृह मंत्री, एक हरिजन लड़के को पिटाई की गयी। उसकी इमदाद में जो लड़के गये उनको और पीटा गया। तो सवाल कहां से पैदा हुआ ? आपकी पुलिस ने प्रोटेक्ट नहीं किया। हरिजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिन लड़कों ने कहा कि अन्याय हुआ है उनको पीटा गया।

Page No 36

(36)

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि किस-किस को पीटा किस को नहीं । महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि पुलिस की गैर जिम्मेदारी थी ।

एक माननीय सदस्य : हरिजन बच्चा अगर गांव से पढ़ने आये तो बस में नहीं बैठने दिया जाये और पिटाई की जाये....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद जहूर : चार-चार माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष, आप कोई व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : अब इस संबंध में चर्चा समाप्त करें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य केवल इतना ही कह रहे हैं कि काज ऑफ एक्शन है वह हरिजन लड़के से हुआ । इस पाइन्ट को वह रिफ्यूज कर रहे हैं । जहां तक हरिजन लड़के के संबंध में बात है तो उसमें मंत्रीजी को कहने की आवश्यकता नहीं है । हरिजन लड़के का नाम लेकर दया के पात्र नहीं बनना चाहते । लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करना आपका काम है, चाहे हरिजन हो या ठाकुर हो ।

श्री नारायण सिंह : ठाकुर का नाम ले लिया, चौधरी का भी तो नाम लो ।

श्री सम्पतराम : मुझे यह रिपोर्ट मिल गयी थी कि बच्चों का राजीनामा हो गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको जिसने मिस इन्फार्म किया, मिस गाइड किया । He should be taken to task. Why he has done so ?

एक माननीय सदस्य : आपने इसलिए आगे एक्शन नहीं लिया कि इसमें आपके बड़े-बड़े नेता फंस रहे थे ।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 30-10-78 को ग्राम वायतू में जोधाराम के घर में एक हैड कान्स्टेबल, श्री हीरासिंह रात को 11 बजे घुसा । जोधाराम और चुन्नीलाल जब घर में आये तो उन्होंने उसे अपने झोंपड़े में देखा । देखते ही यह हैड कान्स्टेबल दूसरी तरफ चला गया । उससे पूछा कि तुम किस प्रकार रात को 11 बजे घुसे । इस पर उनके साथ में कोई व्यक्ति था वह पुलिस थाने के चार सिपाहियों को बुला लाया । चार सिपाही करण सिंह, करतार सिंह, शंकर लाल और बख्तावर सिंह यह सब वायतू पुलिस थाने के थे । वह दोनों को पकड़ कर पुलिस थाने में ले गए और पुलिस थाने में बुरी तरह से मारपीट की जिसके कारण उनके चोटें आईं, जिसका सर्टिफिकेट भी डाक्टर से लिया गया है । उनके साथ इस प्रकार व्यवहार किया, उनको पुलिस थाने के सिपाहियों ने जबर्दस्ती से शराब पिला कर के रात को रोके रखा । कानून के खिलाफ उनको सुबह 8 बजे बाड़मेर लाये, हथकड़ी पहना कर लाये और लाकर पेश किया । इस संबंध में मेरा यह कहना है कि जो हीरासिंह, हैड कांस्टेबल आया, रात को 11 बजे, उसका क्या उद्देश्य था ? इस संबंध में यह पता पड़ा है कि जोधाराम की लड़की, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, घर में नहीं थी । वह अपनी बहिन के घर गई हुई थी । उसको पकड़ लिया जोधाराम और चुन्नीलाल ने और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
पकड़ कर, इस नीयत से जो आया, मारपीट भी की। इस तरह से जो पुलिस का व्यवहार है वह बिलकुल ही उचित नहीं है। इस संबंध में मैं एस. पी. साहब से मिला। एस. पी. साहब ने पुलिस थाने का जो हैड कांस्टेबल है उसको पुलिस लाइन में भेज दिया। यह तो कार्यवाही की। इस संबंध में और कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं है। डो. एस. पी. को इन्वेस्टीगशन के लिये भेजा है। अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इन्वेस्टीगेशन नहीं होने से, फाल्स एवीडेन्स फेवरीकेट करके शराबबन्दी एक्ट के अन्तर्गत झूठा मुकदमा बनाने से वहां की जनता में भारी असंतोष है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुन्नीलाल और जोधाराम ये कभी भी शराब नहीं पीते। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। उनको जबर्दस्ती शराब पिला कर मुकदमा बनाया गया। फेबरीकेटिंग आफ फाल्स एवीडेन्स का जो मुकदमा बनता है, उसमें टेन ईयर्स का इम्प्रिजनमेण्ट होता है। 220, आई. पी. सी.। इनके खिलाफ जो कार्यवाही की है, मैं पूरी तरह से मेरे जितने कार्यकर्ता हैं ग्रामवाले हैं, उनसे पूरी जानकारी करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह पुलिस का अन्याय है। एस. पी. साहब ने सिर्फ एक कांस्टेबल को पुलिस लाइन में ट्रांसफर कर दिया उससे परंज सत्र नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हैड कांस्टेबल बुरी नीयत से आया, रात को 11 बजे। यह पुलिस का रवैया उचित नहीं है। सस्पेंड भी किया जाना चाहिये और उनके खिलाफ चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि पुलिस जो इस प्रकार का व्यवहार करती है उसको उचित दण्ड मिल सके।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव........

श्री नूरा : मेरा भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में आप मुझ से मिल लें।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने फर्माया पुलिस वालों की ज्यादती के बारे में, यह अपने आप में बुरी बात है। जो शराब नहीं पीता हो उस आदमी को शराब पिलाई जाये यह बहुत बुरी बात है। स्थानीय पुलिस के बजाय इसकी सी. आई. डी. से जांच करवाई जायेगी और यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में पशुओं के लिये चिकित्सालय पशु सुधार की नीति से बने हुए हैं, उनकी व्यवस्था कत्तई अशोभनीय और शर्मनाक है। कोटपूतली इसका उदाहरण है। केवल एक डिस्पेन्सरी तहसील हैडक्वार्टर पर है। वहां एक डाक्टर है और दो कम्पाउन्डर हैं। एक कम्पाउन्डर लकवे से मारा हुआ है, जो कहीं जा नहीं सकता। मैं 10 दफा मंत्री महोदय से आर्डर करवा कर ले गया, लेकिन निदेशक महोदय कमी ध्यान नहीं देते। इसलिये आपसे निवेदन है कि पशुओं की जो हालत है उनकी हालत आदमियों की हालत से कम नहीं है। आदमियों के लिये 10 हजार के ऊपर एक डिस्पेन्सरी है और पूरे पांच लाख पशुओं पर एक छोटा-सा डाक्टर और एक कम्पाउन्डर। इस दौरान

(श्री रामकरण सिंह)

पशुओं में महामारी फैली हुई है। एक डॉक्टर कहीं जा नहीं सकता। वेटरिनरी डिपार्टमेंट कतई अयोग्य है, अनभिज्ञ है और नाकारा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार चाहती है कि किसानों की किसी तरह से तरक्की हो और किसान किसी तरह से पशुधन के जरिये जीवन निर्वाह कर सकें, मगर राज्य सरकार सोई हुई है, पहले भी सोई हुई थी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वेटरिनरी डिपार्टमेंट के टैक्निशियन्स भी बिलकुल अन्धे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां कम से कम हजार पशु मर चुके हैं। अभी माननीय बिश्नोईजी ने यह बात कही थी कि नीचे से रिपोर्ट मंगायेंगे। वह रिपोर्ट गलत आयेगी। रिपोर्ट कौन देता है। रिपोर्ट कम्पाउन्डर देता है, कांस्टेबल देता है, पटवारी देता है। मान्यवर, मंत्री महोदय उसी रिपोर्ट के आधार पर सूचना देते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि मंत्री महोदय उस रिपोर्ट की जांच नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि उस रिपोर्ट की जांच करें और जो अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन है कि इस संबंध में अवश्य ही ध्यान दिया जाये।

श्री नूरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी अन्धेरगर्दी कहीं नहीं है कि पशु चिकित्सालय पर 3,665 रुपये प्रति मास खर्च होते हैं और दवाइयां पांच-छः सौ की दी जाती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय चलता है। दो कम्पाउन्डर हैं जिनकी तनख्वाह....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपका भाषण किस लिये शुरू हुआ ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप मंत्री नहीं हैं जो जवाब दे रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप रोक रहे हैं।

श्री मदन सिंह दांता : हम रोक नहीं रहे हैं। आपके मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, उनको कहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सालय की हालत यह है। पशु चिकित्सालय ग्राम पंचायतों को दिये जाने चाहिये। 3,600 रु. मासिक व्यय करें फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं हो, यह हास्यास्पद है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इधर आकर बोलो।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर है कि करीब 1 करोड़ का घोटाला कांग्रेस शासन की विधायिका, श्रीमती कान्ता कथूरिया ने अपने नाम को एक कालोनी बसा कर किया था। प्रथम अधिवेशन में भी मैंने यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, और माननीय अध्यक्षजी ने आदेश दिया था कि इसको अनडू करने को

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कार्यवाही की जायगी, परन्तु आज तक नहीं की गई। श्रीमान्, बीकानेर में अन-फिल्टर पानी के बारे में विचार नहीं आया। जिस तरह आगरे में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया उसी तरह इस कांग्रेस शासन के नेताओं ने बीकानेर में कान्ता कथूरिया कालोनी बसाई.......

श्री अध्यक्ष : उस कालोनी का नाम कान्ता कथूरिया कालोनी है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जी। श्रीमन्, यह बहुत ही निन्दनीय है।

श्री मदन सिंह दांता : यह नगरी होनी चाहिये—मथुरा नगरी।

एक माननीय सदस्य : उसका उद्घाटन किसने किया था ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह बहुत ही दुखदायी है.......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उद्घाटन करने वाले यहां बैठे हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जिन्दा विधायिका के नाम पर कालोनी का नाम रखा गया, वह भी सुभाषचन्द्र बोस के नाम को हटा कर रखा गया.....

(व्यवधान)

गैर कानूनी ढंग से वहां अलाटमेंट किये गये। यह सब फाइल्स में मौजूद है एस.डी.ओ. की रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उस जमीन का गलत ढंग से आवंटन हुआ है, और गैर कानूनी ढंग से लोग आबाद किये गये हैं। तीन रुपये फुट की जमीन 5 पैसे फुट में बेची गई है, और अपने आदमियों को बेची गई है। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ का घोटाला किया गया। बीकानेर शहर में जहां तीर्थ-स्थल है, पुण्य नगरी है उस पुण्य नगरी के माथे पर एक कलंक का टीका लगा रखा है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि भ्रष्टाचार को नाक और मुंह से निकलवा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे सामने है श्रीमती कान्ता कथूरिया का जिसमें एक करोड़ का घोटाला है, एक जिन्दा लाश लटकी हुई है। जनता ने उसको ठुकराया है, मगर बीकानेर में अभी भी वह कालोनी है। आपकी बहरी गूंगी सरकार कब ध्यान देगी ? जब मैं यहां तक आऊंगा कि यह पोलिटिकली मोटिवेटेड है तो गृह मंत्रीजी कहेंगे जांच करवा लेंगे। मैं क्या कहूं, श्रीमन्, इस सदन में आश्वासन दिया गया था, परन्तु 8 महीने हो गये, भ्रष्टाचार नहीं हटा। यदि बीकानेर की जनता की मांग को स्वीकार नहीं किया, गैर कानूनी कार्य को सही नहीं किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं और अब तो माननीय मंत्री महोदय ही इस राज्य के मंत्री बन गये हैं। मैं इनको कहता हूं कि इसके बड़े भारी परिणाम होंगे। इन्होंने कान्ता कथूरिया को चुनाव में हराया है। मैं आशा करूंगा और बीकानेर की जनता आशा करेगी कि अब तुरन्त इस घोटाले की जांच होगी, और एक करोड़ की जमीन को सरकार लेगी। एक साजिश हो रही है, मुझे पता नहीं जनता पार्टी में कान्ता कथूरिया कब आ जाय और सारे मसले रफा-दफा हो जायं। साथ ही दूसरे लोगों ने जो जमीनें ली हैं और जो नाजायज कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं, उनको भी तुरन्त हटाया जाय।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के हित के कई सवाल मैंने यहां उठाये, लेकिन आश्वासन के अलावा सरकार की कोई ठोस नीति नहीं आई है। अब क्या करें, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ही नहीं हैं......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमन्, मैं चाहूंगा जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है और जिसे अस्वीकार किया है, उसको अस्वीकार नहीं करके, स्वीकार किया जाय और इस पर चर्चा हो कि किस प्रकार इसको कार्यवाही कर हटाया जाय। जब-जब भी मैंने शुद्ध और स्वच्छ प्रशासन की मांग की, यह शासन चुप बैठा रहा है। पिछली बार भी मैंने कान्ता कथूरिया कालोनी की बात उठाई थी। इस प्रकार से जिन्दा विधायक के नाम से कालोनी बसाई जाती है। आपके शरीर में खून नहीं रहा कि आप इस प्रकार की ××× ××× के नाम पर एक्शन ले सकें। अगर नहीं हटाया गया तो निश्चित रूप से आपके कानून को हाथ में लेना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने जो शब्द यूज किये हैं, ××× ××× इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1978 पर अंग्रेजी भाषा में संशोधन

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : यह अंग्रेजी में जो हमें अमेन्डमेन्ट भेजा है, मैं इसको फाड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री ग्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा अजीब तमाशा है। ये अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी ढंग की पैन्ट पहनते हैं, अंग्रेजों की तरह खाना खाते हैं, चम्मचों से खाना खाते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं और अंग्रेजी का एक सर्क्यूलर आ गया, तो उसे फाड़ते हैं। इसमें क्या तुक है। ये सब अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं और फिर हाउस में इस तरह का ड्रामा करते हैं।

(व्यवधान)

पर्चा फाड़ने से क्या होता है। यदि नीतियों में विश्वास नहीं है, तो छोड़ दीजिये सरकार को, और इधर आकर बैठ जाइये।

श्री दुलाराम : इन्होंने एक दरख्वास्त अंग्रेजी की फाड़ी थी...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट में यह प्रोवीजन है कि अगर ओरिजनल एक्ट अंग्रेजी में है, अंग्रेजी भाषा में है तो उसकी आथेंटिक कापी भी अंग्रेजी भाषा में ही होगी, हिन्दी में उसका ट्रांसलेशन होगा। यह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) एक्ट, 1956 जो है वह ओरिजनल अंग्रेजी में है इसलिए आथेंटिक कापी अंग्रेजी को ही मानी जाएगी। बिजनैस

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 41

(५५)

(श्री **परसराम मदेरणा**)

एडवाइजरी कमेटी में, माननीय सदस्य मौजूद थे और उसमें यह तय हुआ कि मनोहरसिंहजी मेहता का जो अमेंडमेंट है, जो उनका संशोधन प्रस्ताव है, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए अमेंडमेंट का अभी विधि विभाग प्रारूप तैयार करके मेम्बर्स को सर्क्यूलेट कर दे। हो सकता है कि उसकी हिन्दी प्रति तैयार हो रही हो, उसके आने में कुछ समय लग सकता है इसलिए सदस्यों को पहले ही मालूम हो जाय, इस दृष्टि से यह सर्क्यूलेट किया गया होगा। आपको विचार करना चाहिए, इतनी उतावली क्या हो रही है। हिन्दी ट्रांसलेशन तैयार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : मैं आपकी वकालत मानने के लिए तैयार नहीं हूं, आप मेहरबानी करके पहले हिन्दी में सर्क्यूलेट करायें।

श्री **मदनसिंह दांता** : हमने विरोध किया है, वह हमारी भ्रष्ट सरकार के सामने इंगलिश का विरोध प्रगट करने के लिए किया है। ये ही श्रीमान मंत्री थे जिन्होंने मेरे सामने अंग्रेजी की एक दरख्वास्त को फाड़ा था और यह कहा था कि तुम अलग से हिन्दी में लिख कर लाओ। यह रोष उसी बात के लिए प्रकट किया है, इसमें कौनसा गुनाह हो गया।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** (मंत्री, संसदीय मामलात): माननीय अध्यक्ष, मैं स्पष्टीकरण दे दूं.......

श्री **दुलाराम** : मैं मंत्री महोदय से फिर कहता हूं कि कांग्रेस शासन के समय में जब कोई इस प्रकार से अमेंडमेंट हिन्दी की बजाय अंग्रेजी में दिया तो इन्होंने फाड़-फाड़ कर फेंके थे। आज अंग्रेजी में खुद कैसे पेश कर रहे हैं। इन्होंने ही पहली विधान सभा में और कई जन-सभाओं में ऐसी आलोचनायें की हैं। जो व्यक्ति हिन्दी को सक्षम मानते हैं, जो हिन्दी को सबसे प्यारी भाषा मानते हैं, हिन्दी की वकालत करते हैं और हिन्दी के नाम से वोट मांग कर यहां पर आये हैं वे ही अंग्रेजी में बुलेटीन छाप कर पेश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में तथ्य पेश करना चाहता हूं ......

श्री **दुलाराम** : मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि इन्होंने हिन्दी से पहले अंग्रेजी का अमेंडमेंट बांट कर हिन्दी प्रेमियों का अपमान किया है। इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मैं निवेदन कर दूं, आप सुन लें ....

श्री **नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** : आपकी तो परसरामजी ने वकालत कर दी। अब अपनी गलती मंजूर कर लो।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

श्री **परसराम मदेरणा** : मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। जो स्थिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने थी, जो वहां पर निर्णय लिया गया था, स्पीकर साहब की चेयरमैनशिप में निर्णय हुआ था, उन तथ्यों की जानकारी मैंने यहां पर दी है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : आपकी वकालत की जरूरत नहीं है । हम अपनी सरकार के सामने विरोध प्रकट कर रहे हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ......

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : इन्होंने वकालत नहीं की है, बल्कि सदन को गुमराह किया है ....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । मेरा पहला पाइन्ट आफ आर्डर तो यह है, रूल 266 में यह प्रोविजन है कि जब अमेंडमेंट सर्क्युलेट हो, चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ भी निर्णय हुआ हो। It is not a supreme body, House is the supreme body. मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि आपको अमेंडमेंट देने का अधिकार कैसे था, जब कि आज बिल पर विचार हो रहा है ....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसको बाद में लेना ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस सम्बन्ध में आपकी अनुमति से कुछ ......

(व्यवधान)

स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

जो आफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसके अन्तर्गत हमारे ऊपर प्रतिबन्ध है कि बिल जिस भाषा के अन्दर है, मूल एक्ट जिस भाषा के अन्दर है, उसी भाषा के अन्दर अमेंडमेंट बिल होगा और विधिवत् तरीके से अधिकृत अमेंडमेंट हम उसी भाषा में मूव कर सकते हैं । अगर बिल अंग्रेजी में है तो हम हिन्दी का ट्रांसलेशन कर सकते हैं । हिन्दी का ट्रांसलेशन अभी आपके सामने डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाएगा । सदस्यों को जल्दी से जल्दी जानकारी हो जावे, इसलिये अंग्रेजी का अमेंडमेंट प्रारूप सर्क्यूलेट कर दिया है ....

श्री मदनसिंह दांता : ठीक है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्रपालसिंहजी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने हिन्दी के सम्बन्ध में जो भाव व्यक्त किए हैं, उनसे अधिक मैं हिन्दी का हामी हूं । मैं उनसे और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इस बात के लिए तैयार है कि हर काम हिन्दी में हो, हर स्तर पर काम हिन्दी में हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । लेकिन जो केन्द्रीय सरकार के कानून व हुए हैं उनके लिए हम पाबन्द हैं । उन कानूनों को परिवर्तित करना राजस्थान सरकार और राजस्थान विधान सभा के दायरे के बाहर है । वैसे सदन की जानकारी के लिए ...

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : जब अंग्रेजी हटाओ और हिन्दी चलाओ आन्दोलन चला था तब आप कहां थे । आपका यह कहना है कि मैं हिन्दी के बारे में आपसे ज्यादा हमदर्दी रखता हूं तो आप इस आन्दोलन में जेल क्यों नहीं गये, जब कि मैं तो जेल गया था ? अगर आप हिन्दी के हिमायती हैं तो फिर अब अंग्रेजी की वकालत क्यों करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पूरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री दुलाराम : एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा ....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करूंगा कि अभी जब कानून मंत्रीजी यहां पधारे थे तब मैंने राजस्थान सरकार की तरफ से उनको एक प्रतिवेदन दिया था। उसमें निवेदन किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में इस प्रकार से परिवर्तन किया जावे कि जो हिन्दी भाषा-भाषी इलाके के लोग हैं, उनको सम्पूर्ण रूप से सारा काम हिन्दी के अन्दर करने की छूट दी जावे। यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार की तरफ से दिया था, लेकिन संविधान और कानून से पाबन्द हैं, उसकी अवहेलना करना हमारी क्षमता से बाहर है। जब तक है तब तक पालना करनी पड़ेगी। उसके दायरे के अन्दर जितना अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, करने की चेष्टा की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : पहले अनुवाद देने की व्यवस्था करते .....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आ रहा है, ऐसी जल्दी क्या है।

श्रीमती श्यामाकुमारी सँगर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो प्रतिवेदन राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया है, वह हिन्दी में था या अंग्रेजी में ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में है।

श्री रामनारायण चौधरी : कभी राजस्थान के मुख्य मंत्री मोरारजी भाई को प्रतिवेदन दे रहे हैं, तो कभी विधि मंत्री प्रतिवेदन दे रहे हैं। यह सरकार प्रतिवेदन ही देती जायेगी या कुछ करेगी भी ? प्रतिवेदन देते देते ही पांच साल पूरे करेगी क्या ....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको दिखाई नहीं देता, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप हर बात में कह देते हैं कि प्रतिवेदन दे दिया है, इसका मतलब क्या है ? कुछ करके दिखाइये कि क्या कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी सरकार ने तो डेढ़ साल में 556 सैकण्डरी स्कूल खोले हैं ऐसा आपने कभी नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, यह तो सारी दुनियां जान रही है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह पश्चिमी जिलों में अकाल के विषय में है। मान्यवर, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, विरोधी दल के नेता से बात करने से मुझे मालूम हुआ है, आज सवेरे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अन्दर आपने इस विषय पर विचार किया है। मुझे यह

Page No 44

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बतलाया गया है कि एक दिन पूरा इस पर डिबेट के लिए रख रहे हैं। अगर यह बात सही है तो फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह बात सही नहीं है तो फिर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

दूसरा, जैसा मदनसिंहजी कह रहे हैं, यहां पर अकाल राहत मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। वह इन जिलों के अन्दर क्या काम करने जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च करेंगे, कौनसे वर्क ले रहे हैं, कितने गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया हैं, टैस्ट वर्क कब से शुरू कर देंगे, इसके बारे में मेहरबानी करके सारी इन्फार्मेशन हमें आज सर्क्यूलेट कर दें ताकि जब भी दिक्कत हो तो हम विधिवत विचार कर सकें। कृपया इसके ऊपर निर्णय हो जाय। उसके बाद में आगे यदि आपको डिबेट रखनी हो तो . . .

श्री **अध्यक्ष** : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं होती तब तक गोपनीय रहती है। ऐसी परम्परा है। अगर इस संबंध में आप पूरी चर्चा कर लें तो मैं आपको समय दे सकता हूं आपको जो कुछ भी कहना हो कह दीजिये इस विषय पर।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को निवेदन करता हूं कि पश्चिमी जिलों में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इन्होंने स्वयं नागौर और जोधपुर आदि जिलों में देखा होगा कि शुरू में इन जिलों में बरसात अच्छी हुई थी और यह उम्मीद की जा रही थी कि समय-समय पर बरसात होती रही तो निश्चित तौर से फसल अच्छी होगी। लेकिन कुल मिला कर बाद में महीनों तक बरसात न होने के कारण धान पर सिट्टे नहीं आये और कातरा लगने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। आज जोधपुर में 750 में से 500 गांवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान पत्रिका जो कि आपका मुख पत्र है, में भी छपा था कि जोधपुर में 450 से अधिक गांव अकालग्रस्त हैं। आज लोगों की भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के यहां एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। आप तीस वर्षों के शासन की बात कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे स्थान पर अकाल पड़ जाता था तो आम तौर पर अक्टूबर में ही टैस्ट वर्क शुरू कर दिये जाते थे और लोगों को पूरी मजदूरी मिला करती थी। अब नवम्बर होने को आया है। असेम्बली 15 तारीख को खत्म होगी। इसके बाद नहीं मालूम आप कब तक आदेश निकालेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिलाधीशों, जो कि पश्चिमी जिलों में हैं, से रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाइये और टैस्ट वर्क शुरू कर दीजिये जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके। जो मवेशी हैं वह प्यासे मर रहे हैं। आपके ट्यूब वैल बन्द पड़े हैं। कई गांवों में मीलों तक पानी नहीं मिलता है, वहां टैंकरों से जल पहुंचावें। इसलिये आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगवा कर कार्यवाही कीजिये ताकि लोगों को मजदूरी मिल जाय। मैं तो आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आपकी कुछ दुकानें सरकारी होनी चाहियें जहां से कंट्रोल रेट पर धान दिया जा सके ताकि लोग अपना भरण पोषण कर सकें।.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर कार्य-वाही करेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय आज ही आश्वासन दें कि कब कार्य-वाही करने जा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा, बून्दी, झालावाड़ में भी खेतसिंहजी ने जो बात कहीं वही स्थिति है ।

श्री नूरा (मसूदा) : ये कई बार खड़े हो गये । हमारा टाइम जाता है । आप उस पार्टी में नहीं रहना चाहते तो इधर आ जायं । हम मदद करेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अकाल राहत के नाम पर केवल छोटे-मोटे गड्ढे खोद दिये गये हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोटा, बून्दी, झालावाड़ में भयंकर स्थिति आने वाली है, वहां अकाल राहत कार्य तुरन्त शुरू कर दीजिये . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाय....।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है । वह प्रस्ताव.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अकाल की भयंकरतम स्थिति है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राहत मंत्री और राजस्व मंत्री अपने आफिसर्स को यह हिदायत दें कि वे सही रिपोर्ट दें । वे गलत रिपोर्ट दे रहे हैं । सरपंच को या जन प्रतिनिधि को वे अपने साथ में नहीं लेते इसलिये जिनकी रिपोर्ट आ रही हैं वह गलत आ रही हैं । इस कारण राहत कार्य चालू नहीं हो रहे हैं । मैं निवेदन करूं कि वहां क्या हो रहा है । वहां ज्वार की जो मुख्य फसल है वह नष्ट हो गई है । उसके बावजूद जिलाधीश, झालावाड़ ने केवल 23 गांवों में अकाल की स्थिति बता कर बाकी गांवों में नहीं बताई है । यह प्रजातंत्र मे अफसरशाही का एक निर्दयी रवैया है । हमारे मंत्री महोदय आंख मीच कर बैठे हैं । अकाल के प्रश्न को मानवीय दृष्टिकोण से देखें और गांवों को अकालग्रस्त घोषित करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । अकाल संबंधी सभी प्रश्नों पर यहां पर बहस होगी । आपकी तरफ के दो प्रतिनिधियों ने प्रकाश डाला है वह पर्याप्त है । कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो दफा खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों में से कोई तय कर लें कि कौन बोलेगा।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी बोलेंगे तो मैं बाद में बोलूंगा । यह बात सही है कि पटवारी अपने मन से गिरदावरी करते हैं, सरपंचों को साथ लेकर नहीं करते हैं इसलिये रिपोर्ट गलत बना रहे हैं । इस पर अकाल राहत मंत्री महोदय अपने विचार प्रकट करें ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : ये खुद जानते हैं कि पटवारी लोग गड़बड़ करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर ने जो बात कहीं, वह तथ्य रहित नहीं । पटवारी

(श्री अध्यक्ष)
की जो भी रिपोर्ट आती है वह मनमाने तौर पर आती है। वे सरपंचों का सहयोग भी नहीं लेते हैं। अवास्तविक रिपोर्ट आती है। अगर वास्तविक भी होती है तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करती है। इस पर गंभीरता-पूर्वक सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं फेमिन कोड के बारे में..

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब तक राजस्थान फेमिन कोड में चेन्जेज नहीं होंगी अकाल की स्थिति सुधरेगी नहीं। राजस्थान सरकार के नेतागण फेमिन कोड को चेंज करने के बारे में हमेशा कहा करते थे। जब तक फेमिन कोड चेन्ज नहीं होगा तब तक अकाल के बारे में यही स्थिति रहेगी। फेमिन कोड लागू होता है तो पटवारी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मान्य होगी और उसी के आधार पर अकाल घोषित किया जा सकता है। फेमिन कोड में यह चेन्ज होना चाहिये सरपंच की रिपोर्ट पर अकाल घोषित किया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी बोलने वाले थे। उनको कहने दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुनिये आप।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं सुनता हूं। दो मिनट में अपनी बात बता रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, अगर उनको समय दे रहे हैं तो हमको भी समय दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करिये। मंत्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत, मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, फसलों में अति-वृष्टि, अनावृष्टि, कातरा, टिड्डी आदि किसी भी वजह से नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है तो उसका प्रशासनिक रूप से मूल्यांकन हो रहा है। उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। 26 जिलों में से 24 जिलों से वह रिपोर्ट आई है। जहां खराबा हुआ है वहां प्रारम्भिक तौर से कार्य किया जा रहा है राहत पहुंचाने के लिए। अभी कलेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें इस पर विचार-विमर्श हुआ है। वहां पर क्षेत्रीय जो हालात थे उनके आधार पर उनसे पूछ लिया गया था कि कब काम शुरू करवा सकते हैं, किस प्रकार से करवा सकते हैं? उसके सब निर्देश वहां पर दिये गये। इसलिए जल्दी ही कार्य करने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में कलेक्टर्स ने बताया है। कुछ ने जनवरी में, कुछ ने फरवरी में और कुछ ने मार्च में कार्य शुरू करने के अपने सजेशन दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : तब तक लोग मर जायेंगे।

श्री जयनारायण पूनिया : सब क्षेत्रों में ऐसी अवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिन इलाकों में ज्यादा खराबा हुआ है उसके लिए कलेक्टर्स ने बताया है। उन्होंने तथ्यों को नहीं छिपाया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट स्थिति हमारे सामने रखी है। कई जिलाधीशों ने तो दिसम्बर में ही काम शुरू करने के लिए कहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह डिस्कस हो चुका है। हमने व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए उनको निर्देश दे दिये हैं कि कौनसा काम किस वक्त में वह शुरू करवाना चाहते हैं। यह सारी चीजें हो रही हैं हमारी

(श्री जयनारायण पूनिया)
तरफ से। किस क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है इस बात को देखते हुए काम शुरू किया जाय इसके बारे में हम शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं। उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। हम पानी की भी व्यवस्था करेंगे और चारे की भी व्यवस्था करेंगे।

फूड फार वर्क योजना के लिये करीब 20 करोड़ रुपये के गेहूं का प्रोविजन इस साल के अन्दर किया जा रहा है। जिस क्षेत्र के अन्दर अगर गिरदावरी में या और किसी चीज के अन्दर खराबा नहीं दिया गया है उस इलाके के अन्दर भी इस योजना के अन्तर्गत काम हाथ में लिये जा सकेंगे। फूड फार वर्क की योजना में काफी अनाज वितरित कराया जा रहा है। किसी के भूखे मरने या प्यासे मरने की कोई सम्भावना नहीं है। सरकार ने लापरवाही नहीं बरती है। समय पर कार्य खोलेंगे इस प्रकार की हमारी योजना है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैंने कहा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। पटवारियों ने गलत रिपोर्ट दी है उसके बारे में क्या किया है?

श्री नूरा . पटवारियों ने मनमानी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अध्यक्ष महोदय ने भी आपको इसके लिए इशारा किया था।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी के प्रश्न पर कई जिलों से शिकायत आई है। गिरदावरी की शिकायत जन-प्रतिनिधियों ने की है और कई सरपंचों ने भ लिखा है। उनको वापस लिख कर यह कहा है कि यदि इस प्रकार से किसी पटवारी ने गिरदावरी में गड़बड़ की है या तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों से मिल कर गड़बड़ की है तो उसको दुबारा देख लिया जाय। जो मुकम्मल रिपोर्ट होगी उसके अन्दर वह सारी चीज हम जोड़ देंगे।

श्री नूरा : गलत रिपोर्ट देने वाले पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद एक मिनट के लिए प्रकाश डालने का कष्ट न करें। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, नहीं। स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पीलवा थाने के ग्राम गूलर की निवासिनी एक अकेली महिला बेवा की कहानी बता रहा हूं जो कि बड़ी दर्दनाक है, और जिसके बारे में हमारे माननीय गृह मंत्रीजी भी सजग हैं और उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन वह कदम कारगर नहीं हुआ है इसलिए मैं यह स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार को स्थिति बताना चाहता हूं। पीलवा थाना नागौर जिले में है। गूलर गांव का यह किस्सा है। शायरा जोजें इस्माइल तेली का एक अकेला परिवार उस गांव में रहता है। तेली और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जैसे लखारे वगैरह वह करीब-करीब एक ही गांव में रहते हैं। उनकी क्या तो क्षमता और क्या हैसियत। गांव के सामने उसकी क्या गति हुई है उसका किस्सा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामनेकर बयान रहा हूं। 7-10-78 को पीलवा में शायरा

(श्री ग्रब्दुल ग्रजीज)

के पति इस्माइल के कुए में गिर जाने की यह दर्दनाक घटना है । उस गांव में भाखरी बावरी, धर्मसिंह, मोतीसिंह ग्रौर सरदार मल यह चारों पुलिस के मुंह लगे हुए गुण्डे थे । वहां पर 2-3 महीने पहले एक 60 हजार की चोरी हुई है । उस 60 हजार की चोरी का बोझ उस तेली की गर्दन पर डाल दिया । उसको यह कहा कि चोरी तुमने की है । ऐसा पुलिस वाले कहते हैं इसलिए पुलिस वालों के लिए उससे 700/-रुपये मांगे । 400/-रुपये तो उसने दे दिये । 300/-रुपये ग्रौर लेने थे, तो उन चारों गुण्डों ने उसकी बीवी का जेवर देने के लिए कहा । एक तेली परिवार की क्या हैसियत हो सकती है छोटे से गांव में । उसको 300/-रुपये ग्रौर देने के लिए मजबूर किया । उस तेली ने ग्रपनी बीवी शायरा से कहा कि जेवर दो तो उसने इन्कार कर दिया ग्रौर पूछा कि बताग्रो बात क्या है ? उसको पता चला कि मेरे पति को वे लोग मजबूर कर रहे हैं । वे चारों ग्रादमी पुलिस का नाम लेकर उसके नाम चोरी लगा रहे हैं, ग्रौर डरा रहे हैं कि ग्रपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो 300/-रुपये ग्रौर दो नहीं तो पुलिस ग्ररेस्ट कर लेगी । यह उसकी बीवी ने किस्सा कहा । उन चारों ग्रादमियों ने झगड़ा किया । घर से किसी बहाने वे चारों उसको ले गये । शाम को पता चला कि उसका पति कुए में गिर कर मर गया । यह चारों गुण्डे पुलिस के मुंह लगे हुए हैं । वे पीलवा थाने में ग्राते जाते हैं । जब उसकी लाश निकाली गई तो दो दिन तक उस तेली की लाश का पोस्ट-मार्टम नहीं हुग्रा । इससे साफ मालूम होता है कि पुलिस की सतर्कता कितनी है । ग्रपने फर्ज को पूरा करने का तजुर्बा फर्मायें कि कितना है ।

ग्रध्यक्ष महोदय, जब उसका पत्र मेरे पास ग्राया तो मैंने तार द्वारा सूचना दी माननीय गृह मंत्रीजी को ; उन्होंने उसी समय मेहरबानी फर्मा कर विभाग को संकेत किया लेकिन ग्रभी तक उसका कुछ नहीं हुग्रा । उसने एक पत्र फिर मुझे लिखा । वह अकेली ग्रौरत उस परिवार में है । उसने लिखा है कि मेरी जान, माल ग्रौर इज्जत की सुरक्षा कराई जाय । उसने प्रार्थना-पत्र दिया है । मेरे ग्रौर मेरे रिश्तेदारों के नाम पर वह गड़बड़ी करते हैं । एक तेली परिवार ग्रपनी जनता सरकार में सुरक्षित नहीं रह सकता है । ग्रापकी चिट्ठियां जाती कहां हैं ? ग्रापने मेरे सामने लिखा है उसके लिए मैं ग्रापका शुक्रिया ग्रदा करता हूं, मेरे कहने पर ग्रापने कदम उठाया । ग्राखिर वह किस चक्कर में जाती हैं ? ग्रापने जरूर लिखा है लेकिन ग्रभी तक भी उसकी कोई सुरक्षा उन गुण्डों से नहीं की गई है । मैं समझता हूं कि वे गुण्डे इस चोरी से ताल्लुक रखते होंगे । उन्होंने ही मजबूर करके उसकी हत्या करवा दी । थानेदार ने दो रोज तक उसकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इसलिए उस थानेदार को बदला जाय । ग्रध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्ट लोग जहां-जहां पर भी गये वहां पर इन पर इल्जाम लगाया गया है . . .

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) : ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्रभी भाई ग्रब्दुल ग्रजीज ने बताया, यह घटना मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में हुई है । मैं मंत्री महोदय से भी मिला हूं ग्रौर हमारे नेता जो मथुरादासजी माथुर हैं, उनको भी लिखा है । पीलवा ग्राम के थानेदार की वजह से यह सब हो रहा है । वह गुण्डों से मिला हुग्रा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : वह कौन है ?

Page No 49

49

श्री जेठमल बरवड़ : उसका नाम तो मैं नहीं जानता । उस थाने के अन्दर कई घटनाएं हुई हैं । पहले भी मण्डोवरी में एक बलाई को गूजर ने मारा था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ । इसके बाद पीलवा में एक रीड के चौधरी की भी थाने में मारपीट हुई । लगातार वहां पर जुल्म हो रहे हैं, शराब की भट्टियां चल रही हैं, यह सारी घटनाएं पुलिस थाने के थानेदार की कमजोरी से हो रही हैं और वहां पर उसकी वजह से गुण्डे पनप रहे हैं । महिला शायरा के पति की लाश दो दिन तक सड़ती रही । गुण्डों ने उससे रुपया मांगा इस कारण उसने कुए में छलांग लगा कर अपनी जान गवां दी । अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई एक्शन नहीं होने की वजह से लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस थाने में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जांच कराई जाय । थानेदार के खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो ये घटनाएं बढ़ती जायेंगी । उसने जो एप्लीकेशन दी उसकी फोटोस्टेट कॉपी मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव वन संरक्षक, बीकानेर के भ्रष्टाचार के मामले में है जिसने कि हजारों के घोटाले किये हैं । उस मामले में वहां की वन यूनियन के मंत्री श्री मनोहरसिंह ने एक ज्ञापन 27 जुलाई को पेश किया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसकी फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है । जो लोग मौजूद नहीं थे और घर पर काम कर रहे थे उनकी हाजरी कर दी गई । हजारों रुपये के घोटाले किये, लकड़ी के घोटाले किये और दूसरे घोटाले किये । यह सब वन संरक्षक, बीकानेर श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता के द्वारा हुआ है । वहां की यूनियन के मंत्री ने जब मांग-पत्र दिया तो उसको कहा कि आप यूनियन बना कर चलते हो । उसको लिख कर दिया, उसकी भी फोटोस्टेट कॉपी है । उसको कहा कि आपकी यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है । अध्यक्ष महोदय, संगठन बनाने का सबको अधिकार है फिर भी अधिकारी लिखित में आदेश देते हैं कि इसको सहयोग मत करो और यह इल्लीगल संगठन है । अध्यक्ष महोदय, हजारों के घोटाले वन संरक्षक कर रहा है जिसकी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जांच के लिये मांग-पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । सम्बन्धित मंत्री महोदय अभी यहां पर नहीं हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय । एक घोटाला तो हाजरी लगाने का है, दो और घोटाले इसी प्रकार के हैं जिनकी फोटोस्टेट कॉपी है । हाजरी नहीं लगायी और फिर बाद में मस्टर-रोल बनाकर पैसा उठा लिया । वह आदमी जिसका नाम लेना चाहता हूं जो फोटोस्टेट कॉपी में बराबर नहीं आया है, वह घर पर काम करता है और ड्यूटी नहीं करता है । उसके पैसे उठा लिये जाते हैं । जून-जुलाई में जनता पार्टी का शासन आने के बाद भी यह हो रहा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि आज के जमाने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं सभी अधिकारियों पर इल्जाम नहीं लगाता लेकिन उस अधिकारी का तो धंधा हो गया है । मैं यह मांग करूंगा कि इसकी अविलम्ब

जांच की जानी चाहिए। मेरे पास जो यूनियन के सेक्रेटरी ने कागज भेजे हैं उनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वन संरक्षक ने घोटाले किये हैं। वह मैं सदन की मेज पर रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसकी, जांच की जायगी। आज ही सूचना भेजकर वहां पर कागज सील किये जाने चाहिएं, नहीं तो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हेरा-फेरी हो सकती है। 75-76 का हिसाब-किताब भी रखा गया था, उस टाइम पर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भी मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय कांग्रेस का राज था। अब जनता पार्टी के राज में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यूनियन के मंत्री के खिलाफ नोटिस दिया गया है कि नौकरी से निकाल दिया जायगा, अगर इस तरह से करोगे तो। ऐसे अधिकारी को फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए, और उस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सही साबित होने पर हथकड़ी लगाकर उसको जयपुर के बाजारों में घुमाया जाना चाहिए। ये भ्रष्ट अधिकारी, जो कांग्रेस के राज में पनपते थे, अब जनता पार्टी के राज में दुगने हो गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाकर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री जगतार सिंह कंग (रायसिंहनगर): मान्यवर, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि गंगानगर जिले के किसान और मजदूर आन्दोलन पर हैं, गंगानगर की मण्डी में वहां के प्रतिनिधि किसान और मजदूरों की फसल बिकती है, जो बन्द पड़ी है। किसान लोग भूख हड़ताल पर हैं। वहां के किसानों ने आमरण अनशन कर रखा है। इस आन्दोलन के लिए किसानों को किसने प्रेरित किया? किसने मजदूरों को भूख-हड़ताल करने के लिये मजबूर किया? यह, श्रीमान्, उस जनता पार्टी की सरकार ने किया जिसमें कि मजदूर और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और किसानों से जिसने प्रजातंत्र के नाम से वोटों की लूट की है, उन्हीं किसानों और मजदूरों को यह सरकार मारने और लूटने पर तुली हुई है। आज किसान को फसल का पूरा मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा है। इस हाउस में किसानों का बहुमत है, फिर भी किसानों की इस तरह की हालत हो रही है कि किसानों के पास कुछ भी रह नहीं जायेगा। यह निकम्मी सरकार कुछ ऐसे लोगों के सहारे चल रही है जिनका यह धंधा होता है कि मरने के बाद किसानों की प्रापर्टी को लूटते हैं। किसानों की हालत यह हो रही है कि आज किसानों को हर तरह से सरकार नोच रही है। उनका मांस खींचा जा रहा है। मान्यवर, जनता पार्टी की डेफिनेशन आज के समय में यह करनी चाहिए कि यह जनता से जन्नत सरकार व्यापारियों के लिए जन्नत है, किसानों के लिए जन्तु है और किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तीसरा नाम जनता से जानती है, यह सब कुछ जानती है; लेकिन कार्यवाही करने के हक में नहीं है। मान्यवर, कृषि मंत्री ने एलान किया है और जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी कहा गया है कि किसान को हम ऊंचा उठायेंगे, किसान को उसकी पैदावार का सही मूल्य देंगे। मगर उस समय तो इन लोगों को किसान भाइयों से, गांव में रहने वाले गरीब लोगों से वोट लेने थे, अब तो वोटों के बजाय नोटों का असर सरकार पर ज्यादा हो गया है। जनता सरकार के प्रतिनिधि नोटों के कारण व्यापारियों के साथ मिलीभगत होने

(श्री जगतार सिंह कंग)
के कारण किसान को लूट रहे हैं। आज किसानों को मिलने वाली कपास की कीमत, गन्ने की कीमत घटा दी गई है। एक तरफ जनता सरकार ने खुली नीति घोषित की, चीनी का खुले बाजार में मूल्य कम कर दिया। किसानों को जिस तरह से इस जनता सरकार ने पहले राजनैतिक तौर से पीटा है, मारा है, अब यह सरकार आर्थिक तौर से किसान की कमर तोड़ने में लगी हुई है। हमारे अकाल राहत मंत्री ने कहा था कि राजस्थान के 26 जिलों में से 24 में अकाल घोषित हो चुका है, मगर जो दो बाकी जिले बचे हैं, उनमें सरकार द्वारा अकाल पैदा किया गया है। कपास का उत्पादन मूल्य 490 रु. प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में 250) रु. से लेकर 290) रु. या 295) रु. तक है। इसके मुकाबले में आप इस मैटीरियल के प्राडक्ट कपड़े को लीजिए, तो इस साल में रेट 20 से 30 प्रतिशत बढ़ी है।...

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय सदस्य, क्या महंगाई के पक्ष में बोल रहे हैं? आप महंगाई की वकालत कर रहे हैं?

श्री जगतार सिंह कंग : आप धनी वर्ग को बिलांग करते हैं। जिस सदन में 80 प्रतिशत किसान हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, वहां किसान की बात न सुनी जाए तो शर्म की बात है।

श्री माधोसिंह कछवाह : चीनी की कीमत कम हुई है, आप उसके पक्ष में हैं?

श्री जगतार सिंह कंग : कम इसलिए हुई है कि जमींदार को इस तरह से और भी दबाया जा सके कि किसान का शोषण किया जाए, उद्योगपतियों व मिल मालिकों के साथ मिल कर। जब लकड़ी का भाव 35) रु. प्रति क्विन्टल है और गन्ने का भाव सरकार द्वारा 13) रु. क्विन्टल निर्धारित किया गया था, तो इस जनता सरकार ने किसानों को क्या दिया? 3 रुपये प्रति क्विन्टल गरीब किसानों का कम कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : गेहूं का भाव पहले 85) रुपये किसान को दिया जाता था, जनता सरकार ने 135) रु. कर दिया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य 3) रुपये कम कर दिया।

श्री जगतार सिंह कंग : जोशीजी को अच्छा इसलिए नहीं लगा, क्योंकि ये गरीब किसानों के.....

श्री दाऊदयाल जोशी : गरीब से गरीब किसान दाऊदयाल जोशी है।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : इस कन्ट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए, इनकी प्रापर्टी एक्सचेंज कर लें, तो पता लगे कि कौन गरीब है, कौन अमीर है।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय सदस्य बहुत-सी बातें गलत समझ बैठे हैं। अकाल राहत मंत्री ने कहा था कि 24 जिलों में अकाल की स्थिति की सूचना मिली है। उन जिलों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। माननीय सदस्य कहते हैं कि 24 जिलों में अकाल घोषित किया है।

श्री शिवचरण सिंह : ये तो किसान की बात कर रहे हैं।

श्री जगतार सिंह कंग : किसान के प्राडक्ट की कीमत का सवाल है, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां किसान के पैदा किए हुए गेहूं का मूल्य 105) रु. से 135) रु. तक है, वहां ट्रैक्टर की कीमत 34 हजार से बढ़कर 64 हजार रुपये तक पहुंच गई है। किसान के रोजमर्रा काम में आने वाली चीजों की रेट्स बढ़ रही हैं, खाद की रेट बढ़ी है, लेबर की रेट बढ़ी है। किसान को इस सरकार द्वारा लूटने में व्यापारियों की हर तरह से मदद की जा रही है। इन्हीं बातों से पता लगता है कि आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं। आप उन किसान भाइयों, जो आन्दोलन पर हैं, की मदद के लिए सरकार, की तरफ से गन्ने का, कपास का मूल्य घोषित करायें, और किसान की जो आज लूट हो रही है, उसको बंद करायें। सरकार आश्वासन दे कि इस काम में सरकार किसी तरह से व्यापारियों की भागीदार नहीं बनेगी और भूख-हड़ताल व आमरण अनशन पर बैठे किसानों को राहत पहुंचायेगी।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के किसान यूनियन संघ, भारतीय कृषक महासंघ व सारी पार्टियों ने मिलकर 5, 6 व 7 नवम्बर को जिले की सब मंडियों में कपास, गन्ना या कृषक द्वारा पैदा की हुई कोई भी पैदावार न बेचने का फैसला किया है। 8 नवम्बर को सब पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई है। गत वर्ष भी फरवरी के महीने में इसी कपास के प्रश्न को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। उसका कृषि मंत्री ने कोई जवाब मुझे नहीं भेजा, और न ही सदन में कोई आश्वासन दिया। गत वर्ष किसा विरोधी सरकार ने दोनों हाथों से व्यापा के साथ मिलकर, जिस प्रकार किसान को लूटा था, वही हालत आज है। किसानों ने अपना 16 सूत्री मांग-पत्र जारी किया है। इन मांगों के समर्थन में एक व्यक्ति चेतनराम जाखड़, गांव घूमड़वाली, जो मेरे क्षेत्र का है, आमरण अनशन पर बैठा है। कल से उसने पानी पीना भी बंद कर दिया है। वह 70 साल का है। किसानों के नेता डॉ. हरिसिंह फरवरी के महीने में लाठी चार्ज के समय हमारे साथ थे, अब मुख्य मंत्री के साथ हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वे किसानों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, और मुख्य मंत्री का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी 4-5 बनिए नहीं करेंगे।

मान्यवर, मैं एक अचम्भे की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2-11-78 को किसान संघर्ष समिति ने एक इश्तिहार निकाला है, और 5-11-78 को निगम के प्रादेशिक उप-प्रबन्धक, श्री जी. के. गजविया ने बताया कि इस बार निगम राजस्थान में एक लाख गांठ से अधिक कपास खरीदेगा जो एक रिकार्ड होगा। इस वर्ष निगम न केवल नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन की कपड़ा मिलों के लिए ही कपास खरीद रहा है, बल्कि व्यावसायिक खरीद कर प्राइवेट कपड़ा मिलों को भी कपास बेचेगा। उधर तो किसान घोषणा कर रहा है कि हम 7 नवम्बर से कपास बाजार में नहीं बेचेंगे और इधर 5 नवम्बर को निगम वाले घोषणा जारी कर रहे हैं, जो कि 6-11-78 के 'हिन्दुस्तान' अखबार के पेज संख्या 7, कॉलम नम्बर 3 और 4 में छपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वर्ष सबसे अधिक खरीद की जायेगी। जहां किसान ने हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के गंगानगर जिले में कपास लाने के लिए हड़ताल कर रखी है, वहां किसान विरोधी सरकार का अधिकारी घोषणा कर रहा है कि हम सबसे ज्यादा

(श्री. दुलाराम)

कपास खरीदेंगे, 1 लाख गांठों से ज्यादा राजस्थान से खरीदेंगे। साथ ही साथ एक घोषणा और कर रहे हैं कि इस निगम के बाजार में आने के बाद भाव सुधरे हैं, और मूल्यों में स्थिरता आई है। 5 तारीख को किसान कपास नहीं लाये, 5 के बाद 6 को नहीं लाये और 7 को लायेंगे नहीं। तो निगम के अधिकारी ने कैसे घोषणा कर दी ? किस प्रकार उसने घोषणा की कि बाजार में भाव सुधरे हैं ? मुझे दु:ख है, इस अधिकारी पर, केन्द्रीय कृषि मंत्री पर, और राजस्थान के कृषि मंत्री पर कि उनका किसानों की गर्दन काटने के लिए व्यापारियों से मेल हो गया है। उसने घोषणा कर दी है कि हम सस्ते भाव पर कपास खरीदेंगे और व्यापारियों को देंगे जो कि 20 पर्सेन्ट अधिक भाव पर कपड़ा बना कर बेचेंगे। इस गरीब और मजदूर किसान, जिसकी कपास कौड़ियों के भाव से खरीद रहे हैं, को वह सूती कपड़ा नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप भी किसान हैं, मान्यवर। मैं आपको हमारे गंगानगर जिले की परिस्थिति निवेदन कर रहा हूं। 60 रुपये का एन. पी. के., 60 रुपये का यूरिया, 10 रुपये का बीज, 50 रुपये की खुदाई, 100 रुपये की चुनाई, 150 रुपये की दवाई, 150 रुपया मजदूरी पानी लगाने की और 10 रुपया किराया मण्डी में जाकर बेचने का। इस तरह से उसको 600 रुपये लेबर के देने पड़ते हैं, और उसको मिलता क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज किसानों ने हड़ताल कर रखी है। एक किसान के यहां मुश्किल से एक मुरब्बा यानी 25 बीघा में 8 क्विन्टल कपास होती है और 20 क्विटल कपास नरमा पैदा होती है। इसमें से 1300 रुपया किस्त जमीन, 100 रुपया किश्त पक्का वाटर की, और 2500 रुपया घर खर्च का लगता है। जो 8 क्विन्टल कपास होती है उससे उसको 5400 रुपया मिलता है और खर्चा 4860 रुपया होता है। तो वह 4160 रुपया कहां से लाये ? इस तरह से तो उसको कर्जा ही लेना पड़ता है। यह गरीब काश्तकार की जमीन को हड़पने की साजिश है।

यही बात हरियाणा और पंजाब में भी चल रही है। भारत सरकार ने भी किसानों के खिलाफ साजिश की है। उसके खिलाफ एजीटेशन हो रहा है। इसमें किसी एक वर्ग का हाथ नहीं है।

मान्यवर, अब गन्ने के भाव ले लें। यह समाजवादी बड़े चिल्ला रहे हैं कि हमने चीनी 2.40 रुपये किलो कर दी। हम आपका स्वागत करते हैं। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपने किसान को क्या दिया ? 3) रुपये का घाटा दिया, यह सरकार की साजिश है। इसका नतीजा यह होगा कि किसान अगली साल गन्ना नहीं काश्त करेगा, क्योंकि उसको गन्ने की वजह से नुकसान हो रहा है ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दुलाराम : आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवेदन करूंगा कि इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया जाये। गंगानगर जिले के अलावा भीलवाड़ा जिले में भी कपास होता है, गन्ना भी पैदा होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन में इस किसान विरोधी नीति पर खुले रूप में

(श्री दुलाराम)

चर्चा करने की आज्ञा आप दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसी घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्याण सिंह !

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बारे में था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह विषय दूसरा है। हम यह सोच रहे थे कि भावों के बारे में कुछ कहेंगे। हम चाहते हैं कि 5, 5 मिनट हमको दें।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर भी करीब करीब समाप्त हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आधा घंटा आपने महत्वपूर्ण बहस को दिया है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सवाल अकेले गंगानगर जिले का नहीं है ......

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया है ......

(व्यवधान)

अजमेर अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां लगभग एक महीने तक आपरेशन थियेटर बंद रहा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो टिटनेस रोग फैला, उसकी वजह क्या थी ? अध्यक्ष महोदय, सारे के सारे अस्पताल के अन्दर गन्दगी का साम्राज्य है, इस वजह से टिटनेस रोग फैला। आज भी वहां लोगों को यह रोग हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी का राज है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : वहां पर लोगों को दवाइयां नहीं मिल पातीं। अगर कोई भी आदमी सीरियस हो जाये तो उसके लिये दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बाजार से भी दवाई मंगाई जाये तो एक किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। जब तक दवा आये, मरीज दुनिया से कूच कर जाता है। मेरा निवेदन है कि वहां की व्यवस्था को ठीक किया जाये। आने जाने की सुविधा की जाये। जितनी बार मंत्री महोदय अजमेर पधारे सर्किट हाउस में रुके। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्य बीमारियों के मरीज भी जो भर्ती होते हैं, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, चाहे किसी और बीमारी का, अव्यवस्था की वजह से टिटनेस हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से कानपुर में ग्लूकोज का काण्ड हुआ, ग्लूकोज तैयार करने की बिल्कुल मनाही कर दी गई, परन्तु आज भी वहां ग्लूकोज तैयार किया जाता है। 80 फीसदी मरीजों को रिगर हो जाता है। दूसरी ओर एक लेबोरेट्री, मेडिकल कालेज में ग्लूकोज के लिये बनाई गई है, बजट में भी प्रावधान है पर आज तक चालू नहीं की गई है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या हो जाता है ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : अस्पताल की हालत यह है कि मरीजों को एक्स-रे के लिये बाहर जाना पड़ता है। ए. पी. सी. तक की

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

गोली नहीं है । इस प्रकार की दुर्दशा है । अजमेर के अस्पताल की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री ऐरन ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान नसीराबाद में हुई, एक बहुत ही गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । नसीराबाद में एक ऐसी लोकेलिटी है जहां पर 90 प्रतिशत लोग, जो ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स हैं, गूजर हैं, ज्यादातर वे रहते हैं । प्रत्येक त्यौहार पर यह लोग नसीराबाद में ही रहते हैं । कोई त्यौहार ऐसा नहीं जाता, जब इनकी वजह से नसीराबाद के नागरिक परेशान न होते हों । इस दीवाली के अवसर पर मैंने पुलिस प्रशासन का ध्यान पुलिस की व्यवस्था के लिये दिलाया । चार दिन तक बराबर कहता रहा कि आप पुलिस का प्रबन्ध कीजिये, किन्तु कोई परवाह नहीं की गई । नतीजा यह हुआ कि दीवाली के दिन लोग बाजार में आये और उन्होंने पटाखे छोड़ना शुरू किया । पटाखे आने जाने वाले लोगों पर छोड़ना शुरू किया । दुकानों के जलने का भय हुआ । नतीजा यह हुआ कि कुछ व्यापारियों ने मना किया । 100, 50 आदमी इकट्ठे होकर बाजार में आ गये, भाग्य की बात कि दीवाली का दिन था, लोग पूजन के लिये दुकानें बन्द कर अन्दर घुस गये और बाहर दो घंटे तक वे लाठियां बजाते रहे, दुकानें तोड़ते रहे । कितने ही टेलीफोन एस. पी., कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर को किये । दो घंटे बाद वहां पुलिस फोर्स पहुंची । सौभाग्य है कि पुलिस के पहुंचने से और कोई दुर्घटना होने से बच गई ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन दो तारीख को, जैसे ही पुलिस फोर्स हटाई, वहां के पुलिस के लोगों को दीवाली के नाम पर शुतरखाने वालों ने दारू दी जो उन्होंने पी, और पड़ गये । उसी रात करीब दस बजे, जबकि दुकानें बन्द हो रही थीं, दो सौ, तीन सौ आदमी लाठियों से लैस होकर बाजार में गये और लोगों को परेशान करना शुरू किया । दो सौ, तीन सौ आदमियों ने लाठियों से निहत्थे लोगों पर वार किये और पन्द्रह लोगों को प्राणघातक चोटें पहुंचाई । मुझे जैसे ही पता लगा, मैं वहां स्वयं पहुंचा । पुलिस प्रशासन को टेलीफोन और तार द्वारा सूचना भेजी, किन्तु दुर्भाग्य है कि किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध पुलिस द्वारा नहीं किया गया । वहां के थानेदार के पास मैं स्वयं गया । वह सोया पड़ा था, दारू के नशे में । वहां का हैड कांस्टेबल बाबूलाल आदि सब सोये हुए थे, कोई परवाह नहीं की । पुलिस प्रशासन को टेलीफोन करना पड़ा । वहां भी कोई नहीं था, न एस. पी., न ए. एस. पी., न कलेक्टर । एडीशनल कलेक्टर को कहना पड़ा । उसने पुलिस भेजी ।

श्री त्योपतसिंह मकासर : आपको इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री भंवरलाल ऐरन : 4-11-78 को ए. एस. पी. साहब पहुंचे । व्यापारियों को दबाकर लोगों से दस्तखत करवाये और कथित फैसला करवाया गया । . . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नसीराबाद के नागरिकों के लिये सुचारु रूप से व्यवस्था करें । जब से

[redacted]

(श्री भंवरलाल एरन)

मैं विधायक होकर आया हूं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। नसीराबाद के थाने को शहर के बाहर कर दिया गया है। टेलीफोन की वहां व्यवस्था नहीं है। दो थाने बन जाने से अव्यवस्था फैली है।

श्री मदनसिंह दांता : यह रिपोर्ट आपने भैरोंसिंह शेखावत को क्यों नहीं की ?

श्री भंवरलाल ऐरन : मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी टेलीफोन किया। उनकी तबीयत नासाज थी। आखिर गृह मंत्रीजी से टेलीफोन पर सम्पर्क किया। उन्होंने वायरलैस से पुलिस प्रशासन को आग्रह किया। नसीराबाद के नागरिकों की सुचारु रूप से व्यवस्था हो, इस प्रकार का पुलिस का प्रबन्ध किया जाये। गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अविलम्ब सुचारु रूप से व्यवस्था की जाये। जो थानेदार और हैड कान्स्टेबल हैं, उनको निलम्बित किया जाये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री नवलराय बच्वाणी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में भी काफी गुण्डागर्दी हो रही है। जैसे, धोलाभाटा में घरों में घुस कर लोगों को मारने की काफी वारदातें हो रही हैं। एक औरत के दिन-दहाड़े जेवर ले गये। नया बाजार, घी मण्डी और सिटी गेट के अन्दर तलवारों से लैस होकर घरों में घुस जाते हैं, और मार-पिटाई शुरू कर देते हैं। उनको हर प्रकार से लूटते हैं। अभी रामगंज में दीवाली के दिनो लड़कों ने मिठाई वालों के यहां से मिठाई चुरा ली, और पिटाई की। अभी उनका चालान नहीं हो रहा है। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है, ऐसे अधिकारियों को कठोरता से दण्ड दिया जाय।

श्री काशीनाथ गुप्त : मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है 6 तारीख का।

श्री अध्यक्ष : मैंने कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। विवश हूं, उनके उत्तर अभी तक नहीं मिले। इसलिये दो-तीन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहा हूं। आप मुझसे चैम्बर में आकर मिल लें।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 12-10-78 को एक तारांकित प्रश्न .....

श्री अध्यक्ष : कल चर्चा होगी, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटेन्शन मोशन था। एस. पी., अलवर की जीप से चौमूं क्षेत्र में ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझ से चैम्बर में आकर मिलिये।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर के क्षेत्र में आज भी रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर चार हजार एकड़ भूमि पर पानी भरा हुआ है। जिस रेवेन्यू कर्मचारी ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर तीन हजार एकड़ भूमि से अधिक पर बुवाई नहीं हो सकेगी। यह उस क्षेत्र की हालत है, जबकि हमारी सरकार बार-बार यह कहती रही है कि 15 अक्टूबर तक पानी निकलवा दिया जायगा। उसके बाद लम्बा समय दिया गया और कहा गया कि 15 नवम्बर तक पानी निकलवा दिया जायगा। लेकिन

(श्री **काशीनाथ गुप्त**)
पांच तारीख को एक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया गया है कि तीन हजार एकड़ भूमि, पर इस वर्ष काश्त नहीं हो सकेगी···

श्री **शिवचरण सिंह** : इस साल ही नहीं, कभी भी नहीं होगी, ऐसा इन्तजाम कर दिया है ललित जी ने ।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपको बुलाऊंगा स्वागत में .....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : इनकी बात को सुनने दें, मैं भी देखकर आया हूं । जिस समय भरतपुर गया था, चारों ओर जमीन पर पानी भरा हुआ था ।

श्री **काशी नाथ गुप्त** : अध्यक्ष महोदय, आज तक उस पानी के निकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । न अब पानी निकालने की कोई इनसे आशा है । 3-3 साल पानी भरा रहता है । कोई भी काश्तकार 3-4 साल तक, वहां काश्त नहीं कर सका है । आज हमारा काश्तकार भूखा, नंगा और बेरोजगार है, लेकिन राज्य सरकार उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है । न पानी निकालने के साधन हैं, और न सरकार की कोई इच्छा ही है । मैंने इनसे पिछली बार कहा था कि पानी निकास के रास्ते को थोड़ा नीचे करिये, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । वह आज जमीन लेवल से भी ढाई फीट ऊंचा है । उस गलती के कारण ही आज हजारों काश्तकार बेरोजगार हैं । जो गलती हो गई है, इसे इंजीनियरों को देखना चाहिये । कब तक ये काश्तकार खाली बैठे रहेंगे ? 31 नवम्बर तक आखिरी तारीख है । अगर उस दिन तक पानी नहीं निकला, तो न तो उस जमीन पर कोई बुवाई हो सकेगी, न कोई जुताई हो सकेगी ।

मुझे याद है अभी इस वर्ष जब मैं गांवों में गया था, तब लोगों ने कहा सिंचाई मंत्री महोदय पिछले साल गये थे तो तीन मील नाव में बैठे थे । उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगली साल ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे । लेकिन आज भी वही हालत है । वे ही दिन उनको फिर से देखने पड़ रहे हैं । अब जब भी मैं उस गांव में जाता हूं तो वहां के लोग पूछते हैं, कहां गये वे मंत्री महोदय, जो हमको पिछली बार आश्वासन देकर गये थे ?

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : बीमार हैं ।

श्री **काशीनाथ गुप्त** : मंत्री महोदय ने गंगा के नाले की हालत अपनी आंखों से देखी थी । उस समय एस्टीमेट बनाने के लिये भी कहा था । वह एस्टीमेट 60 हजार का बनकर भी आ गया, लेकिन उसको कोई देखने वाला ही नहीं है । पिछली बार दो हजार एकड़ भूमि में पानी भर रहा था, रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर अब की बार चार हजार एकड़ भूमि पर पानी भर है, और सन् 75 में 500 एकड़ भूमि पर पानी भरा था । यह दिनों-दिन बढ़ रहा है । मेरा निवेदन है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । साथ ही राज्य सरकार से यह भी निवेदन करता हूं, और आज से 15 दिन पूर्व भी किया था कि इस पानी को शीघ्र से शीघ्र निकाला जाना चाहिये ।, लेकिन 15 दिन में एक इन्च भी पानी नहीं निकाला गया है । रास्तों के बारे में कहा गया था, आज एक भी काम आपका पूरा नहीं हुआ है । पुलिया

(श्री काशीनाथ गुप्त)

बनाने के लिये कहा गया था और यह कहा था कि एक सप्ताह में बनकर तैयार हो जायगी, वह भी नहीं हुई है। एक भी आपकी योजना पूरी नहीं हो रही है। मैं नहीं समझता हूं कि क्या कारण है ? इंजीनियरों की लापरवाही है या क्या बात है ?

मंत्री महोदय जब उस क्षेत्र में पधारते हैं, तो सब आश्वासन दे देते हैं परन्तु पता नहीं उस क्षेत्र से आने के बाद क्या सब बातें भूल जाते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक की क्या हालत होती है जब वह अपने क्षेत्र में जाता है ? जब लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो आप बुरा कहते हैं। मेरे साथ एक पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर गये थे तो वहां की जनता ने उनको सिंचाई विभाग का इंजीनियर मानकर उनके हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा, यह गलत काम है। ये तो पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर हैं।

वहां के लोग मास्टर आदित्येन्द्र के पास भी गये थे लेकिन सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर सकी। इस साल नहीं अगली साल करेंगे, बराबर यह आश्वासन देते रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। उन गांवों में पहुंचने का आज कोई रास्ता नहीं बचा है। वहां पहुंच पाना ही बड़ा कठिन है। मेरी समझ म नहीं आता, आप कब तक यह पानी निकाल पायेंगे और कैसे निकाल पायेंगे। सारे काश्तकार बरबाद हो रहे हैं। आपके लिफ्ट ईरिगेशन वालों ने भी एस्टीमेट्स बनाये, ये भी आज अधूरे पड़े हैं। अगर वह पूरे हो जाते हैं तो काफी उस क्षेत्र का काम हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप इंजीनियरों की बात पर विश्वास करते रहेंगे तब तक न तो काश्तकार का भला होगा और न ही शासन का भला होगा। कम से कम आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि इंजीनियरों ने यह गलती की है। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मानवता के नाते क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए इस काम को जल्दी से जल्दी करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काश्तकारों के साथ आज आप क्या भला करना चाहते हैं ? वे बेरोजगार लोग क्या करेंगे ? चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे और आपको हमको कत्ल करेंगे। अगर आपको अपने आपको बचाना है, देश का निर्माण करना है तो इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। आप चीफ इंजीनियर पर विश्वास करके नहीं बैठ सकते।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और अर्ज करूंगा। आप स्वयं इस क्षेत्र की हालत को देखकर आये हैं कि कितनी बुरी हालत हो रही है ? आपने स्वयं ने वहां की हालत को महसूस किया है कि कुम्हेर की क्या हालत हो रही है, गरीब काश्तकारों की क्या हालत हो रही है। माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी को आप आदेश दीजिए कि वहां की हालत को सुधारें। कितने ही शिष्टमंडल वहां के आए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। हर एक सदस्य कहते हैं लेकिन इसका निराकरण नहीं हो रहा है। बार-बार कहने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। जनता कहती है कि विधायकों को छाती पर बिठा दिया, मीटिंगें कर दीं लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। गांवों में

(श्री काशीनाथ गुप्त)
आज हालत खराब हो रही है। बार-बार असेम्बली में प्रश्न उठा दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस ओर शीघ्र कार्यवाही करेंगे और पानी को तुरन्त निकलवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : इस्तीफा दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की रहनुमा होने का जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीटा। जनता पार्टी ने हुकूमत में आने के बाद लम्बी-चौड़ी बातें की। हमको इसमें कोई गिला नहीं है। पिछले तीस सालों में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। उसको जनता ने सबक सिखा दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो सरकार किसानों का नाम ले, किसानों के आधार पर राज करे, किसानों के वोट पर शासन करे, किसानों के हितों की घोषणा करे और जब किसान पर मुसीबत आए तो कबूतर की तरह आंख मींचकर बैठ जाये। यह बड़ी हैरानी की बात है। किसानों पर जो मुसीबत आ रही है, यह अकेले गंगानगर का सवाल नहीं है। इस वक्त खरीफ की पैदावार बाजार में बिक रही है तो यह गंगानगर का सवाल नहीं है, कोटा का सवाल नहीं है, झालावाड़ और बूंदी का सवाल नहीं है...

श्री सुरेश कुमार : माननीय सदस्य काशीनाथजी गुप्त ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें मेरा भी नाम बोलने वालों में था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना।

श्री सुरेश कुमार : पहले वह विषय चल रहा था...

श्री अध्यक्ष : अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको भी पांच मिनट दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनके बाद मुझे समय बख्शाइये। मैं बहुत दफा खड़ा हो चुका हूं। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : आप किस संबंध में बोलना चाहते हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने कल भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था और आज भी दिया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर खानों की लीज हो रही है, वहां कई प्लाट मिल गए हैं। ऐसी स्थिति हो रही है कि भयंकर सत्याग्रह होगा। इस सिलसिले में कल भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था, और आज भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : लाटरी वाला?

श्री मनोहरसिंह मेहता : लाटरी वाला तो अलग से चल रहा है। दूसरों को लीज मिल गई है। 1976 में वर्क चालू होने वाला है। लाटरी से ही खानों के पट्टे मिले इसके पक्ष में तो मैं हूं ही। अगर कल समय बख्शायें तो उसमें भी दिक्कत नहीं है।

(2.23 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह बड़ी अजीब

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

विडम्बना है कि किसानों का नाम लेकर आने वाली हुकूमत किसान की बहबूदी पर ध्यान नहीं दे रही है । और आज जो खरीफ की पैदावर के भाव हैं, यह केवल गंगानगर जिले का ही सवाल नहीं है मेरा कहने का मतलब है कि कपास की फसल के भाव, गन्ने की फसल के धाव, धान के भाव तय होने चाहिए । तय हो गए धान के भाव, केन्द्रीय सरकार ने तय कर दिए लेकिन जब फसल मार्केट में आ रही है तो एफ. सी. आई. खरीदने के लिए तैयार नहीं है । जब इस भाव पर खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं तो रेट फिक्स करने का क्या मतलब है ? यही हालत कपास की है । अकेले गंगानगर जिले में, सरकार यह मानती है, कपास की चार लाख गांठे पैदा होंगी . . .

श्री सुरेश कुमार : प्रस्ताव तो मेरा भी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको ध्यान नहीं है । हमारे पास आइये तब हम बतायेंगे कि वास्तविकता क्या है ? आपकी समझ में नहीं आएगा । मेरे कहने का मतलब है कि कपास की चार लाख गांठें अकेला गंगानगर पैदा करेगा । हमारे सी. सी. आई. ने यह घोषणा कर दी कि एक लाख गांठे खरीदी जाएगी । तो बाकी तीन लाख गांठों का क्या हश्र होगा ? भाव तय किए गए हैं 255) रुपया । कैसी अजीब बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जनता पार्टी के हुक्मरानों ने दिल्ली की पार्लियामेंट में जाकर पांच सौ रुपये की मांग करके कपास की होली जलाई थी और आज आप भूल गए सारी बातों को । गंगानगर जिले में आज 255) रु. से नीचे भाव चल रहे हैं । सब फसल मार्केट में आ रही है लेकिन सी. सी. आई. कपास नहीं खरीद रहा है । आपकी भी वही गति होगी जो पिछले साल इनकी गति हुई थी । एक बात याद रखें, चाहे कपास मत खरीदो, चाहे गन्ना मत खरीदो, चाहे धान मत खरीदो मगर निश्चित रूप से जनता आपको सजा देगी । आप बचेंगे नहीं । जो हालत कांग्रेस की हुई वही हालत तुम्हारी होगी । मैं खबरदार कर देना चाहता हूं । अभी आप नशे में हैं, कुम्भकरण की नींद में सोये हुए हैं । गुजरात को याद करो, लोगों ने घसीटा था । लोगों ने उनको घसीटा था और तुम तालियां बजाया करते थे . . .

श्री कौशलकिशोर जैन : अब की बार एक भी नहीं आने वाला है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन एक भी नहीं आने वाले हैं ? हम चाहे एक भी नहीं आवें लेकिन तुम्हारे बिस्तर गोल हो जायेंगे यह बात निश्चित है । बादशाहत तुम कर रहे हो और सजा हमें भुगतनी पड़ रही है । थोड़ी सी तो गैरत महसूस करनी चाहिए । यह महसूस करें या नहीं तुम्हें तो गैरत महसूस करनी चाहिए। तुमने जनता से वायदे किए थे और आज उनको भूल गए । तुम वायदों को पूरा नहीं करना चाहते । तुम मुझसे कहते हो कि आगे से नहीं आओगे लेकिन मैं तुम से कहता हूं कि तुम दुबारा नहीं आओगे । मैं आपको इस बात के लिए ललकारता हूं कि साल भर बाद में कोई मंत्री गांव में घुस नहीं सकेगा । साल भर बाद कोई मंत्री गांव में जाकर दिखा दे । लोग घसीटेंगे तुमको । आज तुम यहां पर दादा बनकर बैठ गये । तुमने वायदे किए थे, घोषणा पत्र दिया था, लोगों को भरोसा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

[redacted]

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
दिलाया था। अब आप परवाह नहीं करते। कपास वाले किसान उजड़ेंगे, गन्ना वाले किसान उजड़ेंगे, दूसरे किसान उजड़ेंगे तो तुम भी दुबारा नहीं आ सकोगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी चर्चा समाप्त कर। यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। इनको जवाब दे रहा हूं। ये कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं, इनके कानों में कीला ठोकना पड़ेगा...

श्री मदनसिंह दांता : ये शहरों से आ जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शहरों में भी यही हालत होगी। इन्दिरा गांधी को भी महसूस नहीं हुआ था। इन्दिरा कांग्रेस के हुक्मरान, जब हम यहां कहते थे तो आपकी तरह ही हंसा करते थे, डेढ़ इन्च के दांत निकाला करते थे। वह भी लापरवाह थे, उनको अपनी खुद की कमी का खयाल नहीं था। इसी तरह से आज आपको भी खयाल नहीं है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

मिनिस्टर बन गए, एम.एल.ए. बन गए, हुकूमत तुम्हारे हाथ में है तो आज किसान को भूल गए। यह मत भूलो, जनता महान् है, उसने इनको सबक सिखा दिया, तुम्हारी तो कीमत ही क्या है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, अब ज्यादा चर्चा आवश्यक नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग इनको सबक सिखायेंगे। गुनाह ये कर रहे हैं, सजा हम भुगत रहे हैं। ये हुकूमत के नशे में चूर हो रहे हैं, तो यह भी खतम हो जायेंगे। आज सारे के सारे किसान, लाखों किसान उजड़ रहे हैं। लाखों किसानों को लूटा जा रहा है, और ये कुम्भकरण की नींद सोये पड़े हैं। सोचना चाहिए इनको थोड़ा बहुत।

श्री सुरेश कुमार : आपके स्थगन प्रस्ताव के पहले भरतपुर की बाढ के सम्बन्ध में काशीनाथ गुप्त के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। माननीय सदस्य बीच में बोलने लग गए हैं। अब फिर उस पर चर्चा करने की इजाजत दें दें तो मैं बोलूं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे लिए कह गए थे..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये कृषि की प्रोड्यूस खरीदने के सिलसिले में प्रस्ताव रखा था। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। जनता पार्टी ने चुनाव लड़ते समय अपने घोषणा-पत्र में जो बातें कहीं थीं उनकी ओर ध्यान दिलाता हूं। आज किसानों के लिए न इनकी कोई नीति है, न कोई प्लानिंग है, न पॉलिसीज हैं। बेसिक बात तो यह देखनी पड़ेगी कि जब से जनता पार्टी की

(श्री शिवचरण सिंह)

सरकार आई है उसके बाद से किसानों की प्रोड्यूस की हुई जो चीजें हैं उनके क्या भाव हैं? चाहे फूड ग्रेन लें, चाहे कपास लें, चाहे शुगर लें, चाहे शुगरकेन लें कोई भी चीज हो, कम्पेरेटिवली आज उनकी कीमत क्या है और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, उनके जो वाई प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिये बनने वाली चीजें हैं, उनकी क्या कीमतें हैं? उनकी कीमतें इस प्रकार से बढ़ी हैं कि इंडस्ट्री के जरिये बनने वाली सारी चीजों की कीमत बढ़ती जायेगी और किसानों की पैदावार की सारी चीजों की कीमत कम होती जायेगी। किसानों की जो फसलें हैं उनकी सही कीमत दिलाने के संबंध में जनता पार्टी की नीति थी। इन्होंने इसी सदन में बैठकर जो-जो बातें कहीं थीं, इनको क्या कीमत मिलनी चाहिये? खाद की क्या कीमत होनी चाहिये? उन सबके विपरीत आज सारा एक्शन हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि किसानों की पैदावार की जो भी चीजें हैं उनकी उचित कीमत ये आज नहीं दिलायेंगे और 80 प्रतिशत जनता को आप इग्नोर करेंगे तो मैं आपको आगाह कर दूं, आप यही मानकर चलें कि 80 प्रतिशत जनता को इग्नोर करने वाला कोई दल आज प्रजातंत्र में जीवित नहीं रह सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप बहुत जल्दी देखेंगे। आप जाएंगे। यह एक जनतान्त्रिक प्रणाली है। आपको अपनी पार्टी में यह कहना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता इस पक्ष में बैठने वाले किसानों को भी न जाने क्या हो गया है। वे भी एक शब्द तक नहीं बोले। अतः मेरा निवेदन है कि केबिनेट स्तर के जो मंत्री लोग हैं उनमें मैं मानता हूं कि किसानों का प्रतिनिधित्व कम है, शहरी तबके के लोग, हेराफेरी करने वाले लोग ज्यादा हैं लेकिन आप जितने भी हैं निश्चित तरीके से आवाज उठावें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा जनता पार्टी के सदस्यों से कपास के बारे में कहना है कि गुजरात और मराठवाड़ा में सरकारी खरीद का विरोध हो रहा है और यह सरकार खरीद कर रही है। दोनों की वास्तविक नीति क्या है? भगवान की दया से मेरे घर में भी कपास की खेती होती है ......

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मुझे . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में चर्चा न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी थी दो मिनट बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : किस संबंध में आप बोलेंगे?

श्री मूलचन्द डागा : 195 में.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश जी !

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, काशीनाथ जी ने और मैंने भरतपुर में बाढ़ की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। भरतपुर में आज हजारों बीघा जमीन डूब में पड़ी है और काश्त संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भरतपुर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने उस क्षेत्र को देखा है और उनको उसकी जानकारी है। श्रीमन्, यह एक विरोधाभास है, हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में बाढ़ आये लेकिन इसका मतलब यह नहीं

(श्री सुरेश कुमार)

कि हमेशा के लिये जमीन बाढ़ के पानी में डूबी रहे। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि पानी को निकालने का प्रयास करें। आज करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी हुई है। काशीनाथ जी ने आपको बताया कि आज भी 3–4 हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है जिसमें 4–6 सौ बीघा जमीन मेरी भी है। एक गांव है गुलाबी का नगला जिसमें पिछले 5 साल से जमीन पानी में डूबी हुई है जिसके कारण वहां आज खेती की स्थिति नहीं है। श्रीमान्, आपके माध्यम से मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई खाली कागजी प्लान बनाने से, योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि जो भी बाढ़ के सिलसिले में मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च करने की स्कीम सरकार बना रही है वह स्थानीय किसानों की राय से बनाई जाय। किसानों को अच्छी तरह से जानकारी है कि किधर से पानी आता है, किधर से उसका निकास होता है। जब तक इनसे मास्टर प्लान के बारे में सलाह नहीं की जायेगी तब तक सफलता नहीं हो सकती इसलिये मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री ध्यान दें कि किस प्रकार से मास्टर प्लान बने। एक होम्स कैनाल है जिसकी खुदाई करके, अच्छी तरह से लेवल लेकर उसका निर्माण कर दिया जाय तो, श्रीमन्, आज काशीनाथजी का जो क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है वह पानी से निकल जाएगा। मथुरा रोड पर एक रेगुलेटर बनाया गया है जिसका सिल-लेवल ऊंचा है जिसके कारण पूरा पानी निकल नहीं पाता। यदि उसको डेढ़ दो फीट नीचे कर दिया जाय तो पीछे की हजारों बीघा जमीन पानी की डूब से निकल सकती है। इसी प्रकार हमारे यहां जो अजन बांध है उससे यदि एक नहर निकाल कर उत्तर प्रदेश में नियंत्रित तौर पर पानी के निकास की व्यवस्था कर दी जाय तो हमारा इलाका तो बरबादी से बचे ही साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों की फसल भी बरबादी से बच जायेगी। वह यह चाहते भी हैं। इसके अतिरिक्त एक चिकसाना नहर है, जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है लेकिन नहर की क्षमता केवल 600 क्यूसेक है। यदि इस नहर की क्षमता बढ़ा दी जाय तो लाभ होगा। मैंने पिछली दफा भी निवेदन किया था लेकिन पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान, यह सारा पानी निकल सकता है। बाढ़ जिसकी हमको जरूरत है, वह आये भी और उसका पानी निकल भी जाय तो इससे नुकसान भी नहीं होगा और जमीन डूब से बाहर निकल आवेगी।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त करता हूं। आप व्यवस्था का प्रश्न बताइये ?

श्री कौशलकिशोर जैन : कल पाली के मामले में अध्यक्ष महोदय ने इस सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित किया था। उसके बाद चैम्बर में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। माथुर साहब भी थे, डागा जी भी थे, मैं भी था। माथुर साहब ने बात रखी थी कि सारे मामले की न्यायिक जांच कराई जाय। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि आज सदन में पांच बजे पहले मुख्य मंत्री महोदय से मिलकर कोई व्यवस्था दूंगा।

(श्री **कौशलकिशोर जैन**)
मैं जानना चाहूंगा कि उस बात का क्या हुआ ? कल सायं तक उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया । आज भी सरकार की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मुख्य मंत्री महोदय, मिले या नहीं मिले ? अगर नहीं मिले तो बात कर लें । सिवाय मुख्य मंत्री के तो सरकार में कोई है ही नहीं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगर शासन की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा तो मैं उसकी सूचना दे दूंगा ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि मैं 295 के अन्तर्गत 2 मिनट के लिये अपनी बात कह दूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या आपने कोई लिखित में दिया ?

व्यवस्था का प्रश्न

भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के वक्तव्य

श्री **मूलचन्द डागा** : जी हां, सिद्धान्तों की राजनीति पर जीने वाले कुछ युवक, जनता पार्टी के नेता लालचन्द और विज्ञान मोदी ने सिद्धान्तों और आदर्शों से इस्तीफा दे दिया है । मुझे फक्र है, उन्होंने कुछ पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखे । अखबारों में भी प्रकाशित हुए वे सारे पत्र/मैं जानना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह किस तारीख को अपना वक्तव्य देंगे ? यह हमको सूचित किया जाय ताकि हम उनकी बात को सुनें । क्या कारण है कि जनता पार्टी के जो युवा नेता देश में क्रान्ति लाना चाहते हैं उन्होंने इस्तीफा दिया ? उनके पत्र भी सदन की मेज पर रख दिये जायं ताकि उन पत्रों को हम पढ़ सकें । यही मेरी प्रार्थना थी और आपके द्वारा भी प्रार्थना करता हूं ।

स्पीकर साहब ने फर्माया था कि हम किसी मंत्री को कम्पेल नहीं कर सकते हैं स्टेटमेंट देने के लिए । कोई मैम्बर प्रार्थना कर सकता है लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए । मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे समय दिया और अवसर दिया । मैं यह चाहता हूं कि वे अपना स्टेटमेंट दें और उनके वह पत्र सदन की मेज पर रखे जायं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुछ दिन पूर्व दिया था । अध्यक्ष महोदय ने मुझ से कहा था कि वे समय देंगे । जो सहकारी शुगर मिल है केशोराय पाटन में उस मिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप किस संबंध में बोलना चाहते हैं ?

श्री **गोपाल पचेरवाल** : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि समय दूंगा . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री **बालकृष्ण यानवी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 4 अक्टूबर को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था । उसमें मैंने यह कहा था कि पश्चिमी राजस्थान में इस साल भयंकर अकाल पड़ गया है । इस बारे में चर्चा का मौका दिया जाय ।

(श्री बालकृष्ण थानवी)

इसी तरह से फलौदी में कॉलेज खोलने की मांग की थी और उसके बारे में भी 4 अक्टूबर को ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज 1 महीना और तीन दिन हो गये हैं। अकाल के संबंध में और इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे कब मौका मिलेगा ?- इसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस बारे में आप माननीय अध्यक्ष से उनके चैम्बर में मिल लें। अगर गवर्नमेंट की जानकारी आ चुकी है, तो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लिया जायेगा।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के 16 विधान सभा सदस्यों ने हस्ताक्षर करके जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था वह इतना बड़ा प्रस्ताव गायब कहां हो गया ? एक महीना और तीन दिन में भी राज्य सरकार की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब न आये तो बड़े दुःख की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को यहां रखावें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में आप जानकारी ले लें।

श्री **मदनसिंह दांता** : मुझे बड़ा दुःख है कि कांग्रेस के राज्य में सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विरोधी दल के आते थे, और आज सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकारी पक्ष से आ रहे हैं। आज आपकी सरकार है और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ आप ज्यादा बैठते हैं। आप उनसे कह सकते हैं। आप अपनी पार्टी मीटिंग में भी कह सकते हैं। छोटे-मोटे विषयों में ही सदन का आधे से ज्यादा समय चला जाता है।

व्यवस्था का प्रश्न

भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के वक्तव्य

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी ने प्रश्न उठाया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दो माननीय सदस्यगण, जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, आज उपस्थित नहीं हैं। अगर वह उपस्थित होते तो उनसे पूछता कि वे स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि नहीं ? वैसे आपका अधिकार है, यह पूछने का कि वे वक्तव्य देना चाहेंगे। वे उपस्थित होते तो मैं उनसे पूछ लेता।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** (मंत्री, संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह चर्चा यहां पर पहले हो चुकी है। अगर उनको वक्तव्य देना होता तो वे समय मांग लेते। उनको वक्तव्य नहीं देना है।

श्री **मूलचन्द डागा** : आप कौन हैं कहने वाले ? How can you say on behalf of these members ? आप कौन हैं कहने वाले कि वक्तव्य नहीं देंगे ? हम उनसे जानना चाहते हैं।

सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों को समय पर परिचालन

अनदर पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर। मैंने कई बार कहा है। रूल 255 के बारे में मैंने कई बार कहा कि हमें विधान सभा से जो लिट्रेचर मिलता है वह बहुत देर से मिलता है। नियमों में प्रावधान है कि 24 घंटे पहले मिलना चाहिए। आपकी आज्ञा मानकर हम यहां सदन में 7 बजे शाम तक बैठे रहते हैं। वह रात को भी मिल जाय तो पढ़ लें, लेकिन वह लिट्रेचर रात में भी नहीं मिलता

(श्री मूलचन्द डागा)

है। वह साढ़े आठ बजे सुबह मिलता है और 9।। बजे आपकी सेवा में उपस्थित होना पड़ता है नोटिस देने के लिए। क्षमा करें, यह रूल्स इसलिये बनाये गये हैं कि सचिवालय इस बात की व्यवस्था करे कि सारा लिट्रेचर समय पर आ जाय। यदि नहीं, तो हम तो इस प्रकार से अजेण्डा लेकर सही भूमिका निभा नहीं पाते हैं। हम इसको ठीक तरह से देख नहीं पाते हैं, तो हम अपने कर्त्तव्य को ठीक से अदा नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि लिट्रेचर कम से कम 24 घंटे पहले हमारे पास पहुंचे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य एम. एल. एज. विधायकपुरी में रहते हैं उनके पास भी लिट्रेचर समय पर नहीं पहुंचता है। आज भी जब मैं 9।। बजे विधायकपुरी के स्वागत कक्ष में गया तो यह लिट्रेचर वहां पर पड़ा हुआ था। मेरी स्वयं की भी यही शिकायत है कि रात को यह डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया जाता है, यह बड़ा आपत्तिजनक है। वहां पर मालूम हुआ कि किसी बच्चे के हस्ताक्षर करवा कर यह लिट्रेचर वहां पर डाल दिया गया। यह आपत्तिजनक बात है। माननीय डागा साहब की बात सही है। सचिवालय को सजग किया जाय कि लिट्रेचर 24 घन्टे पहले मिल जाय। नियम के अनुसार कम से कम प्रश्न तो तीन दिन पहले आ जाने चाहिए। कल के प्रश्न आज मिल रहे हैं; यह आपत्तिजनक है। इस बारे में समुचित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सचिवालय को इस बारे में आवश्यक निर्देश दूंगा कि वह यह प्रयत्न करे कि सारा लिट्रेचर समय से पूर्व पहुंचे।

श्री मदनसिंह दांता : यह सचिवालय की गलती नहीं है। शायद मिनिस्टर ही जल्दी इत्तिला देकर करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था कर दूंगा कि आपको लिट्रेचर समय पर मिल जाय।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय श्रम मंत्री।

अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखे जाने में विलम्ब

श्री मूलचन्द डागा : Again it is my point of order sir. रूल 169 में मैंने कई बार कह दिया है कि आपने यह रखा है ....

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : देख तो लें।

श्री मूलचन्द डागा : देखा है। आप अपनी गलती तो मानें। गलती करना इन्सान का काम है और गलती का समर्थन करना शैतान का काम है। गलत काम करें और गलती मानें नहीं और गलती की माफी भी मांगे नहीं। हम कहते हैं कि 31-10-77 के बाद बजट सैशन हुआ है, उस बजट सैशन के अन्दर यह नहीं आयी। आज मैं फिर चेलेंज के साथ कहता हूं कि इस सदन की मेज पर आज भी वह नहीं आयी है। मैंने कोशिश की है जानने की। वह सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। मैंने टेबल आफिस में सूचना चाही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं आयी है। यह दो-दो गलतियां हैं। पहली गलती तो यह है कि आप समय पर पेश नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

करते हैं। आप पर नौकरशाही हावी हो रही है। मंत्री लोग नौकरशाही के इशारों पर चल रहे हैं.......

श्री मथुरादास माथुर : एक–दो को सस्पेण्ड करिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन टाइम पर आनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे टेबल आफिस ने कहा है। आप पूछिये यह आफिसर बैठे हुए हैं गरदन नीचे किये हुए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री केदारनाथ : मान्यवर, एतराज ठीक है। मैंने एक स्पेशल आफिसर नियुक्त कर दिया है खाली इस काम के लिए सचिवालय में। सिवाय दो के, बाकी सब इन टाइम हैं।

मान्यवर, मैं गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचनाएं 1 से 10 तक सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 1 (34) गृह/ग्रुप-7/76, दिनांक 31-1-78.

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (2) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 31-1-78.

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 19-8-78.

(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (29) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 26-9-78.

(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (30) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 26-9-78.

(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 27-9-78.

(7) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (4) परि/72/दिनांक 29-9-78.

(8) अधिसूचना संख्या प. 5 (23) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 29-9-78.

(9) अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 5-10-78.

(10) अधिसूचना संख्या प. 5 (46) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 12-10-78.

श्री मथुरादास माथुर : मेज पर रखी है नहीं। यह खाली कह रहे हैं कि मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह रख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय कृपया यह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रख दें।

श्री केदारनाथ : मैंने एक स्पेशल आफिसर नियुक्त कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : What is the answer of my second question? Whether it was laid on the table of the House or not? रखें आप टेबल पर।

आप एडवान्स में मेज देते। दो दिन पहले देनी चाहिए। पहले देते तो हम पढ़ लेते और पढ़ने के बाद कोई ओब्जक्शन होता तो हम एतराज कर सकते थे। हमको बिल्कुल ही डार्क में रख रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहता हूं कि अगर एडवान्स में पहले नहीं रखी गई हैं तो यह अजेण्डे में कैसे आई ? अजेण्डा में तभी रखी जाती हैं जब कि पहले रख देते हैं और फार्मली वहां पर बोल दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जानकारी मिली है कि यह सभी अधिसूचनाएं सचिवालय में आ चुकी थीं

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा था तब नहीं बताया।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : आपने पूछा ही नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह सचिवालय की गलती है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी कोई परवाह नहीं करता, मूलचन्दजी, मुश्किल यह हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) धिनियम, 1978 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान खनन बस्ती, अधिनियम, 1956 का परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह कब हुआ हिन्दी का ट्रान्सलेशन ? कब किया था आपने ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह क्वेश्चन आवर में पूछियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : The point again I raise. This is my right when I am putting the question.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय डागाजी को अधिकार है कोई बात पूछने का। अगर कोई बात पूछते हैं तो उसका उत्तर देना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : डागाजी, कभी सीरियसली पूछते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायत मन्त्री महोदय।

अधिसूचनाएं

श्री कैलाश मेघवाल (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचना 1 से 3 सदन की मेज पर रखता हूं। दिनांक 19 अगस्त, 1978 की, 21 सितम्बर, 1978 की और 21 सितम्बर, 1978 की तीनों अधिसूचनाएं हैं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./ए. आर./पी. ओ./15/78/330, दिनांक 19 अगस्त, 1978।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल/पी. एस./ए. आर./2/75/ 372, दिनांक 21 सितम्बर, 1978।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल/पी. एस. /ए. आर. /2 /75 /373, दिनांक 21 सितम्बर, 1978।

श्री मथुरादास माथुर : इन्होंने टाइम पर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् मूलचन्दजी डागा, आप अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) संशोधन विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह सदन, श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1978) को अस्वीकार करता है।

श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आवश्यकता क्यों पैदा हुई ? यह तो हमारा विचार है यहां पर कि इस जनता पार्टी का शासन जब से आया है सारा केन्द्रीकरण एक मन्त्री, मुख्य मन्त्री ने कर लिया है। लोकनायक जयप्रकाश ने यह कहा था कि विकेन्द्रीकरण किया जायगा लेकिन यहां पर तो सारा केन्द्रीकरण कर लिया गया है। यह आर्डिनेन्स का राज आया और रोज आर्डिनेन्स की चर्चा करते हैं, आर्डिनेन्स-आर्डिनेन्स। आर्डिनेन्स इन्नोसेंट है, यह बिल्कुल ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं यह आप क्यों लाये हैं ? रेलवे ने कब कहा था कि हम कूपन को मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ? कोरसपोंडेंस करने को कब कहा था ? कोरसपोंडेंस करने के बाद आपने कहा कि 1 जून को कहा गया। श्रीमन्, 1 महीना और 28 दिन के बाद इमर्जेन्सी कैसे पैदा हुई ? आप दो बातें मत कहिये। आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है। हिन्दी का जो अनुवाद है अंग्रेजी से वह गलत है, मैं चेलैन्ज करता हूं। अनुवाद भी गलत रखते हैं सदन की मेज पर। आर्डिनेन्स का अनुवाद है, वह गलत है। और, श्रीमन्, 1 महीना और 28 दिन के बाद रखा है, पूछिये किस लिये ? यह बतायें कि रेलवे ने आपको कब कहा कि मेहरबानी करके रुपये में कन्वर्ट कर दीजिये ? कब कहा और आर्डिनेन्स की क्या जरूरत हुई ? आप लाये, बहुत अच्छा किया, मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात कही है, The Speaker is the supreme. तीन करोड़ की जनता में सबसे बड़ा आदमी हो सकता है राजस्थान की धरती पर तो स्पीकर हो सकता है, उसका समच्युअरी अलाउन्स 250 रुपये और मुख्य मन्त्री का समच्युअरी अलाउन्स 500 रुपये। मुझे यह दु:ख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष का इसमें समच्युअरी अलाउन्स नहीं है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि The Legislature is supreme यह सभा सुप्रीम है, मेरे यहां का सचिव भनोत के बराबर होना चाहिए। इस सचिवालय को उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। यहां

70

(श्री मूलचन्द डागा)
का बजट अलग हो, यहां का काम अलग हो, सैक्रेटरी की पूरी तनख्वाह होनी चाहिये। मैंने तीन दिन पहले कहा था 600 मत दीजिये, 600 तो एक बैंक के चपरासी की तनख्वाह है। ललित किशोर जी बैठे हैं यहां पर, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा लेकर बैठे हैं वे शिक्षा की बात करेंगे, विधि मंत्री जी उधर मुंह किये बैठे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : नाम की क्या जरूरत है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका नाम इस लिये लेता हूं. . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो एक मेम्बर के लिए बिल रखा। कब रखा? एक सौ मेम्बरों के दस्तखत थे कि मेम्बरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मुझे दुःख है, कुछ लोगों ने कहा कि मूलचन्दजी मांग करते हैं। मैंने मांग की, बिल पेश किया, उसका उत्तर मिला है आज, चार लाइनों में। मुझे क्या उत्तर दिया, श्रीमन्, वह आपको सुनाना चाहता हूं। प्राइवेट मेम्बर का रिजोल्यूशन नहीं आता है तो सरकार को बिल पेश करना चाहिए। इसमें लिखा है—

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 में आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक, 1977 की विषय-वस्तु से अवगत होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित करने एवं विचार किये जाने की राज्यपाल महोदय ने सिफारिश नहीं की है।"

दस्तखत है सूर्यनारायण चौधरी। ये सूर्यनारायण चौधरी कौन हैं? राज्यपाल महोदय के सचिव हैं या मन्त्री हैं? राज्यपाल महोदय के पास चले जायं। कोई एडजस्टमेन्ट हुआ हो तो पता नहीं है। मैंने तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। इन्होंने क्या तनख्वाह दी है? एक यहां पर आदर्श पुरुष हैं और महात्मा गांधी के भक्त हैं। उनकी तो मुझको सराहना करनी पड़ेगी; वे गांधी के पदचिन्हों पर नहीं चले। वे पांच साल पहले गांधीवादी थे। आज घर-घर की समस्याओं से एम. एल. ए. को जूझना पड़ता है। मैंने इमोल्यूमेन्ट्स की बात रखी। राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी, वह तो महापुरुष हैं। मैं, श्रीमान्, यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने व्यवस्थापिका की इज्जत गंवाई है। किसी मंत्री के पास, सैक्रेटरी के पास कैसे हम जायें? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नए विधायक चले गए किसी सैक्रेटरी के पास। उन्होंने कहा तुम कैसे आए? जाओ या मैं चपरासी को बुलाऊं? मुझ तो सचिवालय के अधिकारियों के व्यवहार पर शर्म आती है। आप क्यों उनको वेतन दे रहे हैं? सैक्रेटरीज को हिदायत की जाए कि कोई भी विधायक उनके पास जायें तो खड़े होकर बात करें। मुख्य मंत्री तो एक दिन खाना खा रहे थे, हम चले गए तो कहा आओ डागा साहब। क्या उनसे सबक सीखा है सारे सरकारी कर्मचारियों ने? वे हावी हो गए हैं। इन लोगों ने इस व्यवस्था को गिरा दिया। उसके कारण जगह-जगह अखबारों में खबरें आती हैं दावत का बहिष्कार। मुझे तो शर्म आई कि विधान सभा के कर्मचारियों ने दावत का बहिष्कार कर दिया। यह अखबार की खबर है कि विधान सभा अध्यक्ष, श्री लक्ष्मण-सिंह ने जो दावत दी उसका कर्मचारियों ने विरोध किया।

मैं इमोल्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं।

(श्री मूलचन्द डागा)
पेट्रियट अखबार में खबर आई है:-

"Meanwhile the lower ranking employees submitted a resolution to Speaker, Laxman Singh duly passed by the Rajasthan Vidhan Sabha Sahayak Karmachari Singh meeting. They demanded in the resolution hard duty allowance as given to the officers. The employees were reportedly told that their demand could not be met as the fund (the discretionary fund of the Speaker) was already exhausted.

It is important to note that the senior officials reportedly, stayed for late hours hardly for three four days during the last session, while Sahayak Karmchari who were more in number had to stay daily. Some empolyees were served with chargesheets as they had complained to the Governor against the irregularities of the senior officials."

ठीक है । मुझे तो यहां मालूम हुआ जब 28 तारीख को आया था कमेटी में कि कोई कर्मचारी बीमार पड़ा है, किसी को बुखार हो रहा है । मैंने पूछा क्या हुआ ? तो बताया, डागाजी, 18 घंटे ड्यूटी दी है । पीठासीन अधिकारियों की कान्फ्रेन्स में काम कर रहे थे । मैंने उनसे कहा तुम्हारी सेवा की तारीफ करता हूं । अधिकारियों ने तुम्हारे अधिकार को छीना है । भगवान जाने उनके अधिकार का क्या होगा ? हमारे सचिव कर्मचारियों की इज्जत करें तो उनकी भी इज्जत होगी । पहले छोटे कर्मचारी हैं, इन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस बिल के स्कोप में नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा इस अध्यादेश से विरोध नहीं है । मैं कहता हूं तीन हजार दीजिए । मैंने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व बिहार के कानून देखे हैं, वहां पर 2250) रुपये हैं । मैं और मेरी धर्मपत्नी यात्रा करने जायेंगे । मेरा पाली जिला हरियाणा जितना है । यह आपकी किताब है, इसमें लिखा हुआ है, हर जगह फर्स्ट क्लास । इतने बड़े एरिया में घूमने जायेंगे । हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा तनख्वाह है, और हमारे यहां 600) रुपये है ।

मंत्रियों को क्या मिलता है ? मुझे दुःख होता है, मंत्री बेचारे गरीब हैं । उनको 1200) रु. मिलते हैं । 4-4 हजार रुपये कमाने वाले मंत्री बन गए, कहां से नया कुर्ता पहनेंगे ? उनकी हालत की भगवान रक्षा करे । इसलिए व्यवस्था को ठीक करने की बात है । कार्यपालिका आप पर हावी हो गई है । विधि मंत्री, इस बिल को फेंको, तो आपकी तारीफ होगी । मैंने इसलिए इस अध्यादेश का विरोध किया है, और कोई दूसरा कारण नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस अध्यादेश के लिए मैंने यह परिनियत संकल्प दिया है–

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1978) को अस्वीकार करता है ।"

Page No 72

(72)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वैसे ही विचार अपने ढंग से कहने के लिए मैं सदन का कुछ समय लेना चाहूंगा। वैसे तो यह अजीव मालूम पड़ रहा है। राज्य सरकार का कर्मचारी चाहे वह चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, महंगाई की मार उन पर भी पड़ी है। आज कोई भी सफल वकील न्यायाधीश का पद स्वीकार नहीं करना चाहता, वह वार में रहते हुए अधिक अर्न करता है, और न्यायाधीश बनने पर उनका खर्चा नहीं चल पाता। यह तो एक जज की स्थिति है। एक चपरासी की स्थिति तो उनसे भी बिगड़ी हुई है। जब हम या हमारी सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके साथ-साथ मैं जब अपने विधायक साथियों की ओर देखता हूं, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जब एक अधिकारी या कर्मचारी को 600 रुपये वेतन में अपना 30 दिन का महीना पूरा करने में कठिनाई आती है तो उस सदस्य की क्या स्थिति है जिसके यहां 5 बच्चे, माता पिता व बीवी हैं? उनको दो घर रखने पड़ते हैं एक जयपुर में, दूसरा अपने निर्वाचन क्षेत्र में। अपनी कान्स्टीट्यूएंसी से आने वाले लोगों की चाय पानी पर खर्च करना पड़ता है, वह अपने धन्धे में समय नहीं दे सकता, चाहे दुकानदार है, चाहे वकील है। आज सदन में कम से कम 55 वकील हैं। अगर विधायक अपनी ड्यूटीज को पूरा अंजाम देना चाहें, तो कदापि बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। तो इस प्रकार अपने प्रोफेशन की आमदनी के सोर्स का बलिदान देकर विधायक अपना कार्य कर सकते हैं? यदि कोई विधायक किसान है तो वह खेती नहीं कर सकता। वह उन 600) रु. पर ही डिपेंड करता है। राज्य सरकार अपने एल. डी. सीज. व यू. डी. सीज. को 600) रु. देती है और बैंक के चपरासी को 600) रु. से भी अधिक मिलता है। चाय का गाड्ड वाला, पान की दुकान वाला, एक खोंमचे वाला भी 600) से ज्यादा कमाता है। मैं जो विचार रख रहा हूं इससे सारे सदन को फायदा होने वाला है, यह हकीकत है। जनता सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि वह स्वच्छ प्रशासन देगी, स्वच्छ व ईमानदार प्रशासन देगी। इसके लिए आवश्यक है कि विधायक पैसे की चिंता से दूर होकर, अपनी ड्यूटीज को सही अंजाम दें। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगता रहा और आजकल हर गली, कोने-कोने में जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों पर भी आरोप लग रहे हैं हममें से कुछ विधायकों पर आरोप लगते हैं कि यह ऊपरी इन्कम कर रहे हैं। भगवान करे यह आरोप सही हों। वह जनता के इन्ड्यूसमेन्ट में आ गये, यह आरोप है। यह हकीकत है, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते यह अलग बात है कि बिड़ला और टाटा, जिनकी लाखों और करोड़ों रुपयों की इन्कम है, चोरी कर रहे हैं। आवश्यकताओं के अनुसार किसी व्यक्ति को पेमेन्ट किया जायेगा तो वह ईमानदार रहने की कोशिश कर सकता है।

दूसरा पक्ष लीजिए, श्रीमान्। 51 रुपये भत्ता एक कमेटी की मीटिंग को अटेन्ड करने का एक दिन का देते हैं और हाउस की मीटिंग हो तब भी 51 रुपया देते हैं। मेरा 18 महीने का अनुभव है कि इस सदन के द्वारा बनी समितियों के अन्दर अधिकांश मेम्बरों का ध्यान नहीं है। समितियों कार्य के अन्दर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
करने की ओर ध्यान नहीं होकर कितनी अधिक से अधिक समितियों की बैठकें की जायें, इस ओर ध्यान है। महज इस खयाल से कि हमारा भत्ता अधिक है। मैं आज सत्य बात कह रहा हूं कम तनख्वाह देने और 51 रुपया पर दे देने की जो नीति है उससे भ्रष्टाचार और मानसिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। लोग इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं।

मेरा निवेदन है कि जैसे यू. पी. और हरियाणा में या अन्य राज्यों में दैनिक भत्ता खतम करके स्थाई कर दिया, लम्पसम अमाउन्ट महीने में दे दिया जाता है वही यहां किया जाना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा कि वह पीसमील में काम नहीं करे। इस पर आपको पुनः विचार करना होगा। इस सारे एक्ट को खतम इस आधार पर करना चाहिये कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि हम आवश्यक धन नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर विधायक स्वस्थ प्रशासन देने में पीछे रहेंगे।

श्रीमन्, आज राजस्थान सरकार के हर अधिकारी को जीप मिलती है। हमारी सरकार ने जिले के अन्दर कई प्रकार की समितियां बना रखी हैं। न मालूम कितनी समितियों में विधायकों का सहयोग लिया है। परन्तु उसको अपने चुनाव क्षेत्र के अन्दर, अपने जिले में घूमने के लिए, काम करने के लिए कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत एक बी. डी. ओ., एक छोटा सा विकास अधिकारी है उसको जीप मिली हुई है। अपनी ड्यूटीज को अन्जाम देने के लिए। आज पुलिस का एस. पी. है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मैं रेलेवेन्ट बात कह रहा हूं...

श्री मदनसिंह दांता : इस पर कुछ और भी लोग बोलना चाहेंगे इसलिए थोड़ा-थोड़ा समय दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे दो मिनट और चाहूंगा ताकि मेरी आवाज से मंत्रीजी के कान का मैल शायद निकल सके और वह कोई ऐसा कानून ला सकें।

मंत्रियों को तो कार की सुविधा प्राप्त है, फोन की सुविधा प्राप्त है, बिजली और पानी की सुविधा प्राप्त है और अर्दली की भी सुविधा प्राप्त है। परन्तु एक विधायक किस तरह से अपनी ड्यूटी को अन्जाम दे? यदि भैरोंसिहजी की सरकार चाहती है कि विधायक लोग ईमानदार रहें, वह समाज के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट से इन्फ्लूएन्स नहीं हों तो निश्चित रूप से आपको विधायकों को इतनी राशि देनी होगी कि वह शान से जी सकें।

आज पुलिस में एस.पी. और डी.आई.जी. को कारें दी हुई हैं। मैं आपके सामने यह विवरण यह बताने के लिये दे रहा हूं कि नौकरशाही को आपने कितनी कारें दी हुई हैं। जिनको जीपें चाहिए उनको भी आपने कारें दे रखी हैं। एस. पी. (सी.आई.डी.) की ड्यूटी गांवों में जाने की है, उसके लिए उसके पास जीप होनी चाहिए लेकिन उसको भी आपने कार दी हुई है और वह भी पैट्रोल की। एक तरफ कर्मचारियों की इतनी सुख-सुविधाओं का ध्यान है दूसरी ओर जो सत्ता के प्रतीक हैं, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अंग हैं, जिनमें सत्ता का कुछ अंश, चाहे वह हजारवां ही हिस्सा हो, वैस्ट करता है, उनको भी इस प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए। हर विधायक को फोन पर कम से कम सौ या डेढ़ सौ रुपया

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

खर्च करना पड़ता है अपने विधायक की ड्यूटी को अंजाम देने में। जिले की जनता समझती है कि यह विधायक है और इसके पास सत्ता है। इस जनता सरकार से आशा थी कि यह प्रजातंत्र की दुहाई देने वाली सरकार है, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में सुख-सुविधायें यह सरकार देगी ताकि विधायकगण अपनी ड्यूटी को सही अन्जाम दे सकें लेकिन अफसोस है कि मंत्री की संख्या तो बढ़ रही है और काम की गति धीमी हो रही है। आज तीन दिन हो गए, जिस सरकार ने विभागों का वितरण नहीं किया उससे हम यह कैसे आशा करें कि वह दो सौ विधायकों की सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान देगी, हमारी तरफ ध्यान दे सकेगी। इसमें लिखा है एम. एल. ए. includes Minister. इसलिए मैंने मंत्रियों के बारे में कहा है। एक मंत्री के मातहत काम करने वाले आई. ए. एस. आफिसर को 2200 रुपया और 2500 रुपया मिलता है, इसके अलावा उसको कार मिलती है, फोन मिलता है, बंगला मिलता है, अर्दली मिलता है। इतना बड़ा अन्याय है और फिर हम यह चाहते हैं कि नौकरशाही हावी नहीं हो......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : इसके संबंध में मेरे कुछ भिन्न विचार हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं बोल रहा हूं, श्रीमन्, आप बैठिये।

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir. Is there any time-limit to speak ? बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं। अपने लिए बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमन्, आप कह रहे हैं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं यह ठीक है कि पहले हमें अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हमारी चिन्ता करने वाला कोई नहीं हो। हमारे लिए कौन बोलेगा ? मंत्रियों के लिए कौन बोलेगा ? हमें बोलना पड़ेगा। आज एक कर्मचारी स्ट्राइक करता है, क्या मंत्री लोग मुख्य मंत्री को स्ट्राइक का नोटिस दे सकते हैं ? क्या एम. एल. ए. स्ट्राइक का नोटिस दे सकते हैं ? नहीं दे सकते। इसलिए हमें यहां पर बोलना होगा। यह अलग बात है कि माननीय दांता साहब इस विधान सभा में पहुंच गये हैं और वह एक लंगोटी से भी काम चला सकते हैं......

श्री मदनसिंह दांता : मेरे छोकरे आप जैसे तगड़े-तगड़े हैं। वह लंगोटी में नहीं रहते। आपको किसने कहा था कि यहां पधारें। वहां से तो त्यागी बन कर आते हैं और यहां आकर धन लूटते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह गलत बात है। जनता की गरीबी दूर करने के लिये आपने कुछ नहीं किया तो आप भखे मरोगे ...

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब है कि इन्हें बेस बनाइये। आप भी बेस बनना चाहते हैं ....

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्णादास गुप्ता)
आप विधायक हो जाते हैं और फिर पेन्शन लेते हैं

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ताजी, आप कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : हर युग में चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, कुछ महान पुरुष होते हैं। ऐसा लगता है इस सदन में आप जैसे त्यागी और महान पुरुष हैं। इनको छोड़िये, बाकी 199 माननीय सदस्य,......

श्री **मदनसिंह दांता** : 199 गरीब हैं, इनके बैठने के लिये स्थान नहीं है, इसलिये मांग रहे हैं.....

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : 199 सदस्यों का पेट बोल रहा है।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : बोलते समय धीरे बोलें। सब लोगों के माथे में दर्द हो रहा है।

श्री **मदनसिंह दांता** : बीच में बोलना नहीं चाहता ......

श्री **उपाध्यक्ष** : आपको उचित समय दे दूंगा।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं स्पष्ट कहने वाला हूं। दो और दो चार होते हैं। यह कहूंगा, अगर हम यह कहते हैं कि हर कदम पर उचित व्यक्ति पहुंचे, तो चाहे वह आई. ए. एस. आफिसर हो, चाहे वह चपरासी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधायें देनी ही होंगी......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वरना सही व्यक्ति इस सदन में आने से कतरायेंगे। ....

श्री **मदनसिंह दांता** : कौन बुला रहा है आपको ?

(व्यवधान)

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : यह सारा हाउस जानता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उन्हें बोलने दीजिये। बीच में आपस में वाद-विवाद न हो।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय दांताजी, आप शांत रहें।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : ये सारे ठेकेदार हैं, सारे व्यापारी हैं, सब गलत हैं। मुझे मालूम है इनमें से बहुत से आपके माननीय सदस्य टीचरशिप छोड़कर आये हैं। इस हाउस में आये हैं। बहुत से छोटे-मोटे किसान इस हाउस में आये हैं। कितने ठेकेदार हैं ? 1, 2, 3 होंगे। यह 28 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जन-जाति के सदस्य हैं। इनकी कोई ठेकेदारी नहीं, व्यापार नहीं, जिससे उनको पैसा मिल सके .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह गलत बात है चीप पापुलेरिटी के लिये कहना कि जनता के नुमाइन्दे को मत दो। जनता के नुमाइन्दे को उनकी आवश्यकता के

Page No 76

(७८)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता): अनुसार अगर आपने नहीं दिया तो वे जनता का खून चूसेंगे और पैसा बटोरेंगे। ट्रांसफर के नाम पर पैसा बटोरेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप कृपया विराजिये। काफी थक गये हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सरकार गम्भीरता से सोचे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दांताजी, आप कृपया सुन तो लें। मेरी बात तो सुन लें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं आपकी सबसे ज्यादा आज्ञा मानता हूं इसी लिये बैठ जाता हूं। मैं भी बोलना जानता हूं, इस कानून को भी जानता हूं। यह कोई तरीक़ा नहीं है। कोई आदमी बोलना चाहे तो दो घंटे बोल ले। मैंने समय मांगा था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आश्वासन दिया था।

गुप्ताजी, कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मुझे भी कोई आश्वासन दीजिये श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी दे दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : मैं एक बात तो अर्ज कर दूं। फेवर ही फेवर में बोल रहे हैं। इसके विपरीत में जो कुछ कहना चाहते हैं उनको मौका देना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आधा घंटा तो हो गया। आप फर्मा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप कृपया समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : गुप्ताजी समाप्त करेंगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक मिनट में समाप्त मान लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : इस हाउस में दो ही हैं रामकृष्णदास गुप्ता और रामनारायण चौधरी। आप समय देते हैं तो बैठते ही नहीं हैं...

श्री दुलाराम : बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। वे अपोजिशन के नेता हैं और मेरे नेता हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं किसी माननीय सदस्य की विशेष कृपा पर नहीं बोल रहा हूं। भारतीय संविधान की धारा 213 के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए बोल रहा हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। अगर बाधा डालना चाहेंगे तो हम भी डाल सकते हैं.....

(व्यवधान)

मेरे विचार कहने के लिये आया हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आपको ही सारे अधिकार देकर भेजा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अन्त में, श्रीमन्, यही कहना चाहूंगा कि हम इंग्लैण्ड और अमेरिका की परम्पराओं को मानते हैं। इंग्लैण्ड और अमेरिका के मापदण्ड के अनुसार वहां विधायकों को जो सुविधायें मिलती हैं वे यहां दीजिये तब यह प्रजातंत्र सही तरीके से चल पायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कृपया मेरी बात सुन लें। जो चर्चा माननीय सदस्य ने की है उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर चर्चा होने के बाद जब बहस का समय ग्रायेगा....

श्री मदनसिंह दांता : मैं वचनबद्ध हूं। मैं बोलूंगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसीजर है। ग्रापको विधेयक पर बोलने का ग्रवसर दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : ग्राप ग्रपनी तनख्वाह बढ़ायें। मैं वाक ग्राउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव माननीय डागा साहब ने रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं...

एक माननीय सदस्य : दिल से या ऊपर से।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो तनख्वाह बढ़ाने के मुद्दे उठाये हैं, वे सरकार के विचारार्थ हैं यह मैं ग्रापके मार्फत सभी को सूचना देना चाहता हूं लेकिन इसमें दो बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है, जैसा माननीय रामकृष्णदासजी ने कहा है, इंग्लैण्ड ग्रौर ग्रमेरिका के माननीय सदस्यों को मिलने वाली सुविधाग्रों के संबंध में प्रश्न एक बार लोक सभा में भी उठा था ग्रौर उस पर वाद-विवाद हुग्रा था। ग्रमेरिका ग्रौर इंग्लैण्ड की जो ग्रार्थिक स्थिति है वह...

श्री प्रद्युम्नसिंह : कब उठी थी? ग्राज से 15 साल पहले उठी थी।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्राप में, डागाजी, क्षमता नहीं है सुनने की। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें कुछ ट्रेनिंग दीजिये।

मैं निवेदन कर रहा था, यह सदन सर्वोपरि है। जो सहूलियतें यह सदन बढ़ाना चाहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है......

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर वोटिंग करवा दीजिये।

(व्यवधान)

कुछ फायदे के लिये करवा रहा हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ग्राप इतने जिम्मेदार ग्रादमी हैं। ग्राप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। उनकी भी सुनने दीजिये। दूसरे बोलते हैं तो ग्राप सुनने नहीं देते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्राज ये ग्रख्तियारात हैं कि हम चाहे जितनी सुविधायें बढ़ा लें। उसके लिये दोनों प्रकार की दलीलें मिल जायेंगी। माननीय डागाजी ग्रौर माननीय रामकृष्णदासजी का यह कथन सही है कि जो सदस्य बन जाता है उसके जीवन निर्वाह के ग्रन्य स्त्रोत बन्द हो जाते हैं बशर्ते वह ग्रपना जीवन स्वच्छ ग्रौर शुद्ध रूप में बिताना चाहता हो। इसके बावजूद इंग्लैण्ड ग्रौर ग्रमेरिका के मुकाबले सुविधायें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां की जो ग्राय है उससे हमारे यहां की ग्राय बहुत कुछ मेल-जोल नहीं खाती है.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : हिन्दुस्तान की दूसरी विधान सभाग्रों से तो तुलना कर सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह उससे को-रिलेट होती है। ग्राज हिन्दुस्तान की जो एवरेज इन्कम है, जो सुविधायें माननीय

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

सदस्यों को विधान सभा और लोक सभा को मिलती है वह अपेक्षाकृत ज्यादा है। उन्हें देखने से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अधिक है। लेकिन कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं और यथासम्भव शीघ्र ही अपना जो निर्णय है, वह प्रस्तुत करेंगे।

दूसरा, माननीय डागाजी ने यह प्रश्न उठाया है कि तीन हजार रुपये तक ट्रेवलिंग सुविधाय बढ़ा दी जाये। माननीय डागाजी की आदत तो बुरी पड़ी हुई है, क्योंकि वे लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं। यदि आप पांच वर्ष तक भी रेल के डिब्बे में सोते रहे तो आपको कोई टोकने वाला नहीं था लेकिन उस अनुपात में सुविधायें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। जो माननीय सदस्य ज्यादा सफर का प्रावधान चाहते हैं, रेल के द्वारा वे जा सकेंगे क्योंकि जो नया अमेन्डमेन्ट लाये हैं उसमें विरोधी दल के माननीय नेता महोदय से और अन्य सदस्यों से राय ली है, उसमें सैकिन्ड क्लास की सहूलियतें कर सकते हैं और मेरे खयाल से उससे ज्यादा डिस्टेन्सेज तो कवर हो जाते हैं।

श्री **शंकर लाल** (जैतारण) : इस आर्डिनेन्स की यह बात नहीं है।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अमेन्डमेन्ट सर्क्यूलेट किया है। आपको मालूम है और डागाजी बहुत सचेत सदस्यों में से हैं।

श्री **मूल चन्द डागा** : यह कम्पेनियन कैसा होना चाहिये।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : हमने आपकी सुविधा के लिये कम्पेनियन रख दिया है, आप जिसको चाहें ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामकृष्ण दासजी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मंत्रियों की दयनीय स्थिति पर भी विचार किया है और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसके सम्बन्ध में भी आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये जो उचित संशोधन होगा, लाया जायगा। किसी-किसी मुद्दे पर मंत्रीगण विधायकों से रेमूनरेशन से बहुत पीछे है—जैसे आपको 300) रु. किराये के मिलते हैं और हमको 250) रु. किराये के मिलते हैं। आपको 51) रु. रोज मिलते हैं, हमको नहीं मिलते हैं......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : This is hypocracy.

श्री **मूल चन्द डागा** : Reasons should be convisncing.

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की सुविधा व भत्तों आदि के सम्बन्ध में, मंत्रियों की सुविधा और भत्तों के सम्बन्ध में कि पूरे देश में जो सुविधायें और भत्ते वर्तमान में चल रहे हैं उनको एग्जामिन करने का एक बार मुझे मौका मिला था। मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि वर्तमान में जो राजस्थान में माननीय सदस्यों को भत्ता और सुविधायें मिल रही हैं वे दूसरे राज्यों से कम नहीं हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी टेबल भी पेश कर दूंगा।

इसके बाद मैं चाहूंगा माननीय डागाजी ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है, उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या, माननीय डागाजी, आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसको वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदासजी, क्या आप भी वापस लेते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं भी अपना संकल्प वापस लेता हूं । यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने मेरे लिये नहीं कहा है, फिर भी वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संकल्प माननीय डागाजी ने और माननीय रामकृष्णदासजी ने दिया है, उसको वापस लेने की अनुमनि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं, इस आशा के साथ कि जो वायदा आपने किया है उसको पूरा करेंगे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं भी अपने संकल्प को इसी शर्त के साथ वापस लेता हूं ।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1978 माननीय विधि मंत्रीजी लाये हैं ....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ सिद्धान्तों के बारे में कहना है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा है, वे बोलेंगे ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : डागा जी, आप हमेशा नियमों का हवाला देते हैं और बीच-बीच में डिस्टर्ब करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि वास्तव में एक बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारे लिये, सदस्यों के लिये हम स्वयं ही फैसला करें । हमारे क्या भत्ते और सुविधायें होनी चाहिये और इसमें क्या-क्या सिफारिश होनी चाहिये इसका हम ही निर्णय करने वाले हैं । यह एक ऐसी बात है जिससे लोगों में एक शंका रहती है । वैसे मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है लेकिन मैं सिद्धांततः यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एम. एल. एज. के परिलाभ का प्रश्न हो वहां यह आवश्यक हो जाता है कि इस संशोधन कानून को आप जनमत जानने के लिये प्रसारित करें । हम स्वयं ही बैठकर अपने भाग्य का फैसला करें, यह उचित नहीं लगता है । आप लोगों की समुचित राय लें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ? क्या-क्या सुविधायें होनी चाहिये, यह आम लोगों की राय से तय होना चाहिये ।

(श्री शंकर लाल)

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि हमको कितना मिले और कितना न मिले। प्रश्न यह है कि जनता के द्वारा चुनकर हम विधान सभा में आते हैं और जो सुविधायें हमको मिलती हैं उसके अनुसार जो कर्त्तव्य हम से अपेक्षित है, उन कर्त्तव्यों की पालना करने में हम सक्षम रहते हैं या नहीं रहते। हमारा कर्त्तव्य क्या है? विधान सभा में आकर बोल लेना ही हमारा कर्त्तव्य नहीं, बल्कि हमारा कर्त्तव्य यह भी है कि हम हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जायें, निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के लोगों के दुःख-दर्द सुनें और उनके घरों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्षों तक विधान सभा का सदस्य रहा हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आप चाहे जो तनख्वाह दें, आप चाहे तो भत्ता दें लेकिन हमको हमारे मतदाताओं के पास पहुंचाने की सुविधा कर दें। आज इतने वर्षों के पश्चात् भी मैं यह अनुभव करता हूं कि विधायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिये जीप या कार की सुविधा मिलनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है.....

श्री **सुखलाल सेंणचा** (रायपुर): मंत्रीजी सुन रहे हैं या बातें कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मंत्रीजी बातें नहीं करके जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनें।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय सदस्य खुद ही मेरे पास आकर कह रहे हैं। मैं खुद थोड़े ही बात करने जा रहा हूं। अगर नहीं सुनूं तो वे नाराज हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आप क्यों सुन रहे हैं? ऊपर से बात करने थोड़े ही आ गये हैं।

श्री **शंकर लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा शासन की मार्फत कि मतदाताओं के पास पहुंचने के लिए, उनके दुःख-दर्द सुनने के लिए चाहे आपका अन्त्योदय कार्यक्रम हो, चाहे रेवेन्यू अभियान हो, उसके अन्दर भाग लेने के लिए आपको विधायकों को सुविधा देनी चाहिए।

विधेयक के सिद्धान्त की चर्चा

श्री **ईश्वर चन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव मेरा था। मेरा नाम सबसे पहला था। मैं नियमों का हवाला देना चाहता हूं नियमों के अनुसार आप इनका नाम नहीं बोल सकते। इसके लिए नियम 67 है। जनमत जानने के लिए भेजने का पहले मेरा नाम है। अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो वह मुझे है। बाद में मैं क्यों बोलूं?

श्री **शंकर लाल** : मैं उत्तर दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में यह व्यवस्था है.....

श्री **उपाध्यक्ष** : आप इनको पाइन्ट आफ आॅर्डर तो ठीक तरह से पेश करने दीजिए।

श्री **ईश्वर चन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 67 है :

"(1) On the day on which any motion referred to in rule 66 is

(श्री ईश्वर चन्द्र)

made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the....."

(व्यवधान)

आप सुनें। "....details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amedments to the Bill may be moved, but—

(a) If the member in charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion,"

तो जो कार्य सूची है उसमें जनमत जानने का मेरा प्रस्ताव है। इस पर बहस होती है तो मुझे ही मौका दिया जावे।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय सदस्य ने यह नियम पढ़ दिया है। जब नीति सम्बन्धी चर्चा की जाती है तो उस चर्चा में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसके सिद्धान्तों के बारे में बोल सकता है। उसके बाद में जब अमेंडमेंट की स्टेज आती है, अगर कोई अमेंडमेंट हो तो उसके बाद में खण्डशः चर्चा होगी जब विचारार्थ संशोधन प्रस्ताव रखा जाता है। मैं इस बिल के सिद्धान्त के बारे में बोल रहा हूं कि इसकी बोडी में क्या प्रावधान हो, बिल के सिद्धान्त क्या होने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। आपकी अनुमति से मैं अपनी बात रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ईश्वरचन्द्र जी इस समय जनरल प्रिंसिपल्स आफ दी बिल डिस्कस हो रहा है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि सभी माननीय सदस्य प्रस्ताव दें, आसन की अनुमति से कोई भी माननीय सदस्य बोल सकते हैं। जिनका अमेंडमेंट सलेक्ट कमेटी में रेफर करने का या पब्लिक ओपिनियन जानने केलिए सर्कूलेट करने का है, वह बाद में आएगा। अभी जनरल प्रिंसिपल्स पर डिबेट हो रही है। माननीय सदस्य से मैं चाहूंगा कि वे अपनी बात को जनरल प्रिंसिपल्स तक ही सीमित रखें और इसको सलेक्ट कमेटी में रेफर करने या पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्कूलेट करने के तर्क प्रस्तुत नहीं करें।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों व सदस्यों के परिलाभ व पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1978

विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

श्री शंकरलाल: धन्यवाद। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विधायकों को अपने क्षेत्र में जाने के लिए जीप की सुविधा हो।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक विधायक को चाहे आप कितना ही भत्ता दें या सुविधा दें, लेकिन अपने मतदाताओं से कान्टेक्ट बनाए रखने के लिए, और दूसरे सरकारी अधिकारियों से कान्टेक्ट करने के लिए, दूसरे लोगों से कान्टेक्ट करने के लिए टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए। टेलीफोन की सुविधा इसलिए जरूरी है कि आज कोई घटना घटी तो विधायक को जाकर के दूसरे के टेलीफोन से बात करनी पड़ती है। जब पार्लियामेंट के मेम्बर्स को टेलीफोन की सुविधा है ताकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से कर्त्तव्य निर्वहन कर

(श्री शंकरलाल)

सकें तो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार जीप की आवश्यकता है, उसी तरह से एक टेलीफोन की आवश्यकता भी विधायक के लिए है।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टेलीफोन और जीप के अलावा जब आप किसी चीज के लिए पत्र-व्यवहार करें, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस करते होंगे कि माननीय सदस्य कितनी बार अपने हाथ से लिख कर पत्रों को कहां तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक टाइपराइटर और स्टेनो मिलना चाहिए। मैं इन तीन चीजों के लिए कहता हूं। आप तनख्वाह कम दें, ज्यादा दें, आप भत्ता कम दें, ज्यादा दें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसके कर्त्तव्य निर्वाह के लिए जीप, टेलीफोन और स्टेनो की सुविधा दें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि एक एक विधायक की सेलेरी कितनी हो, कितनी नहीं हो, लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि जब हमारे सपनों का भारत आवेगा, समाजवादी व्यवस्था होगी, तब एक छोटे से छोटे आदमी, और बड़े से बड़े आदमी की तनख्वाह में बहुत कम फर्क होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज कहां तो एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह ढाई हजार रुपये और एक जगह पर किसी को तीन सौ रुपये मिलते हैं। प्रश्न यह है कि जो एम. एल. एज. हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, उनकी तनख्वाह आप न बढ़ायें, लेकिन जो सरकारी आदमी हैं उनकी तनख्वाह हमसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उसको कम कर दीजिए। हमें चाहे आप छः सौ रुपये दें, लेकिन राजस्थान सरकार में कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिनकी तनख्वाह छः सौ रुपये से ज्यादा हो, चाहे वह चीफ सैक्रेट्री हो। मास्टर की तनख्वाह उसके नौकर से कम नहीं हो सकती। और नौकर से मास्टर की तनख्वाह ज्यादा नहीं हो सकती। जनता ने हमको चुना है। हम नहीं चाहते कि हमको ज्यादा तनख्वाह मिले, लेकिन ढाई हजार की तनख्वाह किसी आदमी की भी नहीं होनी चाहिए। आपके अधिकारी की तनख्वाह, जिसको आप बुलाते है, आपसे ज्यादा है। उनकी सुविधाओं को देखें, तो घूमने के लिए उनके पास कारें हैं, उनका कुत्ता कार में फिरता है और व्हिकल्स का जिस प्रकार से दुरुपयोग होता है वह आपको मालूम है। सिनेमाओं में सरकारी गाड़ियां उनके बच्चों को ले जाकर बिठाती हैं और चपरासी बस्ता उठा कर पैदल जाता है। इसलिए इन सब सिद्धान्तों को समझने के लिए आप इसको वापस लें, और सदन की कमेटी इन पाइन्ट्स पर विचार करे। राजस्थान के अन्दर एक आदर्श रखों कि विधायक को क्या सुविधा होनी चाहिए और क्या इसके सिद्धान्त होने चाहिए जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सके।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप को समय नहीं दे सकूंगा। यह आवश्यक नहीं है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उनको अवसर दिया जाय। जहां तक मेरी अनुमति का प्रश्न है, मैंने किसी एक माननीय सदस्य को अवसर दे दिया, अब मैं किसी माननीय सदस्य को अवसर नहीं दूंगा। अमेंडमेंट्स के बाद में आप बोल सकेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तीसरी रीडिंग में बोल लेंगे।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कुछ माननीय सदस्यों, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्रीमती उजला अरोड़ा सर्व श्री ईश्वर चन्द्र, मूलचन्द डागा, हरजीराम बुरड़क और हजारीमल सारण, इन महानुभावों ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है, क्या ये माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां,मैं तो रखना चाहता हूं।

मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है।

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन)(संशोधन) विधेयक, 1978 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन बातों में काफी तथ्य है। सदस्य किस प्रकार से अपनी सही भूमिका निभा सकें, इसके लिये माननीय मंत्रीजी ने भी यही कहा था कि मैं इन बातों पर विचार करूंगा। हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं। उस बाबत हमने एक बात देखी, इस बात को मैं कह रहा हूं कि अपन जब एक्ट में अमेण्डमेन्ट कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहता हूं कि जो आपके रूल्स बने हुए हैं वे आर्टिकल 187 के नीचे हैं। 1952 के अन्दर रूल्स बने हुए हैं, आर्टिकल 187 के नीचे। आर्टिकल 187 यह कहता है, क्योंकि आप ला मिनिस्टर हैं और अच्छे वकील हैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं समझ रहा हूं, आप कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : "The House or each house of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff,"

(2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff or the House or Houses of the Legislature of the State."

52 में आपने रूल्स बनाये, और उसके बाद आज मेरे ख्याल से 30 साल...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप इसे जरा फिर पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : जिस विधेयक के बारे में आप अमेण्डमेन्ट मूव करने जा रहे हैं, क्या उसी के संबंध में बहस कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। अधिकारी का मतलब इन्होंने लिखा है, Speaker, Deputy Speaker and Officers. इसमें आफिसर्स वर्ड है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आफिसर्स वर्ड कोट किया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें आफिसर्स है।

इसमें सवाल यह है कि हम लोग क्यों नहीं अपनी भूमिका सही निभा सकते ? मेरी

(श्री मूलचन्द डागा)
आपके द्वारा सदन से प्रार्थना है कि हमारी गरिमा बढ़नी चाहिये । आफिसर्स ने कहा कि हमारे रूल्स बनाये जाने चाहिये थे। नहीं बने होने के कारण 5 आदमियों ने आज रिट कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा जी, इसमें आफिसर्स वर्ड को मैं देखना चाहूंगा, इसमें प्रिसाइडिंग आफिसर्स या असेम्बली सैक्रेटेरिएट के आफिसर्स को लिया जाएगा ? मैं कहता हूं इस संबंध में आप चर्चा नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा: मेरा कहना है कि नींव पर मकान खड़ा होता है। समाजवाद की बात करने वाले हम लोग अगर अपनी भलाई न सोचें, और अपने हाथ पैरों का भला न सोचें तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पायगे। श्रीमन्, आपने अपने चैम्बर में हमें सुना...

श्री उपाध्यक्ष: मैं इससे सहमत हूं। जो आपका अमेण्डमेन्ट है उसके स्कोप के बाहर आप नहीं जा सकते।

श्री मूलचन्द डागा: मैं कहना चाहता हूं कि आप यह सारा देखें, एक्ट में इन्होंने चार बातें पेश कर रखी हैं। इन्होंने बाद में कहा है कि किस प्रकार से वित्तीय कार्य होने चाहिये। मैंने एक बात कही, हम लोग चाहते हैं कि इस पर जनमत जानना चाहिये कि किस प्रकार हम लोगों को कितने अधिकार मिलने चाहिये। आज हालत यह है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट मास्टर हैं और मास्टर सर्वेन्ट हैं, जो नीचे हैं वे ऊपर आ गये हैं, और जो ऊपर है वे नीचे चले गये हैं-हम नीचे हो गये हैं। यह नये तरीके की शासन पद्धति है। सेक्रेट्री साहब को स्टनो इसलिये दिया गया है कि मेरी बीबी से बात कराओ, यह मेरे दोस्त आ गये हैं हम एक घंटा बात करेंगे। यह जो पद्धति बन रही है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा जी ने आर्टिकल 187 कोट किया है। इसमें आफिसर्स वर्ड नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने इसमें नहीं कहा। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आप मुझे सही रास्ते पर ले आये, लेकिन आप हमें आश्वासन दिलायें। हम लोग सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और एक सामाजिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। मान लीजिये भगवान की कृपा से कोई मेन्टली या फिजीकली अनफिट हो गया काम करने से तो आप इसके मरने पर मरसिया पढ देंगे, लेकिन जिन्दा है तब आप उसको नहीं देखेंगे। मैं आज एक एम. एल. ए. हूं मेरा अगर एक्सीडेण्ट हो जाय, आंखें न रहें तो मुझे कह देंगे कि तनख्वाह बन्द है।

एक माननीय सदस्य: You are entitle for pension.

श्री मूलचन्द डागा: मैं पेंशन की नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो शारीरिक या मानसिक रूप से अनफिट हो जाते हैं उसके लिये आप क्या करेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आप में यह जागरूकता कब आई ?

श्री मूलचन्द डागा: आपके साथ रह कर। जब से आप विधि मंत्री होकर आये तब से मेरे में ज्ञान काफी आ गया। मैं कहता हूं कि इस विधेयक पर जनमत जानने का सवाल है। श्रीमान्, यह आदर्शवाद और सिद्धान्तवाद को बात तो रहने दीजिये, और धरती की वास्तविकता पर आइये। विधान सभा में कोई भी कर्मचारी हो, उसका शोषण नाकाबिले

(श्री मूलचन्द डागा)

बरदाश्त है। जो मैंने कहा है और मैंने अमेन्डमेंट दिया है, वह इस बिल के स्कोप में है। मेरा कहना है; और मेरे साथ काम करने वालों का शोषण न हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जीना बेकार है। इसलिये मैं इस बात को बड़े पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि मानव की गरिमा बढ़ानी चाहिये। स्पीकर से लेकर कर्मचारी, चपरासी तक को समान आदर दिया जाएगा तभी मैं समझूंगा कि हमारी विधान सभा की गरिमा बढी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप इजाजत दें तो कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मैं मांग नहीं रहा हूं। आज राजस्थान के अन्दर एम. एल. एज. की फैसेलिटीज, कम्पेन्सेशन के बारे में आप अमेंडमेंट लाये हैं, उस संदर्भ के कुछ सुझाव हैं। आज राजस्थान के अन्दर 540 के करीब एम. एल. एज. को पड़ रहा है। राजस्थान के एक क्लर्क को जो तनख्वाह मिलती है वही तनख्वाह एम. एल. एज. को मिलती है। बात यह है, श्रीमन्, आज जो प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हैं, डाक्टर्स हैं, और बिजनेस वाले लोग हैं, वह एम.एल.ए. हैं उनका काफी समय विधान सभा के सदस्य के कार्य में लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारा समय उनको राजनैतिक कार्यों को देना पड़ता है। मैं कहता हूं कि वकीलों की वकालात खतम हो जाती है, डॉक्टरों का डॉक्टरी का धन्धा खतम हो जाता है, और बिजनेस मैन का बिजनेस भी अफेक्टेड होता है। यह सब के लिए है। आपकी तरफ के माननीय सदस्य इधर बैठकर जब कोई अमेन्डमेंट लाते थे तो विरोध करते थे। यह पहला अवसर है। विरोध करते थे, लेकिन लेने के अन्दर सबसे आगे रहते थे। हमने जो बिल बनाया था उसमें यह था कि जो लेना चाहें लें। उसके बाद ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था कि जिसने ड़ा नहीं किया हो। आज पहला अवसर है कि आपकी तरफ के माननीय सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भी सदन के बाहर जब बातें हो रही थी तो कह रहे थे कि उनकी सुविधाएं आज की मंहगाई को देखते हुए, बढ़ाई जायें। आपने कहा कि सरकार विचार कर रही है। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों से तुलना करें। पालियामेंट के मेम्बर का और विधान सभा के मेम्बर का कोई भेदभाव करके चलने की स्थिति नहीं है। उनको भी उतना ही समय देना पड़ता है और हमको भी उतना ही समय देना पड़ता है। इसलिये जो उनको सुविधाएं मिली हुई हैं उस सीमा तक ही पहुंचा दें तो ठीक रहेगा, इसका विरोध करना, हिपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। उनकी कथनी और करनी अलग 2 हैं। आपने कहा, आप विचार कर रहे हैं? आप भी हिम्मत करें। आप अपनी पार्टी मीटिंग में पूछ लें या इस मामले को वैसे ही छोड़ दें। आप बिल लायें और देखें कि वह मेजोरिटीज से पास होता है। 100 आदमियों ने दस्तखत करके दिये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को....

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी के भी दस्तखत हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हां, मेरे दस्खत हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे दस्खत है, और जनता पार्टी के सदस्यों ने इनीशियेटिव लेकर दस्तखत कराना शुरू किया था। इसमें

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अमेंडमेंट लाये हैं और बिल सबमिट किया है। जनता पार्टी के सदस्यों ने यह अभियान चलाया कि विधान सभा के सदस्यों को ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। We are not beging. हम अपने लिए कहना चाहते हैं। मैं फील करता हूं कि इसमें हमारा एलिमेंट नहीं है। जो कुछ है आपका है, परन्तु इसको ठीक करना पड़ेगा, यही मेरा सुझाव है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, आपका विचार हो कि हम माननीय सदस्य आपके पास खप्पर लेकर मांगने आ रहे हैं, तो यह बात नहीं है। हम अपना फर्ज अदा करेंगे, भले ही आप 100 रुपये कम कर दें। हम इस सदन से तनख्वाह लेने के लिए पोलिटिक्स में नहीं आये हैं। यह आपके देखने का काम है सुचारु रूप से होता है तो कर दें। हम काम कर रहे हैं. और होलटाइम ड्यूटी दे रहे हैं। माननीय सदस्यों को दोष नहीं देना चाहिए। यह हमारा फर्ज है। नहीं करना चाहते हैं तो न करें। हम सदन की गरिमा और इज्जत रखना चाहते हैं। भूखें मरेंगे, और पेट पर पट्टी बान्ध कर मर जायेंगे लेकिन आपसे आकर भीख नहीं मागेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव है, श्री हरिकृष्ण और श्री वृद्धिचन्द्र जैन का।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी सुझाव था।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव था तो पहले आना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा पहले का दिया हुआ है। अगर नाम नही आया तो — ......

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। शायद आपने समय के बाद दिया हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : समय के पहले दिया हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना चाहे तो कह दें।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने रेल्वे में फर्स्ट क्लास की सुविधा तो दी, लेकिन समय पर रिजर्वेशन नहीं होता है, तो हमारे लिए यह सुविधा क्या काम की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया प्राविजन को देख लें। आप जिस क्लास में जाना चाहे, जा सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : हमें फर्स्ट क्लास का किराया देकर भी खड़े रहकर आना पड़ता है। दूसरी तरफ आप चलते हैं तो सब के साथ में गाडियां चलती हैं। यह जो सुविधा है इसके मामले पर विचार करें। लेकिन इस पर आप विचार करने को तैयार नहीं हैं। जब यह सुविधा मिली है तो रेलवे को राज्य सरकार की ओर से लिखा जाना चाहिए कि एम. एल. एज. को जब भी जरूरत हो तो पहले स्थान दिया जाय, और बसों में बैठने की जगह मिल जाय. यह व्यवस्था करें, वरन इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको रखने का लाभ नहीं है, यदि खड़े-खड़े आना है और पैसे फर्स्ट क्लास के देने है। यह मेरा निवेदन है सुन ले।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री श्योपतसिंह !

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा यह है कि क्या विधान सभा के सदस्यों को सुविधाएं अधिक मिले या नहीं? आज सुविधाऐं कितनी हैं, व कम है या ज्यादा है, एक जन-प्रतिनिधि के तौर पर ? उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारी तनख्वाहें बढ़ायें, हमारी सुविधाएं बढ़ायें, यहां तक ही मसला होता तो कोई बात नहीं थी। हम भी कहते कि हमको अधिक तनख्वाह व सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालत जो आज एक विधायक की है वह यह है कि आपने उसकी गधे की शक्ल बना रखी है जिस पर चारों तरफ से मार पड़ती है। आफिस में जाता है तो आपका आफिसर उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। प्रजातन्त्र में सबसे बड़ा गुनाह आपने एक ही किया है कि जो अंग्रेजों की पद्धति थी उसी को, उसी अधिकारी को, उसी आफिसर को हमारे सर पर लाद दिया है। हमारे पर चारों तरफ से मार पड़ती है। मुझे तनख्वाह 600 रुपये मिलती है, मैं तनख्वाह मांगने गया, मुझे पैसे की आवश्यकता थी इसलिये मैं गया। तनख्वाह का बिल जब आया तो मुझे बताया गया कि 517 रु. मेरी तनख्वाह में से काट लिये गये। मुझे मेरी तनख्वाह में से 25 रुपये मिले हैं। अभी टेलीफोन का बिल बाकी है। आप छोड़िये इन बातों को, आगे क्या हुआ ? अगस्त और सितम्बर माह का बिजली का खर्चा मेरे जिम्मे रहा 394.16 रु.। मैं हीटर यूज नहीं करता हूं, मैं गैस का चूल्हा जलाता हूं। हीटर जलाता और पानी गरम करके नहाता तो शायद समझ में आ सकता था। एक बिल अभी आया नहीं है। यह दो महीने का है अगस्त और सितम्बर का। इसमें मेरी तनख्वाह कट चुकी है। 400 बिजली के और 265 पानी के दो महीने के। इस प्रकार 517 रुपये मेरे कटे, और 82 रुपये और कुछ पैसे तनख्वाह के मुझे मिले। मेरे बिल जून से बाकी हैं। यह है हमारी व्यवस्था।

एक माननीय सदस्य : पार्टी का चन्दा।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : पार्टी को 150 रुपये देता हूं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक सवाल पूछता हूं कि हमारे कलेक्टर्स और एस. डी. एम बंगलों में रहते हैं। इन्जीनियर्स के पास बड़े-बड़े महल हैं। उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। 80-80 हजार रुपये की गाड़ियां हैं। कभी डीजल की ले आये, और कभी पैट्रोल की ले आये, और पुरानी हो गई तो नई ले आये। यह जो फैसेलिटीज आप उन अधिकारियों को दे रहे हैं। क्या वहीं हमको मिल रही है? फिर आप इस बात की उम्मीद करें कि हम रिक्वेस्ट करें अपने लिए ? यह बात ठीक है कि यह फैसेलिटीज बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे सामने धर्म संकट है। अगर हम तनख्वाह बढ़ाने के बारे में कहते हैं तो गरीबी का समुद्र लहरें मार रहा है, साल दर साल जो गरीबी बढ़ रही है, हमने भी गुनाह किये हैं, हम उन बड़े अधिकारियों को नहीं छोड़ते, जिन्हें फैसेलिटीज दे रखी हैं। हम भी गुनहगार हैं। आज टाटा और बिड़ला जैसे 75 सेठों के पास हिन्दुस्तान की आधी दौलत है · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी हालत यह होती है जब तनख्वाह हमारे पास आती है। हमको करप्ट किया जाता है। हम कमेटी में नहीं आयेंगे तो हमारी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हालत खस्ता हो जायेगी। आपको किसी कमेटी में आना है तो मुख्य मंत्री की या किसी दूसरे मंत्री की या और किसी लीडर की चमचागिरी करो, हालत यह हो जाती है कि चमचागिरी और पेट के झगड़े के अन्दर उनके गुलाम हो जाते हैं, उनके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। जब टाटा और बिड़ला आते हैं तो तीस फीट लम्बी कार में छलांग लगाकर आते हैं। यह सारी व्यवस्था है। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को कम तनख्वाह देकर करप्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक सेठ या आफिसर की हैसियत ज्यादा होती है तो हमारी कोई बात नहीं पूछता। हमारी हालत भी गिड़गिड़ाने की रहती है जब हमारे पास. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पैसा नहीं रहता। केवल तनख्वाह बढ़ाने की ही बात नहीं है। जब तब यह व्यवस्था रहेगी तब तक आप तनख्वाह भी बढ़ायेंगे तो लोग आपको नोच लेंगे। वे आपसे कहेंगे कि हम दुःख में हैं। आज 20 रुपये से भी कम आमदनी वाले 70 फीसदी लोग राजस्थान में हैं। वे हमसे जवाब तलब करेंगे कि आपने अपनी तनख्वाह किस प्रकार से बढ़ाई? हमारे रोजगार का आपने कोई बन्दोबस्त नहीं किया। इस तरह से व्यवस्था बिगड़ेगी। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनकी जिन्दगी ही अलग है। जिनकी एक-एक करोड़ की कोठी हैं, दस-दस लाख की कारें हैं। उनकी हैसियत देखिये, वे आफिसर को करप्ट करते हैं। इसलिए यह सारी व्यवस्था जब तक है तब तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप चाहते हैं कि फैसेलिटीज बढ़ें, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें, हमको सुविधायें मिले तो आपको हिम्मत के साथ कदम उठाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था को स्मैश नहीं करेंगे तो लोग आपकी हालत को बरदाश्त नहीं करेंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कलेक्टर और एस. पी. को नहीं पूछेंगे, आप जायेंगे तो आपकी खाल खींच लेंगे। जब तक आप लोगों को कुछ नहीं दोगे; आप में व्यवस्था को तब्दील करने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक आप कुछ ले भी नहीं सकते। एक पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत, कलेक्टर से, एस. डी. एम. से या इन्जीनियर से ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कम से कम हमारे सूर्यनारायण जी मंत्री महोदय यह जरूर बतायेंगे कि जो खराब हालत हो रही है इसमें क्या कलेक्टर्स को 2500 रुपये बचते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप फैसेलिटीज चाहते हैं तो जो बाहर बैठे हैं उनका भी आपको खयाल करना पड़ेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्य का एतराज यह है कि लोग क्या कहेंगे?

1:10 का रेशो होना चाहिए।

श्री नूरा: जनता से पैसा लेना, और नियम बनाने की विधान सभा. . . .

श्री हरिकृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट में, जिस प्रकार से नाम हो, उसी तरह से लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम पुकारा गया था। आप मौजूद नहीं थे। आप बोलिये।

श्री नूरा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी. . .

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में समय देंगे।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिकृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक" को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों के दो कर्त्तव्य हैं-जनता की बात को विधान सभा में कहना और जनता के दुःख दर्द को पेश करना। दूसरा कर्तव्य है कि विधान सभा में जो निर्णय हों उसे जनता के कानों तक पहुंचाना। विधान सभा में बैठने के लिए और मीटिंग में आने के लिए भत्ता देते हैं किन्तु गांवों में जनता के पास जाने के लिए, गांवों में जाना पड़ता है उसके लिए हमको कोई किराया नहीं मिलता। आज के समय में जहां पैट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, विधायकों को पांचसौ के भीतर ही मीलों, गांव 2 तक जाना पड़ता है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जन सम्पर्क बढाने के लिए, जनता के दुख दर्द जानने के लिये, गांव गांव तक पहुंचने के लिये, आपको किराये का प्रबन्ध, किसी भी रूप में करना चाहिए। चाहे आप जीप पूल से अलॉट करायें, चाहे टी. ए. के रूप में दें, कोई भी व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि......

एक माननीय सदस्य: साइकिल की व्यवस्था ठीक रहेगी।

श्री हरिकृष्ण: कोई भी प्रबन्ध होना चाहिए सरकार को इस तरफ सोचना होगा। जनता के दुःख दर्द को जानने के लिये गांव के लोगों से सम्पर्क रखना बहुत आवश्यक है। इस पर विचार करना पड़ेगा।

दूसरा टेलीफोन की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। विधान सभा क्वार्टर्स में एक टेलीफोन है। मैंने देखा है कि जब कभी टेलीफोन आता है तो जब तक बुलाने के लिए चौकीदार आता है तब तक वह कट जाता है। फिर बार-बार मिलाने पर भी नहीं मिलता। यदि इसका लिंक क्वार्टर्स से जोड़ दिया जाय तो सुविधाजनक होगा। इस पर भी विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नूरा जी।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैंने निवेदन किया था कि जनता से विधिवत तरीके से पैसा लेने, और नियम बनाने का विधान सभा को अधिकार है। आज विधायकों ने अपनी दिक्कतों का जिक्र इस प्रकार से किया है कि इतने कम पैसे से वे परेशान हैं, दुःखी हैं और इससे उनका पूरा नहीं होता, उनको सुविधायें बढ़ायी जानी चाहिए।

पहली बात यह है कि आज मौके पर लोगों की तकलीफें विधायकगण सुनने जाते हैं। हमें जनता की जो सेवा करनी चाहिये, उनके सुख के लिए जो सहयोग देना चाहिए, वह हम इस पैसे से नहीं दे सकते। सरकार कुछ नियम बनाकर उन लोगों के लिए भी सोच सकती है, और उनका थोड़ा सुखी जीवन बनाने के लिए यह विधान सभा कोई कानून पास कर सकती है। उनको मकान व जमीन मिले। अगर हम उनको कोई सुविधा नहीं दे सकते या जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे लेकर गरीब लोगों को नहीं दे सकते तो हमें भी अधिक लेने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने

(श्री नूरा)
हमें चुना है, जिन्होंने हमें यहां भेजा है वे कम आय से अपना जीवन नहीं चला सकते तो फिर मुझे भी यह अधिकार नहीं है । मेरे इलाके के लोग दुखी हों, एक टाइम भी उनके यहां चूला नहीं जले, रहने के लिए मकान नहीं हो, उनके बच्चे बिना दवाइयों के मर जांय, उनके परिवारों को सुख-सुविधा न दे सकें तो जब तक हम उनको सुखी नहीं बना सकते उनके लिए कोई कानून नहीं बना सकते, तब तक हमें भी चुप रहना चाहिए । जो पूंजीवादी बड़े-बड़े सेठ हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, वे अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं । सरकार चाहे तो उनकी पूंजी बढ़ाने से रोक सकती है और गरीबों के लिए वह पूंजी लगा सकती है । जब तक यह पूंजीवादी सरकार रहेगी, तब तक यह हालत बनी रहेगी । जब तक सरकार की नीतियों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे इलाके के लोग जो भूखे मर रहे हैं, उनकी हालत नहीं सुधरेगी । मैं कहता हूं बहुत बड़े पैसे वालों से पूंजी लेकर गरीबों की सुख-सुविधायें जब तक बढ़ाई जायेंगी तब तक हमें ज्यादा पैसे लेने का अधिकार नहीं है । जब तक ये बातें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारे पैसे बढ़ने का मैं विरोध करता हूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन से कह रहे हैं या ऊपर से ?

श्री नूरा : मैं मन से कह रहा हूं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय विधायक 6 कमरों की कोठी में रहते हैं ....

(व्यवधान)

आप 6 कमरों वाला मकान खाली कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नूरा : जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, आप उनके हिमायती हैं । उनके लिए दो शब्द आपने नहीं कहे ;......

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले छोटे मकान में आ जांय ।

श्री नूरा : मैं अपनी बात से परे नहीं जा सकता । आप पैसे वालों के हिमायती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नूरा : मुझे सरकार की बिल्डिंग मिली हुई है उसमें आप भी हिस्सेदार हैं ।

(व्यवधान)

मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 6 कमरों के मकान में रहकर ....

(व्यवधान)

श्री नूरा : मेरी बिल्डिंग के लिए कहते तो मैं सुन सकता था लेकिन यह बिल्डिंग सरकार की है । आप जोर से बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाए । कृपया बिराजिए । माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार न करें । अगर इस तरह की बार-बार चर्चा होगी तो अंत नहीं होगा ।

× × ×

विधि मंत्री ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, यहां दोनों ही तरह के विचार

×××उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
सामने आए, एक तो सुविधायें अधिक दी जायं माननीय सदस्यों को, और दूसरे यह कि और सुविधायें न दी जायं। माथुर साहब ने एक बात कही, वे मांगने नहीं आए हैं। मैं नहीं समझता कि माथुर साहब को इस मामले पर इतना सेंटीमेंटल होना चाहिए। जो कुछ करेंगे, आप और हम सब मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से सरकार इस मामले के अंदर इन्फ्लेक्सीबल एटीट्यूड नहीं अपनाएगी।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मुझे हिंदी की प्रति नहीं दी गई।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : साइक्लोस्टाइल हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य सिद्धांत पर लड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब संशोधन प्रस्तुत होंगे तब आपको मिल जाएगी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारी तरफ से लैप्स हुआ है, उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, आगे के लिए सही रूप से ध्यान रखा जाएगा।

तो मैं कह रहा था कि अधिक से अधिक विचार किया जाएगा, और माननीय सदस्य भी विचार करेंगे।

अभी माननीय श्री श्योपत सिंह ने कुछ अपने बिलों के बारे में बताया। यह सही है कि किसी छोटे से परिवार के लिए इतना अधिक बिल बिजली व पानी का आना संभव नहीं है, लेकिन विधायक का परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है, पूरी कान्स्टीट्यूएंसी वहां आकर रहने लग जाती है, पार्टी का दफ्तर भी वहां चलने लगता है। तो आप इस बात को मानेंगे कि विधान सभा के माध्यम से पूरा खर्चा लगाया जाए तो खजाना नुकसान में चला जाएगा। कहीं तो सीमा लगानी पड़ेगी, और कुछ नियंत्रण करना पड़ेगा। उससे अधिक खर्च होता है तो माननीय सदस्यों को सचेत रहना चाहिए अथवा जो दूसरे स्त्रोत हैं जिनके माध्यम से हम राजनैतिक दल चलाते हैं, उन स्त्रोतों को सप्लीमेंट करना चाहिए, या इस देश की राजनीति में ऐसा परिवर्तन आ जाए जैसे राजनैतिक कार्यकर्ता और राजनैतिक दल अन्य लोकतांत्रिक देशों में पश्चिम जर्मनी वगैरह में राज्य के खर्चे से चलाए जाते हैं, चुनाव भी लड़े जाते हैं, और निश्चित राशि बजट से दी जाती है। ऐसी प्रक्रिया इस देश में चलाई जाए और सारे राजनैतिक दल इस बात के लिए तैयार हों तो मैं मानता हूं कि राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और हम लोग अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में समर्थ होंगे। लेकिन इस पर राष्ट्रव्यापी डिबेट होनी चाहिए। ऐसे सदस्य, जो देश के जनमत को प्रभावित कर सकते हों, अपने विचार व्यक्त करें, सदन के अंदर, चाहे बाहर, तो इस देश की राजनीति में नया सुधार आएगा।

श्योपतसिंहजी और दूसरे सदस्यों ने कुछ तुलनात्मक विवेचन भी किया, सदस्यों की सुविधाओं का, और सर्विस क्लास का उस बारे में, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात मुझे अखरती है, लेकिन समाज की जो व्यवस्था पिछले बीस-तीस साल से चली आ रही है, और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार सर्विसेज को दे रखे हैं धारा 311 के अन्तर्गत,

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
इस सरकार के लिए तो यह सम्भव नहीं है कि वह उन सुविधाओं को समाप्त करके, समकक्ष ला सकें.........

श्री मूलचन्द डागा : अब तो आपका ही राज्य है केन्द्र में। अब तो समग्र क्रांति की बात करो।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं माननीय माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि वह तो इनके दल के नेता हैं इसलिए कुछ तो माननीय डागा साहब को सिखायें। कम से कम इतना धैर्य तो रखें कि वह पूरी बात सुन लें।

पिछले तीस वर्षों से राजनैतिक कार्यकर्त्ता महसूस करते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो सम्मान जन-प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, जो उनकी बात का आदर होना चाहिए वह सभी स्तर पर नहीं हो रहा है। यह देशव्यापी राजनैतिक चिन्तन का विषय है। मैं चाहूंगा कि इसका कोई रास्ता निकाला जाये। उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो जन-प्रतिनिधि हैं वह अधिक अपने आपकी जिम्मेदारी समझें। वह उन कार्यों से अपने आपको अलग रखें जिनसे इस देश के राजनैतिक जीवन में दूषित वातावरण बनता हो, उनकी गरिमा गिरती हो। निश्चित रूप से इस प्रकार का अगर हम कुछ परिवर्तन ला सकें, अपने दृष्टिकोण में तो समाज के अन्दर जो विचरण करते हैं, और आचरण करते हैं उनकी छाप प्रशासनिक सेवाओं पर भी पड़ेगी, समाज के ऊपर भी और राजनैतिक स्तर पर भी पड़ेगी। इससे स्वतः ही सम्मान बढ़ेगा। यह एक तरीका उसका है।

दूसरे जहां तक सुविधाओं का सवाल है ...

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या आप उपदेश दे रहे हैं? उपदेश की वाणी हो रही है क्या? हम उपदेश सुनने नहीं आये हैं। आप संत विनोबा जी बन जाओ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इनका मानसिक स्तर बढ़ाना चाहता हूं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो प्रश्न आपने सूक्ष्म रूप में उठाये हैं। उनको मैं राष्ट्रव्यापी बना कर, आपकी गरिमा बढ़ा रहा हूं और आप इस तरह से कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप एक दूसरे की गरिमा बढ़ा रहे हैं।

श्री शंकरलाल : आप हाउस की गरिमा बढ़ाओ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह सही है कि राजनैतिक जीवन में जन प्रतिनिधि जो काम करते हैं उनके लिये सम्पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं होता, तो वह स्वच्छ राजनैतिक जीवन में नहीं आ सकते जो कि अपेक्षित है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका रास्ता निकालिये। इसका रास्ता यह नहीं है कि अगर आपके और हमारे पास में राज्य के खजाने की चाबी है तो चाहे जितना ले लें। इसके लिए आपको एक संतुलित व्यवस्था बनाकर चलना पड़ेगा। 20 वर्ष तक आपने शासन किया है और मंत्री बनकर कार्य किया है, पता नहीं आपने कैसे हजार बारह सौ में काम चलाया ....

श्री मूलचन्द डागा : Is it within the scope of the Bill? He is giving the reply.

श्री मथुरादास माथुर : आप कहिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : एक मांग माननीय हरीकृष्ण जी के द्वारा, अपनी-अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में जाने के संबंध में रखी गई। इसके ऊपर भी राज्य सरकार विचार कर रही है ....

श्री मूलचन्द डागा : कब से शुरू किया विचार ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जब से आपने विचार करना छोड़ा, तब से हमने शुरू किया।

श्री मूलचन्द डागा : 15 महीने हो गए, सोचते सोचते बुढ़ापा आ जायेगा। आप कर ही नहीं सकते।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार विचार कर रही है.......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपसे ही सीखा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप विचार कर रहे हैं यह सदन के एश्योरेन्स की संज्ञा में आता है। एश्योरेन्स कमेटी पूछेगी कि आपने इतने कमिटमेन्ट किये, उनका क्या किया। इसलिए यह सोच कर कहें कि आपको बताना होगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको जानकारी के लिए कह दूं ....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सदन में यह घोषणा करते हैं......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह घोषणा की गयी थी कि 5 रुपये सदन के वाच एण्ड वार्ड वालों को दिये जायेंगे लेकिन आज तक वह रुपया देना चालू नहीं हुआ है। इसलिए आपकी सरकार वायदा नहीं निभा सकती।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह दूसरा विषय है।

मैं आपके माध्यम से माथुर साहब को कह सकता हूं कि वह गम्भीरता से इसके ऊपर सोचें। आपने जो विचार करने का इन्टरप्रिटेशन लिया, वह गलत है। इस विचार को हम त्याग भी सकते हैं और इस नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं कि हमने विचार करके, जो मुद्दे आपने रखे थे उनको अस्वीकार कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : आप यही कहें कि अस्वीकार कर दिया। यह क्यों कहते हैं कि विचार कर रहे हैं। आपने यह बिल रखा है, यह विचार करके रखा है ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें जो विचार आया है वही मन्जूर किया है और बाकी सब सब रिजेक्ट कर दिये। आपने कहा कि हम तो 15 महीने से विचार कर रहे हैं। खोदा पहाड़, और निकली चुहिया।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : हमने तो उनके लिए रखा है जिन विधायकों की मृत्यु हो जाती है और......

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टर फोर स्टेट का 250 रुपया संम्च्यूरी अलाउंस है, उस पर तो विचार कर लिया। आप यह क्यों नहीं कह देते कि बाकी जैसे का जैसा चलेगा। यही कह दो।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप खुद अपने आपको देने वाले हैं।

[redacted]

श्री मथुरादास माथुर : देने वाले तो सभी हैं। सदन में आपका बहुमत है इसलिए माननीय सदस्य पीछे बैठने वाले ट्रेजरी बैन्चेज में हैं वह भी खिलाफ नहीं जायेंगे, अगर आप फैसला कर देंगे तो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : गम्भीरता से सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास बहुत काम हैं। इसको गम्भीरता से मत सोचें, नहीं तो आपका दिमाग फैल हो जायेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मुद्दा उठाया गया सम्पूर्ण रूप से, सामाजिक व्यवस्था को बदलने का। एक माननीय सदस्य ने 75 घरों में सम्पत्ति जाने की बात कही। निश्चित रूप से मैं भी समझता हूं कि आमूल-चूल परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था में होना आवश्यक है। जितनी अधिक आर्थिक डिस्पेरिटी होगी, उतना ही अधिक डिसकन्टेंटमेन्ट होगा। उस दिशा में राष्ट्रीयस्तर पर कुछ किया जाना ही इसका उपाय है।

इन सब शब्दों के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदर से निवेदन करूंगा कि जो प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव, और दूसरे प्रस्ताव आये हैं वह वापस लिये जायें, और सदन कृपा करके, आगे की कार्यवाही करके इसको पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीकृष्ण जी।

(अनुपस्थित)

क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव श्री डागा जी ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने की उन्हें अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री मूलचन्द डागा: मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय श्री हरीकृष्ण जी का इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : 6 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है

(श्री मथुरादास माथुर)
स्पीकर साहब ने । ज्यादा से ज्यादा आप 6 बजे तक रखें ।

श्री वाऊदयाल जोशी : टाइम तो बढ़ाइये नहीं, तो ऐसे कैसे पैसे बढ़ेंगे ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम फैक्ट्री वर्कर नहीं हैं जो ओवर टाइम काम करें । 6 बजे के बाद बैठना संभव नहीं है ......

(व्यवधान)

6 बजे तक का ही समय बढ़ाया जाये । यह प्रस्ताव न्यायोचित है, तर्क संगत है, और संसदीय परम्पराओं के अनुसार है ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अगर जीरो आवर का समय चार बजे तक चले, तो सरकार के कार्य के लिये क्या समय बचा ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह स्पीकर साहब के विवेक पर आक्षेप है ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपने ठेका नहीं ले रखा है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर स्पीकर साहब चार बजे तक का जीरो आवर रखते हैं तो यह उनका विवेक है । आप उन पर आक्षेप नहीं कर सकते । आप साल में 120 दिन सैशन बुलाइये ।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया था कि साल भर सैशन चलाना चाहता हूं । नेता महोदय सदन में आते नहीं है, यह सदन का अपमान है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरे प्रस्ताव पर मतदान ले लिया जाये ।

श्री हरि कृष्ण : जीरो आवर का समय बांध दिया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा, सदन के नेता महोदय को कि मैंने जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप को देखा है और भी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। वे सदन में कम से कम चार घंटे बैठते हैं। सदन के नेता ने सदन को बिल्कुल कुछ नहीं समझा, यह सदन का अपमान है । मेरी बात आप पहुंचा दें । सदन के लीडर को हाउस में रहना चाहिये । उन्होंने तमाशा समझ रखा है । यह भारी आपत्ति है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : समय बढ़ाने के लिये कल जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तब यह कहा गया था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने के बाद व्यवस्था कर दी जायेगी, अगर आवश्यक हो तो बढ़ाया जाये, या किस तरह से काम लिया जाये । उसके बाद यही व्यवस्था थी कि जब तक बहुत ही आवश्यक कार्य न हो, समय न बढ़ाया जाये । आज सलाहकार समिति की बैठक हुई नहीं, जैसा माथुर साहब ने कहा, होने जा रही है इसलिये एक घंटे से ज्यादा समय न बढ़ाया जाये । यह मंत्री महोदय वोट की बात करते हैं, यह वोट वाला मामला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा । मैं यह कहना चाहता था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 6 बजे रखी है। जब तक बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग खतम न हो जाये तब तक सदन का समय बढ़ा दें । यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी रख दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : 6 बजे तक बढ़ा लो। Consensus of the House

(श्री रामनारायण चौधरी)
is that time should be exten-ded up to 6 P.M.

श्री उपाध्यक्ष : कोई टेक्निकल डिफिकल्टी भी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 6 बजे बैठेगी। 6 बजे पूर्व ही आज की कार्यवाही का समय नहीं बढ़ाया जाता है तो सवाल यह है कि कल क्या कार्य लिया जायेगा, आज कितना कार्य हो गया है। इसलिये जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हो जाती थोड़ा-सा समय और बढ़ा दें।

श्री मथुरादास माथुर : हम लोग मीटिंग में जायें और पीछे से सदन के अन्दर सप्लीमेंट्री डिमाण्ड होगी उन पर विचार के अन्दर हम पार्टीशिपेट नहीं करें। I can not participate in the proceedings of the House. यह कह दीजिये, वे मीटिंग पोस्टपोन कर दें।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह परम्परा रही है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पधारते हैं वे बाद में डिबेट में भाग लेते हैं। कोई डिमाण्ड 20 मिनट में पास नहीं होने वाली है।

श्री मूलचन्द डागा : No, it is not possible.

श्री माणकचन्द सुराणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कम से कम आधा घंटा तो होगी।

श्री मथुरादास माथुर : हम उस कमेटी में चले जायें। हम यहां मौजूद रहना चाहते हैं। यह हुकम दे दीजिये, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल होगी।

श्री मूलचन्द डागा : ये मंत्री लोग अभी बैठे हैं, अभी चले जायेंगे। इनके अलग-अलग विषय होते हैं। ये दो-दो घंटे बाहर घूमते हैं। हमारा सबजेक्ट नहीं है। यह सुराणा साहब नये मंत्री बने हैं। आप कहां रहते हैं? आप तो अभी आये हैं चार बजे चाय पीकर।

श्री मथुरादास माथुर : Your having become a Minister is now the property of the House. ऐसा न हो जाये कि विदाउट पोर्टफोलियो जिन्दगी बुढ़ापे में यूं ही गुजर जाये।

श्री शिवचरण सिंह : विधान सभा की बैठक का समय 11 बजे से रात के 11 बजे तक का कर दिया जाये ताकि हमें आर्गूमेंट न करना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, मैं कम से कम आपको सुविधा देना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं तो उस मीटिंग के दौरान अगर आवश्यकता समझी तो आपको जरूर समय दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : अभी 6 बजे तक कर देते हैं। 6 बजने में पांच मिनट पहले देख लगे। हम कोआपरेट करेंगे, तो 5 बजे तक ही पास हो जायेगा नहीं तो रात भर भी पास नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय 6 बजे तक बढ़ाया गया है।

[redacted]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार—खण्ड 2। श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा : मैंने खण्ड 2 में यह अमेंडमेंट दिया है :

"In sub-section (1) of section 4-B proposed to be inserted the words "or becomes physically or mentally incapacitated" shall be inserted between the words "dies" and "before."

मैंने कहा मरने के बाद पांच साल का देंगे, यह बात तो ठीक है लेकिन असेम्बली का मेम्बर होने के बाद अपना काम करते हुए वह किसी वजह से अयोग्य हो जाता है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिये। मान लीजिये उसको लकवा हो जाता है....

(व्यवधान)

सुनने में तो एतराज नहीं होना चाहिये ।

मान लीजिये किसी आदमी के ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वह घर पर ही पड़ा रहता है तो "यदि वह मेन्टली और फिजिकली इनकेपेबल हो जाता है" ये शब्द और जोड़ दें। कभी-कभी हमारा अमेन्डमेंट भी मानें। मरने के पहले जिन्दा होते हुए मरने के समान है। तो उस समय क्या पांच साल के लिये देना चाहते हैं ? मैंने कहा है यह वर्ड और ऐड कर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : डागाजी को एश्योरेन्स दे दीजिये कि आप मेन्टली और फिजिकली इनकेपेबल नहीं होंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं डागाजी की गारन्टी लेता नहीं हूं, लेकिन और कोई ऐसा नहीं होने वाला है।

श्री मूलचन्द डागा : मद्रास के मि. राजू थे। वे पांच साल तक 'कोमा' की स्थिति में हो गये। उनको हेमरेज हो गया उसके कारण वे सोते रहे। बाद में भगवान की कृपा हो गई कि वे ठीक हो गये और आज वे मेम्बर हैं। किसी आदमी की जिन्दगी के रहते हुए भी अगर इस प्रकार की हालत हो जाय, लकवा हो जाय तो उस पर मेहरबानी करके विचार करिये और मेरे संशोधन को मानिये। आपका जो पर्पज है उसके अनुसार ऐसे मेम्बर को दिया ही जाना चाहिये। उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब मैं हो जाऊं या नहीं हो जाऊं लेकिन आप तो स्वस्थ रहिये। भगवान की कृपा है. न मालूम किस को क्या हो जाय। आप तो मंत्री महोदय हैं और आपको सुविधायें हैं लेकिन हमारे लिये तो कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय डागाजी ने जो एक सम्भावना की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अमेन्डमेंट रखा है, उस अमेंडमेंट को रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं हिन्दुस्तान के पिछले 30 वर्षों में इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं आई है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उदाहरण दिया है। आप चाहते हैं तो मैं एम. पी. का भी उदाहरण दे सकता हूं।

(98)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप उसको गलत समझ गये । इस सदन के माननीय सदस्यों को मेडिकल की फेसेलिटी है, अगर फिजिकली इनकेपेबल हो जाता है और अनुपस्थित रहता है तो सदन उसको छुट्टी देता है । कहीं पर ऐसा हुआ नहीं है कि फिजिकली इनकेपेबल होने के कारण सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया हो ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कम्पलीट फाईव ईयर्स ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, कम्पलीट फाइव ईयर्स तक भी वह सदस्य रह सकता है । किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : कम्पलीट पांच साल?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, with the leave of the House. इस प्रकार के इन्सटान्स हुये नहीं हैं और भगवान न करे ऐसा हो । मैं समझता हूं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, मैं वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय डागा जी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

अब खण्ड 2 पर मतदान कराना है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3 । इस पर श्री हरजीराम बुरड़क और श्री हजारीमल के संशोधन हैं क्या वे संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

(अनुपस्थित)

उनके संशोधन प्रस्तुत नहीं हुए हैं । इसलिये खण्ड 3 जो मूल रूप में प्रस्तुत हुआ है, उस पर मतदान करा लिया जाये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मूल रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 । श्री हरजीराम बुरड़क और श्री हजारीमल उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने हैं । वे उपस्थित नहीं हैं इसलिये खण्ड 4 पर मतदान कराया जाये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 5 श्री हरजीराम बुरड़क और श्री हजारीमल । वे उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 6 श्री हरजीराम बुरड़क और श्री हजारीमल । वे उपस्थित नहीं हैं इसलिये खण्ड 6 को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 पारित किया गया ।

खण्ड 7 ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा संशोधन है ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा भी संशोधन है । आपका तो बाद में है । पहले मेरा अमेन्डमेंट है फिर आपका है, यह समझें आप ? Mentally or physically incapacitated हो जाय, you can have it "subject to rules"..........

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्साफ की बात निवेदन करना चाहता हूं । यह खण्ड 2 का जो अमेन्डमेंट है यह अमेन्डमेंट मैंने इन्ट्रोड्यूज किया था । अब सरकार की तरफ से पेश हो गया । जिस दिन ढाबरिया साहब का इन्तकाल हो गया था उसी दिन पेश किया था...... that if any member dies before the expiry of his term of five years of membership, his family should get a pension. This was my idea. मैंने जो आइडिया पेश किया था वह सरकार ने पेश कर दिया और मेरे पास जवाब यह आया कि मेरे अमेन्डमेंट को नामंजूर कर दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : Yes. It is a point. जब मेम्बर लोग अपना बिल पेश करते हैं तो उसको तो नहीं मानते हैं और ये उसका श्रेय लेना चाहते हैं ।

श्री मंजूर अली : मैं बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा, आइन्दा कोई अमेन्डमेंट लाते हैं तो चाहे वह पार्टी पॉवर में हो या नहीं हो उनको मंजूरी दी जानी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर । माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा यह निवेदन है कि जिस दिन यह बिल बांटा था उसके बाद जिन जिन सदस्यों ने अमेन्डमेंट रखा वे उस दिन सब सम्मिलित कर लिये गये । उस दिन कार्यवाही हो चुकी थी इसलिये मंजूर अलीजी ने यह कैसे कहा कि उनका अमेन्डमेंट नहीं लिया गया । उस दिन विधान सभा द्वारा प्रसारित नहीं हुआ तो कह सकते हैं । अब इस बिल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ।

श्री मंजूर अली : मैंने कोई अमेन्डमेंट पेश नहीं किया था, लेकिन यह आइडिया था कि मेम्बर मर जाता है तो उसके सरवाइवर को पेंशन मिलनी चाहिये । यह एक्चुअल एक्ट में अमेन्डमेंट था ।

श्री ईश्वरचन्द्र : ओरिजिनल थिंकिंग इनकी है तो उसके लिए आपको इनका उपकार मान लेना चाहिए ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि माननीय मंजूर अली साहब ने जैसा कहा है, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने कोई अमेंडमेंट दिया था

(श्री सूर्यनारायण चौधरी) :
या नहीं लेकिन यह फाइनेंशियल मैटर है। यह रेफर करता है कि किसी भी सदस्य की प्री-मेच्योर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उनकी फेमिली को उस पीरियड की पेंशन मिलनी चाहिए। इसमें फाइनेंशियल मैटर इन्वोल्व्ड है, और बिना गवर्नर की स्वीकृति के इसको इंट्रोड्यूज नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंजूर अली साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें तो इस बात पर हर्ष व्यक्त करना चाहिए कि सरकार उनके संशोधन को अडाप्ट कर रही है।'

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसके प्रस्ताव की ताईद कर दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो पार्लियामेंट्री ट्रेडीशन्स हैं, कोई संशोधन प्रस्ताव हो, अगर सरकार स्वीकार करती है तो सरकार का ही संशोधन प्रस्ताव होता है और सरकार की तरफ से ही मूव होता है। यह ट्रेडीशन है..

श्री मूलचन्द डागा : No, No, No tradition.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमारी यह हठधर्मी नहीं है जैसी आपकी है।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब मैंने मेरा बिल पेश किया तो इन्होंने कहा ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, बिराजिये ?

श्री मूलचन्द डागा : तो साहब, ये गलत क्यों कह रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) विधेयक ......

श्री मूलचन्द डागा : मेरा अमेंडमेंट है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले अपना अमेंडमेंट पेश करें, मंत्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 में मेरा अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हिन्दी प्रतिलिपि सभी माननीय सदस्यों को मिल गई है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मिल गई है। मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : हमने यह ओब्जेक्शन नहीं किया कि आज यह अमेन्डमेन्ट क्यों लाए......

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक एतराज है। एक इम्पोर्टेंट पॉइन्ट है इस पर गौर किया जावे। मुझे यह राइटिंग में सूचना आज ही दी गई है कि मेरा अमेंडमेंट बिल नामंजूर कर दिया गया है। यह सूचना मुझे आज दी गई है। यह उपरोक्त बिल राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978 से सम्बन्धित है। "महोदय, उपरोक्त विधेयक को आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक के अवगत होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन

[redacted]

(श्री मंजूर अली)
उक्त विधेयक राजस्थान विधान सभा में प्रस्थापित करने एवं विचारार्थ लिये जाने की राज्यपाल महोदय ने सिफारिश नहीं की है" ।

यह मुझे इन्फार्म किया गया है । यह बिल इन्ट्रोड्यूज किया गया है, वह गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने सिफारिश नहीं की है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हुआ है । इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री मंजूर अली : यह मुझे जो सूचना दी गई है वह गलत हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना बिल्कुल बाकायदा दी गई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं है आपकी जनता पार्टी की सरकार को ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है धारा 7 में, वह यह है—Clause 7 of the Bill shall be substituted by the following clause, namely—

"Section 8-B of the principal Act shall be substituted by the following section, namely—

8-B(1). *Free Railway travelling facilities to Members.*—Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and his or her spouse or any other person accompanying the Member at any time to travel in any class by any railway throughout the territory of India, covering the journeys the aggregate fare whereof shall not exceed rupees two thousand two hundred and fifty within a calendar year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

(2) Where a member chooses to travel by air, he shall be paid an amount equal to one first class railway fare for each such journey in accordance with sub-section (1) and the difference between such air fare and first class railway fare shall be borne by the member himself :

Provided that aggregate amount so paid either as railway fare or in respect of air fare or both shall not exceed rupees two thousand two hundred and fifty within a calendar year.

Explanation.—For the purposes of this section, a member shall include a Minister as defined in the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1966 (Act No. 43 of 1956) and an officer of the Legislative Assembly for the State as defined in this Act."

धारा 7 में इससे पूर्व तो राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को बारह हजार किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

में यात्रा करने की सुविधा दी गई थी और इसके कूपन्स दिए गए थे । माननीय सदस्य विधान सभा के एक व्यक्ति को अपने साथ भी रख सकते थे जो कि फर्स्ट क्लास में एज ए कम्पेनियन उनके साथ ट्रैवल कर सकता था । इसके बाद कुछ कठिनाई रेलवे वालों के सामने आई और उन्होंने ट्रैवल कूपन्स के बजाय केश कूपन्स को अधिक पसन्द किया । बारह हजार किलोमीटर को वर्क आउट किया तो केश में 2250) रु. आता है । तो क्योंकि रेलवे के कूपन्स इश्यू नहीं हो रहे थे रेलवे के द्वारा इसलिए हमको एक आर्डिनेंस के द्वारा इस चीज को सामने लाना पड़ा । उसी आधार पर यह बिल पेश किया गया है । इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि जो माननीय सदस्य प्रथम श्रेणी के अन्दर ट्रैवल करना पसन्द नहीं करते, उनको इसी राशि के अन्दर देश के अन्दर अधिक भ्रमण करने की सुविधा मिल जावे । कुछ माननीय सदस्यों ने यह चाहा कि रेलवे को 2250) रु. की निर्धारित राशि देनी ही है किराये के रूप में तो माननीय सदस्य इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए कि वे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें या सैकिण्ड क्लास में ट्रैवल करें । जो भी क्लास में वे ट्रैवल करना चाहें ट्रैवल कर सकें, इसमें सरकार को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए । माननीय सदस्यों के इसी सुझाव को विरोधी पक्ष के माननीय नेता की सहमति से इसमें समाहित किया गया है । इसलिये किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसको स्वीकार करने में ।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : इसमें शोर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कम हो गया है । बारह हजार किलोमीटर लोंग डिस्टेन्स से कैलकुलेट करने पर 2250) रु. बनता है लेकिन जो विदिन हंड्रेड माइल ट्रैवल करते हैं उनके लिए इस राशि में दस हजार किलोमीटर ही रह गया है । यानी प्रति वर्ष जो बारह हजार किलोमीटर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं उसको अगर रकम में कन्वर्ट करते हैं तो शोर्ट डिस्टेंस में माननीय सदस्य ट्रैवल कम कर सकेंगे । उनका डिटेंस कम हो गया है । मैं सवाई माधोपुर जाता हूं, फर्स्ट क्लास का शोर्ट डिस्टेंस में 35 रुपया देता हूं तो लोंग डिस्टेंस में कम होगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जब अभी 20) रुपये का टिकट है तो पहले भी बीस रुपये का ही टिकट था ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने बारह हजार किलोमीटर का कन्वर्ट किया है रुपयों में और उसके 2250) रुपये होते हैं लेकिन आपने इसका टेलीस्कोपिक फेयर नहीं लगाया है । आपने शोर्ट डिस्टेंस फेयर नहीं लगाया है । जो सवाई माधोपुर जाने वाले हैं, सीकर जाने वाले हैं, अजमेर जाने वाले हैं, इस सबका माइलेज रुपयों में 2250) रुपयों से ज्यादा आएगा, एक बात । दूसरी बात यह है कि डिफरेंस है मेल और आर्डिनेरी ट्रेन का। मेल में ट्रैवल करने में ज्यादा लगता है । तो आर्डिनेरी ट्रेन और शोर्ट डिस्टेंस में बारह हजार किलोमीटर का फेयर 2250) रु. से ज्यादा आएगा । अगर आप टेलीस्कोपिक फेयर लगाएं और शोर्ट डिस्टेंस फेयर लगायें तो 2250) रु. का कम से कम तीन हजार हो जाएगा ओटोमैटिकली । यह हमने भी कैलकुलेट किया है । आप ही नहीं हम भी कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन हमने तो सोचा कि कौन झगड़े में पड़े ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय इसमें थोड़ी सी गड़बड़ और भी रह गई है। माननीय सदस्यों को यह भी सुविधा है कि वह इसी फेयर से एयर ट्रेवल भी कर सकते हैं लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ट्रेवल कर सकता है जबकि ट्रेन में दो व्यक्ति ट्रेवल कर सकते हैं। मेरा यह सुझाव था कि जो एक आदमी साथ ले जाने की फैसेलिटी है ट्रेन में वही सुविधा एयर ट्रेवल में भी मिलनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इसमें जो यह अमेंडमेंट किया गया है कि केवल फर्स्ट क्लास में यात्रा करें उसके साथ कोई स्पाउज या फेमिली मेम्बर तो फर्स्ट क्लास में उसके हिसाब से अपने पास से डिफरेंस दे। यही सुविधा एयर ट्रेवल में भी शामिल होनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपयुक्त, सुझाव है इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कई विधायक शादी किए हुए नहीं हैं, अब जाकर शादी करेंगे तो साथ में ट्रेवल कर सकें इसलिए यह चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें डागाजी शादी और बेशादी की बात नहीं है। कोई भी उसके साथ हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, पार्टी मेम्बर भी हो सकता है। मैं जोड़े की बात नहीं कह रही हूं लेकिन यह आवश्यक है इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्रीमती श्यामाकुमारी संगर : मैं संशोधन रखती हूं कि जब कोई विधायक बस में यात्रा करता हो तो उसमें भी एक आदमी को साथ ले जाने की आज्ञा दी जावे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देता हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : फर्स्ट क्लास से ज्यादा पैसा एयर कंडीशन का, उसका मामला स्पष्ट नहीं है। क्या हमें अलग से नहीं देना पड़ेगा?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब डेढ़ हजार के सवा दो हजार दिये हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक तो मेरा प्रश्न है कि यह जो राशि आपने रखी है......

श्री सुरेश कुमार : यह नकद दे दें, आपको ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य भरतपुर से दिल्ली जाते हैं जो सैन्ट्रल रेल में जाते हैं जिसका टिकट के साथ पांच रुपये का और एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी थी। पार्लियामेंट के मेम्बर जो हिन्दुस्तान में सफर करते हैं उनका पांच रुपये का सरचार्ज लगता है एक टिकट के साथ। यानी जैसे फ्रन्टियर मेल है, दूसरी ट्रेन्स हैं सुपरफास्ट ट्रेन हैं उनमें एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है और उसका कैश देना पड़ता है। आपने इसके महत्व की बात कही। इतने महत्व का जो काम किया, बहुत अच्छा है जनता पार्टी के एम. एल एज. के. लिये जो सफर का सुझाव रखा है वह तो बहुत प्रसन्नता की बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह केवल हम लोगों के लिये ही नहीं, यह सभी के लिये

Page No 104

(104)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यवस्था है । हम तो यह महसूस करते हैं कि यह कम है, क्योंकि जनता पार्टी के एम. एल. ए. काम ज्यादा करते हैं, आप घर बैठे रहते हैं । आपको ज्यादा लगता है तो आप वापस दे दें ।

श्री शिवचरण सिंह : मैं काम में नहीं लूंगा तो अपने आप ही....

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, ये कूपन ट्रांसफरेबल होने चाहियें ।

श्री शिव चरण सिंह : आपने कूपन की कितनी बड़ी बुकलेट बना दी, कृपा करके इसके बजाय कूपन 25-50 रुपये के होने चाहियें । इतनी बड़ी बड़ी चार बुकलेट से ब्रीफ केस भर जाता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ये जो फास्ट ट्रेन्स हैं, इंडिया भर में चलती हैं, वे इन्क्लूड होनी चाहियें । उसका टिकट होता है 7) रुपये का और सरचार्ज 5) रु. ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे भी बढ़कर एक बहुत बढ़िया सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में किसी को भी टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती । उनके पास परिचय-पत्र हैं जिसे दिखा कर आ जा सकते हैं । उनको टिकट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह जो सैक्शन है - "Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and his/her spouse or any other person accompanying the Member to look after or assist the member to travel at any time in first class by any railway through all the territory of India, अब मेम्बर अकेला जाय तो जा सकता है या स्पाउज अगर अकेला जाना चाहे तो वह जा सकता है ? आप जरा लेंग्वेज पढ़िये-"entitle him and his or her spouse or any other person"

आगे लिखा है-"or any other person accompanying the Member." तो अगर मेम्बर अकेला जाना चाहे तो वह जा सकता है । अगर साथ में कम्पेनियन लेना चाहे, तो ले जा सकता है । अगर स्पाउज ले जाना चाहे तो वह ले जा सकता है । आप कानून देखें...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने पढ़ लिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप इस पर गौर करें "entitle him and his or her spouse" तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अकेला स्पाउज भी ट्रैवल कर सकता है । इसमें आप क्लीयर तो कर दीजिय, बता दीजिये कि आपका मतलब क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, 3-4 प्रश्न उठाये गये—

श्री कौशल किशोर जैन : जो दो रुपये रिजर्वेशन के लेते हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, उनको क्यों जोड़ते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं जबाब दे दूं । माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा Member can travel

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)
in any class इसके अन्दर एयर कंडीशन भी इन्क्लूड होगा ? इसमें क्लेरिफाई किया है कि एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ेगा।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्षजी, ये जो प्रश्न उठाये गये है उनका संक्षेप में जवाब दे दूं। 12 हजार किलोमीटर का जो डिस्टेन्स है, फास्ट ट्रेन्स मेल ट्रेन्स, है-उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केलकुलेशन किया है वह सब देखकर किया है। कुछ सदस्यों को छोड़कर काफी सदस्य काफी तादाद में कूपन बरत रहे है। दूसरे फर्स्ट क्लास और सैकण्ड क्लास के अन्दर करीब-करीब चौगुना फर्क है तो आप पचास हजार किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अन्दर माननीय सदस्य, जो समाजवादी विचारधारा के है, को छोड़कर.....

श्री **मथुरादास माथुर**: समाजवाद तो एयर कंडीशन में ट्रेवल करवाता है ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : वह एयर कंडीशन भी समाजवादी है।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी**: तो अरोड़ाजी ने प्रश्न उठाया कि एक की फेसेलिटी है दो की नहीं मिलती–"Where a member chooses to travel by air, he shall be paid an amount equal to one first class railway fare for each such journey in accordance with sub-section (1) and the difference between such air fare and first class railway fare shall be borne by the member himself."

तो आप कंपेनियन को साथ में ले जा सकते हैं।

श्री **मथुरादास माथुर**: ये आडिट वाले नहीं मानते हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: ये मान जाएंगे इसके लिये क्योंकि सरकार दे रही है।

यह डिपेण्ड करेगा इस पर कि कंपेनियन कौन है।

श्री **मथुरादास माथुर**: मेरे तो, भैरोंसिंह जी, आप ही है ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय सदस्य श्री मथुरादासजी ने एक प्रश्न उठाया है। माननीय मथुरादासजी का संबंध वकालत से टूट चुका है काफी पूर्व में। वह प्रश्न उठायें तो आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मथुरादासजी की जो शंका है वह निर्मूल है—

"*Free Railway travelling facilities to Members*—Eevery Member shall also be provided with facility which shall entitle him and his or her spouse or any other person accompanying the Member at any time...." "him and his or her spouse or any other person" It shall entile him. 'Him' means Member and his or her spouse or any other person accompanying the Member तो इसका मतलब यह है...

श्री **बृजेन्द्रपाल सिंह** : अंग्रेजी भाषा के अन्दर 'and' के पहले कोमा नहीं लगायें

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)
तब तक इन्टरप्रिटेशन जो माथुर साहब ने दिया है वह बिल्कुल सही है।

श्री मथुरादास माथुर : "or any other person accompanying the Member" इसका मतलब यह है कि जो मेम्बर के साथ में पर्सनली एकम्पनी करता है वह ट्रेवल कर सकता है। मेरा यह कहना है कि मेम्बर के साथ में ट्रेवल कर सकता है।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : यह कोमा नहीं लगाया है "and" के पहले तो माथुर साहब कह रहे हैं वह ठीक है और यह जो आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपका कहना भी सही हो सकता है और मेरा कहना भी। This is the matter of interpretation.

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : Your interpretation is not correct.

श्री मूलचन्द डागा : Why don't you consult your Secretariat?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : There is no necessity to consult my Secretariat. I am competent enough.

श्री शंकरलाल : जिसके बारे में वाद-विवाद होने की संभावना हो उसको आप क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं ? ऐसी शंका की बात क्यों रखते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भावना यह है इसकी, माननीय सदस्य अगर खुद ट्रेवल करता है तो पत्नी या पति या किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : फिर पति या पत्नी लिखने की जरूरत ही क्या है ? मेम्बर या "any other person" रख देते। यह 'spouse' के साथ 'any other person' जो रखा गया है वह पर्पजफुल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पहले था।

श्री मथुरादास माथुर : यह होता तो 'Member or any other person accompanying him' से ही काम चल जाता। तो फिर 'spouse' लिखने की जरूरत क्या थी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं इसमें यह बात कहना चाहता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति जा सकता है तो 'his or her spouse' की आवश्यकता क्या रहेगी ? उसको आप क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो मूल एक्ट है उसमें से आपको पढ़ कर सुना देता हूं। श्रीमान्, जो मूल एक्ट की धारा है वह यह है—

"*Free Railway travelling facilities to Member*.— (1) Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and his or her spouse or any other person accompanying the Member to look after or assist the Member to travel at any time in first class....."

श्री मथुरादास माथुर : अगर मेम्बर को एकम्पनी का होता तो····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यही शब्द यहां पर है।

श्री मथुरादास माथुर : वह कन्फ्यूजन चल रहा है तभी मैंने कहा है ऐसी चीज, जिससे बाद में आडिट आब्जेक्शन हो, क्यों पास करते हो ? आपकी मंशा यह होती कि "any other person accompanying the Member" तो फिर "his or her spouse" की आवश्यकता नहीं होती। अगर 'spouse' लगाते हैं तो spouse can also travel independently without a companion" आप किसी वकील से पूछ लें ।

श्री मूलचन्द डागा : Why should not the Government call the Advocate General ?

श्री मथुरादास माथुर : "shall entitle him and his or her spouse or any other person accompanying the Member." इसमें सभी आ गये । इसमें यह भी लिखा है "him and his or her spouse" यह लफ्ज डालेंगे तो उनके इन्डिपेन्डेंट ट्रेवल करने का साफ है । "any other person accompanying the Member" तो मेम्बर के साथ में लगा हुआ है । इन तीनों को साथ में पढ़िये । भैंरोंसिहजी, आप भी पढ़िये । मंशा क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जो इन्टरप्रिटेशन माननीय माथुर साहब ने किया है यह उसी एक्ट का किया है जो कई सालों से कानून बना हुआ है । आपने जो एक्ट बनाया है उसकी वही की वही फ्रेजोलोजी हम यहां रिप्रोड्यूज कर रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है इसलिए आप इसको क्लियर कर दें ।

श्री मन्जूर अली : "his or her spouse" वह मेम्बर आफ दी हाउस के रिलेटिव भी हो सकते हैं, एम.एल.ए. भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 'spouse' या दूसरा आदमी ट्रेवल तभी कर सकता है, जब कि मेम्बर साथ में हो ।

श्री मथुरादास माथुर : What is the necessity of "his or her" ?

श्री भैंरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय माथुर साहब ने जो आपत्ति उठाई है उस आपत्ति में कोई आधार नहीं है । एक तो यह है कि इस बिल के बारे में मुझे पहले की जानकारी है वह मैं इस हाउस में कहना चाहूंगा । जिस समय एक बार इस प्रकार का बिल, जब माथुर साहब वित्त मंत्री थे, आया तो सबसे पहले यह ट्रेवलिंग फैसेलिटी प्रोवाइड की थी । बिल जब इन्ट्रोड्यूज हुआ उसके बाद में 'accompanying' शब्द को लेकर हाउस में चर्चा हुई थी । चर्चा की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किस-किस क्वेश्चन पर चर्चा हुई थी । इसमें 'spouse' का वर्ड यूज किया गया है तो पति या पत्नी को रेस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए किया है । "accompanying" शब्द के साथ जोड़ने से तो एकम्पनी तो कोई भी कर सकता है उससे पति और पत्नी को किसी प्रकार की रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलती है । अगर आपको पति और पत्नी को रेस्पेक्टेबिलिटी देनी है तो 'spouse' का वर्ड ....

श्री मथुरादास माथुर : पत्नी एकम्पनी करती है तो रेस्पेक्टेबिलिटी है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 'spouse', 'accompanying' और खुद-यह तीनों अलग-अलग है। आपका मतलब यह है कि इसमें जो वर्ड 'and' यूज किया गया है 'him and his or her spouse or any other person' जो कि दूसरे सेन्टेन्स में रखा है तो वह रिडन्डेन्ट सेन्टेन्स है। एक तो यह है–

"Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and his or her spouse or any other person......"

श्री मथुरादास माथुर : 'or' read with both.

"Entitle him and his or her spouse." आगे पढ़िये or any other person accompanying the Member. मेम्बर के साथ accompanying का लफ्ज लगाया गया है वह 'spouse' के साथ नहीं लगाया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका मतलब यह है कि इस प्रकार से रहता है तो 'spouse' जाय या नहीं एन्टाइटल कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा इन्टर-प्रिटेशन यह है कि मेम्बर जा सकता है और अलग से 'spouse' जा सकता है। उसको साथ में जाने की जरूरत नहीं है। 'accompanying' नहीं हो। 'spouse' में माता पिता भी आ गये, नौकर भी आ गया है। 'spouse' इन्डिपेन्डेन्टली जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री सुरेश कुमार : हिन्दी का रूपान्तर क्या कहता है ?

श्री मूलचन्द डागा : English version will be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं अपनी सहमति या सम्मति नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैंने जहां तक इसको पढ़ा है, पहले एक्ट में इसकी मन्शा थी वह 'spouse' को ही देने की थी। उसके बाद में अमेन्डमेंट हुआ तो 'any other person' किया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि किसी भी माननीय सदस्य के साथ एक सदस्य जा सकता है, 'his or her spouse' साथ में जा सकता है तो किसी को भी अधिकार दे दें साथ में जाने का तो यह रिडन्डेन्ट हो जाता है। 'any other person' में 'spouse' हो या कोई भी हो।

श्री मूलचन्द डागा : इस क्लॉज को डेफर कर दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : डेफर करने की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल की राय ले लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किस बात के लिए डेफर कर दें ?

श्री मथुरादास माथुर : जो लैंग्वेज हो वह लैंग्वेज अण्डरस्टेण्डेबल हो। यह कोर्ट आफ लॉ में जाने का नहीं है। वहां इसका डिसीजन नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेंट एडवोकेट से पूछ लिया जाय। Any Govern-

(श्री मूलचन्द डागा)
ment Advocate should be asked.

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिहजी, आपको धर्म में तो विश्वास नहीं है। आप तो जाते नहीं हैं हरिद्वार। यदि आपकी श्रीमतीजी हरिद्वार जाना चाहें इस टिकट में चली जायं तो क्या एतराज है ?

मेजर श्री फतहसिंह: Why should she go ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी लैंग्वेज यह कह रही है। अगर आपकी मन्शा नहीं है तो इस लैंग्वेज को साफ करो।

श्री खेतसिंह राठौड : इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज तक जो इन्टरप्रिटेशन रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्यों करते हैं ? पहले भी यहां पर बहुत बहस हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माथुर साहब यह चाहते हैं "his or her spouse or" इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब यह है कि मेम्बर्स जा सकते हैं with companion और इन्डिपेन्डेन्ट भी जा सकते हैं। कम्पेनियन और स्पाउज इन्डिपेन्डेन्ट जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं जा सकते हैं। आप मानकर चलें जो लैंग्वेज यूज की गई है उससे वाइफ या हस्बैण्ड इन्डिपेन्डेन्ट नहीं जा सकते। आप चाहते हैं तो "his or her spouse or" इन वर्ड्स को डिलीट करने में आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : हम सफर नहीं करते हैं तो स्पाउज के जाने का सवाल ही नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ हो गया तो आपका काला मुंह होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा तो होगा नहीं लेकिन जिनका हो गया उनका क्या होगा ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई बाहर जाकर बीमार हो गया और पत्नी को बुलाना चाहता है या काश्मीर चले गये और मौसम की रंगीनी देखकर या और किसी कारण से पत्नी की याद आ गई तो उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिह मकासर : मूड ऐसा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करिये।

(व्यवधान)

मूड के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें।

श्री मन्जूर अली : इन्डिपेन्डेन्ट स्पाउज को.....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब ने जो शंका व्यक्त की है, विशेष रूप से यह शंका व्यक्त की है कि कहीं दुर्घटना नहीं हो जाय इसलिए मैं यह समझता हूं कि ये जो शब्द हैं — "his or her spouse or" ये पांच शब्द डिलीट कर दिये जायें।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह कैसे कर देंगे। ओरिजनल एक्ट में संशोधन नहीं किया है तो अब कैसे कर देंगे ?

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : एक्ट भी पूरा का पूरा सब्स्टीट्यूट किया जा रहा है उसमें अमेण्डमेन्ट कर सकते हैं।

श्री **मूलचन्द डागा** : कैसे करेंगे ? You can't do.

श्री **उपाध्यक्ष** : अमेण्डमेन्ट मूव किया जा सकता है।

श्री **रामनारायण चौधरी** : There cannot be any amendment in the amendment.

श्री **मूलचन्द डागा** : Then I have every right to move an amendment in the amendment.

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : You have every right.

श्री **मूलचन्द डागा** : यह आप क्या कर रहे हैं ? Rule 236 is very clear.

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : जो सदन में शंकायें व्यक्त की गई हैं ....

(व्यवधान)

सदन की अनुमति से सब कुछ सम्भव है

(व्यवधान)

श्री **मूलचन्द डागा** : आज ही अमेण्डमेन्ट ले आये।

श्री **परसराम मदेरणा** : प्रभारी मन्त्रीजी यह समझते हैं कि जैसी आपकी भावना है ए, बी, को सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं और उसमें अमेण्डमेन्ट किया है तो किया जा सकता है।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : सबकी भावना इस बात को लेने की है। डागाजी को शंका है कि कहीं चैकिंग नहीं हो जाय।

(व्यवधान)

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह तीसरी लाइन में जो शब्द हैं ......

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : क्या ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मैं पढ़ देता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के दो पत्नियां हैं उनके लिए बड़ी प्रोब्लम हो जायगी, उसका भी प्रोविजन करिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कानून में यह है कि चार पत्नियां तक रखी जा सकती हैं, इसलिए चार तक का प्रोविजन होना चाहिए।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया "Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and..... यहां तक तो रहा है उसके आगे ये शब्द "his or her spouse or" ये काट दिये जायं। तो वह बन जायगा (1) "Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and any other person accompanying the Member at any time to travel in any class by any railway throughout

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

the territory of India, covering the journeys the aggregate fare whereof shall not exceed rupees two thousand two hundred and fifty within a calendar year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf."

इसके अन्दर पत्नी, पिता और बेटा भी आ जायगा और माथुर साहब की शंका का समाधान भी हो जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें 'accompanying' वर्ड रखा है–

"Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him....."

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 'him' means 'him or her' both. I am sure. The opposite gender includes the other gender.

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस पर मतदान से पहले जो और संशोधन प्रस्ताव है उन पर माननीय सदस्य बोलेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 में मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है:

"(I) In sub-section (1) of section 8-B of the principal Act,—

(i) the words "first class" shall be replaced by the words "second class" :

(ii) the words "rupees two thousand and two hundred and fifty" occurring in the expression sought to be substituted in this sub-section shall be replaced by the words "rupees one thousand": and

(iii) the following provisos shall be added, to this sub-section, namely—

"Provided that the Member shall be entitled to use the Jeep of the Pool on requisition so made for touring his own Constituency in lieu of the facility provided for railway travelling:

Provided further that if the Jeep of the Pool is not available then he shall hire the Jeep for touring his own Constituency from any private person or body, the amount so incurred shall be paid to the Member after submitting the proper receipt there of in the prescribed manner.

(II) In part (ii) of the clause the words "rupees one thousand" shall be substituted for the words "rupees two thousand two hundred and fifty in the proviso sought to be substituted in sub-section (3)."

मैं सबसे पहले मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं । मैंने सवा साल पहले निवेदन किया था कि जो सैकण्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं उनके लिये प्रावधान करें । वह प्रावधान नहीं हो सका था लेकिन आज हुआ है । मेरा चुनाव क्षेत्र ही मेरा हिन्दुस्तान है । अगर मैं अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता और सारा हिंदुस्तान घूमता रहूं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा । मैं अपने लिए कह रहा हूं औरों के लिए नहीं । 2250) रुपये में अगर कोई जीप से भी केवल अपने क्षेत्र में घूमना चाहे तो उसके लिए भी आप प्रावधान करें । आज यह नहीं हो सके तो मैं इसको वापस लूंगा, प्रेस नहीं

Page No 112

(११४)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करूंगा लेकिन उस सय तक सैकण्ड क्लास में भी मैं नहीं घूमूंगा जब तक मेरे क्षेत्र में जाने के लिए आप जीप की व्यवस्था नहीं कर देते। इस 2250) रुपये की सीमा में आकर व्यवस्था कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो अब तक जैसे पूरे देश में नहीं घूमा हूं वैसे सैकण्ड क्लास में भी नहीं घूमूंगा। अपने क्षेत्र में जाना जरूरी हैं। अपने क्षेत्र में जाकर मतादाताओं को शक्ल न दिखाऊं तो दुःख होता है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : पद यात्रा।

श्री मनोहर सिंह मेहता : 68 साल की उम्र में संभव नहीं है। मैंने जन्म भर पद यात्रा की है और अब भी संभव हो सकेगा तो पद यात्रा करूंगा।

एक बात और। आज सारा दिन हमने अपने साधन सुविधाओं के लिए गंवाया है। मुझे मेरे मित्र मोतीलाल जी छपरवाल का दोहा याद आ रहा है।

कोष भलायो आपने, रख न सके तो गाढ़,

आपने कोष तो वढ़ा दिया और अगर उसको नहीं रख सकते हो,

कुण बरजे अब आपने, मरजी व्हे जो काढ़।

एक तरफ अन्त्योदय और दूसरी तरफ हमारी सुख सुविधायें। दोनों का मेल कहां बैठता है, इस पर चिंतन करें। मैं प्रेस नहीं करूंगा वापस ले लूंगा। आपने जो सैकण्ड क्लास का रखा है उसके लिए आभारी हूं लेकिन कोई पूछ रहा था कि मेरे जैसी उम्र के आदमी के तो नाबालिग बच्चे नहीं है पर जवान विधायकों के तो छोटे बच्चे होंगे। उन्हें छोड़कर यात्रा कैसे करेंगे। अतः उनको भी साथ ले जाने की छूट होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह संशोधन प्रस्ताव दिया है :

"In sub-clause (i) of clause 7 replaces tbe word "three" for the word "two" occurring twice in the proposed expression sought to be put in sub-section (1) of section 8B."

मैंने 5 स्टेट्स के कानून देखे हैं। हरियाणा ने लिखा है 16 हजार किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है। बिहार के अंदर यह है कि साल भर में कहीं भी घूमें। उसके अलावा वह बाहर भी घूम सकते हैं। बिहार के अन्दर जहां फर्स्ट क्लास टिकट है वहां थ्रूआउट दी स्टेट 10 हजार किलोमीटर और है। तो प्रति व्यक्ति आय यहां की भी बहुत कम है। पंजाब में और ज्यादा है। तो मैं इनके आदर्शवाद की बातें तो मानता हूं लेकिन 12 हजार किलोमीटर दे रहे थे तो मैंने कहा 3 हजार तक बढ़ा दें क्योंकि विधायक को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा 2 की जगह 3 करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा एक संशय है, आपने 2250) के कूपन्स दे दिए, फिर इसमें लिख रहे हैं कि अगर हवाई जहाज से सफर करेगा तो उसको फर्स्ट क्लास का किराया मिलेगा और एक्स्ट्रा पैसा जेब से देना पड़ेगा। यह क्यों? हमें इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि हम चाहे तो हवाई जहाज से भी सफर करें। इससे आपको क्या नुक-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
सान होगा ? अननेसेसरीली लेकुना रखना चाहते हैं ।

श्री **मंजूर अली** : मैं भी माननीय सदस्य की ताईद करता हूं ।

श्री **श्योपत सिंह मकासर** : मैंने 4 ट्रिप्स में ही 2250) रु. खर्च कर दिए, तो बाकी जेब से खर्च करूंगा । आप क्यों बोदर करते हैं ? अगर सारा पैसा 6 महीने में ही खर्च करता हूं या 12 महीने में तो आपको क्या तकलीफ होती है ? इसलिए आप अननेसेसरीली ट्रवल क्रियेट कर रहे हैं । आप साल भर के लिए यह पैसा दे रहे हैं इसे चाहे हम दो तीन महीने में खर्च करें । यह भद्दा लगता है । लोग हमारी अक्ल को एप्रीशियेट नहीं करेंगे । दिक्कत क्या है ?

श्री **मंजूर अली** : जब लोग मिनिस्ट्री में थे तो फर्स्ट क्लास कूपन्स की बात को लेकिन कोई लोजिक नहीं है । यदि कोई हवाई जहाज में जाएगा तो अपने पास से पैसा देगा । यह उनके आप्शन की बात है, पैसा 6 महीने में खतम करें चाहे तीन महीने में ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : ये जो 2250) रुपये हैं इसके इसलिए कूपन्स नहीं दिए गए हैं कि एक बार में ही हांगकांग से होकर वापस आ जाएं । यह इसलिए दिया गया था कि आप देश भर में घूमें, ताकि आपको मालूम हो कि भाखरा डैम कैसा है, बिजली किस तरह से बनती है, नहर कैसे निकलती है । बाकी नहीं तो 2250) रुपये के कूपन्स देने की क्या आवश्यकता पड़ी ? आप दूसरे राज्यों को डेमोक्रेसी को देखें, क्या-क्या विकास कार्य चल रहे हैं । दूसरे राज्यों के लोग यहां आकर अन्त्योदय योजना देखना चाहते हैं उसी तरह से यहां के लोग दूसरी जगहों पर नई योजनायें देखना चाहेंगे । इसलिए जो कानून बनाने वाले थे कमजोर नहीं थे, सोच समझ कर उन्होंने बनाया ।

(व्यवधान)

श्री **परसराम मदेरणा** : इसके पीछे जो लोजिक थी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की लेकिन यहां 8-बी का (2) सब क्लाज पहले की तरह रिप्रोड्यूज किया है । उस समय फर्स्ट क्लास के कूपन्स थे । जब आपने सैकन्ड क्लास के लिये एन्टाइटल कर दिया है और सीलिंग लगा दी है फिर यह प्रावधान रखना रिडन्डेंट है ।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मैं श्री खेतसिंह की राय से बिल्कुल इतफाक करता हूं । ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवाई जहाज से दो तीन बार सफर करके सारा रुपया खर्च कर दें । मैं अपनी वृद्धि के अनुसार कह रहा हूं, सैर करने के लिए पैसा नहीं है ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सवेरे झगड़ा वृद्धि पर ही हुआ था ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : सैकन्ड क्लास के अलावा और कोई क्लास हो ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : A11 class. आपने पढ़ा नहीं, मुझे मालूम था कि प्रद्युम्नसिंहजी यह प्रश्न उठायेंगे । श्योपतसिंहजी के लिए मैं नहीं समझता कि उनको हवाई जहाज का शौक है । मैं अमेंडेड फार्म में जो संशोधन है, सदन के सामने स्वीकार करने के लिए पेश करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी और मेहताजी, आप अपने संशोधन वापस लेंगे ?

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की आज्ञा है कि माननीय मनोहरसिंह मेहता को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री डागा द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

माननीय विधि मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया और बाद में जो अमेंडमेंट इन्सर्ट कराया है उसको अब मैं मतदान के लिए रखता हूं ...

श्री **रामनारायण चौधरी** : पढ़ कर तो सुना दीजिए।

श्री **उपाध्यक्ष** : "8-B (1) *Free railway travelling facieities to Members.*— Every Member shall also be provided with facility which shall entitle him and any other person accompanying the Member at any time to travel in any class by any railway throughout the terrritory of India, covering the journeys, the aggregate fare whereof shall not exceed rupees two thousand two hundred and fifty within a calendar year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf."

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाये

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाये ?.

(स्वीकृत)

विधेयक यथा संशोधित पारित किया गया ।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय संम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये ।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक पेश किया है उसके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय प्रस्तुत विधेयक के पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया ।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री महोदय प्रकाश तो डालें कि क्या बिल है और क्या इसका उद्देश्य है ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । "राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।" जनता पार्टी जो कि समग्र क्रांति लाने वाली पार्टी है उसने अपने घोषणा-पत्र में ऐलान किया था कि हिन्दुस्तान में विषमताओं को दूर किया जायेगा । जब तक आर्थिक विषमतायें दूर नहीं होंगी तब तक लोक-तंत्र नहीं आ सकता । यह सिद्धान्त की बात है । हिन्दुस्तान का संविधान बिखर जायेगा यदि विषमतायें दूर नहीं हुई तो । सन् 1972 में सदन ने एक बिल पास किया उसके द्वारा काश्तकारों को तो कह दिया कि इतनी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, इससे ज्यादा नहीं लेकिन शहरों में दस लाख की कोठी बनाकर रहने वाले लोगों से कहा कि अब प्रापर्टी नहीं बिकेगी । प्रापर्टी पर रोक लगा दी । तो केन्द्रीय सरकार ने नया बिल पेश कर दिया । केन्द्र में जितनी भी सरकारें बनी हैं चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो उस सरकार ने भी पूंजीपतियों का पक्ष लिया । 76 में पार्लियामेंट में बिल पेश किया उसमें मेरा अमेन्डमेंट था कि 20 लाख का बंगला बनाकर रहने वाले लोग हैं उनके पास 3 लाख से ज्यादा सम्पत्ति नहीं होगी और फेमिली होगी तो 4 लाख की होगी । यह हो तो यह

(श्री मूलचन्द डागा)

बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, तो मैंने सोचा कि हिन्दुस्तान में जो कुतुबमीनार पर बैठने वाले लोग हैं वह जमीन पर आ रहे हैं, और जमीन वाले ऊपर आयेंगे। लेकिन हम, जो चुनिन्दा लोग आते हैं, गरीब लोगों को धोखा देते हैं, और उनमें अविश्वास पैदा करते हैं। सारे हिन्दुस्तान में आवाज उठाई कि हम लोग समाजवाद लाना चाहते हैं, अमीरों की अमीरी कम करना चाहते हैं, और गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन आपने सोचा कि बड़े-बड़े बंगलों पर सीलिंग लग जायेगी, तिलकनगर, बापूनगर और सी-स्कीम में बड़े-बड़े भवन और एयर-कन्डीशन्ड हाउसेज पर सीमा लगेगी। इसलिये इन्होंने एक हिम्मत यह बताई कि हम रिलेक्सेशन कर देते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन यह लगाया कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रान्सफर नहीं कर सकेंगे। 1973 में एक आर्डर निकला :

"Whereas it is necessary in public interest to restrict such transfer in the State of Rajasthan, with a view to prevent speculation in....

मैं समझता हूं कि जनता कैसे बख्शेगी ? . . .

श्री भंवरलाल शर्मा : 1973 का बिल है।

श्री मूलचन्द डागा : धोखा दिया जनता को। शर्म करो आप।

" ... and large scale transfers of it pending the enactment of a law for the imposition of a ceiling on urban property, with a view to give effect to the policy of the State towards securing principle that the ownership and control of the material resources of the Community are so distributed as best to subserve the common good and for the acquisition of urban property in excess of the ceiling limit with a view to utilising such excess for orderly development of urban areas and for other public purposes and for matter connected therewith."

देश की जितनी सम्पत्ति है भौतिक, आध्यात्मिक, उस सम्पत्ति का वैज्ञानिक तरीके से कामन पर्पज के लिए वितरण होना चाहिए, उसका ऐसा वितरण हो तो देश में एक सच्चा लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। खुली जमीन पर सीलिंग न लगायें, इस सारे पर्पज, आब्जेक्ट को ही फस्ट्रेट कर दिया। जिनके बंगले बन गये, उनको मत छेड़ो, सुराणा भवन को मत छेड़ो, डालमिया को मत छेड़ो। डागा की खुली जमीन है उसको छेड़ो। 1973 में एक एक्ट पास किया, अरबन प्रापर्टी (रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर) एक्ट, 1973 इसके स्टेटमेण्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में क्या दिया। इस बिल में क्या कह रहे हैं ? इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को आप पढ़िये।

"The Rajasthan Urban Property (Ceiling) Bill, 1972 was passed by the State Legislature on 26-5-72 that bill was reserved by the Governor for the consideration of the President and assent thereto. It was considered necessary that the transfer of properties exceeding the ceiling limit specified in the said Bill should be restricted so as to prevent persons from defeating the provisions of the said Bill. This was done by enacting the Rajasthan

(श्री मूलचन्द डागा)
Urban Property (Restriction of Transfer) Act, 1973.

Befo-e the assent of the President to the Rajasthan Urban Property (Ceiling) Bill, 1972 could be secured, the Parliament passed the Urban Land, (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act 33 of 1976). This Act was adopted by the Rajasthan State Legis ature and the eby it came into force in the State on 9-3-76. Consequent upon the adoption of the Central Act by the State Legislature, it was dicided by the State Government to fall in line with the national policy embodied in the Central Act and not to impose su h restrictions as were envisaged by the Rajasthan Urban Property (Ceiling) Bill, 1972. Accordingly, at the instan.e of the State Government..."

यह कौनसी गवर्नमेन्ट थी ? यह जनता पार्टी की गवर्नमेन्ट थी। प्रेसीडेंट को कहा कि इस बिल को मन्जूर नहीं करो क्योंकि पूंजीपति, जिनके टुकड़ों पर हम चुनाव जीतकर आ गये, नाराज हो जायेंगे। इन्होंने प्रेसीडेंट को मना कर दिया कि प्लीज इसको मत करो इन्होंने लिखा है

" at the instance of the State Government, the President withheld his assent to the Rajasthan Urban Property (Ceiling) Bill, 1972."

तो यह बिल 9 मार्च, 76 को इन्होंने लागू कर दिया। प्रभारी मंत्री इसका जवाब देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : जरूर देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : आप काबिल हैं । 1976 के बाद कितनी जमीन आपने जयपुर में ले ली ? कितनी जमीन आपने अजमेर में ले ली ? कितनी जोधपुर में ली··

श्री महबूब अली : कितनी पाली में ले ली ?

श्री मूलचन्द डागा : महबूब साहब, मैं आपका छोटा भाई हूं। मुझे क्षमा कर दो। यह गम्भीर मामला है।

आपके मुख्य मंत्रीजी कहते हैं भूखा-नंगा राजस्थान । कभी स्पीकर्स कान्फ्रेन्स में कहते हैं भूखा नंगा राजस्थान । क्या हुआ, 9 मार्च, 76 को जब सेन्ट्रल एक्ट आ गया ? पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है । आपने ओपन लान, जो मकान में खुली हुई जमीन है, की कितनी जमीन जयपुर में ली ? अरबन प्रापर्टी सीलिंग एक्ट पहले पास करवाया । गांवों में सीलिंग लाना चाहते हैं । किसान के लिये रेडियो नहीं होना चाहिये । किसान आराम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता । लेकिन शहर में बैठने वालों की प्रापर्टी पर सीलिंग लागू की तो आपने जयपुर, अजमेर, उदयपुर में कितनी जमीन अवाप्त कर ली दो साल और 6 महीने में और कितने नोटिस आपने दे दिये ? कितनी कीमत की जमीन है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान, मैं मानता हूं, मैं यह सोचता था कि क्या एक्ट लायेंगे ? जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है इसमें इन्होंने कहा कि विषमता कम करेंगे । उसमें 1:10 का अन्तर रहेगा । सरकारी कर्मचारियों में नहीं कर सके । पूंजीपति का 20 लाख का बंगला है वह रह सकता है । समग्र क्रांति लाने वालों के राज में यह परिवर्तन आया है । जिस

(श्री मूलचन्द डागा)

दिन सत्ता में परिवर्तन आया, हिन्दुस्तान में एक नई बात मालूम हुई। यह क्रांति लाने वालों को अवसर मिला है, एक झटके में क्रांति लायेंगे। देश में जो अन्याय की व्यवस्था कायम है उस व्यवस्था को पलट देंगे। हमारे वित्त मंत्रीजी, जो वयोवृद्ध हैं, ने कहा कि इन खुरदरे हाथों की यह कामयाबी है। खुरदरे हाथों से हमें यह आजादी मिली है। फिर आपने कहा कि यह जो मेहनतकश और गरीब झोंपड़ों में रहते हैं उनके द्वारा यह क्रांति लाई गई है। यह आपका भाषण है, वित्त मंत्रीजी। आप आत्मा से बोलते हैं कभी-कभी। आप वयोवृद्ध हैं। आपका मन ईश्वर की तरफ लगा हुआ है। गरीबों के द्वारा जो क्रांति आई है, जो खुरदरे हाथों से आजादी आई है, जो मेहनतकश हाथों से आजादी आई है, उसमें शहरों में आराम करने वाले लोग, बड़े-बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, दो लाख से कम के छोटे मकान में नहीं रहेंगे। कच्ची वस्तियां गन्दगी से भरी पड़ी हैं। उन कच्ची वस्तियों में रहना लोग पसन्द नहीं करेंगे। क्रांति आई थी, ग्रामीन्मुखी विकास...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, यह विषय छोटा नहीं है। आप नई अर्थ व्यवस्था लाना चाहते हैं। आपके कांस्टीट्यूशन में जो आपके डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स हैं, जिसके आधार पर आप सर्व प्रभुता सम्पन्न गणराज्य मानते हैं उसकी गरिमा बढ़ाने की बात करते हैं। यह गरीबों की आड़ में खेलना है। यह सेवा की आड़ में शोषण है। यह नया बिल क्या लाये हैं। जो सीलिंग बिल पहले था उसमें सारी बातें हैं। आप नया सीलिंग बिल लाये हैं इसको आप जनता के सामने रखें। आप 150 नौजवान जो समग्र क्रांति लाना चाहते हैं जिनके दिलों में आग है उनके द्वारा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पार्टी में डिस्कशन नहीं होता। न पार्टी को मालूम रहता है। यह मधुलिमये था जिसने विरोध किया। मैंने इसीलिये यह अमेण्डमेण्ट दिया है। आप इस पर जनमत जान लीजिये, तीन करोड़ जनता अगर इसको मन्जूर कर ले तो मुझे कुछ नहीं कहना है अभी पास नहीं करोगे तो आकाश जमीन पर नहीं आ जायगा कुछ महीने के लिये इसे जनमत जानने लिये परिचालित करिये, जनता से पूछिये और इस अरबन सीलिंग को खतम करके गरीब जनता के साथ अन्याय मत करिये। तो मैंने एक मांग की थी, हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, वह तीन करोड़ जनता, जिसने आपको चुनकर यहां भेजा है और मुझे भी, अगर अप्रूव कर देती है तो करिये। जनता को मौका नहीं देना चाहते हैं, यह आपका निर्णय है तो मैं विरोध करूंगा और फर्स्ट रीडिंग में, सैकन्ड रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में तीनों में ही विरोध करूंगा, चाहे रात के 8-00 बज जाय, यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका शायद प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : है साहब, जनमत जानने हेतु परिचालित करने का है।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूची है, उसमें शायद आपका नाम नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, दो मिनट के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट के लिये तो नहीं रोकता लेकिन, आपके दो मिनट काफी लम्बे हो जाते हैं। आप बोल लीजिये पांच मिनट।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आदरणीय उपाध्यक्षजी, समता और सम्पन्नता की स्थापना का इस सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है। उसकी पूर्ती के लिये यह अति आवश्यक है कि पिछले 30 सालों में काले धन की जो समानान्तर पैरेलल इकोनोमी की हमारी कांग्रेस सरकारों ने स्थापना की थी....

एक माननीय सदस्य : आपकी कांग्रेस सरकार थी क्या ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जस्टिस वांचू की रिपोर्ट इस तथ्य को उजागर करने के लिये काफी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 1,500 करोड़ की समानान्तर काले धन की आर्थिक इकोनोमी इस देश में अपनी जड़े जमा चुकी है। वे जड़े दो तरह जमी हैं। जिस काले धन को पूंजीपति की हिमायती सरकार ने अपनी नीतियों से पैदा कराया है वह या तो सोने में है या कीमती पत्थरों में है या फिर अचल सम्पत्ति के रूप में है, इम्मूवेबल प्रापर्टी के रूप में है। जब तक इस इम्मूवेबल प्रापर्टी पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा उस समय तक काले धन की जो इकोनोमी है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा....

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा गान्धी हार रही है—चिकमंगलूर में।

श्री मूलचन्द डागा : जीत रही है इन्दिरा गान्धी।

श्री किशनसिंह भाटी : यह कौनसा तरीका अपनाया जा रहा है कि बोल रहे हैं और जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार....

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी कब आ गये जनता पार्टी में ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य विचार सुनना नहीं चाहते हैं। मंत्री महोदय ने अनावश्यक टाइम बढ़ा लिया है।

मैं, श्रीमन्, कहना चाहूंगा जनता पार्टी के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने सोने की नीलामी कर काले बाजार को फिर बढ़ावा दिया है। 400 रु० से 600 रु० तोले तक सोना बेचा गया, उसके दाम हजार रुपये बारह सौ रुपये हो गये। अरबों रुपयों का धन काले धन के रूप में सोने में परिवर्तित हो गया। अचल सम्पत्ति के तौर पर जो धन छिपा हुआ है उसको रोक दिया। भ्रष्टाचार के रूप में जो काला धन बड़े-बड़े शहरों में अचल सम्पत्ति के तौर पर लगा रखा है उसको खतम करने के लिये अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग निश्चित रूप से लगायी जानी चाहिये, परन्तु यह अफसोस की बात है कि गांवों में ग्रामीण किसान के लिये सीलिंग लगाकर लाखों रुपये कीमत की जमीन एक्वायर कर ली गई। पहले डिसाइड हुए केसेज को दुबारा डिसाइड करने के लिये इस सदन से अधिकार प्राप्त किये गये परन्तु तीन साल में राजस्थान सरकार ने किसी की जमीन भी अवाप्त नहीं की।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम नहीं था फिर भी आपने, कृपा करके आपने इनको बोलने की इजाजत दी, लेकिन जो बिल है उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? सीलिंग है, उस पर तो बिल है नहीं। मेरा निवेदन है कि ये विषय पर ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है ।

एक माननीय सदस्य : ये कैसे कह रहे हैं विषय पर नहीं बोल रहे हैं, ? माइक पर बोल रहे हैं ।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : शहरी जमीन पर सीलिंग लगाई गई थी किन्तु पार्लियामेंट द्वारा अरबन लैंड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1976 पास किया गया था वह राज्यों ने अडाप्ट किया है । अरबन प्रापर्टी पर प्रतिबन्ध लगाया गया था लेकिन राज्य सरकार ने सेन्ट्रल एक्ट को अपनाया है। पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून को अडाप्ट कर लिया। इन दोनों में जो आपका आब्जेक्ट है, इन्टेन्शन है. . . .

(व्यवधान)

मुझे बोलने का पूर्ण अधिकार है । आपने शहरी सम्पति पर जो बिल पेश किया है. .

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : आप जो अपनी बात कहना चाहें, कह दें । कितना समय और लेंगे ?

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : आपने कहा था पांच मिनट। दो-तीन मिनट मेरी तरफ से ?

तो, श्रीमन्, मैं जनता सरकार को उसके उद्देश्य की बोनाफाइड को चेलेन्ज करते हुये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने आज तक कोई प्रापर्टी अवाप्त नहीं की है । यह मेरा चैलेन्ज है, आपने काम्पीटेन्ट आथोरिटी को अपाइन्ट किया है । आपने डाइरेक्टर को अपाइन्ट किया है जिसने लोगों को नोटिस दिया था लेकिन आपने छूट दे दी । इसका मतलब है कि गैर कानूनी ढंग से उस एक्ट को फ्रस्ट्रेट करने के लिये, जमीन को बचाने के लिये यह कानून है । राजस्थान की सरकार इसको सन् 1959 से 1978 से तक सरकाती रही है और कह दिया जितने लैंड के है ट्रान्सफर्स वे वेलिड मानें जायेंगे। उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर वह सरकार भी ट्रांसफर्स की छूट दे रही है। इस कारण आज शहरों में जमीनों के दाम भी आसमान को छू रहे, हैं, बीकानेर जैसे शहर में पांच किलोमीटर दूर 80) रु. गज जमीन बिक रही है दूसरी तरफ जनता सरकार.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्तिम बात कह रहा हूं ।

दूसरी तरफ जनता सरकार ने शहरी सीमाओं से लगी हुई धन्ना सेठों की खेती की जमीनों को सस्ते दर पर कन्वर्शन की छूट देकर उन्हीं लोगों का फायदा करवाया है । आज राजस्थान में पांच बड़े-बड़े शहरों से लगी हुई खेती की जमीन को सस्ती दर पर कन्वर्ट किया जा रहा है ।

अब सस्ती दरों पर कन्वर्शन की छूट दे करके हमारी जनता सरकार उस वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के ट्रेप में आती है। कांग्रेस सरकार ने भी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के ट्रेप में आने के बाद भी उनके दबाव के बावजूद एक्जोर्बीटेंट रेट्स को नहीं घटाया परन्तु आज यू.आई.टी. की जमीन के आक्शन का भाव अस्सी रुपया और खेती की जमीन के कन्वर्शन का आठ रुपया। आठ रुपये प्रति गज दे कर कन्वर्शन करा सकते हैं । यह करके सारी स्कीम्स को भ्रष्ट कर रहे हैं,

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
नगर विकास न्यासों को भ्रष्ट कर रहे हैं और लैंड सीलिंग एक्ट को भ्रष्ट कर रहे हैं। दुबारा धन्ना सेठों के ट्रेप में आकर के, एग्रीकल्चर की जमीन को सस्ती दरों पर कन्वर्शन की छूट दे रहे हैं, और वह फर्जी हाउसिंग सोसायटीज बना कर पैसा कमा रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुप्ताजी, कृपया अपना भाषण समाप्त करके विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: अंतिम बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अंतिम बात बहुत लम्बी-चौड़ी कह चुके हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: तो मैं यह चाहूंगा कि जनता सरकार समाजवाद और गरीबों के नाम पर चाहती है कि इनका भला हो तो शहरी सीमाओं के पास लगी हुई खेती की जमीनों के कन्वर्शन रेट को दुबारा बढ़ाये। लैंड सीलिंग एक्ट के प्रोविजन्स को फिर से लागू करे, और जो इसका वायलेशन करते हैं उनको दण्ड प्रक्रिया एक्ट में संशोधन करके जेल में भेजा जावे। तभी जाकर आप इन धन्ना सेठों को समाप्त कर सकेंगे और हम जो गांवों में रहते हैं, राजस्थान की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, 25 लाख लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजिये, बहुत समय हो चुका है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: तो मैं चाहुंगा कि जनता सरकार इसको रेट को बढ़ाए। हमारे राष्ट्र के सामने बहुत सी समस्याएं हैं हमें चिकमंगलूर में जीतना है और ऐसे कितने ही चिकमंगलूर और भी आने वाले हैं। आप जनता के लिए कानून बनाएं तभी इन धन्ना सेठों के ट्रेप को मिटा पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई का भी प्रस्ताव था प्रवर समिति को भेजने का, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। अब प्रभारी मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा थी कि जब मैं जवाब दूं तो डागाजी यहां बैठे रहें लेकिन वे नहीं हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त: आ गए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा: जो अभी इस पर कुछ मुद्दे उठाए हैं माननीय डागाजी ने मेरी यह धारणा थी कि वे अपने जमाने के बहुत अच्छे वकील रहे होंगे।

श्री किशनसिंह भाटी: अभी आउट आफ प्रेक्टिस हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा: अभी के उनके उद्बोधन से मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी....

श्री मूलचन्द डागा: जरूर बदल लो। भगवान करे आप बदल लो।

श्री भंवरलाल शर्मा: जो बिल आपके सामने रखा गया है यदि उसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ लेते तो शायद इतनी बहस नहीं करते।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने पढ़ लिया है।

श्री भंवर लाल शर्मा: अब क्योंकि कोई भी विषय हो इनको बोलना जरूरी है, कोई भी चाहे प्रोग्राम हो, कैसी भी बात हो....

श्री मूलचन्द डागा : Is he telling something about me or about the Bill ? ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, यह मेरे पर बोल रहे हैं या बिल पर बोल रहे हैं। मेरे पर ही बोलना हो तो चाहे पच्चीस गाली और दे दो, परन्तु यहां पर बिल पर बोलो। मैं क्या था और क्या नहीं था, मैं वकालत करना नहीं जानता, यह प्रश्न यहां विचारणीय नहीं है। This is your speech. Have I said anything about you ? Please speak on the Bill. For Heavens' sake speak on the Bill.

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सिस्टम है, जब तक मैं बोलूं आप नहीं बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : If you give wrong points, I will have every right to speak.

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे बोलने के बाद बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : No. If you give wrong points, I will speak. गलत आदमी को बोलने की इजाजत नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर ये आप पर बोलने लग गए तो बहुत गड़बड़ होगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : गड़बड़ तो देश में और भी बहुत होगी जब इस प्रकार के लोग बोलेंगे। इस तरह के लोग बिल को पायलेट कर रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने...

श्री मूलचन्द डागा : पिछली सरकार क्या होती है, कांग्रेस सरकार कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : कांग्रेस सरकार ने यह विचार किया कि जो नगरीय सम्पत्ति है उसकी सीमा का निर्धारण किया जावे। इस विचार से विधान सभा में एक बिल रखा गया था। वह बिल पास हो गया। पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। जैसे ही यह पता लगा कि यह बिल आने वाला है तो राजस्थान में जिनके पास जमीन ज्यादा थी यह समझ कर के कि यह बिल आ जाएगा तो हमारी जितनी सम्पत्ति है वह सीमा से अधिक रहेगी और सरकार उसको ले लेगी, उन्होंने जमीनों का हस्तान्तरण शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया ताकि सीमा से नीचे आ जायं। यह स्थिति जब सरकार के सामने आई तो सरकार ने एक और बिल पास किया कि जब तक वहां से, राष्ट्रपति से स्वीकृति न मिले तब तक इस बीच में एक इंटरिम अरेंजमेंट ऐसा कर दिया जाय कि कोई जमीन न बेच सके। वह अरेंजमेंट इस बिल को पास करवा कर किया गया था। वह बिल जब राष्ट्रपति के पास विचारार्थ रखा था इसी बीच में केन्द्र सरकार ने सभी जगहों के लिए शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण के लिए एक एक्ट पास कर दिया। सैन्ट्रल एक्ट पास कर दिया और उस एक्ट को हमारी सरकार ने अडाप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस स्थिति में फिर यह लिखा गया कि अभी जो बिल

Page No 123

(123)

(श्री भंवरलाल शर्मा)
भेजा है राष्ट्रपति महोदय के पास उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो व्यापक बिल आ गया है, सम्पूर्ण देश के लिए एक्ट आ गया है जिसको हमने भी स्वीकार कर लिया, अब उस बिल पर स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है तो वह बिल यही था जिसको पारित कर दिया, लेकिन जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो पाई। इस बीच में यह सोचा गया कि वह बिल आए तब तक इसका कोई दुरुपयोग न कर सकें, वह बिल आने से पहले अपनी सम्पत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकें, इसलिये उसके चंगुल से बच निकलने से उनको रोका जाय। अपनी जमीनों को ट्रांसफर नहीं कर सकते यह इस बिल में था और कुछ नहीं था। इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया था। इसके रहते उसकी जमीन को एक्वायर करने का सरकार को अधिकार नहीं था। सरकार अधिक जमीन को एक्वायर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। यह टेम्प्रेरी अरेंजमेन्ट था। इस बिल की आवश्यकता इसलिए थी कि कोई व्यक्ति सीमा से अधिक जमीन का हस्तान्तरण नहीं कर दे, इसलिए बिल लाया गया था। वह बिल अब खतम हो गया और जो सम्पूर्ण देश के लिए कानून बनाया है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो अब इस बिल की क्या आवश्यकता है ? एक छोटा-सा कानून है जो हमारे सामने अभी विचारार्थ है जिस पर इतनी लम्बी-चौड़ी बहस कर दी. .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने तो आर्थिक बिन्दू पर चर्चा की है कि सरकार को क्या करना चाहिए ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको तो बोलने के लिए कोई न कोई बिन्दू चाहिए। आप स्वयं एक अच्छे एडवोकेट हैं लेकिन जो एडवोकेट नहीं है वह भी इस छोटी सी बात को समझ गये होंगे।

अब इन परिस्थितियों में जब कि हमने केन्द्रीय अधिनियम को स्वीकार करके राजस्थान में लागू कर दिया है, उसके अन्दर सीलिंग का प्रोवीजन है, ट्रांसफर पर पाबन्दी है, सरकार जमीन एक्वायर कर सकती है, सारे प्रावधान है। उस स्थिति में इस बिल के रहते अगर कोई जमीन न बेच तो क्या करेगा। माननीय डागाजी के पास में सीमा से अधिक जमीन है तो सरकार ले नहीं सकती, इस पर पाबन्दी है तो वे बेचे नहीं सकते। तो न तो बेच सकते हैं और न ट्रांसफर कर सकते हैं और न सरकार ले सकती है तो क्या करेंगे उस जमीन का। तो जरा व्यावहारिक बनिये। इसलिए इस सारी स्थिति से निपटने के लिये इस बिल की आवश्यकता थी. . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : केन्द्रीय बिल को लागू नहीं कर सकते ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो लागू ही है। हमने अडाप्ट कर लिया है। जो बिल भेजा था स्वीकृति के लिये उसको वापस ले लिया है। अब इस परिप्रेक्ष में इस बिल की क्या आवश्यकता रह जाती है। जो असली बिल था जिसकी क्रियान्विति के लिए बिल लाया गया था उसकी क्या जरूरत रहेगी, इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सीलिंग एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं डालता सीलिंग एक्ट मे कोई अमेन्डमेंट नहीं है। वह तो वैसे का वैसा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं इसलिये मैं इसमें अमेण्डमेन्ट

(श्री भंवरलाल शर्मा)
करने का निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वियड्रा करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : No. Not in any case मैं वियड्रा नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर दूंगा। क्या मैं बोलू, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागाजी, कोई आवश्यक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: क्यों नहीं ? I have every right to speak on the Bill when it is taken up for consideration.

श्री उपाध्यक्ष : आपने कोई प्रपोजल रखा है या कंडीशनल है ?

श्री मूलचन्द डागा : When the Bill comes up for consideration, I will have a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : आपने अमेन्डमेंट इन्ट्रोड्यूस किया है ?

श्री मूलचन्द डागा: I am not withdrawing my amendment.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो मूलचन्द जी डागा ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

मूलचन्द डागा का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार:

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर स्वीकार किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मूव तो करने दीजिये। मैं बोलना चाहता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। डागा जी एक बार, दो बार, तीन बार बोलते हैं। या तो इनको याद नहीं रहता उसी बात को रिपीट करते हैं या अपनी आवाज बार-बार सुनाना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: यह मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: पहले विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव को सदन से पारित करवाना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : विचार का, कंसीडरेशन का अभी मूव भी नहीं किया है। अभी मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया है। वे मूव करेंगे तभी मैं उस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, उन्होंने विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्ताव रखा था जिस पर विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव किया गया जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : वह पहले से ही रख दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पढ़ देता हूं इसमें मेरा क्या जाता है। इन्होंने बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया। मैंने अपना मोशन दे दिया और वह यह दिया कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। इन्होंने मेरे मोशन को रिजेक्ट कर दिया। सदन ने मेरा अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया। ये तो ज्यादा पढ़े हुए हैं Now the Bill should be taken into consideration मैंने यह संशोधन दिया था कि मेहरबानी करके इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। I gave an amendment. मैंने अमेंडमेंट दिया Now that amendment has been rejected. इन्होंने मेरा अमेंडमेंट अस्वीकार कर दिया। तब ये क्या कहेंगे It is not a motion, it is an amendment. तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह मैं समझ गया।

श्री मूलचन्द डागा : जब आप कुर्सी पर होते हैं तो मुझे बड़ा बल मिलता है। आप मेरी बात को समझ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कंसीडरेशन करने का मोशन रखा इसके बाद अमेन्डमेन्ट पर आपने विचार व्यक्त किये वे भी ठीक किये हैं। अमेन्डमेन्ट मोशन के पहले विचारार्थ प्रस्ताव रखा जा चुका है इसलिये मतदान।

श्री मूलचन्द डागा : थर्ड स्टेज पर बोलने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विचार तो आने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने विधेयक को विचारार्थ किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक विचारार्थ लिये जाने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : Here you are right. He is moving for consideration now.

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय संपत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो तर्क पहले दे चुके हैं उनको रिपीट न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसन्न हुआ। बड़ी उच्च कोटि के वकील जो आज मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने यह कहा था कि यह बिल 1976 का जो अडाप्ट हुआ है वह ओपन लैण्ड के लिये है। यह पार्लियामेन्ट में पेश हुआ था तो मैंने आब्जेक्शन रेज किया था। 1972 में जो आपने बिल पास किया वह टोटल

(श्री मूलचन्द डागा)
प्रापर्टी पर था और 76 में कांग्रेस सरकार जो बिल लाई उसने पूंजीपतियों का पक्ष लिया। उनके मकान कैसे तोड़े जायं जिन्होंने बड़े-बड़े 14-15 लाख के मकान बना लिये। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर यह निर्णय लिया, सारे अखबारों में निकाला गया कि कोई भी सज्जन 3 लाख की संपत्ति से ज्यादा नहीं रख सकेंगे।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मंत्री जी की धारणा आपके पक्ष में हो रही है लेकिन आप इधर आकर बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने प्रेसीडेन्ट को कहा कि आप एक्सेप्टेन्स मत दो। इसमें लिखा है— At the instance of the State Government स्टेट गवर्नमेन्ट को कहा कि अगर तुमने प्रोपर्टी पर सीलिंग लगा दी तो तुम्हारा बंटाढार हो जाएगा। मैं कहता हूं कि वह कौनसी सरकार थी जिसने प्रेसीडेन्ट को प्रार्थना की ? उस सरकार ने गलती की। अतः, श्रीमन् अरबन प्रापर्टी सीलिंग एक्ट लागू करना जरूरी है, क्योंकि समाजवाद लाना जरूरी है, आर्थिक विषमता को हटाना जरूरी है, फिर इनके बड़े काबिल मंत्रीजी ने कहा कि 76 में यह बिल लागू हो गया तो मैंने इनसे प्रार्थना की उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर......

श्री रघुनन्दन व्यास : पाली। पाली को भी जोड़िये।

श्री मूलचन्द डागा : पाली।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अरबन लैंण्ड (सीलिंग रेगुलेशन) एक्ट खाली ओपन लैंण्ड के लिये है, यह गलत है। बिल्ट अप एरिया भी इसमें शुमार किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : बेकार में कह रहे हैं। इस बात को आप पढ़ लेते क्लाज बाई क्लाज वह ओपन लैंण्ड के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आप··

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, संसद के द्वारा एक्ट बना है उसको माननीय डागाजी ने पढ़ा नहीं है। भ्रम को आप रिपीट कर रहे हैं। माननीय डागाजी, उसको आप पढ़ लेते तो आपको अपने विचार रखने में सुविधा होती।

श्री मूलचन्द डागा : अरबन लैंड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1976 है, मेरा प्रश्न यह है कि 1976 में वह लागू कर दिया तो 1976 के बाद दो साल के बाद आप इसको क्यों लाये? आप यह सोच रहे थे कि 1976 से लागू हो गया तो ज्यों ही आपकी सरकार 1977 में बनी उस समय से ही यह एक्ट रिडन्डेन्ट है। लेकिन, श्रीमन्, यह दो साल तक विचार करते रहे। दो साल के बाद बिल लाये तो मैंने प्रश्न किया, बाहर ओपन लैंण्ड आपने कितनी रखी ? 1500 जयपुर में और 2000 कोटा में। इसमें ओपन लैंण्ड का था और उसमें सम्पूर्ण बिल्डिंग का था। मेरा यह कहना है कि हम समाजवादी, क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो उस बिल में ही अमेण्डमेंट करके, उनको लेकर अधिग्रहण करते उस प्रापर्टी का तो समाजवाद की तरफ हमारा चरण बढ़ता। हम समाजवाद की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जो इस प्रकार से आपको लॉ बनाना पड़ रहा है इससे जनता समझ सकती है कि किसके लिए बना रहे हैं? कुछ गारन्टी है ? मैं यह जानता हूं कि आप कहो हैं ? मुझे जब मालूम हुआ है कि इस प्रकार का बिल ला

(श्री मूलचन्द डागा)

रहे हैं तो नम्रतापूर्वक आपके द्वारा विनय कर रहा हूं कि आप जो अपने घोषणा-पत्र को लेकर फिर रहे हैं उसमें लिखा हुआ था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है कि पूंजीवाद को समाजवाद लाने के लिए खतम करेंगे। यह इस घोषणा-पत्र में आपने प्रचार किया है, और इसमें यह बात कर दी। जब कर रहे थे तो जनता से पूछ लेते। यह आपके घोषणा-पत्र का सैकण्ड चैप्टर है। इसमें लिखा हुआ है कि हम सब पूंजीपतियों की जमीन जायदाद लेंगे। आज यह बिल आ रहा है ? बहुत अच्छा है। कानून स्वीकृत नहीं हुआ इसलिए नहीं ली। सीलिंग का लॉ अरबन प्रापर्टी सीलिंग एक्ट है उसमें जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी सारी पूंजी पर भी ओपन लैण्ड का कानून लगा देते और फिर आकर आप कहते कि हमने उस पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया है इसलिए, मूलचन्द डागा, तुम्हारा बोलना बेकार है। तो मैं आपका स्वागत करता। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार भी बेशर्मी के साथ जो कांग्रेस ने कदम बढ़ाये थे उन्हीं के ऊपर चल रही है। यह घोषणा-पत्र के आधार पर न चल कर इस तरह की बात करके जनता को धोखा दे रही है, और जो जनता ने इसको विश्वास दिया था उनके साथ अन्याय कर रही है। किन बंगलों के लिए आप 10 लाख और 15 लाख का प्रावधान रखना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि आप इसका कोई उत्तर दें। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि बिल को रिकन्सीडर करके दूसरा बिल लायें। मैंने जो सवाल पूछा उस का कोई उत्तर नहीं आया। मेरी अयोग्यता और मेरी कमजोरी पर हमला किया और मुझे ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं क्योंकि कमजोरी मालूम होने से ज्ञान आता है, लेकिन मुझ में कमजोरी है या नहीं, वह जनता समझती है।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम डागा साहब को दाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान कांग्रेस सरकार की क्या मन्शा थी उसको बताया। उसके बारे में जितना यह जानते हैं हम नहीं जानते हैं। कम से कम उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है। लेकिन मुझे दुःख है कि आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है। आप उन्हीं के कदमों पर चलना चाहते हैं जिसको डागा साहब ने तस्लीम किया और कहा कि वह कांग्रेस सरकार की कमजोरी थी। आप में यह हौसला होना चाहिए था कि आप क्रान्तिकारी कदम उठाते मगर आप उसी से काम चला रहे हैं। कांग्रेस के उन्हीं कानूनों को शहरों में लागू करके आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में तब्दीली करना चाहते हैं और अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी गलती होगी। आज हालात क्या हैं। आप गौर करिये। लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। कुछ देर तक, कुछ महीनों तक आपने उसी कांग्रेस की सुविधा का उपभोग किया, वह सुविधा मिल गई। आप देखिये, गौर करिये कि आज जयपुर शहर के बीच में, उदयपुर शहर के बीच में, कोटा में शरीर पर फोड़ों की तरह शहरों के अन्दर लाखों एकड़ एग्रीकल्चर लैण्ड है। आपके जो मैन बाजार हैं उनके पीछे खेती होती है। आपके रानी के महल, राजा के महल के पास से हटाया बाहर दूर स्थान देकर तो राजाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने सौदा किया, प्रिवी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
पर्स को काटकर बाकी सारे महल थे, जायदाद थी, उसकी उनको छूट दे दी, कम्पेन्सेट कर दिया। आज सैकड़ों बीघा जमीन शहर के बीच में पड़ी हुई है। ऐसी भी एक-एक कोठी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपया है। आप देखिये उन कोठियों और बंगलों को। आप कह सकते हैं कि आपको अनुभव नहीं था, लेकिन आप यह मानेंगे कि 1-1 करोड़ रुपये की जायदाद जिनके पास है उनको आपने छोड़ा है। उनको आप छोड़ें नहीं। उन पर आप सीलिंग नहीं करेंगे और फिर बोलते हैं, आप कहते हैं और बात करते हैं जनता की भलाई की। जनता आपका भरोसा करेगी कैसे? यह करिश्मा है कि आज आपकी पोल खुल रही है, चिकमंगलूर में इन्दिरा गांधी लीड कर रही है। आप में यह हिम्मत नहीं है कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा दें। आप में यह हिम्मत नहीं है कि आप उन जायदादों को, उन रिलेशन्स को, जो रिलेशन्स कांग्रेस ने पूंजीपतियों के साथ बनाये थे, खतम कर दें। आप उन्हीं रिलेशन्स के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आम जनता को साथ लेना चाहते हैं, उसको निभाना चाहते हैं, बहुमत का साथ लेना चाहते हैं। आप को यह डिसाइड करना पड़ेगा, इस बात को तय करना पड़ेगा। एक करोड़, 50 लाख के बंगले जिन्होंने बना लिये हैं उनके ऊपर सीलिंग लागू नहीं करेंगे, आप कैसे समाजवाद की बात करेंगे। शहरों में सीलिंग ...

श्री मूलचन्द डागा : उन पर सीलिंग नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीलिंग होगा नहीं। जो कांग्रेस ने किया है वही आप कर रहे हैं। आप सीलिंग करना नहीं चाहते हैं। आपकी मन्शा हो सकती है। यह रेस्ट्रिक्शन आपने नहीं लगाया है, यह रेस्ट्रिक्शन तो कांग्रेस सरकार ने ही लगा दिया था। तो फिर समाजवाद लाने के लिये समाज में तब्दीली आप किस तरह से करना चाहते हैं? अभी हल्दीघाटी झुग्गी झोंपड़ी वालों की हड़ताल चल रही है। उनके कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन आप 16-17 महीनों से इन लोगों को टच नहीं कर पाये हैं। तय करना तो अलग बात है, उनकी समस्याओं का निवारण करना दूर रहा उनको आपने टच भी नहीं किया। जब तक आप उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे तब तक चिकमंगलूर बनते ही रहेंगे और इसका नतीजा खराब निकलेगा। लोगों को पता चल गया कि आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आपने बड़ी-बड़ी बातें की थीं कि जनता को चुने हुए नुमाइन्दों को वापस बुलाने का अधिकार भी है। आप उन तमाम घटनाओं को याद करें। शहरों के बीच में काफी जमीन पड़ी है, रामगढ़ पैलेस बन गया, पोलो ग्राउण्ड बन गया। लोगों को आप रहने के लिए बाहर भेजते हैं। सेण्टर में लोग............

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खेत बोते हैं, सब्जी बोते हैं। आखिरकार यह क्यों है, यह आपके सोचने का मसला है। आप कहते हैं कि बोलने का बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी प्रकार बोलना ही चाहते हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : इनके लिए कहा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपका इरादा नेक हो तो लोगों को आप शहर में बसाइये। आज कौनसी ऐसी ताकत है जो चिकमंगलूर में श्रीमती गांधी को जिता

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
रही है । गरीबों की ताकत है, गरीबों ने उसको जिताया है । हिन्दुस्तान की जनता को आपने वायदे दिये, आप उनसे पीछे जा रहे हैं । आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने सीलिंग एक्ट पढ़ा है सैण्ट्रल गवर्नमेंट का ? कांग्रेस ने शेल्टर दी है उसको वापस नहीं कर सकते ।

श्री मूलचन्द डागा : ले सकते हैं, एक्ट पास हुआ है । सैक्शन 4 है, टोटल अरबन प्रोपर्टी, सारे बंगले बने हुए हैं, पैलेसेज, हाउसेज ....

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप यह बात कह रहे हैं, आपको मैं एक दोस्ताना सलाह दे रहा हूं, कोई नुक्ता-चीनी नहीं कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा, आप लोग उसी दिशा में मत चलिये, जिस पर इन्दिरा गांधी चलीं । यह बहुत खतरनाक होगा ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम जो आप रख रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या रख रहे हैं –

श्री नूरा : शहरी सम्पत्ति पर जो सीमा है--

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या ?

श्री नूरा : आप वकील हैं । मैं कानूनी भाषा में तो नहीं, आपने जिस भाषा में कहा है उसी भाषा में कह रहा हूं । आपने यह कह दिया कि ये कांग्रेस के टाइम पर बनाया और इसको वापस नहीं ले सकते । यह मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं । जब तक यह छूट वापस नहीं लें, तब तक ये जो बन्दिश लगाई है उसकी एवज में जो आप लाये हैं उसमें यों लिखा होता कि अधिग्रहण करके गरीबों को बाटेंगे तो ठीक होता । इससे तो पैसे वालों के घर भर जायेंगे । उनको आपने अधिकार दे दिये, गरीबों के हक में कोई काम नहीं किया । इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करता हुआ यह कहूंगा कि यह जो कानून आप लाये हैं, जो कांग्रेस, एक पार्टी ने किया, वही चार पार्टी मिलकर आप कर रहे हैं । आने वाले समय में फिर इसको चेन्ज करने की नौबत आयेगी । पैसे वालों को आपने दिल खोलकर पैसा लेने की छूट दी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया इसका उत्तर दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, माननीय सदस्यों ने सदन में इस प्रकार का चित्र खींचने का प्रयत्न किया कि जो सीलिंग एक्ट लागू हुआ है जिसके तहत सम्पत्ति की जो सीमा लगी हुई है उसमें परिवर्तन करके छूट दे रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, आप गलत बात क्यों कह रहे हैं ? यह क्या उत्तर दे रहे हैं ? मैंने यह कहा कि जो सीलिंग एक्ट लागू किया था

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह चित्र खींचने का

(श्री भंवरलाल शर्मा)
प्रयत्न किया है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहूंगा और पहले भी मैंने निवेदन किया है कि यह सीलिंग एक्ट में परिवर्तन नहीं है। सीलिंग एक्ट आज विचारार्थ भी नहीं है। एक व्यवधान है एक तरह से कि जो जमीन बेचने के लिए पाबन्दी है......

श्री नूरा : और सुन्दर ढंग से कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अधिग्रहण कर सकते हैं जिसके लिए सीलिंग एक्ट है उसमें कोई परिवर्तन.......

श्री मूलचन्द डागा : कौनसा है? गलत समझा रहे हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : पाइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी जोर-जोर से इस तरह से इशारा करते हैं और मन्त्री महोदय की तरफ देख कर बोलते हैं जैसे कोई पुलिस वाला किसी डाकू या चोर को डाटता हैं। यह सदन की गरिमा के विपरीत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया उत्तर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो करिये कि हम बोलें तब तक कोई बीच में दूसरा तो नहीं बोले।

श्री मूलचन्द डागा : गलत बोलोगे तो बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ इशारा करके बोलना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। माननीय सदस्य कृपया सदन की गरिमा बनाये रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप काफी देर तक बोलें हैं और शायद एक बार फिर बोलेंगे। जो बिल मैं पेश कर रहा हूं जिसके लिये मैंने निवेदन किया है, इसके बारे में आपने एक भी सुझाव नहीं दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने सुझाव नहीं दिया है, यह कैसे कह दिया? बिल के अन्दर रेस्ट्रिक्शन्स रखिये। क्या बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, कृपया बिराजिये --

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने इसमें सारी बात रखदी है। अब भी यही कहना चाहता हूं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं। इसमें आपने कोई सुझाव दिया नहीं.......

श्री मूलचन्द डागा : दिया है मैंने सुझाव।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बात करते हैं सीलिंग एक्ट की वह विचारार्थ नहीं है डागाजी।

जो किताब आपके हाथ में है उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। विचार इस पर हो रहा है। यदि इस संशोधन पर आप सुझाव देते तो मैं विचार कर सकता था। इस पर आप कुछ बोले नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : सारी बातें मैंने कहीं। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कितनी जमीन आपने एक्वायर की?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कहते हैं इस कानून के तहत कोई जमीन एक्वायर नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)
की। इसमें सरकार के पास एक्वायर करने की पावर्स हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : अरबन प्रापर्टी (सीलिंग एण्ड रेगुलेटिंग) एक्ट जो आप कहते हैं 1976 में लागू कर दिया उसके तहत जमीन एक्वायर करनी थी।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस कानून में कहीं भी जमीन एक्वायर करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उसके लिए अलग कानून बना हुआ है जो आज विचाराधीन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल 8 नवम्बर, 1978 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.02 बजे, बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नये विद्युत् कनेक्शन हेतु उपभोक्ता को दी जाने वाली सुविधाएं

237. श्री रणमलसिंह (सीकर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् कनेक्शन की सर्विस-लाइन का सारा सामान उपभोक्ता किसान को ही क्रय करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि एच. टी. व एल. टी. दोनों ही प्रकार के खम्भों को उपभोक्ता किसान को ही साइड पर ले जाना पड़ता है, जिस पर भी उससे विद्युत् बोर्ड 1200 (बारह सौ) रुपये लेबर चार्ज के वसूल करता है ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपभोक्ता किसान के कुए पर किराये का मीटर होते हुए भी प्राकृतिक कारणों से मीटर के खराब होने पर उसकी जांच फीस व सम्पूर्ण कीमत क्रमशः 45.00 व 265.00 रुपये किसान को देने पड़ते हैं ? जब कि मीटर का किराया चालू रहता है।

(4) क्या यह सही है कि मीटर की केवल एक कोयल जल जाने पर भी मीटर की पूरी कीमत उपभोक्ता किसान से वसूल की जाती है और मीटर भी विद्युत् बोर्ड वाले ही ले जाते हैं ? यदि हां, तो यह किस नियम के तहत किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि मीटर की साधारण खराबी की रिपोर्ट करने तथा उसकी जांच करवाने के लिए उपभोक्ता किसान को सहायक अभियन्ता के कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब कि विद्युत् विभाग का कर्मचारी (लाइन-मैन) स्थानीय रूप से नियुक्त है ?

(6) क्या यह भी सही है कि ट्रांसफार्मर के अर्थिंग के लिए नमक व कोयले का चार्ज भी उपभोक्ता किसानों से ही किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत् प्रदाय की सामान्य शर्तों के अनुसार सर्विस-लाइन का खर्चा 100 फीट तक का (उपभोक्ता की प्रिमीसेज के बाहर) मण्डल वहन करता है तथा शेष उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। सर्विस-लाइन का सामान उपभोक्ता को नहीं खरीदना पड़ता है, उपभोक्ता से एस्टीमेट के अनुसार पैसे चार्ज कर लिये जाते हैं तथा मण्डल स्वयं सामान खरीदकर उपभोक्ता के यहां लगाता है।

(2) जी नहीं। एच. टी. व एल. टी. के खम्भे मण्डल स्वयं अपने साधनों से साइड पर पहुंचाता है, परन्तु कई बार उपभोक्ता अपनी जल्दी के लिये ही स्वयं उठाकर अपने साधनों से ले जाता है।

(3) व (4) यह सही नहीं है कि प्राकृतिक कारणों से मीटर जल जाता है। सामान्य शर्तों प्रदाय कीकी धारा 9 (डी) के तहत उपभोक्ता के प्रिमीसेज पर मण्डल की जो भी

(विद्युत् मंत्री)
सम्पत्ति, अपरेटस अथवा यंत्र लगे हुए हैं उनको यदि उपभोक्ता स्वयं या उसके किसी कर्मचारी की असावधानी या भूल से कोई नुकसान होता है तो नुकसान की क्षतिपूर्ति उपभोक्ता को करनी पड़ती है। उपभोक्ता से मीटर के चार्जेज उपरोक्त कारणों से ही वसूल किये जाते हैं।

(5) यह सही नहीं है। मीटर की किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कनिष्ठ अभियन्ता के यहां कराई जा सकती है, जो कि स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी को प्रारम्भिक जांच के लिए भेज देता है। तत्पश्चात् यदि खराबी पाया जाना प्रतीत होता है तो उपभोक्ता द्वारा टैस्टिंग फीस जमा कराने पर मीटर टैस्टिंग प्रयोगशाला में भेजना सम्भव होता।

(6) जी नहीं। यह सामान मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

विभिन्न जिलों में बच्चों के अपहरण की घटनाएं

238. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर और जोधपुर में कितने बच्चों के अपहरण की घटनाएं हुईं तथा इन उड़ाये गये बच्चों में से कितने बच्चे बरामद हुए तथा शेष बच्चों के बारे में क्या हुआ ?

(2) बच्चों के उड़ाये जाने की घटनाओं के पीछे क्या काण्ड रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में अब तक जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर और जोधपुर में 238 क्रमशः 23, शून्य, 3, 8, 3, और 4 बच्चों के अपहरण की घटनाएं हुईं। कुल 41 बच्चों का अपहरण किया गया जिनमें से 18 बच्चे बरामद हुए, 7 स्वयं भागे थे, जो वापस आ गये, 2 बच्चों का कतल कर दिया गया एवं 14 बच्चे बरामद करने शेष हैं जिनको बरामद करने के प्रयत्न जारी हैं।

(2) अपहरण का मुख्य कारण अन्य व्यक्ति से शादी करना, आपसी रंजिश तथा फिरौती पाया गया।

ग्राम भानसर कलां के तालाब में पड़ी रही व्यक्ति की लाश

239. श्री **सुरेश कुमार** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्राम मानसर कलां के तालाब में कुछ माह पहले एक व्यक्ति की लाश 10 दिन तक तैरती रही और किसी भी सरकारी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया ? यदि हां, तो इस लाश को निकालने की जिम्मदारी किसकी थी ?

(2) क्या किसी ने उस लाश के तालाब में पड़े होने की रिपोर्ट पुलिस में की थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट किस तारीख को की गई, और पुलिस ने किस तारीख को लाश को बाहर निकाला ?

(3) क्या इस बात की जांच

(श्री सुरेश कुमार)
थी कि लाश किसकी थी और मौत का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । दिनांक 8-7-78 को दिन में 12-15 पर रिपोर्ट दी गई थी । लाश अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर की जांच के अनुसार तारीख 11-7-78 को निकाली गई ।

(3) जी हां । मृतक की लाश की शनाख्तगी नहीं हो सकी । मौत का कारण डूबकर मर जाना, डॉक्टर ने प्रमाणित किया था ।

पत्रकारों को दी जानी वाली सुविधाएं

240. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के पत्रकारों को क्या-क्या सरकारी सुविधाएं सुलभ की गई हैं ? पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) वर्ष 1977–78 के बजट में पत्रकारों को सुविधा देने हेतु कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है तथा उस में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और किस प्रकार से ? कृपया पूरा विवरण देने का कष्ट करें ।

(3) क्या सरकारी सुविधा सभी श्रमजीवी पत्रकारों को सुलभ है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या राज्य सरकार भविष्य में सभी श्रमजीवी पत्रकारों को निःशुल्क आवास, चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) राज्य सरकार श्रमजीवी पत्रकार किन्हें मानती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को जो सुविधाएं राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1969 के अन्तर्गत सुलभ कराई जाती हैं, उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1977–78 के बजट में पत्रकारों को सुविधा देने हेतु 34,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान था, जिस में से कुल 32,261.50 रुपये खर्च किये गये । पूर्ण स्थिति निम्न प्रकार है:—

	प्रावधान	खर्च
1. पत्रकारों के स्वागत सत्कार	22,000	20,757.37
2. पत्रकारों की यात्रा	12,000	11,504.13

(3) जी नहीं । राज्य प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1969 में सरकारी सुविधायें केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही सुलभ की जाती हैं ।

(4) जी नहीं । सभी श्रमजीवी पत्रकारों को ऐसी सुविधायें दिया जाना साधानों के अभाव के कारण संभव नहीं है ।

(5) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में बताई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार कहे जाते हैं ।

राजस्थान सरकार

(गृह ख–2 विभाग)

क्रमांक: एफ–9(2) (151) गृह ख–2163 जयपुर, दिनांक 18-12-69

राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1969

प्रेस प्रतिनिधियों का राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकरण किये जाने हेतु नियम

राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:–(क) यह नियम राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1969 कहलायेंगे।

(ख) यह नियम राजस्थान गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव रखते हुये प्रवर्तन में आयेंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में भिन्न अभिप्राय प्रकट न हो यह होंगे जो उनके सामने लिखे हैं:—

(क) 'सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(ख) 'निदेशक' से तात्पर्य राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क विभाग के निदेशक से है।

(ग) 'प्रेस प्रतिनिधि' से तात्पर्य किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाता से है।

(घ) 'राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति' से तात्पर्य उस समिति से है जो राजस्थान सरकार द्वारा उक्त सरकार के प्रधानास्पद (हैडक्वार्टर) व जिला स्तर पर कार्य कर रहे समाचार-पत्रों अथवा समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं के अधिस्वीकरण के विषय में उक्त सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त की गई है।

(ङ) 'सम्पादक' से तात्पर्य व्यक्ति से है जो उस सामग्री के वरण पर नियंत्रण रखता है जो किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाती है।

(च) 'समाचार-पत्र' का तात्पर्य नियतकालिक प्रकाशन से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणी अन्तर्विष्ट हो।

3. अधिस्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र:–(1) राज्य स्तर पर अथवा राज्य के केन्द्र पर स्थित किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी के प्रेस प्रतिनिधि को अधिस्वीकरण किये जाने हेतु आवेदन-पत्र उक्त समाचार-पत्र या समाचार एजेन्सी के सम्पादक अथवा प्रबन्धक द्वारा निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र में जिस संवाददाता का अधिस्वीकरण किया जाना हो पत्रकारिक क्षेत्र में उसके व्यावसायिक अनुभव सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा दिया जायेगा।

(2) जिला मुख्यालय पर समाचार-पत्रों अथवा समाचार एजेन्सी प्रेस प्रतिनिधि की अधिस्वीकृति किये जाने हेतु आवेदन-पत्र उक्त समाचार-पत्रों या समाचार एजेन्सी के सम्पादक अथवा प्रबन्धक द्वारा उस जिले के जन सम्पर्क अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। जिला जन सम्पर्क अधिकारी उस प्रार्थना-पत्र को जिलाधीश की सिफारिश के साथ निदेशक, जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन-पत्र में संवाददाता अथवा प्रतिनिधि, जिसका अधिस्वीकरण किये जाने को है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव संबंधी पूर्ण विवरण दिया जायेगा।

4. राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति को प्रेषण:—निदेशक प्रेस प्रतिनिधि के अधिस्वीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन-पत्र को राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति को उसकी सलाह के लिये प्रेषित करेगा और उस सलाह के साथ वह आवेदन-पत्र राज्य सरकार के निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगा।

5. अधिस्वीकरण के लिये शर्तें:—किसी प्रेस प्रतिनिधि द्वारा पूर्व उसके कि वह राज्य स्तर पर अथवा जिला स्तर पर अधिस्वीकृत किये जावे, नीचे लिखी शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिये:—

(1) (क) राज्य स्तर पर अधिस्वीकरण करने के लिये उसका कार्यालय राज्य के केन्द्र पर होना चाहिये।

(ख) जिला स्तर पर अधिस्वीकरण करने के लिये उसका कार्यलिय जिले के केन्द्र पर होना चाहिये।

नोट:—राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के सम्पादक जिसका नाम सम्पादक के रूप में पत्र में प्रकाशित होता हो, उनके अधिस्वीकरण के लिये सरकार के हैडक्वार्टर्स पर कार्यालय की शर्त लागू नहीं होगी।

(2) वह सक्रिय पत्रकार तथा पूर्णकालीन संवाददाता के रूप में नियोजित होना चाहिये।

(3) उसे उस तारीख को जिसको कि आवेदन किया जायें पत्रकारिता के व्यवसाय का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, अथवा वह पर्याप्त अनुभव तथा स्थिति का और ऐसा व्यक्ति हो जो अपने कर्तव्यों का पालन सक्षमता तथा उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर सके।

(4) यदि वह किसी समाचार-पत्र का संवाददाता है तो अधिस्वीकृति देने से पहले उस समाचार-पत्र के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगा:—

(क) समाचार-पत्र का प्रकार (टाइप)

(ख) समाचार-पत्र के प्रकाशन की नियतकालिकता तथा नियमितता, और

(ग) समाचार-पत्र का परिचालन तथा उसका प्रभाव।

6. यदि संवाददाता किसी समाचार एजेन्सी अथवा एजेन्सियों में काम करता हो तो अधिस्वीकृति देने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगा:—

(क) समाचार एजेन्सी का प्रकार (टाइप)

[redacted]

(ख) एजेन्सी सेवाओं के वितरण की प्रणाली, और

(ग) समाचार-पत्र जिन्हें उस समाचार एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त हैं।

7. प्रेस फोटोग्राफर एवं व्यंग चित्रकारों का अधिस्वीकरणः—(1) प्रेस फोटोग्राफर एवं व्यंग चित्रकारों को अधिस्वीकृत किया जा सकता है।

(2) प्रेस फोटोग्राफरों अथवा व्यंग चित्रकारों को मान्यता देने में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:—

(क) संबंधित समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी का स्तर जो नियम 5 में बतलाये गये हैं।

(ख) प्रेस फोटोग्राफी अथवा व्यंग चित्रकारी का अनुभव।

8. अधिस्वीकृत किये जाने वाले संवाददाताओं की:—(क) अधिस्वीकरण के लिये यह आवश्यक होगा कि वह प्रतिनिधि किसी ऐसे पत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जो कम से कम पक्ष में एक बार निकलता हो, अन्य प्रेस प्रतिनिधि केवल जन सम्पर्क विभाग द्वारा सूचना संबंधी सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) किसी समाचार-पत्र को सामान्यतः एक से अधिक अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि रखने का हक नहीं होगा। किसी समाचार एजेन्सी अथवा दैनिक समाचार-पत्र को जो राजस्थान में प्रकाशित होती हो, के लिये अधिस्वीकृत किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का निश्चयन उनकी आवश्यकताओं तथा निदेशक द्वारा दी जा सकने वाली सुविधाओं की मर्यादाओं को दृष्टि में रखते हुये किया जायेगा।

9. प्रेस प्रतिनिधियों के लिये अधिस्वीकृत कार्ड:—(क) राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि को एक अधिस्वीकृत कार्ड, जिस पर संवाददाता का फोटो होगा, जारी किया जायेगा। राज्य स्तर पर यह कार्ड निदेशक देगा। जिला स्तर पर यह कार्ड जिलाधीश देगा। अधिस्वीकृत कार्ड का उपयोग सामान्यतः ऐसे सम्मेलनों में जो सरकार द्वारा या अन्य किसी प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा आयोजित किये जायें, उपस्थिति होने तथा सरकारी कार्यालयों इत्यादि में प्रवेश करने के लिये किया जावेगा।

अधिस्वीकृति कार्ड ऐसे विशेष समारोहों अथवा सम्मेलनों जहां प्रवेश निमंत्रण पत्रों व सुरक्षा अनुमति पत्रों द्वारा (पास) द्वारा नियंत्रित हो, में उपस्थित होने के लिये स्वीकार्य नहीं होंगे और वे हस्तांतरणीय भी नहीं होंगे।

(ख) मान्यता मिल जाने से संवाददाता आदि का कोई सरकारी स्तर निर्धारित नहीं हो जाता। सरकार संवाददाता को केवल संबंधित समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान करती है इसलिये ऐसे संवाददाता आदि को अपने विजिटिंग कार्ड अथवा लेटरहेड पर राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधि नहीं छपवाना होगा।

10. अधिस्वीकृत प्रतिनिधि अथवा संवाददाताओं को सुविधा:—अधिस्वीकृत प्रतिनिधियों को निम्नांकित में से एक या अनेक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं:—

(क) जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा संचालित पुस्तकालय तथा पत्रकार-कक्ष का उपयोग।

138

(ख) राज्य सरकार द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनों एवं अन्य राजकीय समारोहों में जहां के लिये उन्हें निमंत्रण भेजा जाय, उपस्थिति।

(ग) भारत सरकार अथवा और किसी मान्य माध्यम यात्रा की नीति के अनुसार कन्सेशन सुविधा के लिये सिफारिश।

(घ) अधिस्वीकृत पत्रकारों अथवा संवाददाताओं को टेलीफोन उपलब्ध कराने की यथा आवश्यकता सिफारिश।

(ड़) विभिन्न विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल को सुविधा।

(च) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित सूचना सामग्री, फोटोज, प्रकाशन आदि उपलब्ध कराना।

(छ) मंत्री एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं फोटोग्राफ आदि लेने की सुविधा।

(ज) कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर घूमने की सुविधा की सिफारिश।

(झ) विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर सुरक्षा-पत्र उपलब्ध करना।

11. प्रेस प्रतिनिधि के अधिस्वीकरण की समाप्ति का नोटिस:—जब कोई अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेन्सी का प्रतिनिधित्व करने से बन्द हो जाये तो उसे इस तथ्य की सूचना निदेशक, अथवा जिला जन-सम्पर्क अधिकारी को देनी होगी। समाचार-पत्र का संपादक तथा समाचार एजेन्सी का प्रबन्धक भी इस तथ्य की सूचना किसी संवाददाता द्वारा समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी का प्रतिनिधित्व बंद किये जाने से 15 दिन के भीतर निदेशक, संबंधित जिला जन-सम्पर्क अधिकारी को देगा। यदि ऐसी सूचना ठीक समय पर न दी जाये जो तो निदेशक को नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात उन सब सुविधाओं को जो किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी को प्रदान की गई हो वापिस लेने का अधिकार होगा।

12. अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों की सूची का पुनर्विलोकन:—निदेशक, समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों के अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों की एक सूची रखेगा। इस सूची का राज्य सरकार द्वारा हर छः महीने राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के परामर्श से ऐसे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये जो समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों से उनके प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण हेतु प्राप्त हों, पुनर्विलोकन किया जायगा।

13. प्रेस प्रतिनिधियों का अधिस्वीकरण वापिस लिया जाना:—किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी के अधिस्वीकृत प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण वापिस ले लिया जावेगा यदि:—

(क) वह उन सूचनाओं तथा सुविधाओं का जो उसे एक अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि के रूप में दी जाये, पत्रकारिता से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग करता है या शासन सबंधी गोपनीय बातें जिनकी अनैतिकता सामान्य विवेक से स्वीकार करली जाती है, प्रकाशित करता है; या

(ख) वह अपने कर्त्तव्य पालन में अभद्र एवं प्रतिकूल व्यवहार करता है, या

(ग) वह उन शर्तों की उपेक्षा या उल्लंघन करता है जिनके आधार पर सरकार द्वारा सूचनायें एव सुविधायें दी गई हों और या

(घ) वह इन नियमों के किन्ही प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करता है किन्तु शर्त यह है कि यदि झूठी, दुर्भावनापूर्ण तथा असत्य रिर्पोटों को जानबूझकर प्रकाशन के लिये या संबंधित समाचार-पत्र या समाचार एजेन्सी में रखे विश्वास का दुरुपयोग करने के लिये समाचार-पत्र या समाचार एजेन्सी में न कि प्रेस प्रतिनिधि, उत्तरदायी हो तो राज्य सरकार उक्त समाचार-पत्र या समाचार एजेंन्सी को दी गई समस्त सुविधायें राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के परामर्श से वापिस लिये जाने की कार्यवाही कर सकेगी।

14. आपात दशाओं में अधिस्वीकरण अथवा निरस्तीकरण:—इन नियमों के प्रतिवेदनों के बावजूद राज्य सरकार किसी भी समय किसी अधिस्वीकरण के विषय में अथवा उसके निरस्तीकरण में कोई भी निर्णय ले सकती है और वह निर्णय मान्य होगा।

15. इन नियमों के लागू होने पर राज्य सरकार द्वारा पारित राजस्थान प्रेस प्रतिनिधिय अधिस्वीकरण नियम, 1958 खत्म समझे जावेंगे परन्तु जो आदेश, 1958 के नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये हैं, उन्हें नियमों के अन्तर्गत दिये गये माने जायेंगे।

आज्ञा से
ह०
(विष्णुदत्त शर्मा)
गृह आयुक्त एवं शासन सचिव।

राज्य परिवार कल्याण विभाग का बजट

241. **श्री जयकृष्ण शर्मा** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य परिवार कल्याण के लिए एक साल का कितना बजट है ? उसमें से कितना बजट गत साल (1977-78) में खर्च हुआ ?

(2) परिवार कल्याण के लिए कितनी उपलब्धियां राज्य सरकार ने प्राप्त कीं ? पूरा विवरण मय आंकड़ों के जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना के लिए जागरूक है ? यदि हां, तो किस प्रकार, और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व की योजना मानती है ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि इतना धन व्यय होने के बाद भी उपलब्धियां नगण्य हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार भविष्य में कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कौन से कदम होंगे ?

उत्तर

(1) परिवार कल्याण योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 में 377.39 लाख रुपये का

Page No 140

(140)

(चिकित्सा मंत्री)

बजट रखा गया था जिसमें से कुल 349.58 लाख रुपये खर्च हुआ।

(2) वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार ने परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल 12,636 नसबन्दी आपरेशन, 8951 आई. यू. डी. निवेषण एवं 69343 गर्भ निरोधक उपयोग करने वालों की उपलब्धियां प्राप्त कीं जिसका जिलेवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को काफी विस्तृत रूप दिया गया है जिसके अन्तर्गत अब केवल नसबन्दी कार्यक्रम ही विशेष अंग नहीं है वरन मातृ शिशु कल्याण सेवाओं का विस्तार भी एक प्रमुख स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण के अन्य साधनों को भी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है जैसे लूप निवेषण, निरोध, खाने की गोलियां आदि। यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रगति में वृद्धि हुई है जो कि संलग्न तालिका में विदित होगा। राज्य सरकार की यह मान्यता है कि कार्यक्रम के प्रति लोगों का खोया विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जाय। माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखमाल पर अधिक ध्यान दिया जायें, जिससे लोग स्वयं इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से अपने परिवार के कल्याण के लिये अपनायें।

(4) जी हां। वर्ष 75-76-77 में आपातकाल में की गई ज्यादतियों के कारण यह कार्यक्रम जनता में अप्रतिष्ठित हो गया तथा जनता में इसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई जिसके कारण प्रगति अवरुद्ध हो गई। जन मानस को इस कार्यक्रम के अनुकूल बनाने तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। अतः इस स्टेज पर धन व्यय की प्रगति से तुलना नहीं की जा सकती है।

(5) भारत सरकार की नई नीति के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. नई नीति के अनुसार नसबन्दी आपरेशन पूर्ण रूप से स्वेच्छिक होंगे उनमें जोर जबरदस्ती नहीं की जायेगी।

2. मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कान्फ्रेन्स आयोजित की गई जिसमें अधिकारियों के अलावा और सरकारी व्यक्तियों, केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव व अतिरिक्त सचिव ने भाग लिया। इस कान्फ्रेन्स से यह लाभ हुआ कि यह कार्यक्रम विभाग का न होकर सभी विभागों का हो गया।

3. केफेटेरिया पद्धति अपनाई जा रही है। निरोध, क्रीम, जेली, फोम टेबलेट, ओरल पिल्स, लूप व नसबंदी आदि कोई भी तरीके अपनाये जा सकते हैं।

4. परिवारों में बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है ताकि जो बच्चे पैदा हों वे स्वस्थ रहें एवं लोगों का विश्वास अधिक बढ़े।

5. **संकल्प-पत्र भरना**:—लोगों को यह अनुभव कराने के लिए कि परिवार की सीमा उन्हें सीमित रखनी है तथा इस कार्य हेतु कौन कौन से स्वेच्छा से साधन अपनायें। इस विषय में अनुकूल लोकमत बनाना आवश्यक है, इस उद्देश्य हेतु लोगों से अपनी स्वेच्छा से संकल्प-पत्र भरवाये जा रहे हैं। इस संकल्प-पत्र द्वारा नवीन चेतना का उदय

(चिकित्सा मंत्री)

हो सकेगा और यह कार्यक्रम जन-आन्दोलन का रूप ले सकेगा। हमारा उद्देश्य राज्य के निवासियों में यह भावना जाग्रित करना है कि परिवारों को सीमित रखने का निर्णय वे स्वंय कर रहे हैं।

6. **ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का गठन:**— ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण समितियों का गठन करने के लिये संबंधित ग्रामीण जन-समुदाय प्रेरित किया जा रहा है। यह समिति गांव वालों की अपने स्वयं का गैर सरकारी संगठन होगी तथा गांव घरों व परिवारों को स्वास्थ् रखने का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस संदर्भ में वे ग्रामवासियों को सीमित परिवार रखने के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार प्रेरित भी करेंगी।

7. **अन्त्योदय परिवारों की देख-भाल:**—राज्य में 1978-79 में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चुने गये लगभग 1 लाख 50 हजार परिवारों को विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं को शुरू कराने एवं अपने परिवारों को सीमित रखने के साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर, 78 से एक बड़े पैमाने पर योजना आरम्भ की गई है।

8. **महिला चिकित्सकों की नियुक्ति:**— गत 2 वर्षों–1977-78 एवं 1978-79 (अप्रेल से अगस्त तक) में प्रथम 5 महीनों में नसवन्दी अपनाने के लिये महिलाएं स्वयं आगे आ रही हैं। इन दो वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत महिला नसवन्दी हुई है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुये राज्य में 10 हजार जनसंख्या के कस्बों में अथवा उप-जिलास्तरों, अस्पतालों में जहां महिला चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं वहां 33 ऐसे स्थानों पर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है।

9. **अधिक प्रेरक राशि:**— प्रायोगात्मक आधार पर राज्य के 8 ब्लाक्स में अधिक प्रेरक राशि देकर कार्यक्रम में गति लाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

10. नये पोस्ट मार्टम सेन्टर एवं ओरल पिल्स सेन्टर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये 31 पोस्ट मार्टम सेन्टरों एवं 324 ओरल पिल्स केन्द्रों का विस्तार किया गया है।

11. **गर्भ समापन सेवाएं:**— गर्भ समापन सेवाओं के लिये राज्य में पहले 194 केन्द्र कार्यरत थे अब 11 नये केन्द्र और स्वीकृत किये गये हैं।

12. **ब्रिटिश एड स्कीम:**—ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नसवन्दी सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 23 उप-जिला स्तरीय अस्पतालों और 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपरेशन थियेटरों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेंसर रूम को आपरेशन थियेटर में बदलने का प्रस्ताव है।

13. **बाल शिशु सेवाएं:**—कार्यक्रम के प्रति लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिये मातृ शिशु सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की

[redacted]

(चिकित्सा मंत्री)

योजनाओं का उद्देश्य यह है कि बच्चों एवं माताओं व परिवारों के अन्य रिश्तेदारों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और परिवार की खुशाली हो।

14. **पुनःनस जोड़ना**:—परिवार नियोजन ऑपरेशन के कारण जो जटिलता हो जाय या कोई पुनः सन्तान पैदा करना चाहता हो तो उसकी निःशुल्क व्यवस्था करने का प्रावधान है एवं नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

15. **प्रशिक्षण**:—कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कार्यक्रम में कार्यरत लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे लोगों को कार्यक्रम की उपयुक्तता के बारें में भली प्रकार समझा सकें।

16. आयुर्वेद विभाग का भी इस कार्यक्रम में सहयोग लिया गया एवं आयुर्वेद विभाग से इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

17. राष्ट्रीय पखवाड़ा दिनांक 16-10-78 से 31-10-78 तक मनाया गया।

[redacted]

143

वर्ष 1977–78 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्रमांक	जिलों का नाम	बंध्याकरण			लूप प्रविष्टियां	गर्भ निरोधक उपकरण
		पुरुष नसबन्दी	स्त्री नसबन्दी	योग		
1.	अजमेर	138	1944	1182	498	2583
2.	अलवर	80	176	256	224	2182
3.	बांसवाड़ा	41	418	459	104	1696
4.	बाड़मेर	15	69	84	222	999
5.	भरतपुर	60	159	219	151	3000
6.	भीलवाड़ा	82	189	271	512	3519
7.	बीकानेर	168	528	696	471	1889
8.	बून्दी	6	40	46	188	1411
9.	चित्तौड़गढ	55	264	319	284	1808
10.	चूरू	96	316	412	94	808
11.	डूंगरपुर	19	341	360	68	661
12.	गंगानगर	150	426	576	894	8480
13.	जयपुर	304	2114	2418	1143	12936
14.	जैसलमेर	10	22	32	43	58
15.	जालोर	12	147	159	170	386
16.	झालावाड़	34	156	230	159	2627
17.	झून्झनूं	125	748	873	258	1072
18.	जोधपुर	131	1163	1294	667	2893
19.	कोटा	71	376	447	485	5701
20.	नागौर	58	234	292	202	3102
21.	पाली	30	352	382	429	1658
22.	सवाई माधोपुर	30	21	51	248	1784
23.	सीकर	42	193	235	149	3117
24.	सिरोही	24	276	300	349	1443
25.	टोंक	15	52	67	137	1550
26.	उदयपुर	152	824	976	816	1908
	योग राजस्थान ..	1948	10688	12636	8951	69343

इम्यूनाईजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्कीम्स के जो लक्ष्य एवं प्राप्तियां थीं वे निम्न प्रकार हैं:–

क. संख्या नाम स्कीम	1976-77			1977-78			1978-79		
	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्रतिशत
(1) डी. पी. टी.	200000	65818	32.9	200000	176957	18.5	150000	63599	
(2) डी. टी.	100000	68008	68.0	100000	128024	128.0	110000	29634	
(3) टी. टी.	100000	35216	35.2	100000	51044	31.0	70000	32133	
(4) विटामीन (ए) सेलान	300000	92898	30.9	1000000	560273	56.0	1000000	91903	
(5) आइरेन फोलिक एसिड की गोलियां									
(1) माताएं	75000	37671	50.1	150000	222492	148.3	250000	125479	
(2) बच्चे	75000	30166	40.2	150000	119870	79.9	250000	89475	

बाड़मेर जिला आयोजना समिति द्वारा जन-स्वास्थ्य विभाग को भिजवाई गई सिफारिशें

242. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाड़मेर जिले के नरसाली बाड़ी (ग्राम कोलू) स्कूल, वायतू चिमनजी का हेमजी का तला, वायतू मोपजी की मादासर तली एवं जोगासर तली, ग्राम सोयेसरा मोजासर से विनियाला, बोडवा, खरंटीया एवं नोसर में जल कष्ट की समस्या भयंकर रूप धारण किये हुए है ?

(2) क्या बाड़मेर जिला आयोजना समिति ने भी उक्त ग्रामीण जलप्रदाय योजना की स्वीकृति के लिए जन-स्वास्थ्य विभाग को सिफारिश भेजी है ?

(3) क्या विभाग ग्रामीण जनता की आवश्यक मांग को देखते हुए उक्त योजना को इसी साल स्वीकृति देगा ?

उत्तर

(1) ग्राम नरसाली बाड़ी (ग्राम कोलू) स्कूल एवं वायतू चिमनजी एवं वायतू मोपजी की जलप्रदाय योजना संधारण में है। ग्राम मोजासर एवं सेविनियाला में जलप्रदाय योजना स्वीकृति हेतु चयनित करली गई है। ग्राम सोमेसरा, बोड़वा, सरटीया एवं नोसर में पीने के पानी की समस्या है। हेमजी का तला यादासर तली एवं जोगासर तली जनगणना पुस्तिका के अनुसार अलग से ग्राम नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) इस वर्ष स्वीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता।

रोजगार कार्यालयों से स्वनियोजन योजना के तहत स्वनियोजित होने के लिए भिजवाये गये व्यक्तियों के नाम

243. श्री **श्रवणलाल** (हिण्डौन): क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कितने आशार्थियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से "स्व-नियोजन योजना" के तहत, स्व-नियोजित होने के लिए बैंकों, राजस्थान वित्त निगम, लघु उद्योग निगम और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को नाम प्रेषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे आशार्थियों की प्रत्येक विभाग में यह कह कर उपेक्षा की गई कि रोजगार कार्यालय को हमें लिखने का क्या अधिकार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह केवल एक हवाई स्कीम है व इसके लिए कोई नियम सरक्यूलर न अभी बनाये गये हैं, न ही इसके लिए किसी भी विभाग को जिसका कि इस योजना से सम्बन्ध है इसे प्रतिपादित करने के लिये बाध्य किया गया है ? कृपया इस योजना की नीति घोषित करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिलेवार एवं वर्षानुसार सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जो सुविधायें सामान्य रूप से कार्यों के लिये उपलब्ध है, उनके प्रति मार्गदर्शन देकर प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। नियोजन कार्यालयों द्वारा वहां रोजगार की तलाश में आने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन की वार्ताओं द्वारा स्व-नियोजन के क्षेत्रों, कार्य आदि की सूचना दी जाती है। इन्हीं वार्ताओं के द्वारा उन्हें, जिन स्रोतों से वित्तीय तकनीकी मशीनरी क्रय करने के लिये, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता मिल सकती है उसकी भी जानकारी दी जाती है एवं स्वनियोजन को अपनाने के लिये अभिमुक्त किये जाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

परिशिष्ट 'क'

स्वनियोजन हेतु विभिन्न बैंकों एवं विभागों को प्रेषित आशार्थियों के आवेदन-पत्रों की संख्या

उप-क्षेत्रीय कार्यालय	जिला नियोजन	जुलाई 74, से जून, 75	जुलाई 75, से जून, 76	जुलाई, 76 से जून, 77	जुलाई, 77 से जून, 78
1.	अजमेर	41	33	..	6
2.	अलवर	..	48	345	48
3.	बांसवाड़ा	2	2	6	10
4.	बाड़मेर	..	2	13	17
5.	भरतपुर	13	34	28	15
6.	भीलवाड़ा	1	..	..	11
7.	बीकानेर	13	52	54	21
8.	बून्दी	1	..	9	4
9.	चित्तौड़गढ़	19	62	28	8
10.	चूरू	..	18	35	..
11.	डूंगरपुर	11	58	49	31
12.	जयपुर	1	11	4	4
13.	जैसलमेर	..	..	23	..
14.	जालोर	..	10	18	14
15.	झालावाड	..	..	1	..
16.	झुन्झनू	14	3	1	..
17.	जोधपुर	..	130	29	15
18.	कोटा	..	..	5	..
19.	नागौर	..	..	3	..
20.	पाली	3	5	..	..
21.	सवाई माधोपुर	..	5	7	10
22.	सीकर	..	2	4	..
23.	सिरोही	..	6	10	4
24.	श्री गंगानगर	..	37	1	10
25.	टोंक	17	58	26	31
26.	उदयपुर	..	7	7	6
	योग ..	96	583	706	265

परि

जुलाई, 1974 से मार्च, 1975 तक विभिन्न व्यवसायों में स्व-नियोजित

	व्यवसाय	संख्या
1.	बीमा एजेन्ट	6
2.	गमदा उद्योग . . .	2
3.	बुक वाइन्डिग . .	1
4.	डेयरी	1
5.	सिलाई कार्य . .	2
6.	बीड़ी उद्योग . .	5
7.	कृषि औजार कार्य . .	2
8.	साबुन उद्योग . .	2
9.	किराने की दुकान . .	1
10.	हेयर ड्रेसर का कार्य . .	1
11.	चमड़े की सफाई का कार्य	1
12.	अन्य लघु उद्योगों में . .	1
	योग . .	25

अप्रेल, 1975 से मार्च, 1976 तक विभिन्न व्यवसायों में स्व-नियोजित आशार्थियों की संख्या

क्र. संख्या.	व्यवसाय	आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	एग्रो सर्विस सेन्टर	1
2.	साबुन बनाना	4
3.	चमड़े का कार्य (जूते बनाने आदि)	10
4.	जनरल मर्चेन्ट	1
5.	बांस की टोकरी बनाना	4
6.	प्लास्टिक उद्योग	1
7.	दाल मिल/ऑयल मिल	1
8.	बीज, खाद विक्रय	1
9.	तेल घाणी व्यवसाय	3
10.	डेयरी दुग्ध व्यवसाय	2
11.	पतंग बनाना	10
12.	राखी बनाना	10
13.	बाण एवं मूंज	10
14.	वाच रिपेयरिंग	2
15.	पत्थर एवं खनन कार्य	1
16.	साइकिल सुधारने का कार्य	5
17.	प्लास्टिक नेम प्लेट बनाना	1
18.	रेस्टोरेन्ट	1
19.	कपड़े की दुकान	1
20.	पेन्टिंग कार्य	1
21.	मशीनिष्ट	25
22.	पान की दुकान	5
23.	क्लिनिक	1
24.	गृह उद्योग	10
25.	फोटो स्टूडियो	1
26.	बुनाई (नीटिंग)	1
27.	रेडीमेट वस्त्र बनाना	5
28.	मोमवत्ती, अगरबत्ती उद्योग	2
29.	आयरन इन्डस्ट्री	2
30.	रंगाई छपाई कार्य	30
31.	हेयर ड्रेसर	5
32.	ईंट बनाना	4
33.	सुपारी कार्य	1
34.	झाडू बनाना	1
35.	फर्नीचर बनाना	1
36.	रेडियो सुधारने का कार्य	1
37.	बीमा एजेन्ट	2

1	2	3
38.	काकरी व्यवसाय	1
39.	लुहार का कार्य	7
40.	सिलाई का कार्य	159
41.	किराने की दुकान	2
42.	ट्रक चलाने	1
43.	कशीदाकारी (एम्ब्राडरी)	1
44.	ठेलागाड़ी चलाने का कार्य	2
45.	प्रिन्टिंग प्रेस	1
46.	सब्जी विक्रय	2
47.	अन्य लघु कार्य	20
	योग ..	363

अप्रेल, 1977 से अगस्त, 1978 तक विभिन्न व्यवसायों में स्व-नियोजित आशार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	व्यवसाय	आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	प्रोविजन स्टोर	1
2.	रंगाई व टोकरी बनाना	11
3.	सब्जी/ फ्रूट की दुकान	5
4.	ठेलागाड़ी, बैलगाड़ी, लट्ठा	3
5.	लकड़ी की टाल	1
6.	जूते बनाने का कार्य	11
7.	चमड़ा व्यवसाय	1
8.	झाड़ू व छबड़ी बनाना	3
9.	किराने की दुकान	3
10.	ट्रक चलाने हेतु	1
11.	हेयर कटिंग	5
12.	सिलाई मशीन	3
13.	साइकिल की दुकान/ सीट बनाना	4
14.	रेस्टोरेन्ट	2
15.	आटो रिक्शा चलाने	2
16.	टीनोपाल/चाक निर्माण कार्य	1
17.	लाख की चूड़ियां	8
18.	ड्राईंग एवं पेंटिंग	2
19.	रेजा बुनना	1
20.	दुग्ध व्यवसाय/डेयरी	2
21.	आटे की चक्की	1
22.	स्टाम्प वैन्डर	1
23.	टंकण यंत्र प्रशिक्षण स्कूल	2
24.	एल्यूमीनियम की मूर्ति	1
25.	मछली पकड़ने का जाल बनाना	3
26.	हाथकरघा	8
27.	व्यापार सामान्य	1
28.	प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग	1
29.	कोल ब्रिकिट	1
30.	मूंगफली का ठेला लगाने	1
31.	आयल एक्पेलर	1
32.	बिजली के तार बनाना	2
33.	स्टेशनरी	1
34.	आटो इलेक्ट्रिक	1
	योग ..	95

अप्रेल, 1976 से मार्च, 1977 तक विभिन्न व्यवसायों में स्व-नियोजित आशार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	व्यवसाय	आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	गृह उद्योग	19
2.	किराना एवं जनरल स्टोर	29
3.	मोची/चमड़ा कार्य	33
4.	झाड़ू बनाना	5
5.	सिलाई मशीन/ कटपीस कार्य	30
6.	बीज खाद विक्रय	6
7.	लकड़ी का फर्नीचर	2
8.	सूअर के बालों का विक्रय	1
9.	पान की दुकान	9
10.	दवाई की दुकान	3
11.	रंगाई-छपाई का कार्य	2
12.	हेयर ड्रेसर का कार्य	5
13.	डेयरी उद्योग	38
14.	कुक्कुट पालन	17

1	2	3
15.	बीमा एजेन्ट	21
16.	अल्प बचत एजेन्ट	32
17.	लाख की चूड़ी बनाना	4
18.	ठेला चलाना, फल विक्रय, टी-स्टाल ।	24
19.	मछली पालन	1
20.	पत्थर की खान का कार्य	5
21.	साईकिल की दुकान	14
22.	लकड़ी की टाल	2
23.	ट्रक चलाने हेतु	2
24.	छापाखाना	1
25.	मोमबत्ती अगरबत्ती उद्योग	1
26.	काक बेकरी	2
27.	बांस की टोकरी बनाना	4
28.	साड़ियां उद्योग	1
29.	बुक बाईन्डिंग का कार्य	4
30.	कारपेन्टर	8
31.	लुहार का कार्य	5
32.	फोटोग्राफी	1
33.	बिजली सजावट	2
34.	आटे की चक्की	2
35.	रिक्शा चलाने	3
36.	तेल की घाणी	2
37.	टंकण कार्य	1
38.	रबर की मोहर बनाना	1
39.	रेडियो सुधारना	2
40.	स्टेशनरी का कार्य	1
41.	पापड़ उद्योग	1
42.	फल संरक्षण	1
43.	पेन्टिंग	1
44.	बुनाई कार्य	6
45.	हाथकरघा	3
46.	अन्य लघु उद्योग	116
	योग ..	473

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा योजना

244. श्री **बजरंगलाल शर्मा** (बनी पार्क, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की क्या योजना है ?

(2) चालू वर्ष में इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा और किस माध्यम से ?

(3) क्या इस विषय में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किस प्रकार की संस्थाओं को ? क्या ऐसी संस्थाएं जिनका राजनैतिक गतिविधियों से सम्बन्ध रहा है या है, को भी इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सुविधा देने का राज्य सरकार का विचार है ?

(4) इस योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि का राजनैतिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के क्या निरोधात्मक उपाय (सेफ गार्ड) किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त देश में 6 वर्षों में 10 करोड़ व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है । इसी के सन्दर्भ में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के 60 लाख लोगों को 1978 से 1984 तक की अवधि में शिक्षित करने की योजना बनाई गई है । 60 लाख लोगों को प्रभावी रूप से शिक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में इन 6 वर्षों में 2,79,000 केन्द्र संचालित किये जायेंगे । इस कार्यक्रम में प्रति प्रौढ़ 80) रुपये व्यय

(शिक्षा मंत्री)

होने का अनुमान है। इसके अनुसार 60 लाख लोगों के लिये 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस लागत में 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सम्मिलित करने पर कुल 52.80 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। प्रौढ़ों के शिक्षित बनने के बाद निरन्तर ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था की योजना भी बनाई गई है। इस हेतु 10.56 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार के विशेष पेटर्न के अनुसार 63.36 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये वर्ष 1978-79 की जो योजना बनाई गई है, यदि केन्द्रीय सरकार उसे स्वीकार कर ले तो उसके अनुसार भारत सरकार से लगभग 125.00 लाख रुपये मिलने चाहिये। राज्य सरकार इस कार्यक्रम हेतु योजना मद से लगभग 31.00 लाख रुपये खर्च करेगी। यह व्यय स्वयं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों तथा स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों के माध्यम से होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार की प्रौढ़ शिक्षा नीति के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का अधिकतम सहयोग इस कार्यक्रम के संचालन में लिया जाना है किन्तु राजनैतिक दल एवं उनसे संबंधित महिला, युवा, श्रमिक एवं किसान संगठनों, दलों, अखिल भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक एवं युवा संगठनों और अध्यापकों, छात्रों, व्यवसाय एवं उद्योग से संबंधित संगठनों को इस कार्यक्रम के संचालन में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्थायें, पब्लिक ट्रस्ट एवं बगैर लाभ के उद्देश्य से कार्यरत कम्पनीज इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगी।

(4) राजनैतिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी—उनके कार्य का निरीक्षण, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन कर कार्य का मूल्यांकन भी कराया जायेगा। समस्त जिलों में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बना दिये हैं जो स्वेच्छिक संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन करेंगे।

जोधपुर-अजमेर व बीकानेर उप-क्षेत्रीय नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

245. श्री **बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर), श्री **किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक 1-1-77 से 31-12-77 तक जोधपुर, अजमेर व बीकानेर में उप-क्षेत्रीय नियोजन कार्यालयों में कितना-कितना पंजीयन हुआ ? कितने नाम नियुक्ति हेतु भेजे गये ? कितने व्यक्तियों की नियुक्ति हुई ?

उत्तर

दिनांक 1-1-77 से 31-12-77 तक जोधपुर, अजमेर व बीकानेर उप-क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय में कितना-कितना पंजीयन हुआ, कितने नाम नियुक्ति हेतु भेजे गए एवं कितने व्यक्तियों की नियुक्ति हुई

(रोजगार मंत्री)

के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	कार्यालय	पंजीयन	नियुक्ति हुई	नियुक्ति हेतु भेजे गए
1.	जोधपुर	12,171	1,207	15,118
2.	अजमेर	11,993	865	13,389
3.	बीकानेर	7,500	718	8,365

एक साल की उपलब्धियां के प्रकाशन हेतु दी गई धनराशि

246. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या इस साल "एक साल की उपलब्धियां" करीब-करीब राज्य के सभी छोटे-बड़े समाचार-पत्रों एवं हिन्दुस्तान के मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई ? यदि हां, तो किन-किन अखबारों में ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन-किन पत्रों को कितनी-कितनी धनराशि उपलब्धियों के प्रकाशन हेतु दी गई ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट 'क')

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट 'ख')

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई।)

मकराना-नागौर बस सेवा

247. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

मकराना-नागौर बस सेवा कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

निजी अनुज्ञापत्र-धारियों द्वारा मकराना-नागौर बस सेवा पूर्व से चलाई जा रही है। यह बस सेवा वाया खाटू, इन्दाना, कुचेरा से होकर है। 6 बसें प्रतिदिन-3 वापिसी सेवायें करती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भी जयपुर-मकराना-नागौर मार्ग पर प्रतिदिन एक एकल सेवा संचालित की जा रही है।

ग्राम थनावद की प्रसाविका के विरुद्ध शिकायतें

248. श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर-थाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम थनावद प्रसाविका उपकेन्द्र पर श्रीमती आनन्द वली कब से नियुक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रसाविका के विरुद्ध शिकायतों पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रसाविका के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध राजस्व मंत्री जी की सिफारिश पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यह भी आदेश दिया है कि उक्त महिला को न हटाया जाये ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(4) क्या राजस्व मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में क्षेत्र के दोनों विधायकों ने वस्तु-स्थिति से अवगत कराया था और इसके उपरान्त भी राजस्व मंत्रीजी उसे हटाने के पक्ष में नहीं थे, किसी महिला विशेष के लिये राजस्व मन्त्रीजी की यह चेष्टा कहां तक न्यायोचित कही जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रसाविका श्रीमती आनन्द वली उपकेन्द्र धनावद पर दिनांक 12-10-72 से कार्यरत है।

(2) जी हां।

(3) माननीय विधायक के पत्र दिनांक 21-7-78 के अनुसार स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था जिसको बाद में राजस्व मन्त्रीजी की सिफारिश पर निरस्त कर दिया गया।

(4) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रसाविका का स्थानांतरण कर दिया गया है।

कामां तहसील के ग्रामों की पेयजल की समस्या

249. श्री **मुहम्मद जहूर** (कामां) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कामां तहसील के कितने ग्रामों में पेयजल की समस्या है ? यदि हां, तो कितने दिनों में राज्य सरकार उक्त समस्या को दूर करने में सक्षम हो सकेगी ?

उत्तर

कामां तहसील के कुल 263 में से लगभग 126 ग्रामों में पेयजल की समस्या है। राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में शीघ्र से शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है।

राज्य में प्रशिक्षित किये गये जन-स्वास्थ्य रक्षक

250. श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब तक कितने जन-स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किये गये हैं ? उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद क्या कार्य करने पड़ते हैं और उन्हें राज्य सरकार की ओर से क्या सहायता उपलब्ध कराई जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इन जन-स्वास्थ्य रक्षकों का प्रशिक्षण काल तीन महीने का होते हुए भी इनको 48 दिन का ही प्रशिक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो ये कैसे सम्भव है कि ये जन-स्वास्थ्य रक्षक इतने अल्प समय में प्रशिक्षित होकर ग्रामीण लोगों के इलाज हेतु कार्य कर सकेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार इनके प्रशिक्षण व कार्यों से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो भविष्य में विभाग इस योजना में क्या सुधार लाने जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक करीबन 2000 जन-स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनका कार्य ग्रामीण क्षेत्र की जनता को स्वच्छता की एवं स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाना है। साथ ही सामान्य बीमारियों की दवा आदि प्रदान करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है तो ऐसी अवस्था में जन-स्वास्थ्य रक्षक

(चिकित्सा मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सूचित एवं उपचार आदि करवायेगा। राज्य सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य रक्षक को 3 माह के प्रशिक्षण के दौरान रुपये 200/– प्रति माह का भत्ता एवं प्रशिक्षण के बाद प्रति माह 50/– रुपये की राशि तथा 50/– रु. की राशि की दवा आदि प्रदान की जाती है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं उठता।

जिला जालोर के सांचोर क्षेत्र के विद्युतीकरण का मामला

252. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर में अभी तक सिवाय सांचोर कस्बे के कहीं विद्युतीकरण नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा से सांचोर तक 33 के.वी. विद्युत लाइन लगाई जा रही है? अगर हां, तो इस लाइन को पूरा कब तक करवा दिया जावेगा?

(3) क्या 33 के. वी. लाइन लगने के बाद विद्युत बोर्ड उक्त लाइन के आसपास वाले गांवों एवं सांचोर के आसपास पांच मील की परिधि में सिचाई कुओं पर पावर कनेक्शन देना उचित समझेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र के करीबन 80 गांवों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विद्युत बोर्ड द्वारा बनाई गई थी? अगर हां, तो उक्त योजना की मंजूरी कब तक होने की आशा है?

उत्तर

(1) जी हां। बिजली की उच्च प्रसारण लाइन के अभाव के कारण इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रसार नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। सांचोर से सेवड़ा तक 33 के.वी. लाइन खेंची जा चुकी है और सेवड़ा से भीनमाल की 33 के.वी. लाइन पर कार्य चल रहा है। इस प्रकार वर्ष 1978-79 के अन्त तक भीनमाल से सेवड़ा होती हुई सांचोर तक 33 के.वी. की लाइन पूरी हो जायगी।

(3) जी हां? सांचोर में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के चालू हो जाने के बाद ही वहां के आसपास के गांवों का विद्युतीकरण करके कुओं को कनेक्शन देना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां। योजना विचाराधीन है। अभी प्रारूप का संशोधन किया जा रहा है। अतः स्वीकृति के विषय में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

मांडलगढ़ क्षेत्र की पंचायतों में व ों की कमी

253. श्री **मनोहरसिंह महता** (माण्डलगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मांडलगढ़ क्षेत्र में कई पंचायतें ऐसी हैं जहां

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कोई भी बस नहीं जाती और जनता भारी कष्ट पा रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार हर पंचायत हैडक्वार्टर को बस रूट से जोड़ने की योजना बनाकर बस रूट का स्कोप निकालने तथा योजना को तुरन्त कार्य रूप में परिणित करने के आवश्यक निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) राज्य में एक हजार या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को बस रूट से वंचित रखना क्या पिछड़ेपन की पराकाष्ठा नहीं है ?

उत्तर

(1) मांडलगढ़ क्षेत्र की 19 पंचायत के मुख्यालयों से 1 से 5 मील की दूरी से बसें चल रही हैं।

(2) परिवहन विभाग द्वारा जिला भीलवाड़ा की परिवहन योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार मांडलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में नये मार्गों का सर्वेक्षण करवा के मार्ग खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके पश्चात् इन मार्गों पर परमिट देने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) यदि राज्य में एक हजार या इससे भी कम आबादी के गांवों में होकर नये मार्ग खोलने और उन पर परमिट देने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है तो नये मार्ग खोलने व उन पर परमिट देने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षरों से मंत्री होदय को दिया गया ज्ञापन

254. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर से चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने हजारीलाल गर्ग, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ? यदि हां, तो वह पत्र सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के विधायकों द्वारा सी.आई.डी. से जांच कराने की मांग की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या यह सही है कि विधायकों द्वारा फर्जी हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन की फोटोस्टेट कापी मांगी गई ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं दी गई ?

(4) विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले कौन-कौन से कर्मचारी पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधायकों के हस्ताक्षर युक्त श्री हजारीलाल गर्ग, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन पर विधायकों के हस्ताक्षर जाली बतलाए गये हैं।

(2) विधायक श्री गोविन्द सहाय द्वारा सी.आई.डी. से जांच की मांग की गयी है। यह जांच पुलिस द्वारा करवायी जा रही है।

(3) जी हां। फोटोस्टेट कापी तैयार करवाई जा रही है।

(चिकित्सा मंत्री)

(4) फर्जी हस्ताक्षर करने वालों की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। जांच पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाहीं संभव होगी।

भरतपुर की पथैना नहर पर भुगतान की राशि का दुरुपयोग

255. श्री हरीकृष्ण (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर की पथैना नहर पर बिना काम हुए 18,000 रुपये के गलत भुगतान करने का मामला जिसे अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार भी किया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त रकम की वसूली करा कर अपराधी अधिकारियों को दण्ड दिलायेगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर पथैना नहर पर लगभग रु. 16,000/- का बिना काम हुए भुगतान हुआ है, संबंधित उप-अभियंता एवं सहायक अभियंता को निलम्बित कर दिया गया है व सम्पूर्ण मामला जांच हेतु अतिरिक्त महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राज., जयपुर को दिनांक 25-9-78 को सौंप दिया गया है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

256. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के गांव दासपां, झुझाणी, सेनड़ी, कोरा आदि गांवों में निर्धारित योजना के तहत सारे ट्रान्सफार्मर लग चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रत्येक गांव की 60 से 70 फाइलें कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र सहायक अभियंता, भीनमाल के कार्यालय में पेन्डिंग हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सर्वे सब-डिवीजन ने उपरोक्त गांवों में अतिरिक्त ट्रान्सफोर्मर उपलब्ध कराने हेतु योजना बना कर विद्युत मण्डल व मुख्य अभियंता को तीन माह पूर्व भेजी है ? अगर हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ? क्या काश्तकारों को रवी की फसल की बुवाई से पहले कनेक्शन मिल जायेंगे ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त गांवों में सितम्बर, 78 तक कुल 291 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। सर्वेक्षण करके ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एस.पी.ए. योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों में और ट्रांसफार्मर लगाकर कुओं को बिजली देने की योजना बनाने का प्रयास किया गया, परन्तु भू-जल विभाग द्वारा पानी का ओवरड्राफ्ट बताये जाने के कारण योजना स्थगित कर दी गई। विद्युत मण्डल ने हाल ही में अब अपने खर्चे

(विद्युत मंत्री)
पर ऐसे कुओं को कनेक्शन देने का निर्णय ले लिया है तथा यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन देने का प्रयास किया जायेगा।

राज्य में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आधार

257. श्री **बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने राज्य में औषधालय किस आधार पर खोले हैं ?

(2) इस वर्ष राज्य सरकार ने कितने औषधालय खोले हैं तथा किस आधार पर खोले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भविष्य में राज्य सरकार कितनी जनसंख्या के गांवों में औषधालय खोलने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर औषधालय निम्न मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं :—

(क) औषधालय से प्रभावित जनसंख्या कम से कम 2000 हो।

(ख) जिस ग्राम में औषधालय खोला जाना है वहां से 8 कि.मी. के क्षेत्र में कोई भी राजकीय चिकित्सा सुविधा न हो।

(ग) औषधालय हेतु निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध हो।

(घ) स्टाफ हेतु निवास व्यवस्था उपलब्ध हो।

(2) इस वर्ष 1978-79 में 5 नवीन औषधालय ट्राइबल प्लान के बजट से ग्राम भामड़ी (बांसवाड़ा), तालेड़ा व रतनपुर (डूंगरपुर), कनवई व नईझर (उदयपुर) तथा हांसड़ी (चित्तौड़गढ़) में खोले गये हैं। ये औषधालय जन-जाति क्षेत्र में खोले गए हैं।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पंचायत समिति में 10 औषधालय हो जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

राज्य में हत्याएं, लूट-पाट डकैती, बलात्कार की घटनाएं

258. श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई ? हत्याएं, लूट-पाट, डकैती, बलात्कार व हरिजनों पर अत्याचार के मामलों में दर्ज शिकायतों के तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाए गये और उनमें सफलता न मिलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, तुलनात्मक आंकड़े वर्ष 1977 व 1978 के मास अगस्त तक के संलग्न हैं।

(2) पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाने के फलस्वरूप इस वर्ष अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रहा है।

जनवरी से अगस्त, 1977 व 1978 में पंजीबद्ध अपराध निम्न प्रकार हैं:—

	हत्या	लूट	डकैती	बलात्कार
(अ) 1977, अगस्त तक	473	1020	89	233
(ब) 1978, अगस्त तक	513	1113	96	241

(स) हरिजनों पर अत्याचार (अनुसूचित जाति)

	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	गम्भीर क्षति
(अ) 1977, अगस्त तक	12	25	11	20
(ब) 1978, अगस्त तक	12	48	38	22
(अनुसूचित जन-जाति)				
(अ) 1977, अगस्त तक	4	8	3	6
(ब) 1978, अगस्त तक	6	13	10	5

भीलवाड़ा तालाब के अन्दर औद्योगिक संस्थानों का रिफ्यूज्ड वाटर

259. श्री **कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा तालाब के अन्दर किन-किन औद्योगिक संस्थानों का रिफ्यूज्ड वाटर जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक इस विषय में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई?

(3) क्या इस रिफ्यूज्ड वाटर को तालाब में गिरने से बचाने के लिए शास्त्री नगर, भीलवाड़ा से एक नाला कुन्डली होकर सांगानेरन की नदी में डाला जा सकता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि एसिड-युक्त इस पानी से भीलवाड़ा में भयंकर रूप से चर्म रोग का प्रकोप हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, भीलवाड़ा तालाब के अन्दर मैसर्स माडर्न वूलन्स मिल्स प्रा. लि. मै., भीलवाड़ा वूलन्स मिल्स, मैं. राजस्थान प्रोडक्टस् लि. आदि औद्योगिक संस्थाओं का व्यापारिक उच्छिष्ट एक नाले द्वारा बहता हुआ भीलवाड़ा के तालाब में आता है।

(2) कार्यवाही चालु है। सम्बन्धित

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उद्योगों को उपचार संयंत्र लगाने के लिये जल प्रदूषण मण्डल द्वारा कहा जा चुका है। इस सम्बन्ध में उद्योगों द्वारा तकनीकी परामर्श किया जा रहा है।

(3) भीलवाड़ा की ड्रेनेज योजना का प्रारूप तैयार होने पर ही इस बारे में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

(4) इस प्रकार के एसिडयुक्त पानी से चर्म रोग होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा राज्य की सीमा में प्रवेश

260. श्री **हरिश कुमार शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि पाकिस्तान के घुसपैठिये राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

इस वर्ष राज्य की सीमा में 72 पाक नागरिकों द्वारा बिना पारपत्र अवैध रूप से प्रवेश करने पर उनके विरुध कानूनी कार्यवाही की गई है। सीमा पर पुलिस सतर्क है।

राज्य में बंगाली विस्थापितों को बसाने का मामला

261. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगज): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब तक कितने बंगाली विस्थापितों को किशनगंज विधान सभाई क्षेत्र में बसाया जा चुका है?

(2) ऐसे बंगाली शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक नागरिकता प्रदान नहीं की गई है? इन्हें नागरिकता प्रदान किये जाने में राज्य सरकार द्वारा देरी किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) किशनगज विधान सभाई क्षेत्र में कुल 572 विस्थापित परिवारों को बसाया गया है।

(2) इस विधान सभाई क्षेत्र में बसे बंगाली विस्थापितों की संख्या 3362 है, इनमें से 339 विस्थापितों ने तो अब तक भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन-पत्र पेश नहीं किये हैं तथा शेष विस्थापितों के आवेदन-पत्र जिलाधीश, कोटा के विचाराधीन हैं।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर में डिपोजिट एलॉटमेंट स्कीम के तहत जमा राशि

262. श्री **नरपतराम बरबड़** (सूरसागर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर में डिपोजिट एलॉटमेंट स्कीम में कई लोगों की रकम जमा है? अगर हां, तो कितने लोगों की कितनी-कितनी रकम कब से जमा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा इन लोगों को आवासीय भू-खण्ड कब तक आवन्टन कर दिये जायेंगे?

उत्तर

यह सही है कि डिपोजिट अलॉटमेंट स्कीम में 1 मई से 15 जुलाई, 1973 के दरम्यान

(स्वायत्त शासन मंत्री)
1641 लोगों की रकम जमा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि अलग अलग श्रेणी में कितनी कितनी रकम जमा कराई है। इन व्यक्तियों में से 265 व्यक्तियों को भू-खंड इसी माह देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और शेष लोगों को 1979 के अन्त तक भू-खण्ड दिए जाने की सम्भावना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई।)

चालू वित्तीय वर्ष में बीकानेर जिला के ग्रामों को ग्रामीण वाटर सप्लाई हेतु धनराशि व्यय करने की योजना

263. श्री **उदाराम हटीला (नोखा):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वित्तीय वर्ष में बीकानेर जिले के नोखा, लूणकरणसर एवं कोलायत क्षेत्र के ग्रामीण वाटर सप्लाई में कितनी-कितनी राशि व्यय की जाने की राज्य सरकार की योजना है? यदि नोखा क्षेत्र में सबसे कम व्यय किया जा रहा है तो ऐसा भेदभाव क्यों?

उत्तर

इस वित्तीय वर्ष में अब तक बीकानेर जिले के तहसील नोखा, लूणकरणसर एवं कोलायत क्षेत्र के ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिये विभिन्न मदों के अन्तर्गत क्रमशः 4.05 लाख, 19.40 लाख एवं 7.29 लाख की राशि व्यय की जाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त लूणकरण तहसील की तीन क्षेत्रीय योजनाओं के लिए 36.00 लाख सूखा संभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च करने की योजना है।

यह बजट प्रावधान विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं पर आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है अतः इसमें विभिन्नता होना स्वाभाविक है।

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

264. श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू): क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

राज्य सरकार तथा राजस्थान साहित्य अकादमी के सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप केन्द्रीय साहित्य अकादमी की परिषद् ने अपनी 21 फरवरी, 1971 की बैठक में राजस्थानी भाषा को आधुनिक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का निश्चय किया। जहां तक इस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करवाने का प्रश्न है आवश्यकता हुई तो यथासमय राज्य सरकार इस पर समुचित विचार करेगी।

विद्युत की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र पीपलदा

265. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपलदा):

(श्री हीरालाल आर्य)

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह कि पीपल्दा क्षेत्र विद्युत की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ? अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र होने तथा राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार अब प्राथमिकता के आधार पर इसे स्वीकृति देगी ?

(2) पीपल्दा क्षेत्र के इटावा, पीपल कलां, बमोरी कलां, मांगरोल, सुमेरगंज मंडी तथा इन्द्रगढ़ कस्बों के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति व पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में घोषणा के बाद भी अभी तक बिजली नहीं पहुंचने का क्या कारण हैं ? क्या राज्य सरकार इस हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत कुल 261 ग्रामों में से 10 ग्राम विद्युतिकृत हैं तथा इस क्षेत्र की पंचायत समिति इटावा के 176 ग्रामों की विद्युतीकरण निगम की एम. एन. पी. श्रेणी की योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(2) इटावा, पीपल्दा कलां, बमोरी कलां, ग्रामों के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में रोड लाइट चालू वित्तीय वर्ष में पहुंचाने के लिये ऐस्टीमेट्स की मंजूरी दे दी गई है तथा सुमेरगंज मंडी व मांगरोल के इन मोहल्लों के ऐस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं । इन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत से इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना

266. श्री **शिवचरण सिंह** (बयाना) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना कितनी धनराशि की है तथा केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितनी कटौती की है ?

(2) क्या योजना की पूर्ति हेतु राज्य सरकार भी धन जुटायेगी ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) राज्य की 1978-83 की पंचवर्षीय योजना का आकार 2573.47 करोड़ रुपये का राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है । योजना का प्रारूप केन्द्रीय सरकार को अब भेजा जा रहा है, अतः अभी तक कोई कटौती किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) मामला विचाराधीन है ।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)

नियड़ क्षेत्र के ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	आबादी	क्रम सं.	ग्राम का नाम	आबादी
1	2	3	1	2	3
1	अचनपुर	1416	28	इटावा	540
2	जाकोडिया	121	29	जानत्री	934
3	अमखोल	632	30	जेसला	181
4	अगसड़ी	378	31	भव	2338
5	पासेरा	496	32	झोटड़ा	810
6	वांक	625	33	जोघावास	963
7	वमक्ष	330	34	जेड़ादर	512
8	वरनावा	552	35	कोमेला	663
9	मादसूग	49	36	केरिया	4818
10	भटको	860	37	केसुरी	1054
11	महावास	165	38	आसत्री	580
12	मवानका	231	39	खेढाड़ियाली	1640
13	मुवाना	358	40	मेठा	114
14	वोरसी	389	41	मेढावास खुद	587
15	दारपीन	625	42	अप्टाली	181
16	वीरा	17711	43	मरटवा	108
17	दानिया	933	44	मेलवास वारनान	11
18	डावल	1646	45	मलघरा	513
19	भारनावास	499	46	निम्बाऊ	709
20	घोगपुरा	310	47	पादरली	40
21	गलोपा	885	48	रायपुरा	313
22	गीमो	275	49	रतनपुरा	748
23	गुड़ाहेमा	2217	50	सीदर	1505
24	छाड़ेवा	1736	51	रसोड़ा	420
25	पिन्डवाड़ा	543	52	रिडका	420
26	होतागांव	1302	53	मकरिया	420
27	इसरोल	667	54	सांगउवा	595

Page No 162

(162)

1	2	3
55	सरवाना	1339
56	सोलो	648
57	सिलोसन	375
58	सिवाड़ा	1394
59	सुवान	354
60	तातडा	342
61	तेतरोल	314
62	राठीडान	479
63	चितलवाना	4296

वर्ष मार्च, 1978 तक नेयड क्षेत्र के गांवों में स्वीकृत योजना वाले गांवों के नाम की सूची

(1) गांव धरन-वास क्षेत्रीय योजना	(1) सेली	648
	(2) टेटरोल रोटोरान	714
	(3) भूव	2338
	(4) ग्रनखोल	632
	(5) धरन-वास	499
	(6) हेमागुढा	2217
	(7) बोरली	389
	(8) दावल	917
	(9) ग्रचलपुर	1416
	(10) छाजेड़ा	680

वर्ष 1978-79 की त्वरित कार्यक्रम में नेयड़ क्षेत्र के गांवों की स्वीकृत योजना

	क्र.सं. गांव का नाम	जन-संख्या
(1) शिल्ल छोजेडा क्षेत्रीय योजना से वडी हुई योजना	(1) जैसला	181
	(2) भाटी	860
	(3) भाखेना	358
	(4) सीथाना	358
	(5) बांक	625
	(6) डोडिया	835
	(7) बालेडा	498
	(8) नलधरा	515
	(9) करडोली	479
		4809

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न 198 की सूची)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

सं. प. 8 (28) शिक्षा (ग्रुप-2)/76 जयपुर, दिनांक 15 जून, 1978।

परिपत्र (संशोधित)

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित स्थानान्तरण नीति दिनांक 27 अप्रेल, 1978 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं जो प्रचलित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. (क) वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय को जहां तक हो सके उनके गृह जिले में अथवा उनके डिविजन में ही पदस्थापित किया जावे।

(ख) शैक्षिक प्रकोष्ठ जहां उपलब्ध हों, एम. एड. की योग्यता वाले अध्यापकों को ही पदस्थापन करने में प्राथमिकता दी जाये।

2. वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के पद से जैसे ही किसी व्यक्ति की पदोन्नति हो और जिस डिविजन में किसी भी तरह से स्थान रिक्त हों उसका नाम संबंधित उप-निदेशक/संयुक्त निदेशक को भेज दें जिससे वे पदस्थापन की कार्यवाही करें।

3. (क) सक्षम अधिकारी 31 अगस्त तक अध्यापकों के स्थानान्तरण व रिक्त स्थानों की पूर्ति का कार्य अवश्य पूरा कर लें।

(ख) सक्षम अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित जिलाधीश व विकास अधिकारी से सम्पर्क कर पंचायत समिति से आने वाले अध्यापक/ अध्यापिकाओं की सूची 31 मई तक प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

(ग) 31 अगस्त के पश्चात यदि कोई रिक्त स्थान होता है तो प्रार्थी जिसने 30 अप्रेल तक प्रार्थना-पत्र दे दिया था, तो सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका स्थान भरा जा सकता है, और उसको रिक्त स्थान नई भर्ती से चयन किये गये व्यक्ति से भरा जा सकता है।

4. उक्त नियम 3 (क) व (ख) के अतिरिक्त प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण अपने उच्चाधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किये जायेंगे तथा जहां स्थानान्तरण हेतु निदेशक सक्षम अधिकारी हैं, उन मामलों में राज्य सरकार से पूर्व अनुमति ली जायेगी।

5. (क) तृतीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण उनके गृह जिले में यथासंभव किये जावें।

(ख) पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में आने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की उपलब्ध रिक्त स्थान पर स्थानान्तरण स्वयं की पंचायत समिति में ही यथासंभव किये जावें।

6. अध्यापक/अध्यापिकाओं या उनके पति/ पत्नी, बच्चे या उनके माता, पिता पोलियो, केन्सर, हृदय रोग से ग्रसित हों तो उनका स्थानान्तरण जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के प्रमाण-पत्र के आधार पर किये जावें। जहां तक हृदय रोग का सवाल है उसके लिये संबंधित व्यक्ति इस रोग के कारण अस्पताल में एक माह तक चालू वर्ष में भर्ती रहा हो, का प्रमाण-पत्र होना चाहिये। माता पिता के लिए उनका/ पुत्र/पुत्री (अध्यापक /अध्यापिका) पर पूर्णतया आश्रित होना चाहिये अर्थात् मेडिकल नियमों के अनुसार परिवार के जिन सदस्यों को मेडिकल सुविधा मिलती है उन्हीं को स्थानान्तरण की सुविधा दी जावेगी।

इस सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

7. दो वर्ष की समयावधि से राज्य सरकार की मान्यता दो शैक्षणिक सत्र से हैं परन्तु यह विन्दु 4 में वर्णित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा।

8. गांव के विद्यालयों से शहर के विद्यालयों में स्थानान्तरण करते समय कार्यरत् स्थान पर ठहराव काल दो वर्ष मात्र का ही नहीं गिना जावेगा परन्तु यह गिना जावेगा कि अध्यापक गांव या शहर के सभी विद्यालयों में अलग अलग कुल कितने समय तक रह चुका है तथा इस प्रकार जिसके ठहराव का समय सबसे अधिक हो, उन्हें पहले स्थानान्तरित किया जावे। इस जानकारी का विवरण देने हेतु अब नये स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र में उचित कालम निर्धारित किया गया है। जो 'शिविरों' में भी प्रकाशित किया जा चुका है।

9. प्रत्येक जिले में कुछ कठिन एवं असुविधा जनक जगहों पर स्कूल में पदस्थापित अध्यापकों को अपने इच्छित स्थानों पर जाने के लिये दो वर्ष बाद उनकी ऐसे स्थानों पर ठहराव की अवधि के अनुसार प्राथमिकता दी जावेगी।

10. विभिन्न वेतन शृंखलाओं में अध्यापक/अध्यापिकाओं की नई नियुक्तियां/ पदोन्नतियां ग्रामीण क्षेत्र में ही की जावे। यह नियम सैकण्डरी/ हायर सैकण्डरी के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिकाओं पर भी लागू होगा।

11. तृतीय वेतन शृंखला के अध्यापक /अध्यापिकाओं के अन्तर्जिला स्थानान्तरण के लिये प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक वर्ष एक नया रजिस्टर खोलेगा जिसमें जिले में आने के इच्छुक अध्यापक /अध्यापिकाओं के प्रार्थना-पत्रों को दर्ज करेगा। जो भी अध्यापक अपने जिले में स्थानान्तरण पर जाना चाहे वह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से उस जिले में कितने समय से कार्य कर रहा है उसका प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ भिजवाना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी वरिष्ठता एवं अन्य नियमों में वर्णित आधार को स्थानान्तरण करते समय प्राथमिकता दें। जिलों के कुछ रिक्त स्थानों में से नव सृजित पदों से तथा अन्य कारणों से अन्तर्जिला स्थानान्तरण के लिये अधिक ठहराव के आधार पर आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जावें।

12. द्वितीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति के लिये 50 प्रतिशत स्थान निर्धारित होते हैं तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। पदोन्नति के लिये इस प्रकार सुरक्षित 50 प्रतिशत स्थानों में से आधे स्थान उन अध्यापक/अध्यापिकाओं को अपने गृह जिले में लाने के लिये सुरक्षित रखे जायें जो पूर्व में स्थान रिक्त नहीं होने के कारण पदोन्नति के समय अपने जिले से बाहर पदस्थापित किये गये थे। गृह जिले में स्थानान्तरण के

लिये अध्यापक के विषय को भी ध्यान में रखना होगा जिससे किसी प्रकार का असंतुलन नहीं होने पावे ।

13. रेशनलाइजेशन करने के लिये अथवा गंभीर शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण करने के लिये दो वर्ष की रोक नहीं होगी, किन्तु इसके लिये उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

14. शहरी या ग्रामीण स्थान का ठहराव का समय निकालते समय अगर एक व्यक्ति गांव में पदस्थापित होते हुए भी शहर में पदस्थापित (डेपुटेड) रहता रहा है और उससे पहले शहर में ही था उसकी पूरी समयावधि शहरी क्षेत्र में ही मानी जाकर उसके स्थानान्तरण की नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये ।

15. सेवारत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर रखा जावे किन्तु यह सुविधा केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये ही सीमित रहेगी अर्थात् यदि पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत है और पति किसी दूसरे विभाग में कार्यरत हो तो, यह सुविधा ऐसी दम्पति को नहीं दी जावेगी । किन्तु शिक्षा विभाग में कार्यरत पति-पत्नी को राजस्थान में किसी भी एक स्थान पर रखने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी ही करेगा । पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखने हेतु यदि रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो पद रिक्त कराने के लिये ऐसे व्यक्ति को हटाया जायगा जिसका ठहराव उस शहर गांव में सबसे अधिक रहा हो किन्तु ऐसा करते समय बिन्दु 19 में उल्लेखित अपवाद इसमें भी लागू होंगे । प्रथम नियुक्ति अथवा पदोन्नति हुई तो बाहर जाना ही पड़ेगा और ऐसी स्थिति में पति-पत्नी को एक स्थान पर रखना संभव नहीं होगा ।

16. अविवाहित महिलाओं को अपने मां-बाप के साथ रखने की भी कोशिश कि जावेगी एवं विधवाओं को उनके सास, श्वसुर एवं माता पिता के साथ यथासंभव रखा जाये । परन्तु प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति की स्थिति में बाहर जाना ही होगा ।

17. उप-जिला शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यरत लिपिक जो संस्थापन /अनुदान एवं बिल इत्यादि बनाने वाली शाखा में कार्य संभालते हैं उन्हें तीन साल से अधिक इन शाखाओं में नहीं रखा जावे तथा उनका स्थानान्तरण अन्य कार्यालयों में कर दिया जावे ।

18. (क) पारस्परिक स्थानान्तरण समान ग्रेड व शैक्षणिक विषयों (सब्जेक्ट्स) के व्यक्तियों का ही हो सकेगा । इसमें दो साल वाली कोई बंदिश नहीं रहेगी । दिसम्बर के बाद पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किये जावें ।

(ख) एक अध्यापक का पारस्परिक स्थानान्तरण सत्र में एक ही बार होना चाहिये न कि बार बार ।

19. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के आदेशानुसार अथवा अन्य कारणों के फलस्वरूप किसी का स्थानान्तरण आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों को हटाया जावे जिसका ठहराव उस शहर/गांव में उससे अधिक रहा हो किन्तु ऐसा करते समय निम्न अपवाद रहेंगे:–

(क) जिसने अपनी पदोन्नति त्यागी हो ।

[redacted]

166

(ख) शिक्षा विभाग में कार्यरत् पति-पत्नी दोनों एक ही स्थान पर सेवारत् हों।

(ग) जिसकी सेवानिवृत्ति में केवल दो सत्र शेष हों।

(घ) बिन्दु सं. 6 में वर्णित असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति/रेशनालाईजेशन के फलस्वरूप हटाए गए व्यक्ति का पदस्थापन यथासंभव निकटतम स्थान पर किया जावे।

20. एन. सी. सी. तथा नागपुर से सिविल डिफेन्स व अल्प भाषाई के अध्यापकों का तबादला उन्हीं जगहों पर किया जाये जहां उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग हो सके।

21. (क) उप-जिला शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष/महिला) दोनों ही पदों की अवधि को शामिल करते हुए 3 वर्ष से अधिक अवधि तक उक्त पदों पर पदस्थापित नहीं किया जावे। यदि उक्त पदों के कार्यकाल में से 3 माह के अधिक का अन्तराल (गेप) हो तो भी निरन्तर अवधि मानी जावेगी। जिन अधिकारियों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें अथवा भविष्य में यह अवधि पूर्ण होने पर ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से विद्यालयों में समकक्ष पद पर पदस्थापित किया जाये। इस नियम में किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति उप-जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नहीं की जाय। उसे कम से कम तीन वर्ष का प्रधानाध्यापक के पद का अनुभव होने के बाद ही उप-जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

22. कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पदोन्नति पर नहीं जाना चाहे तो उसको उसी स्थान पर रखा जायेगा लेकिन उसकी दो वर्ष तक पुनः पदोन्नति नहीं की जायेगी।

23. गत वर्ष स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किसी शिक्षक का स्थानान्तरण वैध कारणों से इच्छित स्थान पर हो गया हो किन्तु बीच में ही चार महीने के पश्चात अन्य कारणों से प्रशासनिक कारणों को छोड़कर बाहर हो गया हो तो उस व्यक्ति को पूर्व के स्थान पर लाया जावेगा और इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति उसकी जगह स्थानान्तरण होकर आया था को बाहर स्थानान्तरण किया जावेगा।

स्थानान्तरण किये जाने के आदेश निम्न प्रकार से अधिकृत किये जाते हैं:—

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (जिला, अंतर्जिला अन्तर्मण्डल	अधिकारी	जिला शिक्षा
(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका में कार्यरत् तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं तक ही स्वयं परिक्षेत्र में।	उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें)	
(3) तृतीय वेतन श्रृंखला की सहायक अध्यापिकाएं जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित हैं।	संयुक्त निदेशक।उप-निदेशक (महिला) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें)	

Page No 167

(167)

(4) द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों, लिपिकों।वरिष्ठ लिपिकों, लाइब्रेरियन के अन्तर्जिला, अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण।	कनिष्ठ मण्डल अधिकारी (संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक) जिलों में स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
(5) वरिष्ठ अध्यापकों के सम्पूर्ण स्थानान्तरण के अधिकार (जिला, अन्तर्जिला, अन्तर्मण्डल)।	संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक।
(6) प्रधानाध्यापकों।प्रधानाध्यापिकायें माध्यमिक।उच्च माध्यमिक के सम्पूर्ण स्थानान्तरण अधिकार।	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
(7) अन्य उच्चाधिकारियों के सभी प्रकार के स्थानान्तरण।	राज्य सरकार।

ललित किशोर
उप-शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

सं. प. 8 (28) शिक्षा-2।76 जयपुर, दिनांक 28 अगस्त, 1978

आदेश

इस विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति के बारे में प्रसारित परिपत्र दिनांक 15-6-78 के सन्दर्भ में स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या 15 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

"सेवारत् पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर रखा जावे किन्तु यह सुविधा केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा राजस्थान सचिवालय में कार्यरत् कर्मचारियों के लिये ही सीमित रहेगी। किन्तु उपरोक्तानुसार पति-पत्नी को राजस्थान में किसी भी स्थान पर रखने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी ही करेगा। इस प्रक्रिया को अपनाने में यदि रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो पद रिक्त कराने के लिये ऐसे व्यक्ति को हटाया जावेगा जिसका ठहराव उस शहर।गांव में सबसे अधिक रहा है किन्तु ऐसा करते समय बिन्दु 19 में उल्लेखित अपवाद इसमें भी लागू होंगे। यदि प्रथम नियुक्ति अथवा पदोन्नति हुई तो बाहर जाना ही पड़ेगा और ऐसी स्थिति में पति-पत्नी को एक स्थान पर रखना संभव नहीं होगा।

बिन्दु संख्या 19 में (ड़) पैरा और बढ़ाया जाता है:—

(ड़) जयपुर शहर में कार्यरत् वे अध्यापक।अध्यापिकायें जिनके पति-पत्नी राजस्थान सचिवालय में कार्यरत् हैं।

आदेश से,
एम. एल. कक्कड़
उप-शासन सचिव।

168

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

सं. प. 8 (28) शिक्षा।ग्रुप-2।78 जयपुर दिनांक 16 अक्टूबर, 1978

निदेशक,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–पति-पत्नी राज्य कर्मचारियों का एक ही स्थान पर पद-स्थापन।

सन्दर्भः–इस विभाग के परिपत्र सम संख्यक दिनांक 15-6-78।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण के समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक-क (अनुभाग-5) के परिपत्र सं. एफ 14 (45) कार्मिक क-5।77 दिनांक 15-9-77 जो कि नीचे उध्दृत किया जाता है, को भी ध्यान में रखा जावे।

"उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि पति-पत्नी भिन्न 2 स्थानों में राजकीय सेवारत हो तो उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे।"

भवदीय

रतन लाल तोतला

सहायक शासन सचिव।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 203 का आदेश व ब्यौरा)

एम.डी. कौरानी,
निदेशक

निदेशालय,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

अ.शा.पत्रांक शिविरा। माध्यमिक। अ। 21248।78 कैम्प आबूपर्वत, दिनांक 26-5-1978.

प्रिय श्री

जैसाकि आप लोगों से विचार-विमर्श हुआ है, इस ग्रीष्मवकाश में अध्यापकों का रैशनेलाइजेशन करना है। रशनेलाइजेशन से तात्पर्य यह है कि विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जिस विद्यालय में जितने अध्यापक होने चाहिए उतने ही हों, उससे अधिक तो किसी भी स्थिति में नहीं हों, लेकिन यदि कम हैं, तो आप कमी पूर्ति हेतु कार्यवाही करें।

अब तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक पूल रूप में आपके पास हैं, अब इनका विभाजन विद्यालयवार करना है। यद्यपि बजट तो अभी जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलेगा, लेकिन पदों का विभाजन करना होगा। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों का विषयवार बंटवारा भी करना होगा। विषयवार बंटवारे से तात्पर्य है कि पहले आप मानदण्ड के अनुसार किस विद्यालय में कितने द्वितीय श्रेणी के अध्यापक हों, यह निश्चित कर लें और फिर यह तय कर लें कि इनमें से अमुक विषय। संकाय के अध्यापक होने आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ किसी माध्यमिक विद्यालय में तीनों संकाय हैं और मानदण्ड के अनुसार वहां पर द्वितीय श्रेणी के 10 अध्यापक हैं तो इनका विषयवार बंटवारा करते समय केवल इतना ही लिखें कि इन 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक विज्ञान, गणित सहित हो, एक अध्यापक कला-संस्कृत सहित हो, एक अध्यापक वाणिज्य का हो, और अन्य दूसरे विषय सहित हों आदि।

इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के अध्यापक भी किसी विद्यालय में कम या ज्यादा हो सकते हैं। अतः इनका भी उचित बंटवारा विद्यालयवार करना है।

इस प्रकार बताई गई प्रक्रिया अपनाते हुए आप प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों की संख्या निर्धारित करके एक कार्यालय आदेश निकालें ताकि उस विद्यालय के अध्यापकों की संख्या इस सत्र में फिर कमी-बेशी नहीं की जा सके। इस आदेश की प्रति आप अपने मण्डल अधिकारी को, निदेशालय को एवं आपके कार्यालय की लेखा शाखा को भी दें। आप अपने कार्यालय की लेखा शाखा को साथ ही साथ यह भी निर्देश दें कि आप द्वारा निर्धारित अध्यापकों की संख्या से अधिक अध्यापकों का वेतन किसी विद्यालय से न उठाया जाय। यदि इसमें कोई अपवाद हुआ तो लेखा शाखा अधिकारी। प्रभारी एवं आप दोनों दोषी माने जावेंगे। एक बार जब मानदण्ड के अनुसार जो अध्यापकों की संख्या विद्यालयवार आप निश्चित कर लेते हैं, उसमें कमी-बेशी निदेशालय की स्वीकृति के बिना सम्भव नहीं होगी।

विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या का मानदण्ड आपको विदित है। फिर भी यह आपकी सूचनार्थ संलग्न किया जा रहा है। इस मानदण्ड में अतिरिक्त छात्रों की संख्या अथवा अतिरिक्त खण्ड के लिए अतिरिक्त अध्यापकों का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि मानदण्ड के

(170)

अनुसार अध्यापकों के पदों का वितरण करने के बाद आपके पास अध्यापक बचे रहते हैं तो उनका वितरण अतिरिक्त खण्ड को आधार मानकर कर दें।

तृतीय श्रेणी पूल अध्यापकों का बंटवारा करते समय यदि किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक सेक्शन में पंचायत समिति के अध्यापक हैं, तो उनको पूल में मानकर उनका बंटवारा न करें, क्योंकि वे एक-दो वर्ष में वापिस पंचायत समिति को चले जावेंगे।

भवदीय
(एम. डी. कोरानी)

विद्यालयों में स्टाफ के समायोजन के मानदण्ड

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय:—

(अ) कक्षा 1 से 5 तक कुल छात्र संख्या के अनुसार 40 छात्रों पर एक अध्यापक के हिसाब से।

(ब) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये एक अध्यापक कक्षावार के हिसाब से, अगर कक्षाओं के अतिरिक्त खण्ड हों तो प्रत्येक खण्ड के लिए एक अतिरिक्त अध्यापक।

2. सैकण्डरी स्कूल:—(विभागीय मानदण्ड कक्षाओं की संख्या $1\frac{1}{2}$) (कक्षा 6 से 10)

(अ) मानविकीवर्ग:—द्वितीय वेतन श्रृंखला के 5 अध्यापक विषयवार निम्न प्रकार हैं:—

(1) अंग्रेजी अध्यापक	..	1
(2) हिन्दीजी अध्यापक	..	1
(3) बी. एससी. अध्यापक (गणित)		1
(4) अन्य अध्यापक संस्कृत पढ़ा सकें	..	2 जो तीन वैकल्पिक विषय और

इस प्रकार कुल 5 द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक हों।

(5) तृतीय श्रेणी के .. 3 अध्यापक

(ब) मानविकी और विज्ञान सवर्ग:—द्वितीय वेतन श्रृंखला

(1) अंग्रेजी अध्यापक .. 1

(2) हिन्दी अध्यापक .. 1
(3) बी.एससी. (गणित) .. 2
(4) अन्य 2 अध्यापक जो तीन वैकल्पिक विषय पढ़ा सकें।

तृतीय वेतन श्रेणी के 4 अध्यापक

(स) मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य:—द्वितीय वेतन श्रेणी :

(1) अंग्रेजी अध्यापक .. 2
(2) हिन्दी अध्यापक .. 2
(3) बी.एससी. (गणित) .. 2
(4) बी.एससी. (बायोलोजी) 1
(5) वाणिज्य अध्यापक .. 1

तृतीय श्रेणी के 5 अध्यापक

प्रत्येक अतिरिक्त खण्ड पर डेढ़ अध्यापक और दिया जावे। पी टी. आई. तथा क्राफ्ट के अध्यापक इसके अतिरिक्त होंगे।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालय :—(कक्षा 9 से 11)

(अ) मानविकी वर्ग :—

(1) वरिष्ठ अध्यापक .. 5
(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला .. 2
(3) तृतीय वेतन श्रृंखला .. 3

(ब) मानविकी और विज्ञान वर्ग :—

(1) वरिष्ठ अध्यापक .. 9
(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला- .. 4
(3) तृतीय वेतन श्रृंखला- .. 4

(स) मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग:—

(1) वरिष्ठ अध्यापक .. 10

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला .. 5

(3) तृतीय वेतन श्रृंखला- .. 5

प्रत्येक अतिरिक्त खंड के लिए डेढ़ अध्यापक के हिसाब से और दिया जावे।

(172)

एम. डी. कोरानी, बीकानेर
निदेशक (कैम्प कोटा)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान 6-7-78

अ. शा. पत्रांक शिविरा प्राथ।व/19814/रेशनेलाइजेशन/स्पेशल /78

प्रिय श्री।सुश्री।श्रीमती

निदेशालय के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या शिविरा प्राथ/व/19814। रेशनेलाइजेशन/10/78 दिनांक 28-6-78, में आंशिक संशोधन करते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों के समायोजन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. प्राथमिक कक्षाओं के लिए 40 छात्रों पर एक अध्यापक देय है । इसके अतिरिक्त आंशिक वृद्धि पर अतिरिक्त अध्यापक के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक के अनुपात से अध्यापकों का प्रावधान करने के पश्चात् यदि 10 या 20 से अधिक छात्र शेष रहते हों तो एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जा सकेगा । प्रधानाध्यापक अतिरिक्त नहीं होगा । सम्पूर्ण समायोजन कार्य समाप्त होने के वाद भी यदि अध्यापक जिले में सरप्लस रहें तो 40 :1 के पश्चात् शेष 11 या अधिक छात्रों पर भी एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जा सकेगा ।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार ही अध्यापकों का समायोजन किया जावे । कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक खण्ड के लिए एक अध्यापक देय होगा । प्रधानाध्यापक इस संख्या के अतिरिक्त होगा । कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक खण्ड में कम से कम 30 छात्र होने चाहिये । यदि कक्षाएं इतनी छोटी हों कि इनमें 30 छात्र भी नहीं बैठ सकें तो ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त अध्यापक के औचित्य को प्रमाणित करते हुवे निदेशालय को अभिवांषा प्रस्तुत करें एवं स्वीकृति प्राप्ति होने के पश्चात् ही अतिरिक्त पदों का आवंटन करें ।

चालू संगोष्ठी के निर्णयानुसार यह कार्यक्रम शीघ्र ही पूर्ण किया जाना है । अतः इस कार्य को अनिवार्य रूप से 15 जुलाई, 78 तक पूर्ण कर स्थानान्तरण आदेश प्रसारित करें व उसी दिन निदेशालय को कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना भेजें ।

भवदीय,

ह.

(एम. डी. कोरानी)

श्री/ सुश्री/ श्रीमती/
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/ छात्रा) संस्थाएं

शिक्षा विभाग के अधीनस्थ चल रहे प्रा. वि. (बांसवाड़ा) में अध्यापकों के समायोजन

संख्या	विद्यालय का नाम	छात्र सं.	वर्ग सं.	मानदण्ड के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता	कार्यरत	वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रा. विद्या., भारवाड़ा	185	7	8	8	..	..
2.	सुथारवाड़ा	247	8	9	9	..	..
3.	नायक भवन	260	14	15	15	..	..
4.	सांडवाड़ा	116	5	5	5	..	..
5.	न्यू कोलोनी	87	6	5	5	..	..
6.	सिंधी कोलोनी	35	5	2	1	..	1
7.	हरिजन बस्ती	50	5	2	1	..	1
8.	सरवड़ा वाड़ा	50	5	2	1	..	1
9.	उद्योग बस्ती	52	5	2	1	..	1
10.	मागाकोट	50	5	2	1	..	1
11.	कुशलगढ़	160	7	5	4	..	1
12.	भाडवासा	151	7	4	4	..	..
13.	पागडिया कलां	122	5	5	6	1	..
14.	कुम्हारवाड़ा	52	5	2	1	..	1
15.	मोईवाड़ा	54	5	2	1	..	1

[redacted]

Page No 174

(174)

बांसवाड़ा जिले की कुल 16 विद्यालयों में नार्म्स के आधार पर संख्या

क्र.सं.	नाम विद्यालय	वर्ग	ग्रेडवार संख्या I	II	III	ऐच्छिक विषयों की संख्या
1.	रा.उ.मा.वि. बांसवाड़ा	22	10	23	4	10
2.	„ घाटोल	10	11	5	5	19
3.	„ लोहारिया	8	6	3	5	8
4.	„ बागीडोरा	14	8	6	6	11
5.	„ खान्दु	9	8	6	4	10
6.	„ जांलाना	7	8	4	5	12
7.	„ कालगढ़	12	11	6	4	13
8.	„ गढ़ी	11	10	7	4	10
9.	मा. विद्यालय, अरथुना	9	..	6	5	3
10.	„ पामोदा	8	..	7	5	6
11.	„ मुखिया	7	..	6	5	4
12.	„ घिघ	5	..	5	3	3
13.	„ दानपुर	5	..	4	3	3
14.	„ मोटगांव	5	..	5	3	3
15.	„ डूगरा	5	..	5	3	3
16.	„ नरवाली	5	..	5	3	3

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची)

नाम पद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप-केन्द्र	वेतन श्रृंखला
	6 से 10 रोगी शय्या पर स्वीकृत पद	11 से 20 रोगी शय्या पर स्वीकृत पद		
(1) डाक्टर	1	2	..	750-1350
(2) कम्पाउण्डर श्रेणी-I	..	1	..	460-770
(3) कम्पाउण्डर श्रेणी-II	2	3	..	440-770
(4) एल.एम.बी.जी.	1	1	..	440-770
(5) ए.एम.एम.	1	2	1	355-570
(6) सेनेटरी इन्स्पेक्टर	1	1	..	370-590
(7) वाहन चालक.	1	1	..	355-570
(8) ए.एच.डब्लू.	..	..	1	370-590 (कुछ उप-केन्द्रों पर)
(9) च.श्रे.कर्मचारी	4	6	..	246-290
(10) अंशकालीन हरिजन	..	..	1	

डिस्पेन्सरी तथा एडपोस्टों के स्टाफ का पैटर्न

नाम पद	डिस्पेन्सरी	एडपोस्ट	वेतन श्रृंखला	
(1) डाक्टर	1	..	750-1350	
(2) कम्पाउण्डर श्रेणी-I	2	1	440-770	
कम्पाउण्डर श्रेणी-II	..	1	460-770	(पुराने एड-पोस्टों पर)
(3) ए.एम.एम.	1	1	355-570	
(4) वार्ड ब्वाय	3	1	240-290	
(5) हरिजन	1	1	240-290	

[redacted]

Page No 176

(176)

(अतारांकित प्रश्न

तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में अकाल राहत

क्र. सं.	बांध/ एनीकट का नाम	66-67	67-68	68-69
1	2	3	4	5
1.	रतकुडिया प्रोजेक्ट	3400	12700	..
2.	मोडलिया बांध	14600	24200	..
3.	पालडीसिधा	53500	55200	1000
4.	कुड़ी बांध	21800	2000	1300
5.	बासनी बागरा	..	..	
6.	बासनी खुर्द	..	..	8700
7.	चोपडा फीडर	..	..	69300
8.	बिरानी खुर्द	..	..	8700
9.	जसवन्त सागर	..	..	287800
10.	बागोरिया बांध	..	..	..
11.	ताम्बडिया बांध	..	..	..
12.	अरटिया कलां बांध	..	..	..
13.	अरटिया खुर्द बांध	..	..	..
14.	टीरा देसर बांध	..	..	..
15.	रबुन्दा बांध	..	..	..
16.	धोद बांध	..	..	..
17.	बाण गंगा कुण्ड व नहर	..	..	..
18.	साथिन बांध	..	..	..
19.	सुरपुरा सूकड़ी	..	..	..
20.	खारिया खंगार	..	..	..
21.	भोपाल गढ (बोगासनी) ..	..	..	..
22.	बुड़किया	..	..	..
23.	भुरकासनी बांध	..	..	..
24.	गूजरों की ढाणी	..	..	.
25.	पीपाड़ सिटी	..	..	..
26.	साड पाली एनीकट	..	..	..
27.	कूपडावास एनीकट	..	..	..
28.	कूड़ी फीडर	..	..	..
29.	भवरिया बांध	..	..	..
30.	परासलासर	..	..	..
31.	वीर वास	..	..	..
32.	राजसिंहपुरा	..	..	..
33.	रावलनियाना बांध	..	..	..
34.	वासयो हरीसिंग बांध	..	..	..
35.	टोडियाना	..	..	..

संख्या 212 की सूची)
के अन्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यों की सूची (वर्षों में)

69-70	70-71	72-73	73-74	75-76	कुल खर्चा
6	7	8	9	10	11
..	..	..	..	..	16100
..	43500	..	..	..	82300
..	..	..	..	..	109700
60200	..	..	..	..	85300
..	10300	..	..	..	19500
..	..	..	..	..	8700
386200	..	..	..	..	455500
22700	..	..	..	..	31400
47800	4600	..	41649.92	..	38184.92
52200	20300	17000	20731.97	1000	111231.97
2000	36800	51800	..	..	90600
29600	27700	7500	..	..	64800
348800	8900	..	..	2800	45500
34300	13700	..	..	..	48000
17300	29500	1808	..	..	48600
17400	32300	..	28392.68	..	78092.68
8400	49300	101000	..	8500	167200
43300	..	..	..	..	43300
14800	..	..	..	..	14800
11500	..	..	..	..	11500
28500	..	..	..	..	28500
..	51900	10200	17385.30	..	79485.30
..	6300	..	..	..	6300
..	11800	..	..	..	11800
..	77200	34700	..	..	111900
..	104500	45400	..	1400	151300
..	6800	..	..	..	6800
..	11500	..	..	..	11500
..	..	..	25906.65	..	25906.65
..	..	..	19425.44	..	19425.44
..	..	..	19909.96	..	19909.96
..	..	..	70154.65	..	70154.65
..	..	..	47242.71	..	47242.71
..	..	..	1395.80	..	1395.80
..	..	..	4532.59	..	4532.59

[redacted]

(178)

तहसील सोजत जिला पाली में अकाल राहत कार्यों

क्र.सं.	बांध । एनीकट का नाम	67-68	68-69	69-70	70-71
1	2	3	4	5	6
		रु.	रु.	रु.	रु.
1.	खुटिया	24,100	..	..	..
2.	पोटलिया	..	12,400	31,900	36,700
3.	देवली हुस्न बांध	..	..	92,000	..
4.	सुरायता एनीकट	..	..	32,900	..
5.	चाकरी टैंक	..	..	6,300	..
6.	रुपावाला तालाब	..	..	57,600	..
7.	सुयंसाब	..	..	58,000	..
8.	सांडिया एनीकट	..	..	49,300	..
9.	देवली कलां	..	..	12,700	..
10.	ढिगावास	..	..	21,400	..
11.	सुमेल बांध	..	..	2,49,300	..
12.	नया गांव दोवड़ा एनीकट	..	..	9,100	32,5400
13.	सुनाला टैंक	..	..	..	1,100
14.	हाफत टैंक	..	..	..	..
15.	चंडावल टैंक	..	..	..	..
16.	दीपावास	..	..	..	..
17.	वासिया	..	..	..	..
18.	सोणा की ढाणी एनीकट	..	..	..	..
19.	मेवड़ा एनीकट	..	..	..	..
20.	सरदार संमद एनीकट	..	..	..	..
21.	बांका की मण्डी	..	..	..	..
22.	बडेड की पाल	..	..	..	..
23.	जोर की नाडी	..	..	..	..
24.	खोखरा	..	..	..	..
25.	बसोर की नाल	..	..	..	..
26.	मामावास तालाब	..	..	..	..
27.	चौकीदार की कालोनी	..	..	..	..
28.	गोविन्द सागर	..	..	..	..
29.	पंचवा कलां	..	..	..	..
30.	खेड़ावास	..	..	..	..
31.	सोणा की ढाणी	..	..	..	..
32.	शिवपुरा टैंक	..	..	..	..
33.	धंधेरी	..	..	..	..
34.	सोजत सिटी टैंक	..	..	..	..
35.	जिगरली नाडी	..	..	..	..
36.	गुड़वाल की नाल	..	..	..	..
37.	भादोन का जोड़	..	..	..	..

केअन्तर्गत पूर्ण कार्यों की सूची (वर्षों में)

71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	कुल खर्चा
7	8	9	10	11	12
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
..	..	12357.95	..	118000	154457
12200	4300	2400	..	78000	201700
..	..	..	..	4200	26200
..	..	..	..	..	32900
..	55110	14727.10	..	..	80137
..	9700	19900	..	5200	92400
12400	..	..	..	..	70400
..	..	9337.56	..	..	58637.50
..	..	..	..	..	12700.00
..	4307	17064.95	..	4100	46871.93
2600	2400	..	..	10200	264500
22200	..	35425.07	..	1300	393425.67
..	..	98044.96	..	55600	154744.00
29100	..	..	..	40000	69900.00
..	8100	13300	..	...	21400.00
..	6300	..	..	2400	9200.00
..	11500	..	..	..	11500.00
..	1300	43226.50	..	...	44586.50
..	..	..	..	18700	18700.00
..	..	19610.00	..	33800	53410.00
..	..	..	..	50200	30200
..	..	..	..	21700	21700
..	..	..	..	19000	19000
..	..	..	..	35500	34500
..	..	..	..	130700	130700
..	..	127163.43	..	244000	371163.50
..	17643.72	5521.83	..	18800	41965
..	..	..	..	19300	19300
..	..	..	..	5100	5100
..	674.65	35486.19	..	22100	58260.84
..	..	..	..	22900	22900
..	..	..	..	21300	21300
..	..	..	..	36600	36600
..	..	..	..	46600	46600
..	..	..	..	17700	17700
..	..	..	..	26600	26600
..	..	..	..	32800	32800

[redacted]

1	2	3	4	5	6
38.	चण्डावत खडोन	..	..	..	..
39.	पांचवा खुर्द टैंक	..	..	..	..
40.	राजोला फीडर	..	..	..	..
41.	डांगरावास	..	..	..	..
42.	बिलावास बांध	..	..	..	..
43.	मोदेलाव	..	..	..	..
44.	बोरानाडा टैंक	..	..	..	..
45.	बरियाला टैंक	..	..	..	..
46.	परमेलाव टैंक	..	..	..	..
47.	देवसागर टैंक	..	..	..	..
48.	चन्दासनी टैंक	..	..	..	..

[redacted]

7	8	9	10	11	12
..	39306.20	70779.79	..	..	110086
..	..	25107.50	..	..	25107.50
..	..	41859.88	..	..	41659.88
..	..	33849.34	..	..	33849.34
..	3859.25	14385.54	..	..	10245
..	..	233036.06	..	..	233036.06
..	24778.28	28307.79	..	..	53076.00
..	..	109062.38	..	..	109062.38
..	..	23425.73	..	..	23425.73
..	5447.75	13893.87	..	..	17341.00
..	11720.50	19396.54	..	..	31117.04

[redacted]

(182)

तहसील रायपुर जिला पाली के अकाल राहत

क्र. सं.	बांध/एनीकट का नाम	1964-65 से 66-67	67-68	68-69
1	2	3	4	5
1.	लखी टैंक	..	19,300	..
2.	साल बांध	..	..	87,400
3.	ऊपरी घाट एनीकट	..	..	..
4.	धोबी घाट एनीकट	..	..	..
5.	कुटेलाव	..	..	..
6.	कानुजा	..	..	..
7.	रायपुर खुली कैनाल	..	..	..
8.	यंग चिनार	..	..	..
9.	भंवरियां बांध	..	..	..
10.	बाबरा एनीकट	..	..	..
11.	सोडापुर	..	..	..
12.	नानाना एनीकट	..	..	..
13.	गिरी एनीकट	..	..	..
14.	जोरु का नाणा एनीकट	..	..	..
15.	खुशालपुर एनीकट	..	..	..
16.	कलाली एनीकट	..	..	..
17.	कलाव	..	..	..
18.	खुम्बारा टैंक	..	..	..
19.	चंग चितार	..	..	..
20.	बूटीवास	..	..	..
21.	सेन्दड़ा	..	..	..
22.	कोट किराना	..	..	..
23.	रेसरा एनीकट	..	..	..
24.	दीपावास नहर	..	..	..
25.	खोखरी टैंक	..	..	..
26.	सालनाडी टैंक	..	..	..
27.	रावतसर टैंक	..	..	..
28.	पीपलिया टैंक	..	..	..
29.	मुडिया टैंक	..	..	..
30.	कलाली फीडर	..	..	..
31.	बर टैंक	..	..	..
32.	गोलची दांत एनीकट	..	..	..
33.	जलकीवाला एनीकट	..	..	..
34.	गणेश तालाब	..	..	..
35.	रोडको तालाब	..	..	..
36.	गिरीराइट कैनाल	..	..	..
37.	भुजकोमल एनीकट	..	..	..
38.	छालोवालों की पाल	..	..	..

कार्यों की सूची (पूर्ण कार्य) (वर्षों में)

69-70 6	70-71 7	72-73 8	73-74 9	75-76 10	कुल खर्चा 11
..	..	..	..	...	19300
..	..	..	..	..	87400
1500	1600	..	..	..	3100
	1800	..	..	..	8108
24400	100000	1000	..	8500	133900
84100	7300	2650	5103.90	18600	117754
..	13200	16400	..	70000	99600
..	..	9000	..	..	9000
..	..	16600	..	2610	42700
..	..	..	30232.91	5600	35833
..	..	..	..	12600	12600
..	..	..	..	36700	36700
..	..	..	..	50600	50600
..	..	..	..	22700	22700
..	..	..	..	1500	1500
..	..	..	..	23700	23700
..	..	..	..	17000	17000
..	..	..	..	1500	1500
..	..	..	..	31300	31300
..	..	..	..	65400	65400
..	..	..	..	18600	18600
..	..	..	..	2000	2000
..	..	..	..	61000	61000
..	..	12449.90	16898.90	..	29258.80
..	..	27364.45	9444.25	..	36808.70
..	..	23226.15	6747.50	..	29973.65
..	..	..	10726.50	..	10726.50
..	..	4004	..	..	4004
..	..	2880	31	..	2911
..	..	25233.75	66259.45	..	91503.20
..	..	..	10224.50	..	10224.50
..	..	..	25239.16	..	25239.16
..	..	..	4861.00	..	4861.00
..	..	..	19727.25	..	19727.25
..	..	..	9382.09	..	9382.09
.	..	..	13000	..	13000
..	..	..	13564	..	13564
.	..	..	23445	..	23445

[redacted]

184

1	2	3	4	5
39.	कीकरिया का नाका	..	..	..
40.	काकरिया का नाका	..	..	..
41.	श्यामपुरा की रपट	..	..	..
42.	माताजी का बाड़ा	..	..	..
43.	मालखेड़ा एनीकट	..	..	..
44.	सहेलिया की गल एनीकट	..	..	..

[redacted]

6	7	8	9		10
..	..	..	49580.00	..	49580.00
..	..	..	45650	..	45650
..	..	..	31816	..	31816
..	..	..	19941	..	19941
..	..	..	13516	..	13516
..	..	..	25860	..	25860

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत संपूर्ण रहे कार्यों की सूची ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	तहसील / जिला	कार्य को सम्पूर्ण-करने हेतु मांगी गई राशि रुपयों में
1	2	3	4
1.	बागोरिया बांध	बिलाड़ा / जोधपुर	30,000.00
2.	बुडकिया बांध	...	26,250.00
3.	गजसिंह पुरा	...	10,000.00
4.	रावनियाना बांध	...	53,000.00
5.	कसनो हरि सिंह बांध	...	13,000.00
6.	टोडियाना	...	66,000.00
7.	देवसागर टैंक	सोजत / पाली	10,000.00
8.	चौकीदारों की कालोनी	...	25,100.00
9.	मानावास	..	97,500.00
10.	सरदार समंद एनीकट	...	14,000.00

———